खण्ड-425, अंक-9
गुरूवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1920
(16 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–84
प्रश्नों एवं सदन की वेश–भूषा के सम्बन्ध में उठ गया व्यवस्था का प्रश्न ..	84–86
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ..	86
जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी परिषद् द्वारा पेय–जल हेतु लगाये गये हैण्ड पम्प की खरीद में की गई कथित घांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
जनपद फैजाबाद स्थित चौक घंटाघर में स्टार होटल में दिनांक 4 जुलाई को हुई बम विस्फोट की घटना की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86–87
जनपद कानपुर देहात के मौजा सन्दलपुर में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
अम्बेडकर नगर के कटेहरी क्षेत्रान्तर्गत पहितीपुर से मंशापुर तक सड़क मार्ग को लेपन स्तर तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87–88
उत्तर प्रदेश के कतिपय अस्पतालों में स्वीकृत सी0 टी0 स्केन मशीनों को लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
झांसी जनपद के गरौठा क्षेत्रान्तर्गत एरच घाट बेतवा नदी के सेतु पर टोल टैक्स वसूली के नाम पर किसानों तथा आम नागरिकों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88–89
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा जौनपुर के डी0 सी0 एल0 एकाउन्ट से रोकी गई धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ..	89
प्रश्नों को कार्य सूची में सूचीबद्ध किये जाने में निर्धारित समय सीमा का पालन न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	89–90
सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निदर्शनी में विधान सभा सचिवालय को कोई स्थान न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ..	90

-- दिनांक 10 जुलाई, 1998 को नियम 56 के अन्तर्गत अभिसूचित बाढ़ से सम्बन्धित सूचना का मा० संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 91-92

-- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित)

-- कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें .. 92-122

सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने तथा इसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन .. 122

प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आयी बाढ़, नदियों की कटान और बन्धों के टूटने से हुई मौतों तथा जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा .. 122-124

शस्त्र लाइसेन्स जारी करने में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने व जरूरत-मन्दों को लाइसेन्स आसानी से उपलब्ध कराये जाने के विषय में श्री बी० आर० वर्मा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन .. 124

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या--95-उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत) .. 124-149

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या--25-गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) .. 150-173

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या--27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) तथा अनुदान संख्या--28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)-(स्वीकृत) .. 174-177

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगो पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या--22 खेल विभाग (स्वीकृत) .. 177-190

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या--67 विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या--69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या--90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या--91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) अनुदान संख्या--30 योजना विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या--41 नियोजन विभाग, अनुदान संख्या--82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत) .. 190-193

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. 193–194

प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड की वर्ष 1998 की परीक्षा के परिणाम 37 कालेजों सहित मेरठ के डी0 एन0 इण्टर कालेज तथा राजकीय इण्टर कालेज का सम्पूर्ण परीक्षा फल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य .. 194–196

प्रदेश में उग्रवादी की बढ़ती हुई घटनाओं तथा सरकार द्वारा समुचित कदम न बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामनरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य .. 196–200

जनपद बलिया में बलिया बैरियन मार्ग की मझोवा में गंगा से तथा बूहा में घाघरा नदी से हुई कटान के सम्बन्ध में सर्वश्री राजधारी आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य .. 201

जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड–49 के अन्तर्गत करोड़ों की लागत से खरीदी गई खुदाई मशीनों से ड्रेनों की सफाई न किए जाने विषयक को श्री तेजमान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य .. 202

नस्थियां .. 203–204

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरूवार, 16 जुलाई, 1998 ई0

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

1–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
2–अनीस खां, श्री	पीलीभीत
3–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
4–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
5–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
6–अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
7–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
8–उर्मिला देवी श्रीमती	मैनपुरी
9–ओइमवेश स्वामी	बिजनौर
10–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
11–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
12–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
13–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
14–काजिम अली खां, उर्फ मवेद मियां, श्री	रामपुर
15–काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
16–किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
17–कौकब हमीद, श्री	मेरठ
18–चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
19–छोटे सिंह यादव, श्री	फरुखाबाद
20–जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
21–ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी
22–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
23–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
24–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
25–बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
26–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
27–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0	वाराणसी
28–महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
29–मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
30–मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
31–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर	पडरौना
32–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
33–रघोन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
34–राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
35–राधेश्याम जयसवाल, श्री	सीतापुर
36–राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
37–राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
38–राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
39–रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
40–राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
41–राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
42–लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ

43–विजय सिंह, श्री	सीतामढ़ी	49–संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
44–विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू', श्री	गोण्डा	50–सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
45–देव प्रकाश सिंह, एम0 एस0 डा0	बिजनौर	51–सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
		52–सुरेश कुमार शर्मा, श्री	शाहजहांपुर
46–शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी	53–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	ऊधम सिंह नगर
47–शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़	54–हरि प्रसाद वर्क घसड़ी, श्री	सीतामढ़ी
48–श्रीराम पाल, श्री	जालौन		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, आज अतिक्रमण के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद कुमार जी, जब समय आयेगा तब उठाइएगा ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने हेतु कोई ठोस निर्णय लेने को जानकारी ।

श्री जगदम्बिका पाल--

** 1--क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने हेतु सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पिछले सात सालों से ठप पड़ी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री--(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

(अनुपस्थित)

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पुकारे जाने तथा ऊर्जा मंत्री जी के अनुपस्थित होने तथा संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है कि ऊर्जा मंत्री का पहला प्रश्न है और वह यहां नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी बगले झांक रहे हैं, लिखित उत्तर तो पढ़ लेंगे लेकिन अनुपूरक का उत्तर कैसे देंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने हेतु सरकार ने कोई ठोस निर्णय लिया है ? 7 तापीय विद्युत परियोजनाओं को सुधारने की क्या योजना बनाई है कितना धन खर्च होगा और यह कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री—

*(श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जो प्रश्न किया उसके मूल उत्तर में मैंने कहा है कि विद्युत् परियोजनाओं को सुधारने हेतु ठोस निर्णय लिया गया है और इनका सदन में कई बार उल्लेख किया जा चुका है ।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, प्रश्न आज स्वीकार किया गया है तो उसका उल्लेख आज होना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी आये नहीं हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी के पास उत्तर तैयार नहीं है । इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें और ऊर्जा मंत्री को निर्देशित कर दें कि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री अध्यक्ष—

अगले बृहस्पतिवार तक के लिए इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं ।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन लाभ हेतु विकल्प भरने की सुविधा हेतु शासनादेश जारी करने की मांग ।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

**2—क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रोविडेन्ट फण्ड के स्थान पर पेंशन लाभ हेतु विकल्प भरने की सुविधा देने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शासनादेश 190/55-1997-3 (25) 90-दिनांक 24-2-97 की भांति उनका भी शासनादेश जारी करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक शासनादेश जारी होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

जी हां । राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना हेतु विकल्प देने की सुविधा शासनादेश संख्या-901/70-4/98-16 (14)/83 दिनांक 16 मई, 1998 द्वारा अनुमन्य करा दी गई :

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जो पुरानी मांग थी उसे पूरा किया है । मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पेन्शन और पारिवारिक पेन्शन के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्थाएं की हैं ?

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

मान्यवर, जो राज्य कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ मिलता है जो शासनादेश किये गये हैं उसके अनुसार यही लाभ इनको भी मिलेगा । मैं माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर जो भी उचित है वह कर रही है। इसी सन्दर्भ में अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, राजकीय संस्थाओं, विभागों तथा अन्य शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में किये गये पूर्व सेवा को भी पेन्शन गणना में 26 सितम्बर 1997 में कर दिया गया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्रायनिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आलू मूल्य को कम करने के लिए आयात पर विचार

*1--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में आलू संकट के कारण बाजार में लगभग दस रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है ? क्या सरकार बाजार में आलू के मूल्य को कम करने के लिये आलू के आयात पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इससे आलू और अधिक दर पर बिकेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जब मैंने इस प्रश्न को किया था तब आलू 10 रुपये किलो था आज 12 रुपये किलो है। प्रदेश के आम उपभोक्ताओं के लिए, जो गरीब एवं निर्धनतम व्यक्ति है उसके भोजन का महत्वपूर्ण पदार्थ आलू है। आज वह 12 रुपये प्रति किलो बाजार में बिक रहा है जिसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है।

मंत्री जी ने कहा "जी हां"। 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है। यह बढ़कर अब 12 रुपए किलो हो गया है। क्या इस देश का 40 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है यदि हां तो यहां उत्पादन के विरुद्ध आलू की खपत कितनी है ? इन दोनों में कितना अन्तर है ? इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किया है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, पूरे देश में झुलसा रोग की वजह से लगभग 50 प्रतिशत आलू उत्पादन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख टन आलू उत्पादन का अनुमान था जिसमें 60 लाख टन आलू पैदा हुआ। जहां तक मूल्य वृद्धि का सवाल है पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश से ज्यादा मूल्य उत्तर प्रदेश में आलू का आज नहीं है। पूरे भारतवर्ष में केवल पंजाब में इस वर्ष आलू का उत्पादन 1 लाख टन

अधिक हुआ है । लेकिन आज देश में सबसे ज्यादा मंहगा आलू पंजाब में है । जहां तक पैदावार का सवाल है उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत पैदावार हुई है । खपत जितनी पहले होती थी उतनी ही हो रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 40 प्रतिशत उत्पादन होता है व उत्तर प्रदेश में आलू की आवश्यकता कितनी है ? उस आवश्यकता के विपरीत कितना आलू पैदा हुआ है ? अगर दोनों में अन्तर है तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या उपाय किया व विपणन की क्या कार्यवाही की ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, आज से 35 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन नहीं होता था । वर्मा से बीज मंगाया जाता था । जब से विभाग बना है तब से देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रदेश में आलू की कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए क्या उपाय किया है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

पूरे देश का 40 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में होता है । यदि हम आलू का आयात करेंगे तो आयात करने में आलू ज्यादा मंहगा होगा । किसी भी प्रदेश में 600 रुपए प्रति कुंटल से सस्ता आलू नहीं है । अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो 1023-24 रुपए प्रति कुंटल आलू पड़ेगा । इसलिए आयात करने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री राम तेज यादव "एडवोकेट"--

मान्यवर, प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में बाजारों में कहीं आलू 12 रुपए किलो व कहीं 15 रुपए किलो व 20 रुपए किलो तक बिक रहा है । क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे मूल्य नियंत्रण के तहत सभी जगह एक भाव आलू बिके । आपके कितने ऐसे जनपद हैं जिन्होंने लक्ष्य में सबसे ज्यादा आलू की पैदावार की है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, नियंत्रण करने का इस समय सरकार का कोई इरादा नहीं है । जहां तक पैदावार का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जनपदों में मैनपुरी, फर्रुखाबाद तथा अन्य ऐसे जिले हैं जहां आलू की पैदावार सबसे अधिक होती है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह कह कर कि 35 साल पहले प्रदेश में आलू पैदा नहीं होता था, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है । जबकि इस प्रदेश में 50-60 साल से आलू पैदा हो रहा है । दूसरा माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि बाजार भाव को कम करने का इस समय सरकार का कोई इरादा नहीं

है । जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि साधारण तथा मध्यम वर्ग का भोजन आलू है । क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार आलू पर सब्सिडी देकर या किसी ऐसे अन्य व्यवस्था का प्रयोग कर जिससे आलू का बाजार भाव कम हो सके, पर सरकार सकारात्मक कदम उठाने पर विचार करेगी ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि 35 साल पहले वर्मा से आलू का बीज आयात किया जाता था । जहाँ तक नियंत्रण करने का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सब्सिडी आदि जैसी कोई व्यवस्था इस समय विचाराधीन नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई प्राविधान है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने साफ कह दिया कि दामों को नियंत्रित नहीं किया जायेगा । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि बाजार में आलू ही समाप्त हो जायेगा तो किसानों को बीज कहां से मिलेगा । इसलिये अगली बार किसानों को बीज मिल सके, उसके लिए वह कोई कारगर कदम उठायेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इस बार भी कोल्ड स्टोरेज में 27 लाख टन आलू रखा हुआ है जिसमें से 18 लाख टन आलू कोल्ड स्टोरेज में मौजूद है, जिसमें से अधिकांश आलू किसानों का है । बीज का कोई संकट नहीं होगा, बीज उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि आलू का दाम बाजार में 10 से 12 रुपये प्रति किलो हो रहा है । दूसरा, आलू का सबसे अधिक प्रयोग होता है भोजन में तो क्या सरकार इसमें कोई सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? क्योंकि बाजार मूल्य पर दामों को नियन्त्रित किया जा सके । यह सरकार का दायित्व है पिछले दिनों जिस तरह से आलू की पैदावार हुई उस आलू की पैदावार को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज में रखने की क्षमता नहीं थी और न ही उसके विपणन की कोई व्यवस्था की गई थी, उस समय जो क्षतिपूर्ति हुई थी, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्ष में जो क्षतिपूर्ति हुई । उस क्षतिपूर्ति पर सरकार विचार करेगी । दूसरा, दिन-प्रति-आलू के जो दाम बढ़ रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, क्षतिपूर्ति का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है । जहां कंट्रोल करने की बात है, वर्तमान में यह एक देशव्यापी समस्या है वहां से कम भाव किसी अन्य प्रदेश में नहीं है । इस समय नियंत्रण करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह सरकार घी के दाम कम नहीं कर पा रही है, आलू के दाम कम नहीं कर पा रही है अन्य चीजों के दाम कम नहीं कर पा रही है, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये)

तारांकित प्रश्न

मैनपुरी जनपद में अच्छे किस्म के आलू के बीज उपलब्ध कराने की मांग

1*—श्री राम औतार शाक्य—क्या कृषक को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में अच्छे आलू के बीज उपलब्ध न हो पाने के कारण किसानों को भारी क्षति हो रही है? क्या यह सही है कि बाहर कई अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मैनपुरी जनपद में कई किस्म के अच्छे आलू के झुलसा रहित बीज जैसे जी0 एम0–3 एफ0–1–57, 58, 222 आदि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

जी नहीं ।
जी हां ।
जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आलू बीज सम्वर्द्धन चक्र में ब्रीडर बीज से क्रमशः एफ0–1, एफ0–2 और प्रमाणित कोटि के बीजों को तैयार होने में 3 वर्ष की आवश्यकता होती है अतएव उक्त किस्मों के प्रमाणित आलू बीज वर्ष 2000 से पूर्व उत्पादक को सुलभ कराया जाना सम्भव न हो सकेगा ।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, आपके संज्ञान में यह बात है कि पिछले समय में भी झुलसा रोग के कारण आलू के नुकसान के बारे में चर्चा हुई थी । करोड़ों टन आलू और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था । हमने सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से किया है कि कुछ ऐसे आलू के बीजों का उत्पादन हो जिस पर झुलसा रोग का प्रभाव न हो । ऐसे भी बीज पैदा हो गये हैं, जिसमें कम झुलसा रोग लगता है ।क्या बाहर से "आपने ऐसे आलू का बीज मंगा लिया है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया जी नहीं" । दूसरा सवाल मैंने किया कि क्या सरकार यह बीज उपलब्ध करायेगी ? मंत्री जी ने जवाब दिया कि आलू बीज सम्वर्द्धन चक्र में ब्रीडर बीज से क्रमशः एफ0–1, एफ–2 और प्रमाणित कोटि के बीजों को तैयार होने में 3 वर्ष की आवश्यकता होती है । अतएव उक्त किस्तों के प्रमाणित आलू बीज वर्ष 2000 से पूर्व उत्पादक को सुलभ कराया जाना सम्भव न हो सकेगा । मान्यवर, इस तरह की किस्म के बीज 2000 सन् के बाद आयेगा और बाहर इस तरह के बीज उपलब्ध हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने पहले कहा कि आलू का बीज पहले बर्मा से आता था । मान्यवर, यह उद्यान विभाग है, इसमें करोड़ो रुपया खर्च होता है । हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसको पहले प्रोसेस क्यों नहीं किया जिससे यह बीज आज की तारीख में उपलब्ध हो जाता । जब बीज बाहर उपलब्ध है तो आप क्यों नहीं मंगा रहे हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, आपके माध्यम से शाक्य साहब को बताना चाहता हूं कि बीज सी0 पी0 आर0 आई0 (सेन्ट्रल पोटेटो रिसर्च इन्स्टीट्यूट) शिमला में कुफरी में बनाया जाता है वहां से प्रत्येक प्रदेश को ब्रीडर मिलता है । हम उसको अपने

फार्म पर बोते हैं और पहले साल फाउन्डेशन–1 होता है दूसरे साल उसमें से फाउन्डेशन–2 बनाया जाता है और इस तरह से जब बीज उपलब्ध हो जाता है या दिया जाता है । इस तरह से इस सबंध बीज को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें दो साल का समय लग जाता है । माननीय शाक्य जी ने झुलसा रोग रहित बात कही । सी0पी0 आर0 आई0 ने अशोका, कुफलज, बादशाह, जे0 एच0–222, जवाहर, एफ0 एच0–717 आदि किस्में निकाली हैं इसमें से बादशाह उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया गया है जिसका एफ0–1 थोड़े किसानों को दिया है । अबकी बार 1250 क्विंटल किसानों को देगा ।

श्री राम सेवक शाक्य––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी कम है । एफ–1 तो दिया ही नहीं जाता है । एफ0–1 से एफ0–2 बनाया जाता है । और उसके प्रमाणित बीज तैयार करने के बाद ही किसानों को उपलब्ध कराया जाता है तीन साल इस प्रोसेस में लग जाते हैं इसलिये पहले एफ0–1 एफ0–2 उपलब्ध कराने का सवाल ही नहीं है । तो पहली बात तो यह है कि यह प्रोसेस पहले क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह है कि मंत्री जी जान रहे हैं कि बाहर ऐसे बीज उपलब्ध हैं जिससे कि उत्पादन अधिक होता है तो फिर यह बीज मंगाकर क्यों नहीं उपलब्ध करा देते ? ऐसे बीज लाये जायं जिससे किसान लाभान्वित हों ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण––

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाक्य जी ने मेरी जानकारी की बात कही । यदि शाक्य जी को एफ0–1 की आवश्यकता हो तो मैं उपलब्ध करा सकता हूं । आपने कहा कि नये बीज सीधे किसानों को उपलब्ध करा दिये जायं तो ऐसा नहीं है सीधे एन0 आर0 आई0 किसानों को बीज उपलब्ध ( ) नहीं कराता है । प्रदेश सरकार को सीड़ संघ के रूप में मिलता है । हम उसे मल्टीप्लाई करके एफ0–1 एफ0–2 करते हैं । तब किसानों को उपलब्ध कराते हैं ।

श्री राम ललित चौधरी––

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देवरिया में आलू की फसल की क्षति हुई है । तो क्या अगले सीजन में आधे दाम में आपके पास जो कुछ बीज उपलब्ध हैं उसको किसानों को आधे दाम में उपलब्ध करायेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण––

एक बोर्ड होता है वह कीमत तय करता है वह बैठा नहीं है । पिछली बार जब मुझे विभाग मिला तो 710 रुपया कुंटल बीज दिया जा रहा था । मेरे विभाग में आने के बाद 450 रुपया कुंटल बीज किसानों को दिया गया । माननीय सदस्य की बात पर विचार कर लिया जाएगा ।

श्री राम ललित चौधरी––

मैं पिछली बार की बात नहीं अगली बार की बात कर रहा हूं । किसान बरबाद हो गया है क्या कोई छूट आप आलू के बीज के लिए देंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

बोर्ड बैठता है। आपकी सलाह को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट--

इस बार ऊपरी बादशाह का जिक्र आया तो किन-किन जनपदों में इसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। क्या इसका कोई प्रारूप है? इसकी कोई सूची है?

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

ऊपरी बादशाह का छिलका ऐसा होता है जो जल्दी उतर जाता है इसलिए यहां प्रचलित नहीं है। जैसे-जैसे जिलों से मांग आएगी हम उपलब्ध करायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अभी आपने इस बात को स्वीकार किया कि पिछली फसल में कोहरा, झुलसा, बरसात से नुकसान हुआ। मैं जानना चाहता हूं कोहरा, झुलसा और बरसात से कितनी फसल आलू को प्रदेश में प्रभावित हुई है। इसका आंकड़े बता दें।

श्री अध्यक्ष--

मूल प्रश्न जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित है। इसके लिए अलग से सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी। अगर सूचना एकत्र हो तो मा0 मंत्री जी बतला दें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण--

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

सलाहकार बोर्ड क्या कर रहा है। आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो किस आधार पर तय करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। जो प्रश्न होता है उसी पर केन्द्रित करके उत्तर दिया जाता है। उससे सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध रहती है तो दी जाती है। प्रदेश व्यापी जानकारी उपलब्ध करनी पड़ेगी।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, झुलसा रोग से प्रभावित होकर जो आलू पैदा हुआ, आलू की फसल को नुकसान हुआ इससे प्रभावित आलू से जो बीज तैयार हुआ उस बीज को मल्टीप्लाई किया जाय, मैं जानना चाहता हूं झुलसा रोग वंशानुगत रोग के रूप में संक्रामक होता है तो उस बीज को यदि मल्टीप्लाई किया जायेगा तो क्या वह सही बीज होगा?

श्री अध्यक्ष--

यह मंत्री जी कहां कह रहे हैं कि संक्रामक बीज को मल्टीप्लाई करेंगे।

श्री सुमा चौहान—

यदि संक्रमित बीज बोयेंगे निश्चित रूप से आलू की फसल प्रभावित होगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न मैनपुरी जिले से सम्बन्धित है । लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब तक बीज की कमी है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछली बार बीज का दाम 450 रुपया था खुले बाजार में 100 रुपया मिल रहा था इस बार खुले बाजार का एक हजार रेट है तो ऐसी विषम परिस्थितियों में सस्ते दर पर माननीय मंत्री जी बीज उपलब्ध करायेंगे और यदि करायेंगे तो किस रेट पर करायेंगे ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि बोर्ड बैठेगा उसमें माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जितना कम कीमत पर हो सकेगा उपलब्ध करायेंगे । पूरी मात्रा में बाजार में बीज उपलब्ध है कहीं कमी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी में है कि मैनपुरी जिले को कितना फाउन्डेशन शुद्ध बीज चाहिए । जो झुलसा रोग आलू में लगता था उसके लिए दवाई चाहिए । माननीय लक्ष्मी नारायण सिंह जी को आलू के बारे में जानकारी नहीं है, गन्ने के बारे में जानकारी नहीं है । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मैनपुरी जिले को कितना शुद्ध बीज चाहिए और झुलसा रोग लगने पर दवाई उपलब्ध करायेंगे या नहीं ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैनपुरी में 95 फीसदी कुफरी बहार बोया जाता है और जहां तक मंगाने का प्रश्न है हमने डी0 एफ0 ओ0 को निर्देश दिये हैं कि वह किसानों से डिमाण्ड मांगे और वह मांग रहे हैं । पूर्ण-रूपेण जितना शुद्ध बीज कहिए वह हम उपलब्ध करायेंगे ।

*2—डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने की योजना की जानकारी

श्री राजधारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समूचे उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो योजना क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)--

प्रदेश में भूमि सुधार निगम, उ0 प्र0 द्वारा संचालित विश्व बैंक वित्त पोषित 10 जनपदों में "यू0 पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट" एवं ई0 ई0 सी0 वित्त पोषित "यूपी0 अल्कलाईन लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 तक 5 जनपदों में ऊसर सुधार का कार्य किया जा रहा है, तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित "केन्द्र पुरोनिधानित समन्वित अम्बेडकर ऊसर सुधार योजना" के अन्तर्गत 37 जनपदों में ऊसर सुधार का कार्य किया जा रहा है ।

श्री राजधारी--

माननीय, जैसा कि सर्वविदित है कि कृषि उपजाऊ भूमि पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, विकास का आबादी का । तो मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि ऊसर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करेंगे । यह मेरा सवाल है । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कई योजनाओं के माध्यम से भूमि सुधार हो रहा है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो भी उत्तर प्रदेश में योजनाएं संचालित हैं उसमें कितनी ऊसर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है और कितना अनुमानित व्यय है? जो योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश की ऊसर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने की तो उसका कितना लक्ष्य है ? और तीसरा यह कि क्या सरकार निजी स्तर पर ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना चाहती है तो शासन की तरफ से अनुदान देने का प्रावधान है ?

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

माननीय, विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना यू0 पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 10 जनपदों में यह योजना चलाई जा रही है । योजना के प्रथम चरण की अवधि 1993 से 2001 है । इसमें प्रतिवर्ष लक्ष्य का निर्धारण होता है और तीन कार्यदायी संस्थाएं ऊसर सुधार का काम करती हैं । प्रथम चरण में 68799.81 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध वर्ष 1996-97 तक लगभग 34000 है0 क्षेत्र उपचारित किया जा चुका है । इसके साथ ही साथ ई0 ई0 सी0 वित्त पोषित यू0 पी0 अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 3 जनपदों में चल रहा है इसमें 2685 है0 लक्ष्य के विरुद्ध 1225 है0 क्षेत्र उपचारित कर लिया गया है । कृषि निदेशालय द्वारा 37 जनपदों में 36000 है0 ऊसर सुधार के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है । इसकी सूची हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे कि कहां-कहां कार्य किया जा रहा है । जो अनुदानित योजनायें हैं वह विश्व बैंक द्वारा पोषित हैं । जो विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें कुछ राज्य अंश और कुछ केन्द्र का अंशदान है । जो 10 लाख कूप योजना है, जिले स्तर से उसमें भी कराते हैं ।

श्री राजधारी--

अब तक आपने कितना कार्य किया है, कितना व्यय अनुमानित हुआ, सम्पूर्ण ऊसर सुधार के उपचार का कब तक लक्ष्य है, निजी किसान को क्या सुविधायें देने जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

पूरे प्रदेश में माननीय 11.52 लाख है0 ऊसर भूमि है जिसको उपचार करने के लिए योजना बनायी गई है प्रथम चरण में 395.17 करोड़ रुपए की धनराशि विश्व बैंक ने दी है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, जिन जनपदों में ऊसर भूमि है, उनके सुधार के लिए निगम द्वारा कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है । क्या आपके विभाग के द्वारा उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या इसके प्रसार की कोई योजना शामिल है । मान्यवर, सबसे पहले पायराइट का उपयोग इसमें हुआ लेकिन जब से यह सरकार आयी है पायराइट को जो बाहर से आयत होती थी उसको रोक दिया गया है जिससे यह कार्य प्रभावित हो रहा है ।
क्या माननीय मंत्री जी जिन जनपदों में पायराइट की आवश्यकता है, उनमें उसकी पूरी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो ऊसर सुधार की योजना है, उसमें केवल पायराइट से सुधार नहीं किया जाता है । उसके सुधार करने की प्रक्रिया है । पायराइट अथवा जिप्सम को डालकर उपचार करते हैं । यह मई महीना उत्तम होता है जिसमें इसका उपचार करते हैं ।

श्री राम प्यारे--

मान्यवर, ऊसर सुधार के लिए शुरू में पायराइट दिया जाता था अब जिप्सम दिया जाता है, उपरीली जमीन में जिप्सम से ज्यादा प्रभावशाली पायराइट है । पुनः पायराइट की अधिकतम व्यवस्था क्या यह सरकार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, केवल जिप्सम या पायराइट डालने से ऊसर का उपचार नहीं होता है, लवण का रिसाव करने से उपचार होता है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर प्रश्न भिन्न है और उत्तर भिन्न है माननीय मंत्री जी एक ही उत्तर बार-बार दे रहे हैं ।

श्री राम प्यारे सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि पहले पायराइट ऊसर सुधार के लिए दिया जाता था, बाद में जिप्सम दिया जाने लगा मेरा अपने जिले का अनुभव है कि जितना पायराइट की आवश्यकता है उतना जिप्सम की नहीं है तो मेरा सीधा सवाल है कि जिप्सम की जगह पायराइट की मात्रा बढ़ायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

मेरा सीधा यह कहना है कि वैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हुए हैं । मांग के अनुरूप जितना जिप्सम की जरूरत है उतना जिप्सम लगायेंगे और जितना पायराइट की जरूरत है उतना पायराइट लगायेंगे । जहां जरूरत होगी वहां उसका उपयोग करेंगे, वह उपलब्ध है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)--

मान्यवर, मेरे बहुत से माननीय सदस्यों ने केवल एक छोटी सी जानकारी चाही थी कि पायराइट का आयात जो बन्द कर दिया है देश में तो क्या उसको पुनः मंगायेंगे, अगर नहीं मंगायेंगे तो क्या पायराइट की कोई आवश्यकता शेष रह ही नहीं गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह—

माननीय, पायराइट की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मंगाया जायेगा, जरूरत के मुताबिक पायराइट उपलब्ध है ।

श्री बाबूराम यादव—

मैंने पूछा कि जिप्सम की जगह पायराइट अधिक उपयुक्त पाया गया है, तो क्या इसके लिये प्रस्तावित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले ही जवाब आ चुका है कि आवश्यकता पड़ेगी तो मंगाया जायेगा ।

श्री छोटे लाल गंगवार—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद बरेली में ऊसर सुधार का कितना लक्ष्य रखा गया था क्या वह लक्ष्य पूरा हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये तो अलग से प्रश्न करना पड़ेगा, क्या मंत्री जी आपके पास सूचना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह—

माननीय, पर्टीकुलर एक जनपद की सूचना नहीं है ।

श्री उदय राज यादव—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने ऊसर सुधार के लिये भूमि सुधार निगम का जिक्र किया । मैं जानना चाहता हूं कि ऊसर सुधार कर उसके कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये कितनी एजेन्सियां और काम कर रही हैं । दूसरी बात जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में विभाग के अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर पायराइट डैंचा बीज आदि खुले बाजार में बेचे जा रहे हैं, क्या इसको रोकने के लिये मंत्री जी ने कोई उपाय किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह—

माननीय, यदि इस तरह के बेचे जाने की कोई बात संज्ञान में आती है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी । अभी इस तरह का कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । दूसरी बात बताना चाहता हूं कि भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार का कार्य करते हैं, इसके अलावा बहुत से एम० जी० ओज० हैं ।

प्रदेश में नव सृजित जिलों में कार्यालयों एवं मुख्यालय भवन की व्यवस्था करने की मांग

*4—श्री यशपाल सिंह चौहान—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक प्रदेश में कितने नवसृजित जिले स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उन जिलों में विभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय भवन की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)--

दिनांक 4 अप्रैल, 1997 से दिनांक 18-9-97 तक प्रदेश में 15 नये जनपदों का सृजन हुआ है ।

प्रश्न के शेष अंश के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान--

मान्यवर, हम लोग नये सदस्य हैं और मंत्री जी ने अस्पष्ट उत्तर दिया है, इसलिये आपका संरक्षण चाहते हैं ।

मान्यवर, मेरा प्रश्न दो भागों में है । मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने नवसृजित जिले स्वीकृत किये गये हैं, क्या उन जिलों में विभागीय कार्यालय एवं मुख्यालय भवन की व्यवस्था कर ली गई है तो उत्तर आया कि 15 नये जनपदों का सृजन हुआ है । बाकी के बारे में कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मेरी निश्चित जानकारी है कि पिछले दिनों प्रभारी राज्य मंत्री मौके पर गये थे, वहां अभी भवन आदि की व्यवस्था नहीं है, जिला परिषि परिसीमन की व्यवस्था जो पूरी नहीं है, उसके लिये क्या नीति बनाई जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

आपके मूल प्रश्न में परिसीमन की बात नहीं है । माननीय मंत्री जी प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब दे दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

हमारे सभी नये जनपदों में आवासीय भवनों में कार्यालय आदि के लिये वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, वहां से पूरा संचालन हो रहा है । स्थाई रूप से व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, इसलिए इसकी सूचना इकठ्ठी नहीं हो पाई है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, जनपद बहराइच से भिनगा और इकौना दो ब्लाक निकालकर नये जनपद श्रावस्ती का गठन कर दिया गया । आज भी श्रावस्ती के पुलिस कप्तान, सी0 डी9 ओ0, वी0 डी0 ओ0 आदि बहराइच में ही रह रहे हैं, जिला बनाने के मानक पूरे नहीं हुए हैं । जो अधिकारी बहराइच रह रहे हैं, वह मुख्यालय से 110 किमी0 की दूरी पर हैं, उनके लिये अपने जनपदों में निश्चित रूप से स्थाई व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

अस्थायी व्यवस्था है । स्थायी व्यवस्था करने में समय लगेगा ।

एडवोकेट राम तेज यादव--

दो ब्लाकों को लेकर एक जिला बना दिया जाये, यह कोई व्यवहारिक नहीं है । यह बिलकुल अव्यवहारिक है ।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में गोला में पिछले तीस सालों से तहसील है, लेकिन वह किसी दूसरे स्थान पर चल रही है, क्या उसके लिये भवन बनाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लें । यह तो भवन की बात है ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पद सृजित जिले हैं और नव सृजित तहसीलें हैं, उनके भवनों के निर्माण में कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह इसमें कैसे आयेगा ?

श्री बलीराम वर्मा—

अभी इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया । बहुत से जनपद और तहसीलें सृजित की गयी हैं और बहुत से नये ब्लाक सृजित किये गये हैं और माननीय मन्त्री जी के के पास सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने स्वयं ही कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । माननीय नेता विरोधी दल के सुझाव पर इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब प्रश्न स्थगित हो गया तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकते हैं । अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं ।

सिद्धार्थनगर जनपद में भयंकर ओला पड़ने के कारण प्रभावित परिवारों को अनुदान वितरित करने की मांग

*5—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में 5, 6 मई, 1998 की रात्रि में भयंकर ओला पड़ा था ? यदि हां, तो इससे कुल कितने गांव प्रभावित हुये हैं ? क्या प्रभावित परिवारों को अनुदान वितरित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह विरोही—

जी हां ।

कुल 40 ग्राम प्रभावित हुये हैं ।

जी हां ।

दिनांक 15 जून, 1998 तक ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, सिद्धार्थ नगर जनपद में 5, 6 की रात्रि में जो भयंकर ओला पड़ा था और जो चक्रवात आया था उसके कारण 40 गांव प्रभावित हुये, इसे सरकार ने स्वीकार किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि उन चालीस गांव के परिवारों को जो मुआवजा दिया गया, कितना मुआवजा दिया गया ? यह

अनुदान एवं अहेतुक अनुदान के रूप में प्रति परिवार कितना रुपया वितरित किया गया ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, सिद्धार्थनगर में इस ओला वृष्टि से चालीस गांव प्रभावित हुये हैं उसमें जिनके मकान आदि क्षतिग्रस्त हुये हैं वह 2156 हैं, और जो पात्र परिवार जिनको सहायता दी गई वह 2523 हैं, और जो धनराशि वितरित की गई वह 12,93,600 हैं। मान्यवर, मेरे पास पूरी लिस्ट रखी है उसको पढ़ने में काफी समय लगेगा यदि मा0 सदस्य चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इसी घटना के सिलसिले में हमें चौबीस घन्टा धरना देना पड़ा था इस सरकार ने मात्र 200 रुपया सहायता दी है, जो बहुत कम है इसी पर हमने 24 घन्टा धरना दिया था। मैं स्वयं गांव-गांव जाकर देख आया हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी प्रति परिवार कितनी सहायता दी गयी यह सूचना है तो दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, एक गांव को कन्सांलीडेट करके दिया है कुल 40 गांव प्रभावित हुए हैं जिसमें 2523 परिवार लाभान्वित हुये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, 40 गांव प्रभावित हुये यह मानते हैं और 12 लाख कुल मुआवजा दिया है तो इनके पास यह सूचना उपलब्ध होगा कि प्रति परिवार कितना मुआवजा दिया है ? अगर यह सूचना नहीं है तो स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो काफी विस्तृत हो जायेगा। गांव की संख्या उन्होंने बता दी है और लाभान्वितों की संख्या बता दी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मूल प्रश्न में आपने पूछा कि कितने गांव प्रभावित हुए वह मैंने बता दिया।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर मूल प्रश्न तो आपके सामने भी रखा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मुआवजा प्रति परिवार कितना दिया गया है अनुदान के रूप में दिया था दूसरी सहायता के रूप में तो यहां भयंकर चक्रवात आया है उससे सारे घर जो छप्पर के थे नष्ट हो गये और इसके लिये 200-200 रु0 दिया जा रहा है। एक परिवार को अलग-अलग करके कितना रुपया दिया गया ? जब साधारण आग लग जाती है तो उसमें भी 1000रु0 दिया जाता है इसका क्या आधार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, मैंने बताया कुल परिवार 2523 हैं, जिनको सहायता दी गयी है।

श्री अम्बिका पाल—

माननीय, जो प्रभावित परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है और उनको कितना अनुदान वितरित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 2523 परिवार हैं ।

श्री अम्बिका पाल—

माननीय, उन परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है इस सदन को जानने का हक है कि प्रति परिवार कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

माननीय, 2523 परिवारों को 12,93,600 रुपये की धनराशि वितरित की गई है ।

श्री अम्बिका पाल—

जो मुआवजा दिया गया है उसका मानक क्या है ?

(तारांकित प्रश्न संख्या–7 पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष—

जो मुआवजा दिया जाता है उसका मानक क्षति होती है । जितना नुकसान होता है उसके अनुसार मुआवजा दिया जाता है ।

श्री रामजग—

माननीय, मंत्री जी मानक नहीं बता रहे हैं सहायता के नाम पर लूट हुई है ।

श्री विनोद मणि—

माननीय, मंत्री जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

6—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[8 वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर के कस्बा सेबरही में जहरीली शराब पीने से हुयी मौतों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की जानकारी

*7—श्री रामनरेश यादव क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि कुशीनगर जनपद के सेबरही में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी है तथा सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी भी चली गयी है ? यदि हां, तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

आबकारी मंत्री—(श्री सूर्य प्रताप शाही)—

श्री हां ।

अवैध स्थानों से खरीदी गई मिथाइल अल्कोहलयुक्त विषाक्त मदिरा के सेवन से 31 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना घटित हुई, परन्तु किसी की आंखों की रोशनी चली जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

भविष्य में जहरीली शराब पीने से मृत्यु होने की पुनरावृत्ति से बचाने हेतु अवैध एवं विषाक्त मदिरा के अड्डों को तथा अवैध मदिरा के विक्रय को समाप्त करने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रवर्तन एवं अपराधियों की व्यापक धरपकड़ तथा विधि अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । मिथाइल अल्कोहल-युक्त विषाक्त मदिरा के घातक प्रभावों से सजग रहने के लिए समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना/अपील प्रकाशित कराई गई । पूरे प्रदेश में दिनांक 5-5-1998 से 20-5-98 तक संयुक्त प्रवर्तन पखवारा चलाकर अवैध शराब के अड्डों तथा कारखानों को नष्ट किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि कुशीनगर जनपद के सेवरही में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है तथा सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जी हां, उसके बाद अपनी व्याख्या भी की है । मान्यवर, कुशीनगर वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, इसलिए एक पवित्र स्थली है और उसी स्थान पर 28, 29 व 30 को जहरीली शराब पीने से काफी लोग मरे । यह इसलिए कह रहा था कि माननीय मंत्री जी बगल के जनपद पडरौना से आते हैं और वहीं पर इनका आवास भी है । माननीय मंत्री जी में इतनी संवेदना नहीं थी कि वह वहां पर जाते और इस बात को देखते कि कितने गरीब लोग मर रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है ? मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि अवैध स्थानों से खरीदी गई मिथाइल अल्कोहलयुक्त विषाक्त मदिरा के सेवन से 31 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । मान्यवर, बिहार से बारात आयी थी, मैं भी वहां गया था, लोगों का यह कहना था कि 100 लोगों से कम की मृत्यु नहीं हुई है, इन्टेलीजेंस की भी रिपोर्ट है कि 58 लोग मरे हैं और वहां के अधिकारियों की जानकारी में है कि काफी लोगों की मृत्यु हो गई है । जो अवैध व्यापार करने वाले लोग हैं, सरकारी संरक्षण में उनका अड्डा चल रहा था, ऐसे कितने अवैध ठेके हैं जिनके खिलाफ इस घटना के बाद सरकार ने कार्यवाही की ? आपने बताया कि 31 लोगों की मृत्यु हुई, 31 की संख्या बताने का आधार क्या है ? मान्यवर, इसमें सरकार भी दोषी है क्योंकि-अड्डा सरकार के संरक्षण में चल रहे थे, जिन लोगों की मृत्यु हुई उन परिवारों को सहायता के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इस प्रकार का अवैध कारोबार करने वालों को सरकारी संरक्षण किसी प्रकार का प्राप्त नहीं है, यह निराधार बात है । पूरे प्रकरण की जांच करायी गयी, गोरखपुर मण्डल के कमिश्नर सिविल से जांच हुई और जांच में उत्तर प्रदेश के 31 और बिहार के दो लोगों के मृत पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई । 29 मृतकों के आश्रितों को सहायता प्राप्त करायी गयी है । जो यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग मरे हैं यह निराधार और गलत है । इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें से 5 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध किया गया है । इसमें सख्त कार्यवाही की जा रही है । हमने 5 मई से 20 मई, 1998 तक ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए संयुक्त प्रवर्तन पखवारा चलाया है ।

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न माननीय यादव जी ने यह पूंछा था कि सरकार ने मृतक परिवारों के लिए क्या किया ? इसका उत्तर दे दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मृतक आश्रित परिवार के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की गयी थी ।

श्री रामनरेश यादव--

जो अवैध शराब के बिक्री केन्द्र हैं जिनकी जांच आपने कराई जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई । डाक्टरों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से आंखों पर असर आता है व आंखें जा सकती हैं । स्वास्थ्य पर असर पड़ता है । इसकी जांच आपने करवाई । आपने 10 हजार रुपए दिए । किसी के चार-चार बच्चे हैं वह अत्यन्त निर्धन व्यक्ति है तो इसको बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये करने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्यप्रताप शाही--

सरकार अवैध शराब के अड्डों का पता लगाने का प्रयास करती है व जो अवैध बिक्री करने वाले पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । उनके दंड को और कठोर करने का कानून में संशोधन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मुआवजा की धनराशि बढ़ाए जाने की बात है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

हम अवैध मदिरा के संचालन को प्रोत्साहन नहीं देंगे ।

धनराशि बढ़ाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजधारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मंत्री जी ने अभी बताया कि अवैध मदिरा के संचालन के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर तलासी की कार्यवाही की जा रही है तो पूरे प्रदेश में अवैध शराब बनाने--में कितने परिवार लगे हैं । उन परिवारों को इस धंधे से मुक्त कराने के लिए उनको रोजगार देने की कोई योजना है । ताकि विषाक्त और जहरीली शराब का निर्माण समाप्त हो ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि अवैध शराब के निर्माण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो । पांच मई से लेकर अब तक 1987 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 18 वाहन गिरफ्तार किए गए हैं । 20,137 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई । 59,356 लीटर अन्य कच्ची शराब बरामद की गई । 7113 कि0 ग्रा0 भांग बरामद की गई । 101 लोग पकड़े गये । चरस का धंधा करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई । मिथाइल एल्कोहल क्रय करने वाले 3 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई । 1,67,000 लीटर मिथाइल एल्कोहल बरामद की गई ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरा था ।

श्री राजधारी--

मैंने पूछा था कि अवैध शराब के धन्धे में लगे परिवार को रोजगार दिलाने की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे तो अवैध शराब बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री समरपाल सिंह--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मान्यता प्राप्त शराब के बिक्री केन्द्र हैं, वहां पर क्या आपको जानकारी है कि नकली शराब बेची जा रही है । इसको रोकने के लिए क्या कदम उठायेंगे ?

आबकारी राज्य मन्त्री (श्री विक्रमाजीत मौर्य)--

नकली शराब कहीं नहीं बेची जा रही है ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बहुत से छापे मारे और बहुत से लोग पकड़े गये तथा कई लोगों के चालान भी किये गये । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के चालान किये गये क्या उनके पास लाइसेन्स था ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग थे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, बनारस में एक व्यक्ति के एक लाइसेन्स के खिलाफ, बनारस की इस घटना को लेकर एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बनीराम वर्मा--

श्रीमन्, सेवरही शराब काण्ड में 100 लोगों की मृत्यु हो गई और कितने ही लोगों की आंखें चली गई । माननीय मन्त्री जी स्वयं पड़ोस के जनपद के हैं । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस तारीख को शराब पी गई थी, मरने वालों का सिलसिला कब तक चलता रहा और आप स्वयं किस तारीख को मौके पर पहुंचे । साथ ही आप यह भी बतायें कि जिन लोगों की आंखें चली गई, उन लोगों को भी मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो पहले ही आ चुका है कि रोशनी जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह घटना 27/28 मई की है । 29 मई को शिकायतें प्राप्त हुई । पहली और दूसरी तारीख को हमारे संयुक्त आबकारी आयुक्त गुरुस घटना स्थल पर पहुंचे, 3 तारीख को स्वयं आबकारी आयुक्त घटना स्थल पर पहुंचे और 5 मई को मैं गया और सभी मृतक परिवारों से मिला और संवेदनायें दी ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आबकारी राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इस लिये राजस्व की वृद्धि की दृष्टि से मदिरा सेवन करने वालों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पीने वालों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो हमारी अधिकृत दुकानें हैं वहां पर शुद्ध पेय उपलब्ध कराया गया है । सेवरही काण्ड के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस घटना के पूर्व क्या आबकारी मन्त्री जी सेवरही कस्बे में गये थे । क्या इस जहरीली शराब की दुकानों के सम्बन्ध में वहां की टाउन एरिया के चेयरमैन ने कोई ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यहां पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, क्योंकि उस ज्ञापन की कापी मेरे पास है । यदि हां, तो उन अवैध शराब की दुकानों को बन्द कराने के लिये मन्त्री जी ने कोई कार्यवाही की ? क्योंकि इसके बाद यह घटना हुई जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई ।

एक सवाल हमने बार-बार पूछा कि क्या मुआवजा बढ़ायेंगे ? माननीय, शासन ने एक पैसा नहीं दिया है । वो तो 10-10 हजार रुपये पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कलेक्टर एक्सीडेंट या आग जलने से घटना हो जाने पर जो दी जाती है वह है । यह क्यों कह रहे हैं कि हमने जितना दे दिया उससे ज्यादा बढ़ाने का नहीं हो रहा है ? माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन मृतक आश्रित परिवारों को जैसे कि पारिवारिक लाभ योजना मिलती है, उनके परिवारों के पुनर्वास के लिये कोई योजना पर कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय, सेवरही दौरे के दौरान सरकार द्वारा व्यवस्थित ठेके की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने अनुरोध किया था । अवैध शराब के अड्डों के बारे में कोई चर्चा नहीं आई, न कोई प्रतिवेदन दिया गया । सरकार की नीति अवैध मदिरा के कारोबार को प्रोत्साहित करने की नहीं है, फलतः ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय, मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार की सूचना देता हूं । ज्ञापन की कापी आपको दे दूंगा ।

डा० ज्ञानवती सिंह--

माननीय, हमारे प्रदेश में मैंने देखा कि शराब की दुकानें पहले से बहुत अधिक हो गयी हैं और शराब की बिक्री भी खूब हो रही है । क्या हमारी राज्य की नीति शराबियों को बढ़ाने की है ? एक तरफ बिक्री हो रही है और दूसरी तरफ मादक द्रव्यों का सेवन न किये जाने के विज्ञापन दिये जा रहे हैं । इसमें जो विरोधाभास है ।

श्री अध्यक्ष--

जब बजट या उस दिन इस पर चर्चा करतीं। अनुपूरक प्रश्न हो तो करिये।

डा0 ज्ञानवती सिंह--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि मदिरा का सेवन बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मौजूदा सरकार की पेय मदिरा को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं है फलतः किसी भी डिस्टलरी को निर्माण बढ़ाये जाने का लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है न उनकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

*8--श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

[12 बें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के ग्राम भिटौरा में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा खलिहान व खाद गड्ढों पर किए गये अवैध कब्जों को हटाए जाने की मांग

*9—श्री मोती लाल पैलवी--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भिटौरा (मूसेगंज) तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा खलिहान व खाद गड्ढा पर मार्च, 1998 के पूर्व में कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैम्प लगाकर उक्त खलिहान व खाद गड्ढा खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां।

अवैध कब्जे के कुछ बाद न्यायालय तहसीलदार, मनकापुर गोण्डा द्वारा निस्तारित किए जा चुके हैं। इन अवैध कब्जों का एक वाद अभी भी उक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मोती लाल पैलवी--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न यह है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भिटौरा गांव में खलिहान व खाद गड्ढा पर अवैध कब्जा किया था। मंत्री जी ने उत्तर दिया "जी नहीं"। उसके बाद कितनी चालाकी से उत्तर देते हैं कि अवैध कब्जे के कुछ बाद न्यायालय तहसीलदार मनकापुर, गोण्डा द्वारा निस्तारित किये जा चुके हैं। मान्यवर, 115 डी में इसकी कार्यवाही हुई होगी और कुछ जुर्माना हुआ होगा। बेदखली तुरन्त हुई होगी। मान्यवर, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। मेरा कहना है कि इन प्रभावशाली व्यक्तियों में, जो कब्जा कर रखा है उनसे जुर्माना लेकर तुरन्त खाली करा दिया जाय और वह कब तक करा देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, प्लाट 2910 खलिहान का प्लाट था इस पर राम बख्श, काशी राम, राम नरेश और झाड़ू चार लोगों ने छप्पर बनाकर कब्जा किया और प्लाट 2911 एक खाद का गड्ढा है। कैलाशनाथ नामक व्यक्ति ने इस पर कब्जा कर रखा है।

यह जो निर्णय हुआ है यह 23-11-93 में हुआ है। जो अनियमितता हुई है। इसमें मण्डलायुक्त को जांच के आदेश दे दिये गये हैं। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसकी रिपोर्ट हमने एक महीने के अन्दर देने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है। इसको आप ले लें या फिर इससे चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष--

लिखकर दे दीजिएगा।(प्रश्न काल समाप्त)

वर्ष 1997-98 में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत पशु चिकित्सालयों भवनों का निर्माण पंक्सफेड स न कराकर अन्य कार्यदायी संस्थाओं से कराये जाने की मांग।

*10—श्री सीताराम निषाद--क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 के स्वीकृत पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण की धनराशि शासन स्तर से प्रदेश की बदनाम कार्यदायी संस्था पंक्सफेड को अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो किन-किन जनपद के पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण को धनराशि दी गई है ? क्या सरकार राजकोष के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पंक्सफेड कार्यदायी संस्था से अवमुक्त धनराशि वापस लेकर निर्माण कार्य में दक्ष अन्य कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करके पशु चिकित्सालयों के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुधन, राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री गोरख प्रसाद निषाद)--

जी हां, पंक्सफेड को धनराशि दी गयी है किन्तु इसके बदनाम होने की सूचना नहीं है।

जनपद झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, फिरोजाबाद, इटावा, बस्ती, बलिया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अम्बेदकर नगर, सुलतानपुर के पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि दी गयी है।

जी नहीं।

शासकीय निर्माण कार्य हेतु पंक्सफेड प्रतिबन्धित नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद गाजीपुर तथा बलिया से लगी बिहार की सीमा पर दुधारू पशुओं को लाने एवं ले जाने पर लगी रोक को हटाए जाने की मांग

*11--श्री अम्बिका चौधरी--क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुधारू मवेशियों को व उन्नत नस्ल को बछिया को प्रदेश से बाहर पालने व दूध प्राप्त करने के लिए ले जाने पर कोई रोक है ? क्या यह सही है कि जनपद गाजीपुर व बलिया में बिहार के सीमावर्ती थानों पर मवेशी पालन से जुड़े किसानों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर प्रभावी रोक लगा कर मवेशी पालने वालों के इस उत्पीड़न पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद जिसवाल--

नहीं,

अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर दुधारू उपयोगी पशुओं को प्रदेश से बाहर ले जाया जा सकता है ?

ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद स्थित सदर तहसील से हटाकर सोहावल तहसील में किए गए कतिपय गांवों को पुनः सदर तहसील में किए जाने का मांग

*12--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित सदर तहसील के लगभग 70 गांव सदर तहसील से हटाकर पिछली सरकार में सोहावल तहसील में कर दिए गए हैं जिससे जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । क्या यह सही है कि उक्त गांव सोहावल तहसील से बहुत दूर पड़ते हैं और सदर तहसील से नजदीक हैं? यदि हां तो क्या ऐसे गांव जिनमें ग्राम मधुपुर, पलिया, रेसालो, नयपुरा, मदरसा, कैल, रायपुर, नैपुरा, बसौली, बमनगवां, बरवां, मसौधा, आदि 70 गांव हैं इन्हे सोहावल तहसील में से हटाकर पूर्ववत सदर तहसील में जोड़ने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

प्रश्नगत प्रकरण में अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुति मांगी गयी है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

*13--श्री रामपाल--

[शेष शुक्रवार में स0 प्र0 सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

"अतारांकित प्रश्न"

जनपद गोरखपुर के ग्राम सथरी निवासिनी श्रीमती कर्मी देवी
की आवासीय पुश्तैनी भूमि को पट्टीदारों के अवैध
कब्जे से मुक्त कराये जाने की मांग

श्री बेचन राम--

1--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के ग्राम सथरी निवासिनी श्रीमती कर्मी देवी पत्नी श्री लक्ष्मी प्रसाद की आवासीय पुश्तैनी डीह की जमीन को एक पट्टीदार द्वारा जबरिया हड़पे जाने के विषय में क्षेत्रीय विधायक, कर्मी देवी पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, ग्राम प्रधान आदि ने वर्ष 1996 से अब तक कुल कितने पत्र उप जिला अधिकारी तहसीलदार चौरी-चौरा, गोरखपुर, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं राजस्व मंत्री आदि को प्राप्त हुए हैं? क्या यह सत्य है कि श्रीमती कर्मी देवी के पति श्री लक्ष्मी लगभग 20 वर्षों से गायब हैं या मृत हो गये हैं? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

(क) श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-4-1998, दिनांक 2-5-1998 को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं है।

(ख) ऐसी कोई सूचना स्थायी पते पर अथवा स्थानीय थाने के अभिलेखों में नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बन्दोबस्त अधिकारी बरेली तथा मुरादाबाद द्वारा कतिपय पदों
पर चयन हेतु बनाई गई चयन समिति के सदस्यों
की जानकारी

श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

2--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामचन्द्र गिरी, बन्दोबस्त अधिकारी, बरेली एवं श्री सोबरन सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी, मुरादाबाद ने अपने कार्यकाल के दौरान लेखपाल, कनिष्ठ लिपिकों, चपरासियों व अनुरेक्षकों की प्रशिक्षित व नियुक्तियों हेतु चयन किया था? यदि हां, तो जिलेवार नियुक्तियों की संख्या क्या है? क्या चयन समितियां नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप गठित की गयी? यदि हां, तो क्या चयन समिति के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

श्री रामचन्द्र गिरी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बरेली व श्री सोबरन सिंह तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मुरादाबाद ने अपने कार्यकाल में चकबन्दी लेखपालों के प्रशिक्षण हेतु कनिष्ठ लिपिकों एवं अनुरेक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन किया गया था।

जनपदवार चयनित अभ्यर्थियों का पदवार विवरण निम्नवत् है:--

	जनपद बरेली		पदों की सं0
		1 कनिष्ठ लिपिक	2
		2 चपरासी	2
		3 लेखपाल	21
		जनपद शाहजहांपुर	
		1 कनिष्ठ लिपिक	
		2 चपरासी	
		3 लेखपाल	6
		योग	36
ब0अ0च0/ मुरादाबाद द्वारा चयन		1 कनिष्ठ लिपिक	4
		2 चपरासी	4
		3 लेखपाल	33
		योग	41

जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित, चयन समितियों से उक्त चयन किया गया है।

जनपद बरेली/शाहजहांपुर के लिए गठित चयन समिति के सदस्यों की सूच निम्नवत् है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	नामित पद
1	श्री रामचन्द्र गिरी	ब0 अ0 च0	अध्यय
2	श्री नजमुल आरफीन	अ0ब0अ0च0	सदस्य
3	श्री केदार सिंह	च0अ0	सदस्य
4	श्री राम स्वरूप सिंह	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0	सदस्य

जनपद मुरादाबाद के लिए गठित चयन समिति के सदस्यों की सूचो निम्नवत् हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	नामित पद
1	श्री सोबरन सिंह	ब0अ0च0	अध्यक्ष
2	श्री पन्ना लाल	जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य
3	श्री अतीकुर्रहमान	चकबन्दी अधिकारी	सदस्य
4	श्री राजकिशोर मौर्य	स0अ0च0	सदस्य

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम खकसीस के पास स्थित नाले को पक्का कराए जाने की मांग

3--श्री श्रीराम पाल--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के खण्ड विकास-नदीगांव में ग्राम खकसीस से डोहा ग्राम तक भूमि संरक्षण इकाई राष्ट्रीय जलागम जालौन द्वारा रोड कल्वर्ट का निर्माण वर्ष 1996-97 में कराया गया था? यदि हां, तो ग्राम खकसीस के पास नाले के जल निकास को पक्का कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी हां।

जी हां

कार्य प्रगति पर है, शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की समस्त विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1994 से अब तक राज्य मण्डी परिषद् द्वारा लगाए गए हैण्ड पम्पों एवं बनाए गए सम्पर्क मार्गों की जानकारी

4--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी सहित प्रतापगढ़ के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में राज्य मंडी परिषद् द्वारा कितने हैण्ड पम्प और कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग वर्ष 1994 से अब तक स्वीकृत किये गये और प्रत्येक का लागत क्या है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रतापगढ़ के पट्टी सहित अन्य विधान सभा क्षेत्रों में राज्य मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1994 से अब तक कुल 739 नग हैण्ड पम्प तथा कुल 84 नग सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये। उक्त 84 सम्पर्क मार्गों में से 23 मार्ग निरस्त किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में स्वीकृति, निरस्तीकरण तथा लागत सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

जनपद गोण्डा के ग्राम अम्बरपुर की सीलिंग भूमि के अवैध पट्टों को निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को दिए जाने की मांग

5--श्री राम विशुन आजाद--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में स्थित ग्राम अम्बरपुर की सीलिंग भूमि की अवैध पट्टों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक संख्या 1346/30/34/सी-12/97, दिनांक 9 जून, 1997 को आयुक्त, फैजाबाद को भेजा था? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त अवैध पट्टों को

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 203 पर)

निरस्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अवैध पट्टों को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों में आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

जी नहीं, न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) के न्यायालय में वाद लम्बित है । निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के ग्राम अम्बरपुर में स्थित सीलिंग भूमि पर दिए गए पट्टाधारकों की पूर्ण जानकारी

6—श्री राम विशुन आजाद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में स्थित ग्राम अम्बरपुर में 156 एकड़ सीलिंग भूमि का पट्टा कितने व्यक्तियों को किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि इन पट्टा धारकों में से कितने व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं और कितने व्यक्ति भूमिधर एवं अन्य ग्राम सभा के निवासी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार अपात्र पट्टेधारकों के पट्टों को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम अम्बरपुर में अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन कुल 194 व्यक्तियों को किया गया है ।

उक्त आवंटियों में 71 व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं तथा 123 व्यक्ति 31/8 एकड़ से कम भूमि के भूमिधर हैं । इनमें से 4 आवंटन दूसरे ग्राम सभा के निवासी हैं ।

जांच में दोषी पाये गये लेखपाल श्री कन्हैया लाल को निलम्बित कर दिया गया है और राजस्व निरीक्षक श्री कौशल किशोर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है ।

अपर आयुक्त, फैजाबाद के न्यायालय में दूसरे ग्राम सभा के 4 आवंटियों सहित कुल 14 अपात्र पाये गये आवंटियों के पट्टों के निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है ।

न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

7—श्री हरदेव सिंह—

[दिनांक 19 जून, 1998 को अता० प्र० सं० 165 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर में अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1998 तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता की जानकारी

8—श्री अफजाल अहमद—

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में 2 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1998 तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी है ? उसका विवरण क्या है ? क्या प्रत्येक लघु उद्योग का स्थायी पंजीयन नम्बर है ? यदि स्थायी पंजीयन नहीं किया गया है, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री "(श्री बाबू राम एम0 काम0)"—

2 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1998 तक प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लघु उद्योग हेतु 256 लाभार्थियों को रु0 147.41 लाख की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की गयी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ऋण वितरण सं0	धनराशि (लाख रु0)
1993–94	1	0.50
1994–95	23	9.02
1995–96	91	52.66
1996–97	92	56.52
1997–98	49	28.71
	256	147.41

उक्त 256 इकाइयों में से 97 इकाइयों का स्थायी पंजीकरण किया गया है। शेष कार्यरत इकाइयों के पंजीकरण की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

जनपद मिर्जापुर की तहसील सदर एवं चुनार के परगनाधिकारी द्वारा अपात्र व्यक्तियों को दिए गए पट्टों की जांच हेतु दिए गए पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

9—श्री लोकपति त्रिपाठी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन परगनाधिकारी, श्री एम0 के0 सिंह, तहसील सदर व तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर ने अपनी तैनाती के दौरान बड़े कृषकों को भूमि के फर्जी पट्टे किये हैं ? क्या यह सही है कि परगनाधिकारी के विरुद्ध श्री राजनाथ मिश्र, ग्राम सोखड़, तहसील चुनार जनपद, मीरजापुर ने पूर्व मुख्य मंत्री, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद्

एवं आयुक्त, वाराणसी मण्डल को जांच कराये जाने हेतु अनेक प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

श्री एस0 के0 सिंह, तत्कालीन परगनाधिकारी, सदर व तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर द्वारा अपनी तैनाती के दौरान कुछ कृषकों को पट्टे किये गये हैं ।

जी हां ।

श्री राजनाथ सिंह, [illegible], तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर का शिकायती-पत्र, दिनांक 9 अप्रैल, 1997 जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दिनांक 30अप्रैल, 1997 को प्राप्त हुआ है ।

शिकायत के सम्बन्ध में श्री एस0 के सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, वाराणसी को अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 9-6-1997 को प्रथम पत्र दिनांक 16-3-1998 को द्वितीय पत्र दिनांक 19-3-1998 को तृतीय पत्र दिनांक 15-4-1998 को चतुर्थ पत्र भेजा गया है फिर भी स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अन्तिम पत्र दिनांक 3 जुलाई 1998 को भेजा गया है जिसमें दिनांक 20-7-1998 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं ।

10--श्री समरपाल सिंह--

[5 वे बुधवार में अता0 प्र0 स0--172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला में तत्कालीन मण्डी निदेशक द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की स्थापना में हुए विलम्ब हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11--श्री उबैदुर्रहमान--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौली में तत्कालीन मण्डी निदेशक द्वारा पेयजल 1995-96, 1996-97 हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप कितने स्वीकार किये गये हैं ? क्या स्वीकृत हैण्ड पाइप की स्थापना कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नलों की स्थापना में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला हेतु वर्ष 1995-96 में शून्य तथा वर्ष 1996-97 में 6 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं ।

स्वीकृत 6 नग हैण्ड पम्प में से 5 नग हैण्ड पम्प स्थापित कर दिये गये हैं । आय-व्ययक में हुए प्राविधान के विरुद्ध अधिक दायित्व सृजित होने के कारण परिषद स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुपालन में एक नग हैण्ड पम्प को स्वीकृति निरस्त कर दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृत हैण्ड पम्प की स्थापना में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

जनपद गोरखपुर का तहसील चौरी-चौरा की ग्राम विशुनपुर मटियरा की चकबन्दी प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता, शिथिलता एवं शीघ्र कार्यवाही की मांग

12--श्रीमती गौरी देवी--विधान सभा के द्वितीय सत्र के दिनांक 17-7-1997 में निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या--77 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिए गये उत्तर में यह कहा गया था कि दिनांक 1-5-1998 से चक परिवर्तन (कब्जा दिलाना) का काम प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि हां, तो इस विषय में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने माह अप्रैल, 1998 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र सी0 ओ0, चकबन्दी, एस0 ओ0 सी0 डी0 डी0 सी0, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं राजस्व मंत्री आदि को भेजा है ? क्या इसमें पर्याप्त स्टाफ लगाकर समय के अन्दर चक परिवर्तन व खूंटा गाड़ने आदि की बातें हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह तिरोही--

जी, हां ।

इस विषय में पूर्व विधायक व सांसद मा0 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा भेजे गये चार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी, हां ।

ग्राम में पैमाइश एवं कब्जा परिवर्तन कार्य समय के अन्दर सम्पन्न कराने हेतु दो चकबन्दी कर्तओं और चार चकबन्दी लेखपालों को लगा दिया गया गया है ।

13--श्रीमती गौरी देवी--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तप्पा-राजधानी, परगना-हवेली, तहसील-चौरी-चौरा के ग्राम विशुनपुर मटियरा में आधार वर्ष खतौनी में 1394 फसली से 1399 तक किस-किस खाते व किन-किन नम्बरों के भूखंड कितने-कितने रकबे के बिना नाम से प्रारम्भिक अवस्था में पाये गये थ ? चकबन्दी प्रक्रिया लागू होने पर वर्ष 1990 से अब तक की अवधि में किन-किन लोगों ने इन बिना नाम के नम्बरों को फर्जी व बनावटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम करा लिए हैं ? क्या इससे सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र ग्राम प्रधान व पूर्व विधायक व सांसद श्री

फिरंगी प्रसाद विशारद गोरखपुर का माह अप्रैल, 1998 ई0 से अब तक डी0 डी0 सी0 गोरखपुर, चकबन्दी अधिकारी चौरी-चौरा, गोरखपुर व जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुए हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम विष्णुनपुर मटियरा, तप्पा राजधानी के आधार वर्ष खतौनी संख्या-1394 फ0 से 1399 तक गाटा संख्या-33 मि0/054, 51 मि0/044, 58/2/044, 64 मि0/056, 82/2 मि0/-024, 112/1/-0 6, 112/2/-050, 112/3/-046, 153 मि0/-130, 179/2/-525, 207 मि0/-036, 209/4 मि0/-004, 284-182, 379/-016, 240/1/-505, 243/-050, 263/1/-024/299/-004, 263/3/-106, 263/2/-105, 265/2/-121, 506/-073, 246/-684, 276/2/-040, 337/-041, 399/063, 411/-008, 413/-013, 425/-016, 428/032, 429/-198, 416/559, 417/-008, 432/-020, 463/-267 हेक्टेयर क्षेत्रफल, कुल 35 गाटे 4.124 हेक्टेयर क्षेत्रफल बिना नाम के (मतरूक) पाये गये ।

उक्त भूमि पर जिन खातेदारों के नाम दर्ज किये गये हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त ही सही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है ।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में प्रधान ग्राम सभा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-6-98 प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त भूमि पर सत्यापन कराकर फर्जी ढंग से दर्ज व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच कराई जायेगी । जांचोपरान्त उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अनियमित कार्यवाही पाये जाने की दशा में अनियमितताओं का निराकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत करते हुए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

14—श्री हरदेव सिंह—

[दिनांक 10-7-98 को अता0 प्र0 सं0 28 द्वारा उत्तरित] ।

15—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[दिनांक 3-7-98 को अता0 प्र0 सं0 180 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद बलरामपुर के ग्राम सभा उतरौला में आवासीय/कृषि योग्य भूमि का अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टे को निरस्त करने की मांग

16—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के ग्राम सभा उतरौला में 1-1-94 से 30-4-98 तक किन-किन व्यक्तियों को आवासीय/कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया गया है ? क्या वे सभी पात्र व्यक्ति हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर अपात्र व्यक्तियों को दिया गया पट्टा निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही--

1-1-94 से 30-4-98 के मध्य तहसील उतरौला के ग्राम सभा उतरौला में कृषि योग्य भूमि का कोई पट्टा नहीं हुआ है । आवास आवंटन हेतु कुल 66 व्यक्तियों को पट्टा हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल से एक मुश्त धनराशि वसूल करने के आदेश

17--श्री अजय कुमार पोइया--

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध विकास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 4153/53-97-3(17)/91, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 द्वारा अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से कार्यालय के शासकीय टेलीफोन का उपयोग आवासीय टेलीफोन के रूप में किये जाने के कारण उपयोग की गयी अवधि के समस्त व्यय को वसूली मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल से एक मुश्त किये जाने के आदेश दिये गये है ? यदि हां, तो कुल धनराशि कितनी है और क्या पूरी धनराशि को वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ?

दुग्ध विकास, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुन्दर सिंह बघेल)--

जी हां । शासन के आदेश संख्या 4153/53-97-3(17)/91, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 व दि 10 दिसम्बर, 1997 द्वारा पारित मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल से एक मुश्त धनराशि वसूल करने के आदेशों के अनुक्रम में मुख्य आयुक्त, उ0 प्र0 के द्वारा कुल अवशेष धनराशि रु0 14,404.80 राजकीय कोष में जमा करने के वसूली आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी कर दिए गए है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की ग्राम सभा दरेहटा मौरावां में अरिहा तालाब की मत्स्य पालन पट्टा हेतु अध्यक्ष, मत्स्य पालन कल्याण समिति द्वारा दिये गये कतिपय पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18--श्री हरदेव सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद उन्नाव में ग्राम सभा दरेहटा मौरांवा में अरिहा तालाब खतौनी संख्या 501 की मत्स्य पालन पट्टा हेतु अध्यक्ष, मत्स्य पालन कल्याण समिति ग्राम दरेहटा, उन्नाव का प्रार्थना-पत्र राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन, उ0 प्र0 के पत्रांक 816/जी/एस एम एल/97, दिनांक 3-6-97 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव तथा राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण, उ0 प्र0 का पत्रांक 997/डी डब्ल्यू/1997, दिनांक 5-6-97 माननीय मुख्य मंत्री एवं लोक शिकायत/अनुभाग-3, मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक उन्नाव/864/लोक/शिकायत/

1997, दिनांक 9-6-97 व राज्य मंत्री, संस्कृति का पत्रांक 261/रा0 मं0/वी0 आई0 पी0/संस्कृति/98, दिनांक 18-4-98 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या पट्टा के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है । यदि हां, तो क्या तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

मत्स्य पालन कल्याण समिति, दरेहटा, जनपद उन्नाव मत्स्य पालन हेतु तालाब के आवंटन के लिए पात्र नहीं पायी गई है । अतः उक्त समिति को पट्टा नहीं दिया गया ।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के कतिपय ग्रामों में आगजनी से धन जन को क्षति एवं पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा तत्काल सहायता देने की व्यवस्था की मांग

19—श्री राम विशुन आजाद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में स्थित तहसील मनकापुर में वर्ष 1997-98, 1998-99 में ग्राम बेहलिया (डढ़वा), भवानी सिंह पुरवा, सोनबरसा, गोदहा, अगया भाफो में आगजनी से धन जन एवं जानवर जलकर राख हो गये हैं ? क्या यह सही है कि अभी तक पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा सहायता नहीं प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल सहायता देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में ग्राम बेहलिया बजी जोत (डढ़वा), सोनबरसा, गोदहा, अगयाभाफो, गाड़ेना में 1997-98, 1998-99 में अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई थी । जिसमें दो भैंस व एक गाय जलकर मरी थी । इस घटना में किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई थी ।

अग्निकाण्ड से पीड़ित पात्र परिवारों को दैवी आपदा राहत कोष के अन्तर्गत नियमानुसार सहायता का वितरण किया जा चुका है ।

20—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना—

[दिनांक 10-7-98 को अता0 प्र0 सं0 29 द्वारा उत्तरित ।]

श्री वीरेन्द्र जैन प्रबन्धक दुग्ध संघ बिजनौर के विरुद्ध विभागीय जांच कराये जाने की मांग

21—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र जैन, प्रबन्धक, दुग्ध संघ बिजनौर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल—

श्री वारेन्द्र जैन, प्रबन्धक, दुग्धसंघ, बिजनौर के प्रबन्धक ग्रेड-3 (एफ0 ओ0) दुग्धसंघ, एटा के पद के कार्यकाल में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें निलम्बित कर विभागीय जांच करायी गयी थी। उक्त जांच के परिणाम स्वरूप श्री जैन को कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए विभागीय जांच समाप्त की चुकी है।

जनपद बहराइच में नौका डूबने से कतिपय व्यक्तियों की मौत होने के कारण जिलाधिकारी बहराइच द्वारा आर्थिक सहायता दिलवाने का मांग एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

22—श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में मई, 1998 में नौका डूबने से 15 व्यक्तियों की मौत हो गई थी ? यदि हां, तो क्या इनके परिवारजनों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा आर्थिक सहायता देने हेतु मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वारेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद बहराइच में दिनांक 17-5-98 को तहसील कैसरगंज के ग्राम गोडहिया नं0-3 में नवघट घाट पर एक नाव डूब जाने से 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी जिनमें से 10 लोगों का लावारिस मिल चुकी है तथा उनकी शिनाक्त हो चुकी है। इनके वारिसों को रू0-दो हजार रुपये प्रत्येक मृतक की दर से सहायता वितरित की जा चुकी है। प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं आता है। जिलाधिकारी बहराइच द्वारा मा0 मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रदेश में कृषि अभियन्त्रण योग्यता के यांत्रिकों को प्रतिवर्ष पर्याप्त रोजगार कृषि विभाग में उपलब्ध न होने के कारण अलग से स्थापित करने की मांग

23—श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा डा0 अशोक बाजपेयी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कृषि में अभियंत्रण के स्नातक/डिप्लोमा योग्यता की उपाधि प्रतिवर्ष अनेकों विद्यार्थी प्राप्त करते है ? क्या कृषि अभियंत्रण योग्यता के यांत्रिकों को प्रतिवर्ष पर्याप्त रोजगार कृषि विभाग में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि अभियंत्रण विभाग अलग से स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां !

जी हां ।

कृषि अभियन्त्रण निदेशालय स्थापित करने के लिये भारत सरकार से प्राप्त सुझाव का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि अभियन्त्रण निदेशालय की स्थापना की मांग

24--श्री रामतेज यादव एडवोकेट--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि अभियंत्रण निदेशालय की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो वर्तमान में कृषि विभाग में संचालित कृषि अभियंत्रण की समस्त योजनाओं को उ0 प्र0 शासन द्वारा क्या समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या कृषि यंत्र/मशीनरी के प्रदर्शन प्रचार-प्रसार की कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यकता नहीं है ? यदि है, तो उसकी क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

भारत सरकार द्वारा "कृषि यंत्रीकरण पर राष्ट्रीय नीति" का एक आलेख्य तैयार करके उस पर राज्य सरकारों से सुझाव आदि आमंत्रित किया गया है । इस आलेख्य में राज्य सरकारों द्वारा कृषि अभियंत्रण निदेशालय स्थापित किये जाने का उल्लेख है ।

वित्त विभाग द्वारा कृषि विभाग में संचालित कृषि अभियंत्रण की समस्त योजनाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है ।

कृषि यंत्र/मशीनरी के प्रदर्शन प्रचार-प्रसार का कार्य यू0 पी0 एग्रो के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद मऊ के ग्राम मुस्तफाबाद निवासी श्री शिवनाथ रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा जमीन के पट्टे में की गई घांधली की जांच कराकर दोषी कानूनगो को दण्डित किए जाने की मांग

25--श्री राजेन्द्र--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम मुस्तफाबाद पर0 नत्थूपुर, तह0 मधुबन जनपद मऊ के निवासी श्री शिवनाथ, रजिस्ट्रार कानूनगो ने अपने पद का दुरुपयोग करके उक्त ग्राम के गाटा सं0 270 ग्राम समाज की भूमि पर अपने पुत्र कमलेश, सियलेश, प्रविलेश के नाम 123 (1) के अन्तर्गत तथा अपने पिता श्री बिजाधर पुत्र शीतलू के नाम से गाटा सं0 12 सी0/330 वाली पट्टा करवाया है ? क्या पट्टा करते समय पात्र व्यक्तियों को सूची बनायी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त पट्टे को निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित करेंगे तथा दोषी कानूनगो को भी दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम मुस्तकाबाद, परगना-तत्वपुर, तहसील-रघुवन, जनपद-मऊ के आ0 नं0 270/0-060 हे0 भूमि उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 24 जनवरी 95 के द्वारा श्री कमलेश, मिथिलेश, अखिलेश, पुत्रगण श्री शिवनाथ प्रसाद को धारा 123 (1) ज0 वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधि0 1950 के अन्तर्गत विनियमित किया गया थी। बाद में यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि, उक्त व्यक्तियों के पिता शिवनाथ प्रसाद रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर हैं, उक्त विनियमितीकरण आदेश दिनांक 24 जनवरी, 1995 वापस ले लिया गया तथा उक्त भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गयी। बिजाधर पुत्र शितलू के नाम

गाटा सं0 12 नि0/330 कड़ा अनदरी, सन् 1976 में आवंटन किया गया था। पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई गई थी। कुल 14 व्यक्तियों को आवंटन किया गया था। इनमें बिजाधर पुत्र शितलू का नाम 10 वें नम्बर पर अंकित रहा। बिजाधर पुत्र शितलू की मृत्यु के उपरांत उक्त भूखण्ड उनके पुत्र शिवनाथ प्रसाद का नाम अंकित हो गया। कालान्तर में यह संज्ञान में आने पर कि शिवनाथ प्रसाद पुत्र बिजाधर रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर हैं, उक्त पट्टा निरस्त करते हुए शिवनाथ प्रसाद के नाम अंकित भूमि खारिज कर दी गयी तथा भूमि का पुनः ग्राम सभा में निहित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में रजिस्ट्रार कानूनगो श्री शिवनाथ प्रसाद का दोष प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उपयुक्त भू-आवंटन/विनियमितीकरण सम्बन्धी पत्रावलियों की तफरी/कार्यवाही में कोई भी कार्यवाही उनके स्तर से सम्पादित नहीं हुई है।

कृषि अभियन्ता कार्यालय चिनहट लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन और बकाया बोनस का भुगतान करवाये जाने का मामला

26—डा0 अशोक वाजपेयी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अभियन्ता कार्यालय चिनहट, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों के दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ? अब तक उक्त विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 के बोनस का भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दैनिक वेतन कर्मचारियों को बकाया वेतन और बकाया बोनस का भुगतान करायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

सहायक कृषि अभियन्ता चिनहट, लखनऊ के कार्यालय के दैनिक वेतन कर्मचारियों का दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक के बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान न करने हेतु श्री ओ0 पी0 त्रिवेदी, तत्कालीन सहायक कृषि अभियन्ता, दोषी हैं। उन्हें कृषि निदेशक के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1998 द्वारा कठोर चेतावनी दे दी गई है।

जी हां।

कार्यरत दो दैनिक श्रमिकों में से एक दैनिक श्रमिक को वर्ष 1994-95 के बोनस का भुगतान अभिदेय नहीं हुआ है ।

जी हां ।

जनपद बांदा व छत्रपति शाहूजी महराज नगर में जनवरी, 1996 से अब तक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए गए ग्राम प्रधानों की संख्या की जानकारी

27--श्री दद्दू प्रसाद--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा व छत्रपति साहूजी महराज नगर में जनवरी, 1996 से अब तक कितने ग्राम प्रधानों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं ? क्या ग्राम पहाड़ी, ब्लाक पहाड़ी, में दिनांक 29 मार्च, 1998 को मतदान जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने मतदाताओं ने पक्ष में मत डाले तथा कितने लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया ? क्या यह सही है कि दो तिहाई अविश्वास मत न होने के उपरान्त भी विश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधान को हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

पंचायती राज, राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)--

जनपद बांदा में ग्राम प्रधानों के खिलाफ 73 अविश्वास प्रस्ताव तथा जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में प्रधानों के खिलाफ 10 अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं ।

जी हां ।

ग्राम पहाड़ी में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 10 मत पड़े । मतदान में भाग न लेने वाले मतदाताओं की संख्या शून्य थी ।

जी नहीं । अविश्वास मत दो तिहाई बहुमत से पारित होने के उपरान्त-पीठासीन अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (प0) मानिकपुर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित घोषित किया गया था तद्नुसार प्रधान को पद से हटा दिया गया, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश पारित होने के फलस्वरूप पद से हटाये गये पूर्व प्रधान वर्तमान में कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवसृजित जनपद बागपत का मुख्यालय भवन निर्माण हेतु किसी निश्चित स्थान एवं बागपत शहर से दूरी की जानकारी

28--श्री रूप चौधरी--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नवसृजित जनपद बागपत का मुख्यालय भवन किस स्थान पर बनाना तय किया गया है ? इसकी बागपत शहर से दूरी कितनी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनवरी 1996 से 30 अप्रैल 1998 तक लखनऊ नगर में भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य एवं प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही की जानकारी

29—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रथम, लखनऊ के पद पर जनवरी, 1996 से 30 अप्रैल, 1998 तक कौन-कौन अधिकारी कार्यरत रहे ? उक्त अवधि में उनके द्वारा किस-किस योजना का कार्य निष्पादित किया गया ? किस-किस योजना में प्रतिकर भुगतान के लिए कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? उसमें से कितने व्यक्तियों को भुगतान किया गया है और किन-किन का भुगतान किन कारणों से नहीं किया गया ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या इस सम्बन्ध में श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम0 एल0 सी0 व श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया, विधायक का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 2-5-98 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

श्री किशन सिंह दिनांक 31 अगस्त, 1995 से 16 जनवरी, 1997 तक, श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाहा दिनांक 27 जनवरी, 1997 से 29 अप्रैल, 1997 तक तथा श्री चरन जीत सिंह बख्शी 6 मई, 1997 से 26 सितम्बर, 1997 तक कार्यरत रहे तथा वर्तमान में श्री हमीदुल्लाह अन्सारी दिनांक 27 सितम्बर, 1997 से कार्यरत हैं ।

उक्त अधिकारियों द्वारा अलीगंज योजना, सीतापुर रोड योजना, गोमती नगर आवासीय (उजरियांव भाग 1 से 5 तक) योजना, हरदोई रोड आवासीय योजना, टिकैतराय तालाब आवासीय योजना का कार्य सम्पादित किया गया ।

अलीगंज योजना में रु0 24,92,554.27 उजरियांव भाग-1 में रु0 40,000.00 उजरियांव भाग-5 में रु0 8,54,826.10 तथा सीतापुर रोड योजना में रु0 40,00,000.00 की धनराशि प्राप्त हुई है ।

अलीगंज योजना में 44 भू-स्वामियों को उजरियांव आवासीय योजना भाग-1 में एक भू-स्वामी को, उजरियांव आवासीय योजना भाग-5 में तीन भू-स्वामियों को, सीतापुर रोड योजना में 43 भू-स्वामियों को अभिनिर्णय/डिक्रीटल धनराशि का भुगतान किया गया है और अब कोई भी धनराशि भुगतान हेतु शेष नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से धनराशि प्राप्त न होने के कारण लगभग 2480 कृषकों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है । लखनऊ विकास प्राधिकरण से धनराशि प्राप्त न होने के कारण उनको प्रतिकर का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जी हां ।

मामले में जांच कर आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

जनपद हरदोई में कार्यरत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

30--श्री राम पाल वर्मा--क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांकित 1 अप्रैल, 1998 जो जनपद हरदोई में कार्यरत बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी, हां ।

शिकायती पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को जांच कराने हेतु प्रेषित किया गया । जिलाधिकारी ने शिकायती पत्र की जांच कराकर अपने पत्र के साथ आख्या भेजी है । चूंकि जांच आरोपी से एक स्तर के ऊपर के अधिकारी द्वारा नहीं कराई गई थी इसलिए जिलाधिकारी, हरदोई को पुनः लिखा गया है कि शिकायती-पत्र की जांच आरोपी अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी से कराकर आख्या भेजें ।

उत्तर अपेक्षित नहीं ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला मुख्यालय पर कार्यरत भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार एवं लाखों रुपये की हेरा फेरी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

31--श्री रामपाल वर्मा--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांकित 1 अप्रैल, 1998 जो जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला मुख्यालय पर कार्यरत भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विकास खण्ड कोथावां में करवे गये निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व लाखों रुपये की हेर-फेरी के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी, हां ।

सम्बन्धित शिकायती प्रकरण की जांच उप कृषि निदेशक (प्रसार) हरदोई द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

32--श्री रामपाल वर्मा--मा0 [ ] सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

जनपद–रायबरेली के ग्राम–फरीदपुर परवर में भूमि आवंटन में बरती गयी अनियमितता की जांच एवं फर्जी भूमि आवंटन को निरस्त करके गांव के पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित कर उक्त लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

33––डा0 मोहम्मद मुस्लिम––

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत फरीदपुर परवर के राजस्व ग्राम दौलतपुर सिधरियां विकास खण्ड बहादुरपुर, जनपद रायबरेली में लेखपाल श्री कमलेश शुक्ल द्वारा भूमि आवंटन में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराने तथा गलत आवंटियों के नाम आवंटन को निरस्त करवा कर गांव के पात्र व्यक्तियों को आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम फरीदपुर परवर के निवासीगणों का हस्ताक्षर युक्त शिकायती–पत्र वर्ष 1998 में उप जिलाधिकारी, तिलोई, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार फर्जी भूमि आवंटन को निरस्त करके गांव के पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही––

जी हां ।

सम्बन्धित लेखपाल का स्थानान्तरण पूर्व में ही तहसील तिलोई से तहसील सलोन रायबरेली कर दिया गया है । भू–आवंटन के निरस्तीकरण के बाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद–गाजीपुर के ग्राम मतरा के सभी किसानों को किसान बही उपलब्ध कराने की मांग एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

34––श्री राम विशुन आजाद––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी किसानों को किसान बही दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद गाजीपुर के तहसील जखानियां के ग्राम मतरा के सभी किसानों को किसान बही उपलब्ध करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त ग्राम के किसानों को किसान बही उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही––

जी हां ।

प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

नयी व्यवस्था के अनुसार अब ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के प्राविधान को पुनः मतदाताओं द्वारा रखे जाने के प्राविधान पर विचार करने की मांग

35––डा0 धर्मज्ञ मिश्र––

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नई व्यवस्था के अनुसार अब ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा

रखने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पुनः मतदाताओं द्वारा रखे जाने के प्राविधान पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36—श्री दद्दू प्रसाद—

[दिनांक 14 जुलाई, 1993 को अता0 प्र0 सं0 179 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद उन्नाव मन्नालाल की भूमि संख्या 1235—ख रकबा 6 बिस्वा पर विनियमितीकरण की कार्यवाही के निर्देश

37—श्री दीपक कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 जुलाई, 1994 मु0 न0 71 धारा 229 बी0ज0वि0अ0 ग्राम जगदीश, परगना झलोतर अजगैन, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव मन्नालाल बनाम सरकार उ0 प्र0 में न्यायालय सहायक कलेक्टर/परगना अधिकारी, हसनगंज ने भूमि संख्या 1235—ख रकबा 6 बिस्वा पर श्री कन्नालाल लोधी पुत्र स्व0 कामता प्रसाद, नि0 चमरौली को उक्त भूमि पर 30 जून, 1983 से पूर्व का बजुर्गी कब्जा मानते हुए उसे विनियमितीकरण कराये जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अभी तक उसका पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रश्नगत वाद संख्या 71 अन्तर्गत धारा 229 बी0 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ग्राम जगदीशपुर, तहसील हसनगंज मन्नालाल बनाम सरकार उत्तर प्रदेश में आदेश दिनांक 20 जुलाई, 1994 द्वारा दावा निरस्त किया गया था तथा उक्त अधिनियम की धारा 123 (1) के अन्तर्गत विनियमितीकरण की आज्ञा निर्धारित प्रारूप पर तीन सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया था ।

तहसीलदार को उक्त अधिनियम की धारा 123 (1) के अन्तर्गत प्रेषित आज्ञा के अनुसार श्री मन्नालाल विनियमितीकरण के लिए पात्र न पाये जाने पर, उप जिलाधिकारी हसनगंज द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है ।

38—श्री मुरलीधर—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

पी0 सी0 डी0 एफ0 कार्यालय में सहायक ग्रेड—2 तथा विक्रय प्रतिनिधि का वेतनमान रु0 1400—2600 होने के कारण क्षेत्र पर्यवेक्षक के वेतन में विसंगति के कारण की जानकारी

39—श्री तेजभान सिंह—

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि पी0 सी0 डी0 एफ0 कार्यालय में सहायक ग्रेड—2 तथा विक्रय प्रतिनिधि का वेतनमान

रु0 1400-2600 है लेकिन क्षेत्र पर्यवेक्षक का 1200-2040 है, जो कि वाहन चालक के बराबर का वेतनमान है? यदि हां, तो इस असमानता का क्या कारण है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल--

कार्यालय सहायक ग्रेड-2 तथा विक्रय प्रतिनिधि वेतनमान रु0 1400-2600 का पद क्रमशः कार्यालय सहायक ग्रेड-1 तथा विक्रय पर्यवेक्षक वेतनमान रु0 1200-2040 के पद से पदोन्नति के पद हैं, जबकि क्षेत्रीय पर्यवेक्षक वेतनमान रु0 1200-2040 का पद सीधी भर्ती का पद है। जहां तक वाहन चालक के वेतनमान रु0 1200-2040 का प्रश्न है, पी0 सी0 डी0 एफ0 की प्रशासक समिति की बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 1992 में लिए गए निर्णयानुसार वाहन चालक का वेतनमान रु0 950-1300 से बढ़ाकर रु0 1200-2040 हो गया था, परन्तु इस असमानता का संज्ञान होने पर उक्त प्रशासक समिति की बैठक दिनांक 13 जन, 1997 में रु0 1200-2040 के वेतनमान में कार्यरत वर्तमान वाहन चालकों को उक्त वेतनमान वैयक्तिक रूप से तथा भविष्य में इन पदों पर नियुक्तियां वेतनमान रु0 950-1500 में किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इस प्रकार अब यह असमानता समाप्त हो चुकी है।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती कृष्णा देवी ग्राम प्रधान ओरीपुर तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर नायब तहसीलदार, जामो व गौरीगंज द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही करने की मांग

40--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती कृष्णा देवी, ग्राम प्रधान, ओरीपुर तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता तह0-गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 5 जनवरी, 1996, 20 अक्तूबर, 1996, 25 दिसम्बर, 1996 के प्रार्थना-पत्र पर नायब तहसीलदार क्रमशः जामो व गौरीगंज ने जांच किया है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी, हां।

माली खुलवा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपनिवेश योजना वर्ष 1960 द्वारा आवंटित भूमि पर पात्र व्यक्तियों को धारा-171 के अनुसार विरासत का अधिकार प्राप्त करने की मांग

41--श्री गोपाल कृष्ण--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिवेशयोजना वर्ष 1960 द्वारा आवंटित भूमि पर पात्र व्यक्तियों को विरासत का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार संक्रमणिक अधिकार प्राप्त पात्र व्यक्तियों को दी गयी

भूमि पर यू0 पी0 जेड0 एल0 आर0 धारा-171 के अनुसार विरासत का अधिकार देने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो धारा 171 के अनुसार विरासत का अधिकार कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पीलीभीत, तहसील पूरनपुर शारदा नदी के कटान से कतिपय ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि नदी के कटान से कटने के कारण प्रभावित परिवारों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराकर बसाने पर विचार करने की मांग

42—श्री गोपाल कृष्ण—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत, तहसील पूरनपुर के शारदा नदी के कटान से गुनहान, गभिया सरोय, राम नगर, शास्त्री नगर अयोध्यापुरी, आजाद नगर आदि ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि नदी के कटान से कट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कटान से प्रभावित परिवारों को अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराकर बसाने पर विचार करेगी तथा इनके ऊपर बकाये कर्जों को भी माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में शारदा नदी की कटान से गत वर्षों में ग्राम गुनहान में 943.01 एकड़, ग्राम गभिया सरोय में 34.50 एकड़ ग्राम रमनगरा में 106.35 एकड़, ग्राम शास्त्री नगर में 65.25 एकड़ तथा ग्राम आजाद नगर में 440.80 एकड़ भूमि का कटान हुआ है । अयोध्यापुरी कटान से प्रभावित नहीं हुआ है ।

शारदा नदी के कटान से प्रभावित ग्राम गुनहान के 109 परिवारों को ग्राम रमनगरा के 218 एकड़ कृषि भूमि, ग्राम शास्त्री नगर के 259 प्रभावित परिवारों को ग्राम अशोक नगर में, ग्राम आजाद नगर के 74 परिवार को मोरर नियां गांधी नगर में बसाने हेतु आवासीय भूमि आवंटित की गई है । ग्राम हजारा के 28 परिवारों को ग्राम अभयपुर में बसाया गया है तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 हजार रुपये प्रत्येक परिवार की दर से कुल रु0 2,80,000 की धनराशि भवन निर्माण हेतु वितरित किया गया है ।

नदी आपदा से प्रभावित परिवारों के बकाया कर्ज माफ करने का प्रावधान नहीं है ।

जनपद हरदोई में ग्राम मरावन के निवासी श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री गंगादीन का शिकायती-पत्र एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 (भाग-1 का उद्धरण) संशोधित फार्म दिलाने की मांग

43—मेजर जगतपाल सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, परगना गोड़वा, ग्राम मरावन के निवासी श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री गंगादीन नलौनी गाटा संख्या-1249, दो बीघा नौ बिस्वा, गाटा संख्या 964/3, तीन बिस्वा विधेयक तत्कालीन विधायक श्री श्याम प्रकाश विधायक अहिरोरी हरदोई ने दिनांक 26 मई, 1997 को उन्हें पत्र दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रार्थी को जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 (भाग-1 का उद्धरण) संशोधित फार्म दिला दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी, हां ।

उक्त पत्र के साथ संलग्न श्री लालता प्रसाद के पत्र पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, हरदोई को भेजा गया ।

जी नहीं, क्योंकि ग्राम के चक निर्माण के पश्चात् प्रश्नगत गाटों का मूल्यांकन लगाया गया था और मूल्यांकन लगने के बाद प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति/अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ी खेत के कुजगड़ एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण तबाही के सम्बन्ध में उपरोक्तांकित क्षेत्र में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण अब तक हुई हानि का समग्र विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की मांग

44—श्री अजय भट्ट--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ी खेत के कुजगड़ एवं समीपवर्ती क्षेत्र में दिनांक 7 मई, 1998 को हुई अतिवृष्टि के कारण तबाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा जो एक पत्र मुख्य मन्त्री को प्रस्तुत किया गया था (प्राप्ति क्रमांक-3, कम्प्यूटर नं0-10010690), उस पर अब तक क्या कार्यवाही सम्पन्न हुई ? उक्त प्रकरण वर्तमान में किस स्तर पर कब से तथा किन कारणों से लम्बित है ? क्या उपरोक्तांकित क्षेत्र में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण अब तक हुई हानि का समग्र विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रश्नगत पत्र पर कार्यवाही करके आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को दिये गये थे। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 7 मई, 1998 को जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ी क्षेत के कुजगड़ एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि से 18 आवासीय पक्के भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये थे। प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण सहायता रु0 800 प्रति परिवार की दर से कुल रु0 14,400 राहत सहायता प्रदान की गई। एक परिवार की खाद्य सामग्री नष्ट हो जाने के कारण रु01500 की अहेतुक सहायता वितरित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त क्षेत्र में अतिवृष्टि से कृषि एवं बागवानी को 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की क्षति हुई। कृषि योग्य 4-691 हेक्टेयर भूमि कटकर बह गयी। विभागीय सम्पत्तियों को 414.89 लाख की क्षति हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों विशेषकर फैजाबाद में योग्यताधारी सहायकों को वेतनमान दिये जाने की मांग

45—श्री राम अचल राजभर—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, पन्तनगर व कानपुर के मृतक सेवर्ग (डाइंग कैडर) में कार्यरत एम0 एस0 सी0 (कृषि) योग्यताधारी अनुसंधान सहायकों (रिसर्च असिस्टेंट्स) को यू0 जी0 सी0 वेतनमान रु0 2200-4000 दिया जा रहा है; यदि हां, तो क्या उसी आधार पर कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में दिनांक 6 जून, 1981 के पूर्व नियुक्त एम0 एस0 सी0 (कृषि) योग्यताधारी सहायकों को भी उक्त वेतनमान दिये जायेंगे? क्या सरकार इस सम्बन्ध में शासनादेश शीघ्र जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां।

कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

परीक्षणोपरान्त औचित्य पाये जाने पर यथोचित आदेश जारी किया जा सकेगा।

तुफैल अहमद, निवासी मुलही मन्धारी पट्टी, श्री सुन्दर पुत्र मोसरफ द्वारा श्री तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद की भूमि को 168-ए से बाधित मानते हुये 5 सी परमीशन की वास्तविकता की जांच की मांग

46—श्री राम अचल राजभर—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद, निवासी मुलही मंधारी पट्टी, तप्पा मेंनपुरा, परगना सी जोबना, तहसील

कसया, जनपद कुशीनगर द्वारा सुन्दर पुत्र मोसरफ के चक संख्या 1006 (नया नम्बर 919) कुल रकबा एक एकड़ अट्ठावन डिसमिल में से अंश रकबा एक एकड़ दो डिसमिल के लिये गये पार्ट बैनामा दिनांकित 8 जून, 1988 पंजीकृत 26 दिसम्बर, 1988 वाले प्रकरण में तत्कालीन परगनाधिकारी, कसया ने पत्र दिनांकित 9 जनवरी, 1998 को उक्त विवादित भूमि को 168ए में दाखिल मानते हुये जिलाधिकारी, कुशीनगर के माध्यम से आयुक्त, राजस्व परिषद् को आख्या प्रेषित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त प्रकरण में 5 सी परमोशन के वास्तविकता की जांच के लिये आदेश पारित करने का निर्देश शासन द्वारा निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला–सीतापुर के ग्राम कासिमपुर में अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का पट्टा व कब्जा दिलाये जाने की मांग

47—श्री श्याम लाल रावत—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कासिमपुर, परगना मनवा, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का पट्टा ग्राम अम्बरपुर, परगना मनवा, तहसील सिधौली स्थित खसरा संख्या 940 ग से दिया गया है ? यदि हां, तो उसके कब्जे दिलाने हेतु काशीराम पुत्र श्री बुजलाल आदि, निवासी ग्राम कासिमपुर द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अभी तक कब्जा न दिलाये जाने के क्या कारण है ? सरकार उन्हें कब्जा कब तक दिला देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

पट्टेदारों को दिनांक 15 दिसम्बर, 1994, 29 मई, 1995 तथा 29 जुलाई, 1997 को कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1997–98 में मण्डी परिषद् द्वारा पक्की सड़कों का निर्माण

48—श्री राम औतार शाक्य—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997–98 में मण्डी परिषद् द्वारा विधान सभा क्षेत्रों में कितनी पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया और कितनी सड़कें निर्माण हेतु स्वीकृत की गयीं ? क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में मण्डी परिषद् द्वारा कोई सड़क वित्तीय वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याकर विक्रम सिंह—

कुल 771.19 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997-98 में किया गया।

वर्ष 1997-98 में कुल 452.70 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गयीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विभाग को श्री राम औतार शाक्य स0 वि0 स0 द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

49—श्री राम औतार शाक्य—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधायक कोष्ठक से प्रश्नकर्ता के पत्रांक एम-3/8126/मैनपुरी व एम-3/8127/मैनपुरी/98, दिनांक 17 मार्च, 1998 निजी सचिव, पंचायती राज मन्त्री के पास भेज गये थे ? क्या यह सच है कि उक्त दोनों पत्रों का सम्बन्ध पंचायत राज विभाग से न होकर लोक निर्माण विभाग से था ? क्या सरकार उक्त दोनों पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग को भिजवाकर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी ?

श्री अमपाल सिंह—

जी हां।

उक्त दोनों पत्र लोक निर्माण विभाग को भेजे जा चुके हैं।

ग्राम देवरिया बुद्धू खान जनपद देवरिया के राजस्व अभिलेखों में धांधली एवं भ्रष्टाचार के आरोप की जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

50—श्री मुराद लारी—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि राजस्व ग्राम-देवरिया बुद्धू खान, तप्पा-पड़ना, परगना-शाहजहांपुर, तहसील व जनपद-देवरिया के राजस्व अभिलेखाधार देवरिया से लेकर तहसील स्तर तक के राजस्व अभिलेखों में व्यापक धांधली एवं व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्रकरण पर श्री खुर्शीद आलम के पत्र दिनांकित 17 दिसम्बर, 1997 पर जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र दिनांकित 3076/24 दिसम्बर, 1997 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवरिया ने उक्त पत्र एवं पुरक पत्रों दिनांकित 12 जनवरी, 1998 एवं 29 जनवरी, 1998 को जांच प्रक्रिया पूरी कर इसकी आख्या अपने पत्र दिनांक 1625/20 फरवरी, 1998 के माध्यम से जिलाधिकारी देवरिया को प्रेषित कर चुके हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का विवरण क्या है ? उक्त प्रकरण में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये हैं ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है।

51—श्री तेजभान सिंह—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

जनपद बलरामपुर के कतिपय विकास खण्डों में बागवानी हेतु चयनित किसानों को दिया गया अनुदान

52—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला गेड़ासबुजुर्ग/श्री वत्तगंज/पचपेड़वा में 1 जनवरी, 1997 से 31 मई, 1998 के बीच में किन-किन किसानों को बागवानी कार्य हेतु चयनित किया गया और उन्हें अनुदान में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? क्या किसानों को अनुदान अब तक नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायन—

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-उतरौला/गेड़ासबुजुर्ग/श्री वत्त गंज/पंचपेड़वा में दिनांक 1 जनवरी, 1997 से 31 मई, 1998 के बीच बागवानी कार्य के लिए किसी कृषक का चयन नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग के किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी व उसके परिवार के उत्पीड़न सम्बन्धी श्री राजेश्वर सिंह राठौर ग्राम-गुराई पो0 कुरऊ, जनपद-बदायूं के कथित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53—श्री शिव सिंह चक—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेश्वर सिंह राठौर, ग्राम गुराई, पो0 कुरऊ, जनपद बदायूं के दिनांक 23 मार्च, 1998 के प्रार्थना पत्र को मा0 राज्य मंत्री कृषि ने प्रमुख सचिव, कृषि को विभाग के किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं उसके परिवार के उत्पीड़न रोकने तथा समस्त देयकों का भुगतान करने तथा शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले में मुख्य-मुख्य तथ्य क्या है तथा उन बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि संरक्षण विभाग में सिविल डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ता के के पद पर अनुचित ढंग से हुई नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

54—श्री राजधारी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग में सिविल डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ता के पद पर अनुचित ढंग से कितने इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिप्लोमाधारक अवर अभियन्ता भूमि संरक्षण इकाइयों में नियुक्त

हैं ? क्या सरकार इन अयोग्य लोगों को भूमि संरक्षण इकाइयों से हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

नियुक्त नहीं हैं ।

भूमि संरक्षण अनुभाग में सिविल डिप्लोमाधारक अवर अभियन्ता के पद रिक्त होने के कारण उन पर 20 मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमाधारकों से कार्यहित में कार्य लिया जा रहा है । अतः उन्हें हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

55--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

[दिनांक 10 जुलाई, 1998 को अता० प्र०सं० 170 द्वारा उत्तरित ।]

56--श्री उबैदुर्रहमान--

[दिनांक 15 जुलाई, 1998 को अता० प्र० सं० 172 द्वारा उत्तरित ।]

57--डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

[दिनांक 6 जुलाई, 1998 को अता० प्र० सं० 76 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तर प्रदेश तराई बीज एवं विकास निगम लखनऊ में संयुक्त विपणन अधिकारी पर अनियमितता का आरोप एवं स्थानान्तरण की मांग

58--श्री मोहन सिंह रावत गांववासी--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश तराई बीज एवं विकास निगम लखनऊ में संयुक्त विपणन अधिकारी के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत श्री आहूजा वर्ष 1984 से लखनऊ में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि विगत 14 वर्षों से एक ही जगह कार्यरत होने के कारण इनके द्वारा गम्भीर अनियमितताये की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी को तत्काल लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी, हां ।

इनके द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

श्री आहूजा का स्थानान्तरण दिनांक 30 जून, 1993 को लखनऊ से कलकत्ता किया जा चुका है ।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वीकृत मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर पारित आदेश की जानकारी

59--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सदस्य विधान परिषद् प्रतापगढ़ के पत्र सं० 980 दिनांक 25 अगस्त, 1993 पर पारित आदेश कि० को

4/6-269-132 दिनांक 31 अगस्त, 1993 जो 4 मार्गों के निर्माण हेतु थे, उसकी स्वीकृतियां जमा कर दी गई थी ? यदि हां, तो आदेश क्या थे ? उक्त आदेश के पश्चात् स्वीकृत किये गये कार्यों का आधार क्या था ?

श्री धर्मपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा के नगर फरह के भा0 ज0 पा0 अध्यक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा से तहसीलदार चेतराम द्वारा पैसा लेकर न जमा करने का आरोप

60—श्री अजय कुमार पोद्दार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगर फरह के भा0 ज0 पा0 अध्यक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा से तहसीलदार चेतराम द्वारा पैसा लेकर न जमा करने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक-सी0 एम0/वि0को0/एम-3/8242/मथुरा/98, दिनांक 25 मार्च, 1998 आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

उक्त प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मथुरा से करायी गयी । जांच में यह तथ्य उभर कर आये हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा वसूली प्रक्रिया के रूप में एक दिन हवालात में रहने के उपरान्त 1997 में विभिन्न तिथियों में रु0 39,200.00 जमा कराये थे जिसमें से 13,000.00 सीधे बैंक में जमा कराया गया था, इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा रु0 53,500.00 की पुष्टि रसीदों एवं अभिलेख के आधार पर होती है । तहसील द्वारा उक्त रिकवरी सर्टीफिकेट के मद में अब तक प्राप्त राशि का विवरण बैंक तथा शिकायतकर्ता को उपलब्ध न कराये जाने के कारण शिकायत की गयी है । तहसील प्रशासन को उक्त रिकवरी सर्टीफिकेट के विरुद्ध जमा करायी गयी धनराशि के आधार पर बेबाक होने का प्रमाण-पत्र शिकायतकर्ता को देने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव की ग्राम पंचायत रावल बांगर में आवंटित मंगला पुत्र भवासी के प्लाट पर अवैध कब्जे को रोकने के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही

61—श्री अजय कुमार पोद्दार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के ब्लाक बल्देव की ग्राम पंचायत रावल बांगर में आवंटित मंगला पुत्र भवासी के प्लाट पर किये जा रहे अवैध कब्जे को रोकने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक-सी0 एम0/वि0को0/एम-3/8243/मथुरा/98, दिनांक 25 मार्च, 1998 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही —

जी, हां ।

श्री मवासी पुत्र मंगला को अन्य व्यक्तियों के साथ भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर आवासीय भू-खण्ड का आवंटन उप जिलाधिकारी, सादाबाद (मथुरा) द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1989 को स्वीकृत किया गया था । सभी आवंटी अपने आवंटित स्थल से भिन्न स्थल पर काबिज हैं । जो स्थल मवासी पुत्र मंगला को आवंटित किया गया था, उस पर मौके पर सरकारी हैण्ड पम्प लगा हुआ है और शेष भूमि खाली पड़ी है । श्री मवासी पुत्र मंगला ने प्रश्नगत खाली भूमि को नोटरी शपथ-पत्र के आधार पर डा0 अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने हेतु दान करने का प्रस्ताव किया है, जो जिला प्रशासन द्वारा अवैध पाया गया है ।

जिला छत्रपति साहू जी महाराज नगर में जिला पंचायतराज अधिकारी का पद सृजित होने के सम्बन्ध में जानकारी

62—श्री आर0 के0 सिंह पटेल—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति साहू जी महाराज नगर में जिला पंचायत राज अधिकारी का पद सृजित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक नियुक्ति न किये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी द्वारा पंचायत राज विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य देखने हेतु अलग-अलग व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वह अधिकारी कौन है ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी, नहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी का पद उक्त जनपद में सृजित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद छत्रपति साहू जी महाराज नगर के कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कर्वी में 2.90 लाख रुपये कतिपय गांवों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्वीकृत के सम्बन्ध में जानकारी

63—श्री आर0 के0 सिंह पटेल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी, समिति, कर्वी, जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर में दिनांक 7 अप्रैल, 1997 को 2.90 लाख रुपये विभिन्न गांवों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

जी, हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि मण्डी स्थलों के परिसर के बाहर नये हैण्ड पम्प मण्डी परिषद् द्वारा नहीं लगाये जायेंगे ।

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर के जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा दिये गये निर्देश का विवरण

64--श्री अफजाल अहमद--

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में प्रधान मंत्री रोजगार के सम्बन्ध में किस जनपद के किस विधायक का 15 जुलाई, 1997 का पत्र जिलाधिकारी, जौनपुर के यहां 16 जुलाई, 1997 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? उपरोक्त पत्र पर जिलाधिकारी, जौनपुर ने क्या निर्देश दिया ? क्या जिलाधिकारी, जौनपुर के निर्देश का अनुपालन महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर द्वारा 60 दिन के अन्दर किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम, एम0 काम0--

जी हां,

मा0 विधायक श्री बांके लाल सोनकर का पत्र, दिनांक 16 जुलाई, 1997 को जिलाधिकारी के यहां प्राप्त हुआ ।

जिलाधिकारी, जौनपुर ने दिनांक 17 जुलाई, 1997 को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही करने व बैंकों से समन्वय स्थापित कर सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ।

जी हां ।

जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में विकास खण्ड सोधी एवं सुइथाकला में चयनित अम्बेडकर गांवों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का व्यापक प्रसार जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कराया गया । विकास खण्ड सोधी एवं सुइथाकला में प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 8 आवेदक चयनित किये गये । जिनके प्रार्थना-पत्र भी बैंकों को भेजे गये जिनमें से 5 आवेदन-पत्रों पर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत हुआ । अब तक दो आवेदकों को रु0 1.80 लाख का ऋण वितरण कराया जा चुका है । शेष तीन आवेदकों का ऋण वितरण कराने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है । तीन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र बैंक द्वारा इस कारण वापस कर दिये गये कि उन्होंने बैंक की औपचारिकता पूरी नहीं की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, तह0 फूलपुर विकास खण्ड–मार्टिनगंज के ग्राम कोहरौली के अन्तर्गत भूमि का पट्टा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग

65–श्री नरेन्द्र सिंह सिशोरिया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर तहसील मार्टीनगंज के ग्राम कोहरौली के अन्तर्गत वर्ष 1994 से अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भूमि का पट्टा आवंटन किया गया है? उनका नाम, पिता का नाम, जाति तथा भूमि का क्षेत्रफल एवं प्लाट नं0 क्या है? क्या यह सही है कि पट्टा आवंटन में शासन के नियमों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं, ग्राम कोहरौली, तहसील फूलपुर, विकास खण्ड मार्टीनगंज, जनपद आजमगढ़ में कृषि कार्य हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1994 से अब तक कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में मण्डी परिषद् द्वारा लगाये गये इण्डिया मार्का –2 हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

66–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में मण्डी परिषद् द्वारा लाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प में से अधिकतर खराब पड़े हैं क्या उनके प्लेटफार्म नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उक्त खराब पड़े हैण्ड पम्प ठीक करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि ग्राम चिटी मोजा व ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी व कस्बा भोगांव (मैनपुरी) में मण्डी परिषद् द्वारा बोरिंग की लम्बाई कम होने के कारण हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं? यदि हां, तो इन हैण्ड पम्पों को ठीक करवाने की क्या योजना है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

28 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों में से 5 नग हैण्ड पम्प के प्लेट–फार्म धनाभाव के कारण नहीं बन सके हैं ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर, भरुआ सुमेरपुर, कृषि मण्डी के विस्तार की योजना के सम्बन्ध में शासन द्वारा धन स्वीकृत कराये जाने की मांग

67--श्री शिवचरण प्रजापति--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरुआ सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर कृषि मण्डी के विस्तार की कोई योजना प्रस्तावित है? क्या उसके लिये शासन द्वारा धन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा कब तक विस्तार करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी नहीं ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मण्डी समिति के विस्तार की कोई योजना ही नहीं है ।

जनपद जालौन की तहसील कोंच के राजस्व बन्दी गृह में परमाई की मृत्यु की जांच तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

68--श्री श्रीराम पाल--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन की तहसील कोंच के राजस्व बन्दी गृह में दिनांक 1 जून, 1998 को परमाई अनुसूचित जाति उम्र 75 वर्ष निवासी तारपुरा कोंच को भूमि विकास बैंक के कर्मियों ने बन्द कराया था? यदि हां, तो उक्त परमाई पर कितना रुपया बकाया था? क्या राजस्व बन्दी गृह कोंच में उसकी दम घुटने व प्यास से मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो क्या कोंच तहसील में 50 हजार रुपये से अधिक के विभिन्न बैंकों व सरकारी ऋण व व्यापार कर बकाये दारी को भी बन्द किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये की सरकारी सहायता तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां, जनपद जालौन की तहसील कोंच के राजस्व बन्दी गृह में दिनांक 23 मई, 1998 को श्री परमाई पुत्र नवल (अनु0 जाति) निवासी ताहरपुरा, परगना तहसील कोंच की भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा ऋण वसूली हेतु बन्द कराया गया था ।

श्री परमाई से मूलधन रुपया 4656.00+ब्याज+संग्रह व्यय की वसूली की जानी थी जो कुल मिला कर 8422.55 होना था ।

श्री परमाई की मृत्यु होने पर दो डाक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया था । पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ ।

50 हजार रु0 से अधिक के 13 बकायेदारों को भी बन्द किया गया था, इनके नाम इस प्रकार हैं--

सर्वश्री छदामी, चन्द्र प्रकाश गुप्ता, रविदास, कृपा सिंधु अग्रवाल, राम प्रकाश, मन्सुख गोविन्द दास सुरेश कुमार गुप्ता, तेजराम, राम स्वरूप, भीम मुहम्मद, परशुराम तथा प्रभू ।

मृतक श्री परमाई की मृत्यु के उपरान्त परिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत रु0 5000 रु0 (रु0 पांच हजार रु0) की आर्थिक सहायता तुरन्त उपलब्ध करा दी गयी थी । प्रकरण की मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के श्रीयोगेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव के फर्जी नियुक्ति की जांच

69--श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव, प्राविधिक सहायक, (अभियन्त्रण विभाग) चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की नियुक्ति फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुई है ? क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण की जांच विश्व-विद्यालय, सतर्कता सेल में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी, नहीं ।

जी नहीं । प्रकरण की जांच विश्वविद्यालय सतर्कता सेल द्वारा पूर्ण की जा चुकी है श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव की प्राविधिक सहायक के पद पर नियुक्ति वैध पाई गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के तत्कालीन सांसद मा0 श्री यादवेन्द्र दत्त के पत्र में अंकित शिकायतों की जांच

70--श्री बांकेलाल सोनकर--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सांसद यादवेन्द्र दत्त (राजा जौनपुर) का दिनांक 14 फरवरी, 1991 का पत्र डी0डी0सी0 जनपद जौनपुर को मिला है और उसे डी0 डी0 सी0 जौनपुर ने पत्रांक 607 दिनांक 21 फरवरी, 1991 को एस0 ओ0 सी0 जौनपुर के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी, हां ।

माननीय सांसद श्री यादवेन्द्र दत्त के पत्र के साथ संलग्न श्री राम अवध के पत्र में अंकित शिकायतों की जांच कराई गई । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राम अवध को प्रदत्त चक संख्या-144 का रकबा अभिलेखों के अनुसार 0-77 डि0 कम है । इस कमी को दुरुस्त कराने के लिये न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में सन्दर्भ तैयार कर भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम अतरौरा के नवनिर्वाचित प्रधान ने चार्ज दिलाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के उक्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करने की मांग

71—श्री धर्मराज निषाद—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम अतरौरा के नवनिर्वाचित प्रधान ने चार्ज दिलाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को दिनांक 6 मार्च, 1991 को दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत गोण्डा के समिति कटकों एवं राजगढ़ विकास खण्ड कटरा बाजार में मत्स्य आखेट हेतु ताल एवं झील के आबंटन में बरती गयी अनियमितता विषयक आबंटन को निरस्त कर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

72— श्री बायन सिंह

क्या मत्स्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जिला पंचायत गोण्डा के समिति कटको एवं राजगढ़ विकास कटरा बाजार में मत्स्य आखेट हेतु ताल एवं झील के आबंटन में बरती गयी अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 मई, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त आबंटन निरस्त कर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद—

जी नहीं ।

प्रकरण जिला पंचायत गोण्डा से सम्बन्धित होने के कारण प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांच कर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु पंचायती राज विभाग को पत्र मूलरूप में भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के उभांव थाना के अन्तर्गत 20 से अधिक स्थानों पर पुलिस के सहयोग से कच्ची शराब तथा गांजा की अवैध बिक्री पर रोकथाम हेतु कार्यवाही करने की मांग

73—श्री अम्बिका चौधरी—

क्या आबकारी मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के उभांव थाना अन्तर्गत बीस से अधिक स्थानों पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से कच्ची शराब तथा गांजा बिकवाया जा रहा है जिससे आबकारी राजस्व प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसको रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

जी, नहीं ।

पुलिस के सहयोग से थाना उभांव, जनपद बलिया में कच्ची शराब एवं गांजा की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है । अतः इस हेतु कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परन्तु अवैध अड्डों से मदिरा की बिक्री तथा अवैध मद्य निष्कर्षण सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के लिये निरन्तर प्रभावी प्रयत्न तथा धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के गढ़ी एवरन में मार्च 1998 में सड़क निर्माण में स्वीकृत आकलन के मानकों के अनुरूप कार्य न कराये जाने की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

74—श्री हरपाल सिंह—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा टूण्डला विधान सभा में गढ़ी एवरन में 1500 मीटर सड़क का निर्माण मार्च, 1998 में कराया गया है ? क्या यह सही है कि निर्माण में स्वीकृत आकलन के मानकों के अनुरूप कार्य न कराये जाने की शिकायत सदस्य जिला पंचायत, फिरोजाबाद, सदस्य, विधान सभा, टूण्डला व वन मन्त्री जी द्वारा मार्च, 1998 में की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी, हां ।

जी, हां ।

जांच करायी जा रही है,

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत राज अधिकारी बांदा को सम्बोधित परियोजना निदेशक डी0 आर0 ए0 का पत्र जो विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम गडरिया के पंचायत भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच

75—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी बांदा को सम्बोधित परियोजना निदेशक डी0 आर0 डी0 ए0 बांदा का पत्र संख्या 39/एस0 टी0 डी0 आर0 डी0/जि0 जसपुरा/दिनांक 28 अप्रैल, 1998 जो विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम गडरिया के पंचायत भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक जांच प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि जांच रोककर अवैध निर्माण पूरा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर अनियमितताये करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां ।

जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा जांच की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग के स्नातकोत्तर कर्मचारियों एवं श्रेणी दो के राजपत्रित अधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता के सम्बन्ध में शासनादेशों का परिपालन करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग

76—श्री आर0 के0 सिंह पटेल—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के स्नातकोत्तर कर्मचारियों एवं श्रेणी दो के राजपत्रित अधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या विभाग के सभी स्नातकोत्तर कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्नातकोत्तर भत्ता के सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों का परिपालन करने हेतु कोई निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

77—श्री अयोध्या प्रसाद पाल—

[दिनांक 10 जुलाई, 1998 को अता0 प्र0 सं0 168 द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी के ग्राम सभा बहेराडोल में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

78—श्री विजय सिंह—

क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी के ग्राम सभा बहेराडोल में पंचायत भवन के निर्माण हेतु धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो पंचायत भवन का निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया ? इसके लिये दोषी व्यक्ति कौन है ? क्या मन्त्री जी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी, हां ।

सम्बन्धित प्रधान व कार्य प्रभारी द्वारा धन का दुर्विनियोग कर लिये जाने के कारण पंचायत भवन का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया ।

सम्बन्धित प्रधान श्री हरीराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश कुमार संयुक्त रूप से दोषी हैं ।

ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरीराम को प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है एवं श्री जगदीश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करके दोनों के विरुद्ध यथा सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गई है ।

दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध उक्तानुसार वैधानिक कार्यवाही कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मथुरा स्थित राजपुर बांगर स्थित अनुसूचित जाति की किशोरपुरा गांधी ग्राम में गलत तथ्यों पर की गयी भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

79—श्री अजय कुमार पोद्दार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित राजपुर बांगर स्थित अनुसूचित जाति की किशोरपुरा गांधीग्राम व तहसील व जिला मथुरा की गलत तथ्यों पर की गयी भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक-सी0 एम0/वि0को0/एम-3/8465/मथुरा/98, दिनांक 28 मार्च, 1998 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

सम्बन्धित पत्र स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य कृषि अनुसंधान परिषद् संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने के औचित्य की जानकारी

80--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि दो दशक पूर्व केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् की तर्ज पर राज्य कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थापना की गयी थी, परन्तु केन्द्र की भौतिक राज्य कृषि अनुसंधान परिषद् के पास अनुसंधान हेतु आवश्यक प्रयोगशाला, परिसर एवं प्रशिक्षण कालेज नहीं है ? क्या यह छोटे किराये के भवन में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार की संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का औचित्य क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[उ0 प्र0 राज्य कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थापना जुलाई, 1989 में हुई है]

उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशाला, परिसर एवं प्रशिक्षण कालेज की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पशुपालन, उद्यान एवं फलोत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी एवं तत्सम्बन्धी विषयों पर प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे शोध, अनुसंधान एवं प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय सन्तुलन एवं समरसता स्थापित करना है ।

जी हां ।

इस संस्था के उद्देश्यों को देखते हुये इसे बनाये रखने का पूर्ण औचित्य है ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अधिवक्ता नियुक्ति) नियम 7 के तहत जिला पंचायत अधिवक्ताओं को दिये जा रहे भत्ते आदि में मंहगाई के दृष्टिगत रखते हुए बढ़ोत्तरी की मांग

81--श्री रमेश राही--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 जिला परिषद् (अधिवक्ता नियुक्ति) नियम 1973 के नियम 7 के तहत जिला पंचायत अधिवक्ताओं को जो भत्ते आदि वर्ष 1973 से दिये जा रहे हैं क्या मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए भत्ते को बढ़ोत्तरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अधिवक्ता नियुक्ति) नियमावली 1973 के नियम 7 में दी गई व्यवस्था प्रदेश में लागू है । इसके पुनरीक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जिला पंचायत की विषम आर्थिक स्थिति के कारण पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

अध्यक्ष, जिला पंचायत, बहराइच द्वारा दिए गए प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

82--डा0 वकार अहमद शाह--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें अध्यक्ष, जिला पंचायत, बहराइच का कोई पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1998 जिला पंचायत राज

अधिकारी, बहराइच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? क्या इसी सम्बन्ध में सचिव पंचायती राज, को भी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1998 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन पत्रों में बिन्दु कौन-कौन से हैं ? क्या इसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? उसके आधार पर अब तक दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

अध्यक्ष, जिला पंचायत, बहराइच का मा0 पंचायतीराज मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1998 प्राप्त नहीं हुआ ।

मा0 विधायक का सचिव, पंचायतीराज को सम्बोधित दिनांक 14 अप्रैल, 1998 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

जांच निदेशक, पंचायतीराज से कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

83--श्री अयोध्या प्रसाद पाल--

[बुधवार में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला पंचायत, आगरा द्वारा हड्डी एवं खाल की नीलामी में की गई अनियमितता की जांच कराए जाने की मांग

84--श्री विजय पाल सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत आगरा द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में हड्डी, खाल नीलामी में भारी अनियमितता की गयी है, जिससे पंचायत की वार्षिक आय पर कुप्रभाव पड़ा है ? क्या यह विगत तीन वर्षों की आय से काफी कम है ? क्या उक्त प्रकरण की जांच शासन द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत, आगरा द्वारा फतेहाबाद में निर्मित कराई गई दुकानों में किए गए अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने की मांग

85--श्री विजय पाल सिंह--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत, आगरा द्वारा फतेहाबाद में निर्मित करायी गयी दुकानों में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

कस्बा फतेहाबाद में जिला पंचायत, आगरा की 66 दुकानें हैं इन दुकानों में किसी व्यक्ति का अनधिकृत रूप से कोई कब्जा नहीं है, इसलिए कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जिला पंचायत आगरा की विगत तीन वर्षों की आय की जानकारी

86—श्री विजय पाल सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत आगरा की विगत तीन वर्षों की आय क्या है ? चालू वित्तीय वर्ष की आय क्या है ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जिला पंचायत आगरा की वित्तीय वर्ष
1995-96 में रु0 70,28,073.00, वर्ष
1996-97 में रु0 1,25,45,712.00, वर्ष
1997-98 में रु0 1,50,03,848.00 कुल
3,45,77,633.00 रु0 की आय प्राप्त हुई ।

चालू वित्तीय वर्ष की दिनांक 1-4-98 से 30-6-98 तक कुल आय 1,06,31,783.00 रुपये हैं ।

जी हां ।

घाटे का मुख्य कारण जिला पंचायत को निजी स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व की आय का जिला पंचायत के व्यय से कम होना है, निम्न वर्षों में आय की अपेक्षा उसके सम्मुख अंकित व्यय अधिक हुआ है ।

वर्ष 1995-96 रु0 4,72,780.00
वर्ष 1996-97 रु0 3,82,489.00
वर्ष 1997-98 रु0 3,66,724.00
चालू वर्ष रु0 5,68,425.00

इस घाटे के मुख्य कारण जिला पंचायत के आय के पुराने निर्धारित स्रोत हैं । इनकी दरें काफी पुरानी हैं, उसी के अनुसार वसूली की जाती है पंचायत अपने स्रोतों की आय बढ़ाने हेतु विभिन्न उपविधियों में संशोधन की कार्यवाही कर रही है ।

जनपद सीतापुर में भूमि संरक्षण विभाग के गोमती योजना में बरती गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग

87—श्री बुनियादी हुसैन अंसारी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में भूमि संरक्षण विभाग के गोमती योजना में कितना धन किस कार्य हेतु खर्च किया गया ? क्या कार्य में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जनपद सीतापुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा गोमती योजनान्तर्गत 81-82 से 97-98 तक कुल 523.821 लाख रुपया व्यय किया गया है । यह धन किन कार्यों हेतु व्यय किया गया है वे क्रमशः समोच्च रेखीय बांध/वानस्पतिक बांध, खड बनीकरण/कृषि वानिकी, उद्यानीकरण, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट (डी0एल0टी0),

जल संचय संरचना (डब्लू0 एच0 एस0), अवरोध बांध (सी0 डी0), सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रक्चर (एस0 डी0 एस0), फार्म पॉड (एस0 पी0), समतलीकरण, जल निकास नाली, पक्की संरचनाएं प्रशिक्षण, प्रदर्शन, नमी संरक्षण, पौधशाला स्थापना एवं प्रोजेक्ट फारमुलेशन हैं ।

वर्तमान में प्रकाश में आयी अनियमितताओं की जांच करायी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तहसील देवबन्द, जनपद सहारनपुर में अनुसूचित जाति के सीजनल ए0 डब्ल्यू बी0 एन0 की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर हुई धांधली एवं उक्त प्रकरण की जांच तथा नियुक्ति करने की मांग

88—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि तहसील देवबन्द, जनपद सहारनपुर में दिनांक 15 अप्रैल, 1998 को सीजनल ए0 डब्ल्यू0 बी0 एन0 की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की गयी है ? क्या यह सही है कि अगस्त, 1996 से कार्यरत अनुसूचित जाति के ए0 डब्ल्यू0 बी0 एन0 की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर अनुसूचित जाति के सीजनल ए0 डब्ल्यू बी0 एन0 जो अगस्त, 1996 से कार्य कर रहे हैं, की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

तहसील देवबन्द में दिनांक 15 अप्रैल, 1998 को सीजनल ए0 डब्लू0 बी0 एन0 की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं की गई । नियुक्ति वरिष्ठता एवं आरक्षण के आधार पर की गई ।

नियुक्ति वर्ष 1996 के पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों में से वरिष्ठता एवं आरक्षण के आधार पर की गई ।

नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए जांच का प्रश्न नहीं उठता । भविष्य में यदि सीजनल ए0 डब्लू0 बी0 एन0 के पदों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त रिक्ति में वरिष्ठता एवं आरक्षण की स्थिति के अनुसार नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद–शमशाबाद मन्डी समितियों द्वारा कराये गये अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु शिकायती–पत्र

89—श्री विजय पाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहाबाद–शमशाबाद मन्डी समितियों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े हैं को लेपन स्तर तक कराये जाने हेतु दिनांक 26 मई, 1998 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी, हां ।

विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद छत्रपति साहू जी महराज जी महामाया नगर के ग्राम अर्की, लोहदा व हरीशनपुर तथा पहाड़ी में लगी आग से हुई जन धन हानि की जानकारी

90—श्री आर0 के0 सिंह पटेल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर के ग्राम अर्की व ग्राम लोहदा व हरीशनपुर तथा पहाड़ी में दिनांक 23 मई, 1998 को आग लग गयी थी ? यदि हां, तो कितने जन धन की हानि हुई ? सरकार ने राहत कार्यों पर कुल कितना धन खर्च किया ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी, हां ।

ग्राम अर्की में 2 मनुष्यों, 2 बड़े पशुओं एवं 61 छोटे पशुओं की हानि हुई । कुल अनुमानित क्षति रु0 5,00,000.00 की हुई, ग्राम लोहदा में कोई जन हानि नहीं हुई परन्तु, कुल अनुमानित क्षति रु0 5,39,400.00 है व ग्राम हरीशनपुर में कोई जन हानि नहीं हुई जबकि अनुमानित क्षति रु0 33,000.00 है । इस प्रकार ग्राम पहाड़ी में 4 छोटे मशुओं की हानि हुई; कुल अनुमानित क्षति रु0 1,49,600.00 है ।

उक्त ग्रामों के पीड़ित परिवारों को राहत सहायता के रूप में कुल रु0 15,47,359.00 की धनराशि व्यय की गई ।

जिला पंचायत के सदस्यों को दैनिक मजदूरी की धनराशि में वृद्धि करने की मांग

91—डा0 कौशल किशोर—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत सदस्यों को केवल रुपये 20 डी0 ए0 के रूप में दिया जाता है जो दैनिक मजदूरी से भी कम है ? क्या सरकार धनराशि में वृद्धि करने पर कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जिला पंचायत के सदस्यों द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को देय यात्रा-भत्ता अनुमन्य है उसी के अनुरूप उन्हें दैनिक भत्ता भी देय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज छपिया और नवाबगंज में कतिपय ग्रामों में आवंटित व्यक्तिगत शौचालयों का विवरण

92--श्री रामविशुन आजाद--क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज, छपिया और नवाबगंज में वर्ष 1995 से मार्च, 1998 तक कितने व्यक्तिगत शौचालय किन-किन ग्रामों में निर्माण हेतु आवंटित किये गये थे ? क्या यह सही है कि शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज छपिया तथा नवाबगंज में वर्ष 1995-96, 96-97 तथा 97-98 में आवंटित किये गये व्यक्तिगत शौचालयों का ग्रामवार एवं वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है--

विकास खण्ड वजीरगंज

वर्ष 1995-96

ग्राम पंचायत का नाम		संख्या
1--मोहनपुर		20
2--चन्दापुर		40
	योग ..	60

वर्ष 1996-97

1--खिरिया		20
2--माथेपुर		10
3--सोहना		10
	योग ..	40

वर्ष 1997-98

1--डुमरियाडीह		10
2--चेतपुर		10
3--सेहरिया		10
	योग ..	30

विकास खण्ड नवाबगंज

वर्ष 1995-96

1--बहादुरा		40
2--दुललापूर		20
3--टिकरी		14
	योग ..	74

विकास खण्ड नवाबगंज

वर्ष 1996-97

ग्राम पंचायत का नाम		संख्या
1—गोरिया		20
2—बिरनोहरपुर		32
3—सिरसा		20
4—तुरकौली		20
5—देवीनगर		20
	योग ..	112

वर्ष 1997-98

1—रेहलो		10
2—हरवंशपुर		10
3—मधवापुर		10
4—बोबपुर		10
5—करौंदी		10
6—डमरिया		10
7—किशुनदासपुर		10
	योग ..	70

विकास खण्ड छपिया

वर्ष 1995-96

1—बानेपुर		40
2—खपरीपारा		23
3—रानीखोत		20
	योग ..	83

वर्ष 1996-97

1—ढेढोखा		12
2—बेलहरी बुजुर्ग		12
3—खपरी पारा		12
4—संगवा		12
5—तेन्दुवारानीपुर		32
6—फूलपुर		08
7—जोरा भारी		08
8—महतिनिया		08
9—बिछिया डाड		08
	योग ..	112

वर्ष 1997-98

1—सुरवार खुर्द	10
2—सावरपुर	10
3—सोहिला	10
4—भवजीतपुर	10
5—मनसुखपुर	10
6—बंदोली	10
योग ..	60

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी के विकास खण्ड खेसरहा को बांसी तहसील में रखने की मांग

93—श्री श्रीराम पाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी के विकास खण्ड खेसरहा को क्या जनपद संत कबीर नगर में सम्मिलित किया जा रहा है ? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करते हुए जनहित में खेसरहा ब्लॉक को बांसी तहसील में ही रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा की सुनरख ग्राम सभा में किये गये कृषि पट्टों पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

94—श्री अजय कुमार पोद्दार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की सुनरख ग्राम सभा में किये गये कृषि पट्टों पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक-सी0 एम0/वि0 को/एम-3/7363/मथुरा/98, दिनांक 22 जनवरी, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जनपद मथुरा के ग्राम सुनरखबांगर का पट्टा निरस्तीकरण का वाद उ0प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0 की धारा 198 (4) वाद सं0 64/97-98 पूरन सिंह बनाम राजवीर सिंह तथा वाद सं0 73 प्रकाश आदि बनाम मलका आदि की दोनों पत्रावलियां इकजाई होकर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मथुरा के न्यायालय में विचाराधीन है । जिनमें अग्रिम तिथि 15 जुलाई, 1998 नियत है ।

जनपद मथुरा में कच्ची मिट्टी के कार्य को बदलवाने के सम्बन्ध में शिकायती (पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

95—श्री अजब कुमार पोद्दार—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में कच्ची मिट्टी के कार्य को बदलवाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक के पत्रांक-सी0 एम0/वि0को0-एम-3/7362/मथुरा/98, दिनांक 22 जनवरी, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी, हां ।

जिलाधिकारी मथुरा से जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा बलरामपुर में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश स्थगनादेश प्राप्त कर राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात कनिष्ठ लेखपाल का मामला

96—श्री राम विशुन आजाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा व बलरामपुर में कितने कनिष्ठ लेखपाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अथवा स्थगन आदेश से राजस्व निरीक्षक पद पर सन् 1988 से कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इनसे वरिष्ठ कितने लेखपाल हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्यरत नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त स्थगन आदेश समाप्त कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में शासनादेश के विपरीत कतिपय लेखपाल अपने गृह तहसील में कार्यरत होने के कारण उनका स्थानान्तरण करने की मांग

97—श्री राम विशुन आजाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में शासनादेश के विपरीत कितने लेखपाल अपने गृह तहसील में कार्यरत हैं ? उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद में कुल 29 लेखपाल गृह तहसील में इस समय कार्यरत हैं, जिसमें 27 लेखपाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से गृह तहसील में कार्यरत हैं तथा दो लेखपाल शासनादेश सं0 1/3/96 का 4 जनवरी, 1998, दिनांक 14 अप्रैल, 1998 के परिप्रेक्ष्य में लेखपाल संघ के अध्यक्ष/मंत्री होने के कारण गृह तहसील में कार्यरत हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण रिट को त्वरित पैरवी कराकर तथा स्थगन आदेश निरस्त करवाने के उपरान्त कर दिया जायेगा तथा शेष लेखपाल पदाधिकारियों का स्थानान्तरण निर्वाचन तिथि के 2 वर्ष उपरान्त कर दिया जायेगा ।

जिला अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कम्हरियां एवं अराजी देवरा जो घाघरा नदी का कटान से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं बचाव व्यवस्था की मांग

98--श्री भीम प्रसाद सोनकर--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज, जि0 अम्बेडकरनगर के ग्राम-मझा कम्हरियां एवं आराजी देवरा जो घाघरा नदी के किनारे पर स्थित हैं प्रति वर्ष बाढ़ से घिरे रहते हैं और विगत वर्ष 1998 में बाढ़ से पूरा गांव कटकर बह गया ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा 52 लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया परन्तु 32 परिवार के लोगों को अभी भी आवास एवं भूमि नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त लोगों हेतु आवास एवं खाद्यान्न की व्यवस्था कब तक की जायेगी ? सरकार इस वर्ष बाढ़ से बचाव हेतु क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां, किन्तु आराजी देवारा में कोई कटान नहीं हुआ था । ग्राम मझा कम्परिया में आंशिक कटान हुआ था ।

जी हां, ग्राम मझा कम्हरिया में बाढ़ के कटान के फलस्वरूप शेष बचे 32 परिवार अपने-अपने खेतों में आवास बनाकर रह रहे हैं । इनको अभी स्थाई रूप से बचाने की कार्यवाही ग्राम-खरुवइयां में की जा रही है ।

इन लोगों को आर्थिक सहायता पूर्व में वितरित की जा चुकी है एवं आवास की व्यवस्था ग्राम-खरुवइयां में की जा रही है ।

यदि इस वर्ष बाढ़ से कटान की स्थिति उत्पन्न हुई तो प्रभावित परिवारों को तत्काल आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु ललनजी बहमचारी पटेर कालेज, भरत पुर का छात्रावास तथा जूनियर हाई स्कूल कमालपुर पिकार का चयन बाढ़ शरणालय के रूप में किया जा चुका है । खाद्यान्न की व्यवस्था हेतु जिलापूर्ति अधिकारी, अम्बेडकर नगर को पत्र लिखा जा चुका है तथा कटान रोकने हेतु बोल्डर की व्यवस्था तैयार रखने के लिए अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सिंचाई विभाग को सतर्क कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम शोयरा मुगली जिला बांदा के अनुसूचित जाति के कब्रिस्तान के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

99--श्री दद्दू प्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शोयरा मुगली हुतसील बांदा जि0-बांदा के गाटा सं0-1111 की अनुसूचित जाति के

कब्रिस्तान के लिये आरक्षित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या उक्त आरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

ग्राम गोयरामुगरी तहसील बांदा जिला बांदा में स्थित आराजी नम्बर 1111 अनुसूचित जाति के कब्रिस्तान के लिये आरक्षित नहीं है, बल्कि कथित नम्बर 1111 रकबा 0-138 हे0 राजस्व अभिलेखों के अनुसार श्रेणी-6 (2) पुरानी आबादी दर्ज कागजात है तथा स्थली निरीक्षण के अनुसार कुछ ग्राम्य वासियों के मकानात बने हैं। चूंकि मकानात आबादी की भूमि पर बने हैं इस लिय किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में महाकाली मन्दिर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहीत कर विकसित करने की योजना

100--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में महाकाली मन्दिर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहित करने एवं विकसित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)--

जी नहीं।

उक्त मन्दिर पुरातत्व एवं वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भीमपुर को जनता द्वारा तहसील मुख्यालय बनाने की मांग

101--धर्मेश मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भीमपुर को तहसील मुख्यालय बनाने के लिये वहां की जनता द्वारा काफी दिनों से मांग की जा रही है ? क्या इस मांग के तहत पत्र संख्या 1090/97, दिनांक 10 जून, 1997 के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बनाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भीमपुर नाम का कोई स्थान नहीं है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार देने सम्बन्धी कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

102--डा0 कौशल किशोर--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार देने सम्बन्धी बजाज कमेटी का गठन किया गया है ?

यदि हां, तो उन कोटों की संस्तुतियां क्या हैं ? क्या उन्हें लागू करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

जी हां ।

बजाज आयोग की संस्तुतियां मुख्यत: नियोजन प्रणाली में सुधार, जिला योजना में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने तथा अधिनियमों में कतिपय संशोधन करने एवं शासन के 32 विभागों के कृत्यों एवं अधिकारों को विस्तारीय पंचायतों को हस्तान्तरित किए जाने, राज्य विकास परिषद का गठन तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पुनर्गठन के सम्बन्ध में हैं ।

बजाज आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने एवं अपनी संस्तुति देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी संस्तुतियां जनवरी, 1997 में प्राप्त हुई, जिस पर शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में संस्तुतियों का क्रियान्वयन हो सकता है उनके सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिये जाये ।

इसी परिप्रेक्ष्य में शासन के 28 विभागों द्वारा निस्तरीय पंचायतों को अधिकारों एवं कृत्यों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी आदेश जारी किए जा चुके है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

103--श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद--

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 स0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

104--श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद--

[5वे मंगलवार में अता0 प्र0 स0-144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर की आलापुर तहसील का भवन निर्माण एवं नाम परिवर्तन

105--श्री भीम प्रसाद सोनकर--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की आलापुर तहसील के भवन का निर्माण ग्राम पंचायत आलापुर की गाटा संख्या 131 व 132 में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या तहसील आलापुर का नाम बदल कर अम्बापुर कर दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी, हां ।

निर्माण सम्बन्धित आगणन/भवन के मानचित्र सहित प्रस्ताव राजस्व परिषद् से प्राप्त होने के पश्चात् धन की उपलब्धता की दशा में वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

जी नहीं ।

जनपद चम्पावत के देवीधुरा में स्थित वाराही के मन्दिर कमेटी को आर्थिक संरक्षण देने की मांग

106—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि नवसृजित जिला चम्पावत के देवीधुरा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णमासी को वाराही के मन्दिर परिसर में महाभारत कालीन "पाषाण युद्ध" आज भी मेले का मुख्य आकर्षण है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेहतर सुरक्षा प्रबन्ध कर "मन्दिर" कमेटी को आर्थिक संरक्षण प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान—

जी हां ।

मेले में सुरक्षा व्यवस्था हेतु राजस्व पुलिस तथा रेगूलर पुलिस की समुचित व्यवस्था की जाती है । मेले की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जाती है । "मन्दिर" कमेटी को आर्थिक संरक्षण दिये जाने की कोई व्यवस्था आय-व्ययक में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार की रुड़की तहसील के ग्राम हरिपुर टोगिया के लगभग तीन हजार व्यक्तियों को चुनाव से वंचित रखने का आरोप

107—श्री जगदीश सिंह राणा—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम हरिपुर टोगिया के लगभग तीन हजार निवासियों को पंचायत चुनाव मताधिकार से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री धर्मपाल सिंह—

ग्राम हरिपुर टोगिया जनपद हरिद्वार में राजस्व ग्राम नहीं है जिसके कारण इसे रुड़की तहसील की किसी ग्राम पंचायत में सरकारी गजट, 1995 में सम्मिलित नहीं किया गया है । हरिपुर टोगिया फारेस्ट क्षेत्र का एक ग्राम है । किसी ग्राम पंचायत में सम्मिलित न होने के कारण हरिपुर टोगिया के निवासी पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके हैं ।

जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम हरिपुर टोगिया के नागरिकों को अपनी ही भूमि पर आवास निर्माण का अधिकार न देने का आरोप

108—श्री जगदीश सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के ग्राम हरिपुर टोगिया के नागरिकों को अपनी ही आवासीय भूमि पर पक्का मकान बनाने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में कराये गये निर्माण कार्यों का मानक

109—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में कितने मार्गों का निर्माण कराया गया तथा कितने मार्ग प्रस्तावित हैं ? उपरोक्त सभी मार्गों के निर्माण के लिए कितना धन उपरोक्त वर्षवार स्वीकृत हुआ है ? क्या निर्माण कार्य मानक के अनुरूप हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में मंडी परिषद् द्वारा वर्ष 1994-95 में शून्य, वर्ष 1995-96 में 2 नग, तथा वर्ष 1996-97 में शून्य मार्गों का निर्माण कराया गया ।

7 नग मार्ग प्रस्तावित हैं ?

वर्ष 1995-96 में रु0 8.35 लाख तथा वर्ष 1996-97 रु0 7.12 लाख

कुल रु0 15.47 लाख स्वीकृत किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में ग्राम पंचायत खपटिया खुर्द में प्रधान के विरुद्ध फर्जी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर उत्पीड़न करने का आरोप

110—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में ग्राम पंचायत खपटिया खुर्द के प्रधान के विरुद्ध माह फरवरी, मार्च में अविश्वास प्रस्ताव की तिथि निश्चित की गयी थी ? क्या जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तिथि का निर्धारण उत्पीड़न करने की नियत से फर्जी हलफनामे के आधार पर किया गया था ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा जिन सदस्यों के नाम हलफनामों में सम्मिलित किये गये थे उन्होंने प्रधान के पक्ष में मत प्रदान किया था ? यदि हां, तो धन उगाही की नियत से प्रधानों का उत्पीड़न करने वाले उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां ।

अविश्वास प्रस्ताव हेतु 31-3-98 की तिथि निर्धारित थी ।

जी नहीं ।

मतदान की कार्यवाही गुप्त होने के कारण यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111--श्री महेन्द्र प्रताप सिंह--

5 वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

112--डा0 कौशल किशोर--

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त ।

नवीन कृषि मण्डी रुड़की, जिला हरिद्वार का निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

113--श्री राम सिंह सैनी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन कृषि मण्डी रुड़की, जिला हरिद्वार का निर्माण कार्य समय से पूरा न होने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के कौन अधिकारी दोषी हैं । उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

धन्यवाद ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है । क्योंकि वर्तमान में मण्डी समिति । रुड़की रु0 153.98 लाख से ऋणात्मक है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड बेहजम में कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा नीति के विरुद्ध भूमि पर पंचायत भवनों का निर्माण कराकर निजी प्रयोग करने के विरुद्ध जांच की मांग

114--श्री मोती लाल पेलवी--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी विकास खंड बेहजम के ग्राम मुड़ा बुजुर्ग व गठना बुजुर्ग आदि कई ग्रामों में सरकारी नीति के विरुद्ध ग्राम प्रधानों द्वारा अन्य भूमि में पंचायत भवनों का निर्माण इसी वर्ष 1998 में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित प्रधान उक्त भवनों का निजी प्रयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह--

ग्राम मुड़ाबुजुर्ग, विकास खंड बेहजम तथा ग्राम गठना बुजुर्ग विकास खंड लखीमपुर में स्थित हैं । दोनों ग्राम पंचायतों में गांव पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्र क्रमशः भू0 नं0 ख एवं 409 पर पंचायत भवन निर्मित कराया गया है, इसमें सरकारी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

दोनों पंचायत भवन प्रधान या अन्य व्यक्ति के निजी प्रयोग में नहीं हैं ।

चूंकि दोनों पंचायत भवनों के स्थल का समुचित समाधान है, इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में हुई राजस्व आय एवं व्यय प्रतिशत में वृद्धि की जानकारी

115--श्री अम्बरीष कुमार--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में राजस्व आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसी अवधि में व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

श्री विरेन्द्र सिरोही--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलरामपुर के उतरौला में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 15 जून, 1998 तक गबन में आरोपित एवं निलंबित संग्रह अमीनों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

116--श्री उबैदुर्रहमान--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील उतरौला में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 15-6-1998 के बीच में संग्रह अमीनों ने गबन किया था? यदि हां, तो कौन-कौन संग्रह अमीनों को निलम्बित किया गया और कौन-कौन आरोपित हैं? क्या सरकार आरोपित/निलम्बित कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां, दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 15 जून, 1998 तक तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर में अमीनों द्वारा गबन किये जाने का प्रकाश में आया।

श्री हसन सज्जाद व श्री त्रिवेनी प्रसाद, संग्रह अमीन आरोपित हैं, तथा इन दोनों को निलम्बित किया गया है।

जी हां, श्री हसन सज्जाद, संग्रह अमीन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20 सितम्बर, 1997 को दर्ज करायी गयी है तथा दोनों अमीनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमि संरक्षण विभाग की इकाइयों द्वारा किये गये वृक्षीकरण पर व्यय धन एवं कोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

117--श्री राम औतार शास्त्र--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा प्रदेश में किस क्षेत्रफल में वृक्षीकरण वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में किया गया? उसके अन्तर्गत कितना धन खर्च किया गया? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में रोपित किये गये पौधों में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं? क्या यह सच है कि इस योजना में वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है? किन-किन के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

भूमि संरक्षण, अनुभाग कृषि विभाग के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों की भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा प्रदेश में वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में क्रमशः 492.77 हेक्टेयर एवं 347.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खण्ड वनीकरण का कार्य विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराया गया है। उक्त कार्यों के अन्तर्गत 1996–97 एवं 1997–98 में क्रमशः धनराशि रु0 41.526 लाख एवं 19.557 लाख खर्च की गयी। उक्त योजना के अन्तर्गत दर्शायी गयी अवधि में रोपित किये गये पौधों में लगभग 63 प्रतिशत पौधे जीवित है।

जी नहीं, योजना में वांछित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न हीं नही उठता है।

प्रश्न ही नही उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में जनधन की हानि से प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता के भौतिक सत्यापन की मांग

118—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में 1 जनवरी, 1997 से 15 जून, 1998 के बीच में किस-किस ग्राम सभा में किन-किन व्यक्तियों के घरों एवं जानवरों की क्षति आग से हुई? क्या सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रभावित व्यक्तियों को कोई सहायता में प्रदान की गयी? यदि हां, तो क्या? क्या तमाम पीड़ित व्यक्तियों का नाम छोड़ दिया गया है? क्या सरकार शासन स्तर से कोई दल भेजकर तहसील की सूचना का भौतिक सत्यापन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलरामपुर में किसान जोत बही एक समय सीमा के अन्तर्गत शत-प्रतिशत वितरित करने की मांग

119—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने तथा मुख्य मंत्री जी ने 30 सितम्बर, 1997 से 15 जून, 1998 के बीच में समस्त जिलाधिकारियों को यह शासनादेश निर्गत किया है कि किसान जोत बही एक समय सीमा के अन्तर्गत वितरित कर दी जाय? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में किसान जोत बही शत प्रतिशत वितरित कर दी गई है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां।

प्रश्न का शेष भाग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

न्यायालय परगनाधिकारी, सदर प्रतापगढ़ द्वारा निस्तारित ग्राम सभा के खाते में दर्ज भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाने एवं पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने की मांग

120—श्री उदयराज यादव—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय परगनाधिकारी, सदर प्रतापगढ़ ने वाद संख्या—175/एल (1) धारा 166/167 ज0 वि0 ग्राम राजापुर रौनिया क्षेत्र सं0—651 में दिनांक 20 जनवरी, 1993 को यह निर्णय किया था कि उक्त ग्राम के क्षेत्र सं0—651 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा 7 धुर नोहर पुत्र मातादीन के नाम से निरस्त कर ग्राम सभा के खाते में दर्ज की जाय और उक्त क्षेत्र संख्या—651 पर काबिज श्री सूर्य नारायण सिंह पुत्र श्री शिवनायक सिंह के विरुद्ध मा0 सं0 वि0 की धारा 193 व 199 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर श्री सूर्य नारायण सिंह पुत्र श्री शिव नायक सिंह आज भी काबिज हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त ग्राम सभा में दर्ज भूमि को पात्र व्यक्तियों में आवंटित किये जाने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह तिरोही—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण का वाद सं0 4 ए/एक है एवं निर्णय दिनांक 28-9-1993 का है, स्थलीय जांच कराई गई । जांच में श्री सूर्य नारायण सिंह का कब्जा नहीं पाया गया है । प्रश्नगत वाद में बहस हेतु दिनांक 20 जुलाई, 1998 नियत है । वाद विचाराधीन होने की दशा में ग्राम सभा में दर्ज भूमि को आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ की मधुबन तहसील के ग्राम ककराडीह में निर्मित मछुआ आवास का आवंटन

121—श्री छोटेलाल राजभर—

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ककराडीह तहसील मधुबन जनपद मऊ के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्मित मछुआ आवास का आवंटन सहायक निदेशक मत्स्य मऊ द्वारा कितने पात्र व्यक्तियों को किया गया है ? क्या पात्र व्यक्ति अलग-अलग परिवार के हैं ? यदि नहीं तो इससे सम्बन्धित दोषी अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद—

ग्राम ककराडीह तहसील मधुबन, जनपद मऊ के अन्तर्गत निर्मित मछुवा आवास का आवंटन 50 पात्र व्यक्तियों को किया गया है । पात्र व्यक्तियों का चयन शासन की मंशा के अनुरूप निर्बल एवं आवास हीन मछुवा समुदाय के व्यक्तियों से मध्य ग्राम सभा की खुली बैठक में दिनांक 25 दिसम्बर, 1993 को किया गया, जिसे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित/अग्रसारित किया गया है ।

जी, हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला उद्योग केन्द्र गोण्डा द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धन के वितरण की जांच की मांग

122—श्री राम विशुन आजाद—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र, गोण्डा से प्रधान मंत्री रोजगार योजना में वर्ष 1996 से 1998 मार्च तक किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया और कितना धन बैंक द्वारा वितरित किया गया ? क्या यह सही है कि कितना ऋण आवेदन पत्र के धन स्वीकृत हुए हैं और बैंक द्वारा धन वितरित भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0—

जिला उद्योग केन्द्र, गोण्डा से प्रधान मंत्री रोजगार योजना में वर्ष 1996 से 1998 मार्च तक कुल 1168 व्यक्तियों को रु0 660.53 लाख का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया तथा 464 व्यक्तियों को रु0 268.28 लाख का ऋण वितरित किया गया । अभीष्ट अवधि में जिन-जिन व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया उनकी सूची लघु उद्योग मंत्री कार्यालय में उपलब्ध है, जहां से देखा जा सकता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण विषयक विधायक श्री अफजाल अहमद के पत्र पर कृत कार्यवाही

123—श्री बांके लाल सोनकर—

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में 2 अप्रैल, 1998 को प्रभारी मंत्री श्रीराम सोनकर जी को उद्योग बन्धु की बैठक में विधायक श्री अफजाल अहमद ने उद्यमियों की समस्याओं के बारे में पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र में उठाई गई समस्याओं का निराकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम एम0 काम0—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के तहसील मोहन लालगंज के ग्राम माधोखेड़ा में थर्मोकोल फैक्ट्री की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

124—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के ग्राम माधोखेड़ा में थर्मोकोल फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गयी थी ? फैक्ट्री की स्थापना हेतु कुल कितनी भूमि किस-किस गाटा संख्या की अधिग्रहीत की गयी थी एवं उसका कुल रकबा कितना था ? क्या यह सही है कि फैक्ट्री द्वारा अधिग्रहीत भूमि का रकबा वर्तमान में वर्ष 1998 में अधिग्रहीत भूमि से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार फैक्ट्री की अधिग्रहीत भूमि की पैमाइश कराकर अनधिकृत रूप से कब्जे में ली गयी भूमि को मुक्त कराते हुए फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रश्नगत फैक्ट्री वर्ष 1989 में स्थापित की गयी थी।

प्रश्नगत फैक्ट्री की स्थापना हेतु भू0 सं0 1281 1282

0.6.5 0.14.8

1283 1284

कुल 4 गाटों

0.5.0 0.14.0

2.0.2 क्षेत्रफल भूमि पंजीकृत बैनामा द्वारा क्रय की गयी है।

जी नहीं।

खातेदार द्वारा पैमाइश हेतु नियमानुसार कोई आवेदन नहीं किया गया है। फिर भी स्थल पैमाइश करायी गयी जिसमें अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम माधोखेड़ा में स्थापित थर्मोकोल फैक्ट्री द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की भुगतान की मांग

125—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के ग्राम माधोखेड़ा के भूस्वामी की भूमि गाटा संख्या 219 रकबा 14 बिस्वा 5 बिस्वांसी में से कितनी भूमि थरमोकोल फैक्ट्री मोहनलालगंज के द्वारा अवैध रूप से बाउन्ड्रीवाल बनाकर वर्ष 1988 में अधिग्रहण कर ली गयी थी ? क्या सरकार उस फैक्ट्री के भूमि की पैमाइश कराकर फैक्ट्री द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहण की गयी भूमि को मुक्त कराते हुए फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध

कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गाटा संख्या 219 की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

ग्राम–माधोखेड़ा की भूमि–गाटा संख्या 219 रकबा 14 बिस्वा 5 बिस्वांसी का बैनामा सन्तराम व राम दुलारे, पुत्रगण पियारे ने दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को श्रीमती लक्ष्मी देवी, पत्नी महादेव प्रसाद के पक्ष में तथा पुनः उक्त खाते की 5 बिस्वा भूमि का बैनामा उक्त भूमि स्वामियों द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 1983 को श्री प्रकाश पुत्र जगन्नाथ प्रसाद के पक्ष में किया गया है । स्थानीय पैमाइश में फैक्ट्री मालिक द्वारा उक्त खातेदार की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया है । अतः फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि प्रश्नगत भूमि का उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण नहीं किया गया है और नहीं अतिक्रमण पाया गया है । अतः प्रतिकर भुगतान तथा अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर मे शास्त्री बाल विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, कृष्णानगर सोनारी के पास स्थित शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

126—श्री तेजभान सिंह--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री ब्रह्मादीन शुक्ला, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, शास्त्री बाल विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, कृष्णानगर सोनारी, सुल्तानपुर का दिनांक 2 मई, 1997 तथा 12 मई, 1997 को दिया गया प्रार्थना–पत्र जिसमें विद्यालय मन्दिर के पास शराब के ठेके की दुकान से होने वाली असुविधा के कारण दुकान अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस दुकान का स्थल बदल दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के प्रश्न में उल्लिखित प्रथम पत्र दिनांक 2 मई, 1997 के स्थान पर पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा द्वितीय पत्र दिनांक 12 मई, 1997 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्नगत देशी शराब की दुकान को सम्बन्धित स्कूल से 150 मीटर की दूरी पर नियमानुकूल स्थल पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स गंगवार इण्टरप्राइजेज, नवाबगंज, बरेली द्वारा निर्धारित दर पर बोरिंग कराने के विरुद्ध शिकायत

127—श्री छोटे लाल गंगवार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली व बदायूं को भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत बोरिंग के बाबत मे0 गंगवार इण्टर-प्राइजेज, नवाबगंज (बरेली) द्वारा दिनांक 14-2-96 व 7-3-96 को रजिस्टर्ड-पत्र के माध्यम से विस्तार से लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या मे0 गंगवार इण्टरप्राइजेज, नवाबगंज (बरेली) द्वारा दिये गये दरों से अधिक दरों पर बोरिंग कराये गये ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली को भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत बोरिंग के बाबत मे0 गंगवार इण्टर प्राइजेज, नवाबगंज, बरेली द्वारा दिनांक 14-2-96 एवं 7-3-96 को भेजे गये रजिस्टर्ड पत्र में से केवल एक पत्र दिनांक 14-1-96 प्राप्त हुआ था, जिसमें भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत बोरिंग के बाबत विस्तार से नहीं लिखा गया था ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, बदायूं को भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत बोरिंग के बाबत मे0 गंगवार इण्टरप्राइजेज, बरेली द्वारा दिनांक 14-2-96 व 7-3-96 का कोई रजिस्टर्ड-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली द्वारा मे0 गंगवार इण्टरप्राइजेज, नवाबगंज, बरेली से प्रति बोरिंग विस्तृत एस्टीमेट मांगे गये परन्तु मे0 गंगवार इण्टरप्राइजेज नवाबगंज, बरेली द्वारा बोरिंग के विस्तृत एस्टीमेट भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली को उपलब्ध नहीं कराये गये । अतः मे0 गंगवार इण्टरप्राइजेज, नवाबगंज, बरेली द्वारा दिये गये दरों से अधिक दरों पर बोरिंग कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जिला प्रशासन, जौनपुर द्वारा खेत मजदूर यूनियन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु दिये गये आश्वासन की पूर्ति की मांग

128—श्री राजेन्द्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर खेत मजदूर यूनियन ने दिनांक 9-9-97 से 27-12-97 तक विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धरना चलाया था और एक मांग-पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो खेत मजदूर यूनियन की मांगें क्या थीं ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 27-12-97 को जिला प्रशासन ने किन-किन मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था जिस पर धरना समाप्त किया गया ? क्या यह सही है कि आश्वासन की पूर्ति इन चार माह में न होने के कारण खेत मजदूर यूनियन ने पुनः 6-4-98 को पुनः उक्त मांग की है ? यदि हां, तो आश्वासन की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह तिरोही--

जी हां ।

उनके द्वारा उठायी गई मांगों की सूची संलग्न* है ।

मांग-पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में दिनांक 77-12-97 को धरना शाध्र उचित कार्यवाही के आश्वासन पर समाप्त कराया गया था ।

दिनांक 6-4-98 को खेत मजदूर यूनियन ने कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । मांग-पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं :

प्रश्नों एवं सदन की बैठक-मूचा के सम्बन्ध में उठाये गये

व्यवस्था के प्रश्न

श्री गोरखनाथ पाण्डेय --

माध्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने 25-5-98 को प्रश्न पूछा था जिसमें गेहूं के मुकाबले डबलरोटी की कीमत में असमानता है । डबलरोटी का उपयोग सामान्य जनजीवन से जुड़ा है । तो क्या डबलरोटी की कीमतें निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? डबलरोटी और गेहूं के मूल्य में असमानता है । इसको 12वें शुक्रवार के लिए तय किया गया है । यह सदन के बाद का समय तो इसको चर्चा के लिये रख लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप चर्चा के लिये लिखकर देंगे तो विचार कर लेंगे ।

श्री बाबू राम यादव--

जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका माननीय मंत्रीगण उत्तर सही नहीं देते हैं मैंने उद्योग मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो गलत उत्तर नहीं मिला । राम प्यारे जी ने कृषि मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो गलत उत्तर आया । आपने पूछा तो उसका भी उत्तर नहीं आया । माध्यवर, मेरा निवेदन है जब सभी मंत्रीगण निरुत्तर हो जाते हैं तब आप हम लोगों को तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं । तो मेरा कहना है कि आपको विद्वत्ता का लाभ हमें मिले ।

श्री अध्यक्ष--

सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि उत्तर नहीं देते हैं ।

श्री बाबू राम यादव--

माध्यवर, मेरा कहना तो यह है कि सत्ता पक्ष के लोग निरुत्तर होते हैं तो आप हम लोग को तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं । उनकी बात रह जाती है । हमें संरक्षण नहीं मिल पाता है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके सुझाव पर पूरा ध्यान दूंगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 204 पर ।

श्री बाबू राम यादव—

अगर सही उत्तर मंत्रीगण नहीं देते हैं तो आप हमारा संरक्षण करें और उधर देखकर मुस्कुरा दें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, बाबू राम जी को आपकी मुस्कान पर एतराज है । तो आप इधर देखकर ही मुस्कुरा लें हम उसका स्वागत करेंगे ।

श्री बद्दू प्रसाद—

मान्यवर, 23 जुलाई तक यह सदन चलना है । 23 जुलाई को सदन आफ हो जाना है । हमारे प्रश्न के उत्तर में अभी भी जवाब आ रहे हैं कि "सूचना एकत्र की जा रही है" । नियमानुसार यह व्यवस्था है कि पुनः 14 दिन बाद प्रश्न आयेगा । 14 दिन बाद सदन नहीं चलेगा तो हम भयभीत हैं । प्रश्नों के जवाब कैसे आयेंगे ? मान्यवर, आप इसमें हमें संरक्षण प्रदान करने का कष्ट करें और अपनी व्यवस्था भी देने का कष्ट करें ।

तो इसमें आपका हम संरक्षण चाहते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें शासन से उत्तर दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सम्बन्ध में शासन को एक परिपत्र भेज रहा हूं विधान सभा सचिवालय की ओर से जिसमें यह लिखा होता है कि सूचना एकत्र की जा रही है उसकी सूचना शीघ्र एकत्र की जाय जो प्रश्न आते हैं जिसमें छोटी-छोटी जिज्ञासाएं होती हैं तो यह बात ठीक नहीं है । इसलिए एक परिपत्र विधान सभा सचिवालय की ओर से भेजा जा रहा है ।

श्री कैलाश—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के हर जिले में खाद के गड्ढे और खलिहान.....

श्री अध्यक्ष—

यह विषय उठाने की मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । इसकी जानकारी नहीं मिलेगी । प्रश्नकाल समाप्त हो गया ।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी इस सदन में आने के लिए कोई निश्चित वेष-भूषा प्रेस्क्राइब्ड नहीं है । बावजूद इसके आपको पीठ से इसके पूर्व भी निर्देश हो चुका है और किसी माननीय सदस्य को इंगित करने का अधिकार दूसरे सदस्य को नहीं है । इसलिए अपने अधिकारों का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता । लेकिन यह आवश्यक है कि सदन में जो शोभनीय हो ऐसी वेश-भूषा होनी चाहिए । आप यदि उचित समझें तो व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में बैठक में विचार कर लेंगे ।

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय, हम जो प्रश्न लगाते हैं वह अतारांकित हो जाता है : एक भी तारांकित प्रश्न हमारा नहीं आया है । हम महिलाएं हैं तो कम से कम इसका आरक्षण तो हमें मिले ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से इलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गयीं जिसमें से सातवीं सूचना के माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण प्रतीक्षा सूची से पहले नम्बर की सूचना जो कि श्री जगदीश नारायण राय की है को लिया जाता है ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी परिषद् द्वारा पेय जल हेतु लगाये गये हैण्डपम्प की खरीद में की गई कथित धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामसेवक सिंह--

[महोदय, आपका ध्यान जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र के राठ में उ0 प्र0 कृषि मण्डी परिषद् द्वारा लगभग 6 माह पूर्व जो पेय जल हेतु हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, उन हैण्ड पम्पों में लगभग 90% हैण्ड पम्प खराब हैं । जिससे गांव वाले कुओं नदी नालों तालाबों का पानी पीकर बीमार हो रहे हैं । इन हैण्ड पम्पों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया तथा खरीद में व्यापक रूप से धांधली की गई है । इन हैण्ड पम्पों को कम गहराई में लगाकर अधिक गहराई में लगाने का टेग में लिखा गया है । अतः किसी उच्च तकनीकी अधिकारी द्वारा लगे हैण्ड पम्पों की जांच कराई जाय और इन हैण्ड पम्पों को अविलम्ब ठीक कराया जाय ताकि लोग उत्पन्न होने वाली बीमारी से बच सकें ।]

जनपद फैजाबाद स्थित चौक घंटाघर में स्टार होटल में दिनांक 4 जुलाई को हुई बम विस्फोट की घटना की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद--

[महोदय, मैं जनपद फैजाबाद स्थित चौक घटाघर में स्थित स्टार होटल में दिनांक 4 जुलाई, रात्रि 9 बजे बम विस्फोट के सम्बन्ध में सूचना देते हुए माननीय सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस घटना के माध्यम से पूरे नगर में और जनपद में व्यापारियों और जनसामान्य में भय और असुरक्षा का वातावरण तो व्याप्त हो गया है, अल्प संख्यक समुदाय के लोग काफी सहमे हुए हैं क्योंकि यह होटल वर्ष 1938 से चल रहा है, इसकी अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतिष्ठा है । होटल के मालिक मोहम्मद अहमद सदर। टाउन एरिया, जो मेरे क्षेत्र में आता है, के चेयरमैन हैं । इस बम विस्फोट से तीन चार लोगों को गम्भीर चोटें आयीं हैं । आज से अस्पताल में 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस बम विस्फोट में कोई पता नहीं लगा पायी है, उल्टे दिनांक 13 जुलाई, 1998 चौक लोरिया मण्डी उपरोक्त होटल मालिक को स्थानीय पुलिस चौकी, चौक के प्रभारी ने दिन को 11 बजे बुलाया और बुलाकर कहा, 24 घंटे के अन्दर मुलजमान को पता लगाकर नहीं बताया तो ऐसी मार मारूंगा कि जिन्दगी भर याद रखोगे । मारते-मारते बेहोश कर दूंगा श्रीमन् यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस तरह के कृत्य से लोगों में काफी रोष व्याप्त है । सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना पर तत्काल कार्यवाही की जाय ।]

जनपद कानपुर देहात के मौजा सन्दलपुर में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शंकर पाल--

[महोदय, उपरोक्त जनपद कानपुर देहात की वर्तमान तहसील सिकन्दरा पूर्व डेरापुर के मौजा सन्दलपुर में जिला योजना द्वारा वर्ष 1986-87 में सड़क निर्माण स्वीकृत किया गया था । श्री बालक राम पाल व रामनाथ पाल पुत्रगण श्री लालता प्रसाद पाल निवासीगण बिल्हपुर कला की भूमि संख्या 490, 493, 494, 503, का रकबा अधिग्रहीत किया गया, जिसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया । पीड़ित उपरोक्त कृषकों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की । मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 1997 को याचिका कर्ताओं को मुआवजा दिये जाने के सरकार (लो0नि0वि0) को आदेश दिये । प्रमुख सचिव लो0 नि0 वि0 तथा जिलाधिकारी कानपुर देहात तथा मुख्य अभियन्ता कानपुर लो0 नि0 वि0 ने भी अधिशासी अभियन्ता कानपुर देहात को किसानों को प्रतिकर भुगतान के आदेश दिये जाने के बावजूद भी प्रतिकर का भुगतान न होने से किसान मुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें ।]

अम्बेडकर नगर के कटेहरी क्षेत्रान्तर्गत पहितीपुर से मंशापुर तक मार्ग को लेपन स्तर तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मराज निषाद--

[महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र-कटेहरी, जनपद अम्बेडकर नगर में पहितीपुर से मंशापुर तक सड़क पिछले कई वर्षों से लेपन का कार्य कराने के लिए

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शुरू किया गया था लेकिन आज तक केवल एक कोड गिट्टी डालकर कार्य को रोक दिया गया है यह कार्य लोक निर्माण से कराया जा रहा है । उक्त सड़क से जनता को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे क्षेत्र की जनता को इस सड़क के प्रति असन्तोष व्याप्त है । अतः इस लोक महत्व के अति अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान इस लिए आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उपरोक्त मार्गों के निर्माण का कार्य शीघ्र कराने का कष्ट करें ।]

उत्तर प्रदेश के कतिपय अस्पतालों में स्वीकृत सी0 टी0 स्केन मशीनों को लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 बकार अहमद शाह--

[महोदय, उ0 प्र0 की राजधानी में वर्ष 1994-95 एवं 95-96 में तीन अस्पताल क्रमशः डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल में मेमोरियल अस्पताल लखनऊ बलराम अस्पताल लखनऊ और देहरादून अस्पताल में सी0 टी0 स्केन की मशीन लगाने हेतु टेण्डर अधिकृत किये गये थे । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति ने मई 1998 में प्रस्तुत कर दी, सी0 एम0 एस0 डी0, डी0 जी0 दोनों मिटिंग व एच0 पी0 सी0 की मिटिंग भी काफी पहले हो चुकी थी, परन्तु यह महत्वपूर्ण कार्य अभी तक नहीं हो सका । पता चला है कि एक कम्पनी जिसको विशेषज्ञों की समिति ने निरस्त कर दिया था वह अपने धनबल के कारण इस कार्य को सम्पन्न होने में देर कर रही है । कारण रहे कि मशीन न होने के कारण मरीजों को डाक्टर बाहर से सी0 टी0 स्केन कराने के लिए रिफर करते हैं । जिसमें मरीजों का 1800 रुपये से 3600 रुपया तक खर्च होता है । इस खर्चे में रिफर करने वाले डाक्टर को भी प्राइवेट मशीन वाले 500 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक देते हैं । इस समय इन मशीनों के दाम भी काफी बढ़ गये हैं जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । अतः अभी तक मशीनें न लगाने के कारणों की जांच कराई जाय और तत्काल मशीन लगवाने की व्यवस्था की जाय । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं । साथ ही साथ तीनों अस्पतालों में तत्काल सी0 टी0 स्केन मशीन लगवाना सुनिश्चित करें]

जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्रान्तर्गत एरच घाट पर बेतवा नदी के सेतु पर टोल टैक्स वसूली के नाम पर किसानों तथा आम नागरिकों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रपाल सिंह--

महोदय जनपद झांसी के गरौठा तहसील के अन्तर्गत एरच घाट बेतवा नदी के सेतु पर टोल टैक्स वसूली के नाम पर किसानों तथा आम नागरिकों से अवैध वसूली का सिलसिला जारी है शासनादेश द्वारा टोल टैक्स वसूली पर दरें निर्धारित की

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गई है । जिसमें किसानों के ट्रैक्टर पर कोई दलाली नहीं की जाती है । परन्तु असामाजिक तत्वों के द्वारा सैरियर पर किसानों को रोककर पैसा वसूला जाता है । और प्रतिरोध करने पर मारपीट की जाती है ऐसी घटनायें रोजाना घट रही हैं जिला प्रशासन द्वारा इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इन घटनाओं से पूरे क्षेत्र में किसानों एवं आम नागरिकों में भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ है । अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों एवं आम नागरिकों का उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग करता हूं ।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा जौनपुर के डी0 सी0 एल0 एकाउन्ट से रोकी गई धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)—

[महोदय, जनपद जौनपुर में जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क मद में प्रस्ताव द्वारा आवंटित धनराशि के आधार पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा जौनपुर कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती है । लगभग एक वर्ष से एक करोड़ के आस-पास की धन राशि विभाग के डी0 सी0 एल0 एकाउन्ट में रोक दी गयी है जिससे कार्य अधूरे हैं मेरे क्षेत्र सुरालसी में भी लगभग 50 लाख का कार्य होना शेष है यदि शीघ्र यह धन अवमुक्त न हुआ तो पहले के अधूरे किये गये कार्य बेकार हो जायेंगे । अतः इस लोक महत्व के विषय पर माननीय मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई का ध्यान आकर्षित करता हूं । विभागीय डी0 सी0 एल0 एकाउन्ट से रोकी गयी धनराशि अवमुक्त कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता हूं ।]

श्री अध्यक्ष—

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं आयी थी उनके नाम इस प्रकार हैं—श्री अफजाल अहमद, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री नरेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री परवेज हलीम, श्री बच्चू लाल श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री कैलाश यादव, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री अरविन्द गिरि, श्री चन्द्रनाथ सिंह श्री ददबू प्रसाद, श्री सतेज चन्द्र सोनकर, श्री बाबुलाल कुशवाहा, श्री राजधारी, श्री राम लक्षण, श्री उदय राज यादव, श्री हरदेव सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री भोला शंकर वर्मा, श्री आर0 के0 चौधरी एवं श्रीविजय पाल सिंह ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई जी की है ।

प्रश्नों को कार्यसूची में सूचीबद्ध किये जाने में निर्धारित सीमा का पालन न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई—

माध्यवर, मैं अपनी सूचना के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 29 तथा 30 की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, हम जो अल्पसूचित/तारांकित और अतारांकित प्रश्न देते हैं। उसकी स्वीकृति शासन को भेजने, शासन से उत्तर प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित है। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। अल्पसूचित प्रश्न के लिए माननीय अध्यक्ष की आज्ञा एक दिन तथा दो दिन उत्तर हेतु शासन का समय निर्धारित है। तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न हेतु 5 दिन माननीय अध्यक्ष की अनुमति तथा 15 दिन का पूर्व समय प्रश्नों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित है। लेकिन माननीय, आज कार्यसूची में देखें, 24 अप्रैल, 1998, 25 अप्रैल, 1998, 6 मई, 1998, 14 मई, 1998 को जो प्रश्न प्राप्त हुए वह 4 जून, 1998 को भेजे गये। इसी तरह से 27 मई, 1998 व 29 मई, 1988 को जो प्राप्त हुए 10 जून, 1998 को भेजे गये। इसी तरह से जो 27 मई, 1998, 29 मई, 1998 को प्रश्न प्राप्त हुए, वह सरकार को 10 जून, 1998 को भेजे गये नत्थी "क" में 4व 5 जून, को प्राप्त प्रश्न 10 जून को सरकार को भेजे गये।

माननीय, शासन के उत्तर आने में लम्बा समय लग रहा है। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो प्रश्नों के उत्तर के लिए नियमों में समय सीमा है उसके भीतर उत्तर आने लगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का परीक्षण करके उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर शासन को भेजने तथा शासन से उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें सूचीबद्ध किये जाने में विहित समय सीमा का पालन न हो पाने की शिकायत मुझे पहले भी प्राप्त हुई है। मेरे सचिवालय में आवश्यक कर्मचारियों आदि की कमी है। मैं इस सम्बन्ध में संसदीय कार्यमंत्री जी से विचारविमर्श कर लूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इस शिकायत को दूर कर दूं। इसी के साथ इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं।

सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निदर्शनी में विधान-सभा सचिवालय को कोई स्थान न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अगली सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी की है। श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

माननीय, यह सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना निदर्शनी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दिनांक 10 जुलाई, 1998 को नियम 56 के अन्तर्गत अभि-सूचित बाढ़ से सम्बन्धित सूचना का माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अगली सूचना श्री विनोद मणि तिवारी जी की है ।

*श्री विनोद मणि—

माध्यवर, दिनांक 10 जुलाई, 1998 को नियम 56 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी जो पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में थी ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर एक घण्टे की चर्चा लगी हुई है ।

श्री विनोद मणि—

माध्यवर, मुझे प्राथमिकता पर सुनने के बाद अध्यक्ष पीठ ने निर्देश दिया लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उसका बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया । यह हमारे अधिकारों का हनन है । लोक महत्व के प्रश्न का संज्ञान न लेना नियमों का उल्लंघन है । माध्यवर, आप उस दिन की कार्यवाही को देख लें ।

माध्यवर, 10 तारीख की कार्यवाही देख लें, प्राथमिकता पर सुनने के बाद पूर्वांचल के लोक महत्व और जन-जीवन के जड़ सवाल पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान न लेना एक गम्भीर बात है और नियमों का उल्लंघन है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई माननीय सदस्य शासन के संज्ञान में कोई बात ले आते हैं तो उस पर उत्तर की अपेक्षा की जाती है ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (*श्री हुकुम सिंह)—

माध्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया था चूंकि उसी जनपद के रहने वाले माननीय राज्य मंत्री यहां उपस्थित थे, उन्होंने उस पर कहा था, आप कार्य-वाही निकलवा कर देख लें, मैंने जानबूझ कर चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि राज्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे । और कुछ कहा भी था. विषय से सम्बन्धित माध्यवर, में संज्ञान में ले लूं, या कोई मंत्री संज्ञान में ले । यह कोई नियम ऐसा नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दें । जब शासन के द्वारा संज्ञान में ले लिया गया और उसका उत्तर दे दिया गया तो फिर कोई बात नहीं रह जाती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आज इस पर एक घण्टे की चर्चा निर्धारित है । मैं, इसे अग्राह्य करता हूं । मद संख्या तीन, चार, पांच और छः में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, तथा संसदीय कार्य मंत्री (*श्री हुकुम सिंह)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दिनांक 20-7-1998 को उ0 प्र0 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुनः स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 जुलाई, 1998 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें श्लोका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव--

माननीय, कल के उपवेशन में कार्य-स्थगन की सूचना पर जिसमें पिछली 13 तारीख से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टैम्पों की हड़ताल से समस्त जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, मैंने इस पर सूचना दी थी । इस हड़ताल से केवल राजधानी में रहने वाले लोग ही नहीं तबाह हो रहे हैं, बल्कि विभिन्न जिलों से लखनऊ आने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि कल सूचना दे दीजियेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव--

माननीय, कल आपने कहा था कि मैं इसे चयनित कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना श्लोका में नहीं आ पाई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय, आपने प्राथमिकता की बात कही थी, श्लाका की बात नहीं कही थी ।

*श्री जगदम्बिका पाल—

माननीय, चयनित कर लेने की बात थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा था कि चयनित कर लूंगा, मैं कार्यवाही निकलवा लेता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय, आपने कहा था कि दुबारा सूचना दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना श्लाका में नहीं आ पाई ।

*श्री जगदम्बिका पाल—

माननीय, उसे कल ले लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—

कल आप सूचना दीजिए ।

नियम 56 के अन्तर्गत पहली सूचना प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर कथित रूप से गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस विषय पर लगभग 8 सूचनायें आई हैं । और 30 से अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । दूसरा सूचना श्री बबलू प्रसाद और श्री अर0 के0 सिंह पटेल की जनपद छत्रपतिशाहूजी महाराज नगर की थाना कोतवाली कर्बी के कोतवाल द्वारा एक दलित का अपहरण कर जाने से मार देने अथवा बन्धक बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, और इसी विषय पर कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेई, श्री अम्बरीश कुमार, श्री मुन्ना चौहान तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट की प्रदेश में विशेष रूप से जनपद मिर्जापुर एवं आजमगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों तथा अराजक तत्वों द्वारा नागरिकों पर उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री भोला शंकर मौर्य की जनपद एटा की कोतवाली कासगंज के अन्तर्गत ग्राम वाहिदपुर खालसा में अराजक तत्वों द्वारा दलितों का लूटपाट कर उत्पीड़ित किये जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है और पांचवीं सूचना श्री अकबर हुसैन की जनपद मुरादाबाद में मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद द्वारा फर्जी कागज दिये जाने के बावजूद सी0 एम0 एस0 मेडिकल कालेज के नाम से मेडिकल कालेज चलाये जाने से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के सम्बन्ध में । इन 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । इनमें पहली सूचना जो है इसमें 30 से अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । इस पर मैं यह चाहता हूं कि कल इस पर चर्चा करा ली जाय, अगर सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो कल बजट के पहले इस पर चर्चा करा ली जाय । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, इस पर चर्चा करा लेता हूं । कल विभागीय मंत्री रहेंगे, सारी बात सदन के सामने आ जायगी । मैं इस पर एक घंटे की चर्चा निर्धारित करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री प्रमोद कुमार--

माध्यवर, इसे सोमवार को रख लें ।

नेता विरोधी दल (*श्री बनी राम वर्मा)--

माध्यवर, सोमवार को रख लिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार--

इसको आप प्रश्नकाल के तत्काल बाद रख दें और बजट से पहले ।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार को बजट के पहले एक घण्टे की चर्चा मैंने निर्धारित कर दी है ।

श्री प्रमोद कुमार--

माध्यवर, एक घण्टा कम रहेगा, दो घण्टे का समय कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार को अन्य कोई चर्चा न रखी जाय, तब तो दो घण्टा हो सकता है, वैसे एक घन्टा पर्याप्त है ।

श्री प्रमोद कुमार--

लखनऊ विकास प्राधिकरण का डायरेक्टर भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाना जरूरी है, गरीबों के घर गिराये जा रहे हैं ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही चर्चा स्वीकार कर ली है, सोमवार को सारी बात आ जायेगी । माननीय नेता विपक्ष भी सोमवार के लिये तैयार हैं, नेता कांग्रेस भी तैयार हैं ।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहिये । आप लोगों का सुझाव था, मैंने स्वीकार कर लिया ।

श्री बनारसी वर्मा--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि आपने सोमवार के लिये चर्चा लगा दी है, तब तक के लिये तोड़फोड़ की कार्यवाही रोक दी जाय जिससे और कोई गम्भीर मसला पैदा न हो जाय । दूसरी बात, यह विषय बहुत गम्भीर है इसलिये एक घन्टा के बजाय दो घन्टा का समय कर दें ।

श्री प्रमोद कुमार--

माध्यवर, यह अतिक्रमण अभियान नहीं है, भ्रष्टाचार अभियान है, इस अधिकारी को वहां से हटा दें अन्यथा वह सोमवार तक अभिलेख परिवर्तित कर देगा, वह कागज न देखने पाये, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, मैं आपके पास भेज सकता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात आ गयी है ।

*श्री शिवपाल सिंह यादव--

(बहुत से कागजों की फोटोस्टेट प्रतियां दिखाते हुए) माननीय, सोमवार तक यहां के बी० सी० को वहां न आने दें । वहां पर भी यह बी० सी० रहे हैं भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जब चर्चा होगी तब आप अपनी बात रख लें । सोमवार को अपनी बात कह लें ।

पंचायत मनोरंजन कर स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री *(श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी संख्या में इस सूचना पर हस्ताक्षर थे और आपने कृपापूर्वक अपने चैम्बर में निर्णय लेकर 1 घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली ।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय, दो घण्टे की ।

श्री अध्यक्ष--

आवश्यकता पड़ेगी तो समय बढ़ा दिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह--

इसके बाद भी कुछ माननीय सदस्यों ने उतावलापन दिखाया । जब निर्णय हो गया था और चर्चा स्वीकार हो गयी थी । इसके बाद भी इस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं । जो अधिकारी यहां पर नहीं हैं उनके बारे में कहा जा सकता है, उन सारे आरोपों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार--

कार्यवाही से कैसे निकाल दिया जायेगा ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और सदन के बेल में आ गये ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) मैं सदन को 1.15 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 की पहली सूचना पर मैंने निर्देश दे दिया कि सोमवार को बजट के पहले एक घण्टा चर्चा होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, मन्त्री (श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")—

माननीय, अभी सदन में जिस तरह से उत्तेजना प्रकट कर दी गई मैं समझता हूं कि इस बात से हम सभी को दुख है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों और नेता विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि आगे इस तरह की स्थिति न उत्पन्न होने पाये इसमें सावधानी बरती जाये। इसका निवारण करने का उपाय विपक्ष की तरफ से निश्चित रूप से होना चाहिये जिससे सद्भावना का वातावरण बना रहे।

श्री अध्यक्ष—

दोनों पक्षों की ओर से सहयोग और सद्भावना होनी चाहिये।

*श्री अम्बिका चौधरी—

अग्रेय हरी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं उन्होंने गम्भीरता से जो बात कही है उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिये। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्ष की बात कही, उत्तेजना होने में अधिक योगदान सत्तापक्ष के लोगों का है। वह उत्तेजना न पैदा करते तो यह परिस्थिति उत्पन्न न होती। मेरा आग्रह है कि सत्तापक्ष उत्तेजना न पैदा करने का काम करे।

युवा कल्याण राज्य मन्त्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)—

माननीय हरीश जी ने बड़ी गम्भीरता से बात कही है। विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गये और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के पास पहुंच गये इस सारी घटना के प्रति नेता प्रतिपक्ष को क्षमा मांगनी चाहिये।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय, देखिये जानबूझ कर यह चीजें की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन में उत्तेजना न हो, सदन में गम्भीर विचार-विमर्श हो, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग होता रहा है और सभी का यह मानना है। इसमें क्षमा प्रार्थी की कोई बात नहीं है। अभी बात हो गई है। सदन की कार्यवाही आगे चलाना है। हृदय में महसूस कर लिया है तो शब्दों में प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात समाप्त हो गयी। मैंने चर्चा सोमवार के लिये स्वीकार कर ली है।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय, जब माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे थे उसके बाद में आपकी अनुमति से खड़ा हुआ और मेरा जो भी वक्तव्य था वह अंकित है, उसने अगर एक शब्द भी ऐसा है जिससे उत्तेजना होने का कारण बना हो, क्या संसदीय कार्यमन्त्री के रूप में या एक मन्त्री के रूप में या एक माननीय सदस्य के रूप में मुझे इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं शान्ति से कोई बात कह सकूं। माननीय, हम तो आधे-आधे घण्टे तक इनकी बात सुनते हैं तो हमको भी कुछ कहने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार है । वेल में आना माननीय सदस्यों का अधिकार है लेकिन मान्यवर, अगर इस आसन पर चढ़कर आना और मुझको हाथ दिखाना अगर यह बात सही है तो मुझे कुछ कहना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

सब लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह उचित नहीं था ।

श्री अमरमणि—

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिये नेता विपक्ष खेद व्यक्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, किसी की कोई मंशा नहीं थी, माननीय मुख्य मन्त्री जी की कुर्सी को खतरा हो सकता था लेकिन आपकी कुर्सी के लिये कोई खतरा नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मौर्य जी ने तो आमोद-प्रमोद की बात कही । मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि यहां आना और इस प्रकार का व्यवहार कर लेना और माननीय सदस्य एक बार भी खड़े होकर यह न कहे कि यह गलती थी और इसके लिये खेद व्यक्त करते । मान्यवर, अगर आप सन्तुष्ट हैं तो सारा सदन सन्तुष्ट है, मुझे इस पीठ में आस्था है । हम तो मर्यादा में बंधे हुये हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे लेकिन हमें इस बात के लिये विवश न किया जाये कि हम उन मर्यादाओं को पार कर जायें ।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, जब आपकी व्यवस्था आ गयी तो इसमें संसदीय कार्यमन्त्री जी [× × ×] की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा—

श्रीमन्, सदन के सभी माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य है कि सदन की कार्यवाही शान्तिमय ढंग से चले किसी भी ओर से उत्तेजना या कोई ऐसी बात सामने न आये जिससे सदन की मर्यादा को धक्का लगे, यह हम सब चाहते हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आता है कि अभी जो संसदीय कार्यमन्त्री जी ने कहा है कि उनके चेयर तक लोग पहुंच गये, मैंने स्वयं अपने लोगों को रोका । मैं नहीं जानता कि कौन सा आदमी वहां पहुंच गया ।

अगर यह हुआ है तो गलत है । यह नहीं होना चाहिये । हम वेल में आकर पीठ की ओर मुंह करके अपनी बात कह सकते हैं लेकिन सरकार की तरफ मुंह करके या किसी मन्त्री की तरफ मुंह करके या किसी सदस्य की ओर मुंह करके बात नहीं कहनी चाहिये । अगर ऐसा हुआ है तो गलत है । मेरी स्वयं की जानकारी में तो ऐसा नहीं है लेकिन अगर हुआ है तो गलत है । मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के यही अपेक्षा करता हूं कि इस तरह की बात भविष्य में न आये जिससे आपस में कटुता पैदा हो ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ—

अध्यक्ष जी आप स्वयं इस पूरे वृत्तान्त के प्रत्यक्षदर्शी और साक्षी रहे हैं । यदि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इस सदन में स्वविवेक से कह दें । मैं स्पष्ट

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रूप से कहना चाहता हूं कि उनके साथ दो सम्मानित मन्त्री भी सदन के थे अगर माननीय संसदीय कार्यमन्त्री के प्रति कोई दुर्व्यवहार की बात मैंने की है, या कोई शब्द मैंने उत्तेजना का कहा है तो मैं सदन से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—

त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को यहीं पटाक्षेप किया जाये । जिस तरह से यह अधिवेशन अब तक चला है और माननीय सदस्यों ने उसमें डिबेट में भाग लिया है उसे बरकरार रखा जाये । हम एक अच्छी परम्परा की तरफ अग्रसर हैं इस प्रकरण का यहां पटाक्षेप किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन को चलाने में अपना-अपना सहयोग दें ।

वन मन्त्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत लम्बे समय से सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है । मैं दो-तीन बातों की तरफ अनुरोध करना चाहता हूं । स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष की ओर से जो कुछ बातें कही जाती हैं वह कुछ माननीय सदस्यों के कानों को अच्छा न लगें । उनको बेल में आने की आदत है । मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम पूरी गरिमा में बंधे हैं । इनकी हर बातों को सुनने के लिये तैयार हैं । हमने यहां तक सुना है चाहे सदन का कार्यवाही निकाल कर देख ली जाये । अधिकारियों की तारीफ होता है और हम लोगों की निन्दा होता है । तब भी सुनते रहते हैं किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी मन्त्री की मेज पर कागज रखे । श्री अवस्थी जो यहां उत्तेजना में आये और उन्होंने संसदीय कार्यमन्त्री की सीट पर कागज रखा । यह अवमानना नहीं तो और क्या है, यह धमकी नहीं तो और क्या है । जो आचरण इन्होंने किया है उसके लिये इन्हें खेद व्यक्त करना चाहिये ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह उम्मीद जरूर कर रहा था कि अवस्थी जी कहेंगे कि अगर मेरे किसी आचरण से किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिये खेद है । उन्होंने कहा "मैंने किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया" ।

*श्री बादूराम यादव—

मान्यवर, इस सदन को चलाने में संसदीय कार्यमन्त्री की भूमिका अग्रणी होती है । सदन सामान्य रूप से चले इसका बहुत सारा जिम्मेदारी संसदीय कार्य मन्त्री पर है हम सब का भी संसदीय कार्य मन्त्री जी का सम्मान करना चाहिये । हम सब करते भी हैं । हमें बेल में जाने का अधिकार है यह कहना ठीक नहीं है बल्कि हमें कभी कभी मजबूर किया जाता है बेल में जाने के लिये । हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता । मेरा संसदीय कार्यमन्त्री जी से प्रार्थना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वैसे तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी बहुत गम्भीर हैं परन्तु वह और विशाल हृदय बनें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी ने केवल एक ही बात कही थी जो कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं थी ।

श्री बाबू राम यादव--

वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी, श्री अवस्थी जी तो इतने शिष्ट सदस्य हैं, उनके मुकाबले दूसरा कोई सदस्य सत्ता पक्ष में नहीं है । यदि कोई बात उन्होंने ऊंचा आवाज में कह दी तो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को विचलित नहीं होना चाहिये । आपका पद बड़ा है, गरिमामय है, यदि आप विशाल हृदय के साथ सदन का संचालन करेंगे तो आगे इस तरह के प्रकरण नहीं आयेंगे, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने जिस समय सदन स्थगित किया था, उस समय विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य मेरे अनुरोध को स्वीकार कर वापस अपने-अपने स्थान पर जा रहे थे और कुछ खड़े थे (परन्तु मुझ दुख हुआ) जिस उत्तेजना के साथ श्री अवस्थी जी आये, मुझे लगा कि सदन में हिंसा हो जायेगी । मेरा अनुरोध है कि सदन का वातावरण शुद्ध बनाया जाय, वैमनस्यता और दुर्भावना ना हो । हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है । मैं समझ रहा था कि श्री अवस्थी जी अपनी बात का स्वीकार कर लेंगे, अब वह नहीं कर रहे हैं । इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त किया जाय ।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

क्षमा मांगना या न मांगना, इसका कोई लाभ नहीं है जब तक कि हृदय से क्षमा न मांगी जाय । मैं अब दूसरी मद ले रहा हूं ।

श्री ददन्नू प्रसाद--

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न उठा रहा हूं । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से, इतिहास के क्रूर शासक पुष्य मित्र शुंग की तरह, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर उनको प्रताड़ित करने का अभियान चला रखा है । एक जुलाई को कर्वी के कोतवाल ने श्री राम किशोर पुत्र नन्हे को घर से उठा लिया और उसके 30 हजार रुपए भी लूट लिये और उसे पकड़कर ले गये । आज तक उस व्यक्ति का पता नहीं है कि उसे मार दिया गया है या लापता कर दिया गया है । पांच जुलाई को हमें खबर मिली हमने एस0 पी0 से टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिये राम किशोर को पकड़ा गया है ।

चन्द्र भान सिंह नाम का एक आदमी है उसके घर से पुलिस पकड़कर ले गई थी पूछ ताछ करने के लिये, यह हमको बताया गया है । परन्तु उसका अभी तक कहीं पता नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कहीं गायब कर दिया है या जान से मार दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चन्द्र भानु सिंह नाम का व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी का नेता है, बांदा जिले का रहने वाले हैं । 1 फरवरी 1995 को युवा कल्याण विभाग के कर्मचारी

51,716 रुपये बैंक से निकाल कर लेकर जा रहे थे उनको रास्ते में लूट लिया गया । उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपराधियों को खदेड़ा, उनका पीछा किया और रुपया बरामद हुआ तब वे पुलिस अधीक्षक के पास गये । इससे प्रभावित होकर तत्कालीन जिलाधिकारी, बांदा और पुलिस अधीक्षक, बांदा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया और उन्हें शस्त्र लाइसेंस भी स्वीकृत किया गया और उसमें रिवाल्वर का लाइसेंस बनाया गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह एक व्यक्ति की जान का मामला है वह अभी तक लापता है, उसका कहीं पता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त करें । आपकी बात आ गई ।

श्री ददू प्रसाद—

माननीय, मुझे पूरी बात कहने का मौका दें । माननीय, जब उनका शस्त्र लाइसेंस बन गया तो बी0 जे0 पी0 के नेता इनके पीछे पड़ गये । फरवरी, 1998 से उनके खिलाफ लिखा पढ़ी शुरू कर दी गई । इनके शस्त्र जो पुरस्कार में मिले थे, प्रशस्ति में मिले थे वहां पर एक डाकू है ददुवा के पास जंगल में रहता है को दिये जाने का आरोप लगाकर इनके शस्त्र लाइसेंस के निलम्बन की मांग बी0 जे0 पी0 के नेताओं ने की और जिलाधिकारी के ऊपर दबाव डलवाकर यह शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया । 6 जुलाई को करवी कोतवाली के कोतवाल मदन सिंह ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया और माननीय, उनको तथा उनके साथ एक और आदमी को पकड़ कर ले गई । हमको शंका है कि उसको बी0 जे0 पी0 के नेताओं के इशारे पर खत्म कर दिया गया है । माननीय, यह बी0 जे0 पी0 के लोग अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं । इसलिए माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि मदन सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त करें ।

श्री ददू प्रसाद—

माननीय, अपहरण, हत्या और 30 हजार रुपये लूटने का मुकदमा दर्ज किया जाय और चन्द्र भान सिंह के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा दर्ज किये गये हैं उनको एक्सपंज किया जाय । यह जो 466, 468, 471 में मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं यह वापस लिये जायें । मैं माननीय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जो कह रहे हैं नहीं लिखा जायेगा ।

श्री ददू प्रसाद—

[× × × ×]

श्री आर0 के0 सिंह पटेल—

माननीय, अभी माननीय ददू प्रसाद जी ने सारी चीजें कह दी हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह कोई पहली घटना नहीं है बांदा शाहूजी नगर में पुलिस द्वारा इस तरह की घटनाएं हजारों हो रही हैं । इस व्यक्ति को मदन सिंह कोतवाल ने लापता किया है ।

नोट— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मदन सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाय । अपहृत व्यक्ति की तलाश की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त करें ।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है । इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सूचना दी । मैं बताना चाहूंगा कि चन्द्र भा_ सिंह पुत्र मुन्नी लाल व्यक्ति को 354, 342, 344 भारतीय दण्ड विधान म 6 महीने की सजा हुई है । 200 रुपया जुर्माना हुआ है । यह अपने मूल निवास को छोड़कर बांदा में चला गया था । बांदा में रह कर, फर्जी पते बताकर राइफल और बंदूक के लाइसेंस प्राप्त करता था । शाहू जी महाराज नगर के पुलिस अधीक्षक को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने चार सौ बीसी के जुर्म में 467/468 भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया और उसके लाइसेन्स के निरस्तीकरण का काम किया । यह व्यक्ति धोखाधड़ी का काम करता है । नागालैण्ड से हथियार लाकर बेचने का काम करता है । कई लोगों को फर्जी लाइसेन्स दिलाकर अवैध रूप से हथियार देने का काम करता है । वहां के पुलिस एस0 ओ0, दरोगा को जब यह पता लगा तो उन्होंने उसका पता लगाया । जब वह इसके पते पर गये तो वहां यह नहीं मिला सूरजभान मिले । उन्होंने कहा यह लखनऊ में माननीय विधायक जी के साथ सुरक्षा गार्ड के रूप में रह रहे हैं । ऐसा देखकर वह वापस चले गये और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । अब निश्चित ही इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

श्री बद्दू प्रसाद और श्री पटेल जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

दोनों माननीय सदस्यों की बात सुन ली है । एक सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दी । हो सकता है आपकी सूचना में जो बात है वह सत्य हो और यह भी हो सकता है जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, वह सत्य हो । मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के माध्यम से स्पष्ट किया है । प्रपत्र 112/55 धारा 393, 397 भारतीय दण्ड विधान की धारा 113/95 धारा

25/अ इसके तहत इसने किया। माननीय, उसने 51 हजार 316.50 पैसा जो वहां के कर्मचारी ले जा रहे थे, बदमाशों ने लूट लिया उसको पकड़वाने का काम किया और एस0 पी0 के पास जमा करवाया। इसलिये एस0 पी0 और जिलाधिकारी ने उसे एक प्रशस्ति-पत्र दिया सन् 1995 में और एक रिवाल्वर और पिस्तौल का लाइसेंस भी दिया। माननीय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से दिया तो फर्जी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री लीपा-पोती कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय इसलिए इसमें चर्चा करवा दें और जो राम किशोर को गायब किया गया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह कहीं सेवा करता है चला गया, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं--

(व्यवधान)

माननीय, माननीय मंत्री गण जब हम बोलते हैं तो बीच में टोका-टाकी करते हैं इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अमरमणि--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय सदस्यों ने अपनी बात रख ली आपने सुन लिया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपनी बात रख ली और आपने भी अपनी व्यवस्था दे दी उसके बाद माननीय सदस्य खड़े होकर भाषण कर रहे हैं तो यह उचित बात नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय, एक तो राम किशोर का अभी तक पता नहीं है। उसे गायब कर दिया गया है। उसका तीस हजार रुपया ले लिया। हमें डर है कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाय। इसलिये आप सरकार को इसमें निर्देश दें कि कोई व्यवस्था करें। उसको वापस लाने की व्यवस्था करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

माननीय, यह राम किशोर का प्रकरण है। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कोई जानकारी हो तो बता दें।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, यह राजकिशोर सिंह वही व्यक्ति है जिसने चन्द्रभान सिंह के बारे में जानकारी दी थी। उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है। उसने जानकारी दी उसके बाद वह चला गया।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

माननीय, माननीय सदस्य श्री पटेल और माननीय सदस्य श्री बद्दू प्रसाद जी ने बताया कि इसमें वहां के कोतवाल का इन्वाल्वमेंट है तो इसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लें।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, मेरे पास इसकी सूचना है । मदन सिंह नाम का दरोगा है । चन्द्रभान सिंह के बारे में जानकारी रामकिशोर ने दी थी । उसके बाद वह कहां चला गया कुछ पता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसे किसी दूसरे नियम में आप दे दीजियेगा । आपकी बात सुन ली गई है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भी बात सुन ली गई है और मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है । अब आप लोग कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर बैठें । यह कुछ नहीं लिखा जा रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय, एक विनम्र निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दे दें कि राम किशोर वह अपने घर पहुंच जाय ।

माननीय, अगर उसकी हत्या नहीं हुई होगी तो अब जरूर हो जायेगी । इसलिये आप निर्देश दें कि वह जहां कहीं भी हो अपने घर पर हाजिर हो जायें ।

(इसी बीच श्री आर0 के0 पटेल व श्री दद्दू प्रसाद सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे । जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर वापस जायें ।

(श्री दद्दू प्रसाद व श्री आर0 के0 सिंह पटेल अपने अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य जो चिन्ता प्रकट कर रहे हैं, उस ओर कृपया ध्यान दे दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, यह जो राम किशोर नामक व्यक्ति की चिन्ता कर रहे हैं, श्री राम किशोर को मुखबरी पर ही श्री चन्द्रभान का पता लगा । इससे चन्द्रभान नाराज हो गया । उनकी सूचना पर ही पता लगा कि श्री चन्द्रभान फर्जी पता लिखाकर बांदा में रह रहा है । चन्द्रभान पुराने माफिया हैं । चूंकि राम किशोर ने मुखबरी कर दी है इसलिए चन्द्रभान पीछे पड़ा हुआ है । चूंकि उसने मुखबरी की है, इसलिए हम चाहेंगे कि उसकी सुरक्षा हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय, राम किशोर को गायब कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

जब वह अस्वीकार कर रहे हैं गायब करने की बात को, आपका कहना है कि जहां कहीं भी हो, वह घर पर हाजिर हो जाय । पुलिस कस्टडी में वह है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

तीसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी एवं अन्य कुल नौ सदस्यों की है मैं चाहूंगा कि इस पर तीन सदस्य बोल लें, एक ही दल के नौ सदस्यों की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय, इसमें दो प्रकरण हैं, और सूचना एक ही है, मेरा आग्रह है कि कम से कम चार सदस्यों को सुन लें, 2-2 को एक-एक सूचना पर ।

श्री अध्यक्ष--

एक पर माननीय अम्बिका जी के हस्ताक्षर हैं, इस पर उनको सुन लेता हूं, और दूसरी सूचना पर 5 लोगों के हस्ताक्षर हैं, उस पर 2 लोगों को सुन लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मिर्जापुर में दिसम्बर, 1997 में बकायों की वसूली के लिये लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा था और चुनार तहसील पर दिसम्बर की ठण्डी से दुखी, कांपता और भूखर, इन तीन लोगों को नंगा कर उल्टा लटकाकर पीटा गया । बाद में जब इसकी जानकारी हुई, काफी विलम्ब से, इन लोगों से पत्रकारों की मुलाकात हुई । 29 मई, 1998 को अमर उजाला में यह खबर छपी कि मिर्जापुर में डी0 एम0 ने जिले के बकायादारों को नंगा करके पिटवाया । जब जिलाधिकारी के बारे में समाचार छपा, अमर उजाला अखबार में तो वहां की जिलाधिकारी महिला हैं, उनको गुस्सा बहुत आया एक दूसरे अखबार में छपा है, टाइम्स आफ इण्डिया में 20 जून को कि डी0 एम0 को गुस्सा क्यों आता है मैं आपके माध्यम से सरकार से थोड़ा बहुत अर्ज करना चाहता हूं कि इस समाचार को देने वाले कृष्णानन्द तिवारी को अगले दिन 20 तारीख को एक सार्वजनिक समारोह था और हिन्दी पत्रकारिता दिवस था, उन्हें धमकाने का कार्य किया गया और अपमानित किया गया ।

माननीय, अगर एक पत्रकार ने इस तरह की सूचना दे दी कि डी0 एम0 ने इस तरह की हरकत की है, तो 30 तारीख को डी0 एम0 ने उसे धमकाने का कार्य किया उन्हें अपमानित करने और अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया सुरेश चन्द्र शर्राफ को नोटिस दे दी और श्री निवास तिवारी को मुकदमे में फंसाने की बात हुई । जब इस मामले की जानकारी कमिश्नर को हुई तो कमिश्नर मनोज कुमार ने आदेश दिया कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाय पी0 यू0 सी0 एल0 की एक कमेटी गई, उसमें उसने 22 तारीख को एक रिपोर्ट दी, उसमें एक प्रबुद्ध पत्रकार राजीव ओझा भी थे । उनको पहले अकेले में धमकाने का काम किया और और फिर सिड्यूल कास्ट, सिड्यूल ट्राइब का जो ऐक्ट है उसमें जबरदस्ती उस पत्रकार को फंसाने के बाद उसके खिलाफ फर्जी दरख्वास्त देकर भिन्न-भिन्न नामों से देकर उसको फंसाने और रोकने का काम किया जा रहा है । यह जनपद मिर्जापुर का ही अकेले मामला नहीं है । पूरे प्रदेश के पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है लखनऊ में एक पत्रकार ने छापा कि मन्त्री जी ने चप्पल लेकर निदेशक को दौड़ाया उस पत्रकार को धमकी दी जा रही है । चूंकि लखनऊ के पत्रकार काफी संख्या में हैं और मजबूत भी हैं इसलिए उनको धमकी नहीं चल पायी । पूरे प्रदेश से पत्रकारों

का उत्पीड़न कर प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण करने के बजाय उसको भी कुत्सित वृत्ति है। उनका जो गलत आवाज है, उसको संरक्षण देने का काम और पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है। इस सरकार के कान पर इस सूचना से जूं रेंगने वाली नहीं है। जो लोग इस तरह धमकाने का काम कर रहे हैं, सरकार उनके हौसले बढ़ाने का काम कर रही है। मैं मांग करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी से तो उम्मीद नहीं है, आप निर्देश दे दें कि कोई उच्च स्तरीय समिति भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच करवा लें। मानवाधिकार आयोग तक यह मामला चला गया है, आयोग से सम्बन्धित डी0 आई0 जी0 ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है तथ्य कलेक्ट करवाने के लिये। वहां की जिलाधिकारी का प्रभाव पूरे प्रशासन पर है और सरकार में उसकी पैठ बहुत दूसरे ढंग की है, पुलिस अधीक्षक सब उनकी मातहती में हैं, इस तरह कहीं से इन्साफ मिलने की उम्मीद नहीं है। छोटे जिलों में जो पत्रकार होते हैं, वह पूर्णकालिक नहीं होते, वह किसी दूसरे व्यवसाय से भी जुड़े होते हैं, किसी स्थानीय निकाय से भी जुड़े रहते हैं। यह केवल एक दो नहीं, बल्कि पूरी सूची है कि किस तरह से सरकार उनको उत्पीड़ित करने का काम कर रही है और जनपद आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वह काम हो रहा है। पत्रकारों ने इस सरकार के बनने में पब्लिक की राय बनने में कौन सी मदद कर दी, उसका इनको इतना बड़ा दंड दिया जाना उचित नहीं है।

मान्यवर, यह हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, जो हमारे फंडामेन्टल राइट्स हैं, संविधान में हमारा मूल अधिकार है, जिस राइट आफ एक्सप्रेशन और राइट आफ इन्फारमेशन, जिसकी वकालत आजकल इनकी केन्द्र की सरकार भी कर रही है, उसकी हिफाजत नहीं हो पायेगी तो इस लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता। यह फासिस्टवादी सरकार, फासिस्ट लोग सबकी आवाज को बन्द करना चाहते हैं। यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली से बाहर करके आवाज बन्द करना चाहते हैं, दूसरी तरफ पत्रकारों को भी धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाये जाने के लिये आतंकित कर रहे हैं और जिन संगठनों से यह लोग जुड़े हैं, वहां से हटाये जाने की धमकी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी जा रही है, इस तरह से लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। कृष्णानन्द तिवारी और राजीव ओझा को एन0 एस0 ए0 में फंसाने की रोज-रोज धमकी दी जा रही है, इन पत्रकारों को ऐसी स्थिति में रखने से लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। इससे अविलम्बनीय और लोक महत्व का कोई प्रश्न हो नहीं सकता। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और सरकार को निर्देशित करें कि पत्रकारों का उत्पीड़न तत्काल बन्द करें और जिन्होंने उत्पीड़ित करने का काम किया है, उन्हें दंडित करने की कार्यवाही करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इस सदन को एक मंदिर प्रकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पहले बात सुन लिया करें तब अपनी राय देने की कृपा किया करें।

माननीय, श्री माननीय अम्बिका चौधरी जी ने मिर्जापुर की घटना की बात कही, मैं आजमगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं. आजमगढ़ के नोमानी साहब ने प्रेस कौंसिल को लिखा और जिलाधिकारी को लिखा और उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। उनके दफ्तर को जलाया गया और उनके कार्यालय को दफा 145 में कुर्क कर दिया गया। [× ×] एक क्रिश्चियन कालेज चलाते हैं यह कालेज बनारस और आजमगढ़ मार्ग पर स्थित है। इसमें क्या होता है उसके बारे में वहां के तत्कालीन डी0 आई0 जी0, ए0 के0 मलिक ने लिखा है और आरोप लगाया है कि इस कालेज में ऐसे बहुत से अवांछनीय काम होते हैं जिनके कारण अपराधों में वृद्धि हो गयी है इतना ही नहीं उस अखबार के कार्यकारी सम्पादक, श्री के0 के0 नायर ने उनके ऊपर हमला कराया, उस अखबार के फोटोग्राफर, श्री सूरज का अपहरण कराया क्योंकि उसने फोटो खींचे थे। डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं। पत्रकारों के हाथ अगर यह बर्ताव किया जायेगा तो कोई भी निरपराध नहीं बचेगा। माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के कारनामों से आजादी मिली, आजादी मिलने में उनकी अहम भूमिका थी और आज भी पत्रकारिता जीवित है क्योंकि वह निर्भीक है। बजरंग त्रिपाठी जो एक सफेदपोश आदमी हैं और अवैध धन्धा चलाते हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही हो और उनको जेल भेजा जाये। पत्रकारों को उनके उत्पीड़न से बचाया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य और बोलेंगे। जिसको आप तय कर लें वह बोलेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार—

माननीय, जिस घटना की ओर कुंवर साहब ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर आघात होता है तो लोकतंत्र के आधार पर आक्रमण की संज्ञा दी जाती है और माननीय, आजमगढ़ में यही हुआ।

जो नोमानी साहब हैं वह नौरी टाइम्स अखबार चलाते हैं, उन्होंने क्रिश्चियन कालेज के प्रबन्ध के विषय में जो समाचार छापा उसे क्रोधित होकर उनकी प्रतिक्रिया में उन पर हमला किया। केवल हमला ही नहीं किया बल्कि उनका जो कार्यालय था, उसे तहस-नहस कर डाला और उनके फोटोग्राफर का अपहरण करने का प्रयास किया। वहां के प्रशासन की मिली भगत के फलस्वरूप उनके कार्यालय पर हमला हुआ और हमलावरों से कुछ अस्त्रशस्त्र भी पकड़े गये और उस कार्यालय को 145 सी0 आर0 पी0 सी0 सील कर दिया गया। और समाचार पत्र के मालिक और सम्पादक द्वारा मारने की धमकी दी है। को उसका कार्यालय भी आज तक वापस नहीं मिला जिन धाराओं में पहले आरोप लगाये गये थे उनको भी बदल दिया गया। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जब अमर उजाला के राकेश मिश्रा ने जाकर जांच करने की कोशिश की और क्रिश्चियन कालेज गये तो उनको मारा-पीटा गया और कमरे में बन्द कर दिया गया। उसके बाद उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ लोगों ने उन्हें घायल

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अवस्था में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। वहां से पुलिस प्रशासन ने 307 की रिपोर्ट को 504 और 506 में तब्दील कर दिया इस तरह संगीन धाराओं को हटा दिया गया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर सेक्सुअल हैरेशमेन्ट और एक्सप्लाइटेशन होता है। मान्यवर, इस कालेज के एकाउन्टेंट ने रिपोर्ट लिखाई कि मेरी पत्नी को अगुवा कर लिया। मान्यवर, यह जो संस्था है इनके प्रबन्धक किन-किन नाम से अलग-अलग धर्मों से तीन-तीन महिलाएं रखते हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, यह [××] अनैक धन्धा करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

किसी का नाम कैसे ले रहे हैं नाम निकाल दिया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार--

अगर इस प्रकार की कार्यवाही जारी रही तो लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं रह सकता इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का है इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

*डा0 अशोक बाजपेयी--

मैं कुछ नये तथ्य मान्यवर, रखना चाहता हूं बहुत कम समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अब मैं अनुमति नहीं देता हूं जो व्यवस्था बन गयी है उसके अनुसार चलें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अश्वस्त करना चाहता हूं कि पत्रकारों के बारे में जो सम्मान इस सरकार का रहा है या है उसमें कहीं शंका की गुंजाइश नहीं है। हमारा पूरा विश्वास है कि पत्रकार या प्रेस लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ हैं। इनकी बरबादी नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने बरबाद करने का प्रयास किया उनको सबक भी मिला है। इस प्रकरण में मैंने जानकारी प्राप्त की। (व्यवधान) घटना को बार-बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा केवल इतना निवेदन है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बिना खबर की है पत्रकारों के सम्बन्ध में, एक समय ऐसा था जब वह लोग यहां बैठते थे और पत्रकारों ने जब निष्पक्ष समाचार छापने का काम किया तो उनके ऊपर हल्ला बोलो का नारा लगाया गया यह मैंने नहीं लगाया था (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष--

कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही कृपया बैठ जाएं।

*वन राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)--

मान्यवर, इस तरह हल्ला बोल कर माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात को नहीं दबा सकते हैं (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें ।

(शोर)

आप लोग बैठ जायं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को अपनी बात कहने दें । आपके दल ने एक कार्यक्रम दिया था कोई सहमत है तो कोई सहमत नहीं है कृपया शांत रहिये ।

श्री हुकुम सिंह--

मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन चिंता इस बात की हो जाती है कि जो लोग आज दुहाई दे रहें हैं, लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ की बात कर रहे हैं उन्होंने लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ को ध्वस्त किया था आज उनके मुंह से ऐसी बात सुनने से अटपटा लगता है । विपक्ष के माननीय सदस्य जब इधर सर्वोच्च स्थान पर बैठते थे, मंत्री के रूप में बैठते थे तो मूकदर्शक बनकर इस हल्लाबोल कार्यक्रम को वह देखते रहे । पत्रकारों पर हमला हुआ, समाचार पत्रों को छीना गया और जलाया गया ।

(शेम शेम की आवाजें)

जनता आपको माफ करने वाली नहीं है जो जुल्म आपने पत्रकारों पर किये उसका सबक आपको मिलता रहेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जो संसदीय कार्यमंत्री ने आरोप लगाये वह सरासर निराधार है ।

एक माननीय सदस्य--

आप [××] बोल रहे हैं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । यह असंसदीय है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह --

सत्तापक्ष के लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं हम लोग अपनी बात कहना जानते हैं ।

(शोर)

संसदीय कार्यमंत्री ने जो आरोप अभी लगाये वह निराधार हैं । सत्य से परे हैं । कभी विपक्ष ने यह नहीं किया कि पत्रकारों के ऊपर हल्लाबोल कार्यक्रम किया हो ।

(शोर)

नोट--[××] यह अंश को अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह—

मैं अपनी बात वापस लेता हूं । मैंने विपक्ष कहा था, उस वक्त जो सत्तापक्ष में बैठे हुये थे, जो मंत्री थे सत्तापक्ष में बैठकर हल्लाबोल करके जो जुल्म पत्रकारों पर किया है या मैंने उसकी तरफ कहा था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई सत्य बात माननीय हुकुम सिंह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं मेरा कहना है कि विपक्ष ने कभी भी सत्तापक्ष में बैठकर पत्रकारों के खिलाफ हल्लाबोल कार्यक्रम नहीं किया ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

मान्यवर, मंत्रियों का आचरण देख लीजिए, यह सच को सुन नहीं सकते । मान्यवर, हल्लाबोल कार्यक्रम भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उन अखबार मालिकों के खिलाफ था जिन्होंने गलत तथ्य प्रकाशित किया था । किसी पत्रकार के खिलाफ हल्लाबोल कार्यक्रम नहीं चलाया गया था । अगर संसदीय कार्यमंत्री जी यह सिद्ध कर दें कि किसी पत्रकार के खिलाफ चलाया गया हो तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं ।

(शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहिये ।

श्री अमरमणि—

मान्यवर, हमने 4 पत्रकारों को राज्य सभा में भेजा है लेकिन आप तो हल्लाबोल रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी—

हल्लाबोल करने में और हल्ला करने में बहुत अन्तर है । कोई हल्लाबोल किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं किया गया ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं यह बता दूं कि इस दल का इस सरकार का पत्रकारों के बारे में इतना बड़ा विश्वास है कि 4 वरिष्ठ नेशनल फेम के पत्रकारों को राज्य सभा में इसी पार्टी ने भेजा है । आप तो फिल्म वालों को लाये ।

श्री अध्यक्ष—

श्री अम्बिका चौधरी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस चर्चा को अग्राह्य करता हूं, परन्तु संसदीय कार्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि सारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, किससे जांच करायेंगे यह बता दें, डी0 एम0 की जांच दरोगा से करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों जगह डी0 एम0 का मामला नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय, जिलाधिकारी के कण्डक्ट की जांच होनी है, डी0 आई0 जी0 का एलीगेशन है कि सीधे-सीधे जिलाधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मिर्जापुर की सूचना में जिलाधिकारी का उल्लेख है, आजमगढ़ की सूचना में जिलाधिकारी का कहीं उल्लेख नहीं है । अगर आजमगढ़ की सूचना की प्रति हो तो आप मुझे दे दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय, डी0 आई0 जी0 ने यह बात स्वीकार की है ।

श्री अध्यक्ष --

आपने मौखिक रूप से डी0 आई0 जी0 की बात कही है लेकिन सूचना में नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय, हमारी सूचना पर डी0 एम0 की बात है ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, यह समीक्षा शासन स्तर पर की जाएगी । समीक्षा करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा कि किस स्तर पर जांच करवाई जाए । समीक्षा शासन स्तर पर होगी ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । शासन स्तर की समीक्षा में तय हो जाएगा कि जांच किस स्तर पर की जाएगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय, जांच कम से कम प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारी से होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

इस सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है । अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गांव बाहिदपुर खालसा के थाना कासगंज, जनपद एटा में विगत 11 जुलाई, को 70-80 जाटव बिरादरी के परिवारों पर सामूहिक रूप से उसी के बगल के गांव नगला भूरा, नगला [illegible] नगला नौलक्ष के लगभग सैकड़ों लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से दिन दहाड़े लूट पाट करने का काम किया । लूटने के साथ-साथ महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार किया । कच्चे घरों को गिराने का काम किया पक्के घरों को तोड़ने का काम किया । यह घटना कोतवाली से मात्र 3 कि0 मी0 दूरी पर हुई । म (इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए) पूर्वाभास के रूप में 6 जुलाई को ही कोतवाली कासगंज में सूचना दे दी गई थी । 11 जुलाई, 1998 को दिन में सामूहिक रूप से 70-80 परिवारों को लूटा जाता है घरों को तोड़ा जाता है, घरों को उजाड़ा जाता है । घरों को ढहाया,

जाता है । जिसकी सूचना सम्बन्धित थाने में दी जाती है । लेकिन इसके बावजूद थाने की पुलिस सोता रहती है । फलस्वरूप 12 जुलाई, को वही घटना पुनः होती है । पुनः 12 जुलाई को लोधी बिरादरी के सैकड़ों लोग उसी घटना की पुनरावृत्ति करते हैं । यह बड़े क्षोभ का विषय है । 11 तारीख की घटना की सूचना दी गई पुलिस कान में तेल डाले बैठी रही और घटना की पुनरावृत्ति हुई । एफ0 आई0 आर0 में 22 लोगों को नामजद किया जाता है । जिसमें से 7 लोगों को थाने की पुलिस विगत 3 दिनों से बैठाए हुए है । न उनका चालान कर रही है न उनको घटना के बावत पूछने की औपचारिकता पूरी कर रही है । थाने पर जो लोग बैठे हैं । उनको स्थानीय विधायक का संरक्षण प्राप्त है । यह एक गम्भीर मामला है । यह लोक महत्व का मामला है । वहाँ पर लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए है । उनकी सुरक्षा के लिए उनसे संरक्षण के लिए पुलिस का कोई सिपाही नहीं पहुंचा है । उनकी सुरक्षा नहीं दी जा रही है । उल्टे उनको धमकी दी जा रही है कि तुमने जो एफ0 आई0 आर0 कराई है उसको वापस लो । उन पर दबाव डाला जा रहा है ।

लोधी राजपूत के इन तीन गांवों नगला भूरा, नगला थाना और नगला अकोस के अलावा एक गांव करसरी भी है जो वहां से 4-5 कि0 मी0 दूर है, वहां लोधी समाज के लोग 3-4 ट्रैक्टरों में भरकर आये और गांव में आतंक पैदा किया, बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया और घरों को लूटा गया । यह घटना 11/12 तारीख में हुई । इस घटना में जो मुकदमें लिखाये गये है वह 272/98 अपराध संख्या, 395 आई0 पी0 सी0 तथा 3, 2, 5 अनुसूचित जाति जन-जाति निवारण अधिनियम । इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगा और वह बैठी रही । गांव का बरबादी तथा दलितों पर हो रहे अत्याचार को पुलिस देखती रही । इस लिये माननीय, इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का सारा कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं । कानून का राज तथा मजबूत समाज की बात यह सरकार करती है परन्तु कासगंज में यह सब होता रहा 70-80 घर जला दिये गये, लोगों को लूटा गया तथा बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया, फिर भी कोई कार्यवाही सरकार ने नहीं की । इस लिये इस पर एक घन्टे की चर्चा कराई जाय । साथ-ही आप सरकार को निर्देशित करें कि जो वहां पर दलितों के घरों को लूटा जा रहा है, उन्हीं उत्पीड़ित किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाय ।

*श्री भोला शंकर मौर्य--

माननीय, मैं घटना स्थल पर गया था । मैंने उन गांव वालों की दुर्दशा देखी । उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि वह सामूहिक रूप से पलायन कर कासगंज कस्बे में आ गये हैं । स्त्रियों व बच्चों की हालत बहुत ही दयनीय है । एक जाति बिरादरी के लोग ट्रैक्टरों में उनका सारा समान ले गये । एक चौकीदार तक वहां नहीं गया । 70 घर लूट लिये गये । जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में कोई कार्य नहीं कर रहा है । मेरी मांग है कि जिनकी क्षति हुई है, उनको मुआवजा दिलाया जाय, घटना स्थल पर पी0 ए0 सी0 का बन्दोबस्त किया जाय ताकि लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें । 12 तारीख को फिर से उन पर सामूहिक हमला किया गया । शासन की भिलो भगत इसमें है । बड़ी दुखद घटना यह है । कोतवाली से लगा हुआ गांव है परन्तु वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माध्यवर, मैं चाहता हूं कि शासन को आप निदेशित करें और अपनी पीठ से यह निर्देश दें कि वहां पर उनकी सुरक्षा की जाय। आज वहां पर जाटव समाज आन्दोलित है। यह घटना जातीय संघर्ष में भी बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग कमजोर हों। हम चाहते हैं कि यह जातीय संघर्ष में न बदले इसलिये तत्काल वहां पर पी0 ए0 सी0 तैनात कराई जाय और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री हुकुम सिंह--

माध्यवर, 11 जुलाई को ग्राम बाहिदपुर खालसा कोतवाली कासगंज जनपद एटा में भगवती प्रसाद जाटव के यहां घटना हुई और उसी दिन मुकदमा दर्ज किया गया 395 भारतीय दण्ड विधान के आर एस0 सी0 एस0 टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत 11 तारीख को घटना है और 13 तारीख को नारायण, पप्पू, सिद्धार्थ, कल्लू और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों को गिरफ्तार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। माध्यवर, तत्काल कार्यवाही की गई है, गिरफ्तारी हुई और मुजरिमों को जेल भेजा गया और जो रह गये हैं। उनके लिये भी प्रयासरत् हैं। हमारा यह सतत् प्रयास होगा कि अपराधी बचने न पाये कोई हो, किसी जाति का हो, कानून तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, सताने का अधिकार नहीं है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माध्यवर, 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 7 को थाने पर बैठाया गया जेल नहीं हुई। यह सदन को गुमराह करने के लिये गलत उत्तर दे रहे हैं कि यह कार्यवाही की गई है। 11 तारीख को एफ0 आई0 आर0 दर्ज होती है और 12 तारीख को फिर लूट होती है। माध्यवर, इस प्रकार का ढ़ोल डाला रखवा है। पूरा गांव उत लूट का शिकार हुआ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन को गुमराह करने के लिये झूठा सूचना दे रहे हैं यह सरासर गलत है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 का मामला है। संसदीय कार्य मन्त्री ने अपनी बात कह दी है और भी आवश्यक होगा तो जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण कृपया आपस में सम्वाद न करें।

श्री हुकुम सिंह--

माध्यवर, अपनी बात उठाने का प्रश्न करने का नियमों के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है। जो प्रश्न लिया गया था उसके सम्बन्ध में मैंने टिप्पणी आपकी अनुमति से दे दी। यह कोई अन्ताक्षरी तो है नहीं। नियम 56 को अन्ताक्षरी के रूप में नहीं ले सकते हैं कि एक बार आप कहें फिर मैं कहूं फिर आप कहें और फिर मैं कहूं। प्रश्न उठाया गया था और आपने कृपापूर्वक दो माननीय सदस्यों को मय नेता पार्टी के विस्तार से सुना। वे पूरी पिच पर बोले तब भी सुना। माध्यवर, यह प्रकरण कब तक चलेगा। मैं आप से व माननीय नेता जी से भी अनुरोध करूंगा कि इसको अब समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि पूरा गांव इससे प्रभावित है । वहां पर पी० ए० सी० लगा दें और वहां के लोगों का जो नुकसान हुआ है उन्हें पुनर्वासित करने के लिये कुछ नहीं किया गया है । 11 तारीख को रिपोर्ट का जिक्र किया है और उसमें बताया कि 2/3 लोगों की गिरफ्तारी हुई आपने उनके नाम भी बताया । 11 तारीख की घटना के बाद 12 तारीख को फिर घटना होती है ।

इसी के बदले में होती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आप रपट करने चले गये । 12 तारीख की एफ० आई० आर० नहीं लिखी जा रही है । आपसे निवेदन है 12 तारीख की रपट दर्ज करवा दें और वहां पी० ए० सी० लगवा दें । जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई, जितनी संभव हो सके करवा दें ताकि वह पुनर्वासित हो सकें । घर छोड़कर पलायन करना पड़ा :

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह डकैती दलित समाज के परिवार में हुई है इसके लिये नियमों में प्राविधान है । मैं नियमों के प्राविधान को देखकर सुनिश्चित करूंगा जो सम्भव होगा वह कार्यवाही की जायेगी । दूसरी बात अगर इस मामले में महीने दस दिन का विलम्ब हुआ होता तो अलग बात थी लेकिन इस मामले में पांच व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं । बाकी की गिरफ्तारी के लिये सतत दबिश दी जा रही है । लोकल पुलिस द्वारा कार्यवाही न होती तो बात थी कार्यवाही हुई है । जिन लोगों की सुरक्षा से चिन्ता थी वह जेल में बन्द हैं बाकी को जेल में बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है अगर गिरफ्तार न हुये होते तो बात थी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जो ने कहा, जितनी कार्यवाही संभव थी वह हो गई । 11 तारीख को लूटा जाता है, 12 तारीख को लूटा जाता है । और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी सदन को गुमराह करने की सूचना दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

मौर्य जी पूरी बात आ गई है ।

(व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर जाइये । हम उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं । आप की बात आ गयी है अतः आप लोग कृपया शान्त रहें और अपने-अपने स्थानों पर जायें । माननीय मौर्य जी कृपया अपने सदस्यों को अपने स्थान पर ले जायें ।

कारोबार मन्त्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

माननीय अधिष्ठाता जी, कृपया श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आगे लगा माईक हटवा दें। और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से कह कर एक ध्वनि प्रदूषण संयत्र लगवा दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपने स्थान पर नहीं जा रहे हैं और आपकी यह भावना है कि हम इसी तरह से सदन को चलायेंगे जिससे जनता में हमारी मैसेज जायेगी हम आपका आशय समझ गये हैं। इस लिये हम इसे सदन को 3.15 मिनट तक के लिये स्थगित करते हैं।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

(3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है)

(3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जनपद एटा के कासगंज थाने के अन्तर्गत बाहिदपुर खालसा गांव में 80 घरों में, जो जाटव बिरादरी के हैं, को लूटे जाने का प्रकरण चल रहा था और उसी सन्दर्भ में हमने आपके माध्यम से सरकार से गांव वालों की सुरक्षा की मांग की थी। दिनांक 11 को गांव में लूट हुई, उनकी एफ0 आई0 आर0 हुई, उसके बावजूद पुलिस निष्क्रिय रही, 12 तारीख को पुनः लूट हुई और एक घर नहीं 70–80 घर लूट लिये गये और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दिनदहाड़े जमकर लूटपाट की। ग्राम नगलापुर, नगलालोधस, करसरो गांव के अन्दर आतंक मचा। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया, कच्चे घरों को गिराने का काम हुआ पक्के घरों को तोड़ने का काम किया गया, उसके बाद 13 तारीख को पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ कर थाने में बैठाये रखा। अभी संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है, हम उनकी सूचना को सही मानते हैं, लेकिन 22 लोगों में से केवल 5 को क्यों गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग गांव में आज भी दहशत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय सत्ता पक्ष के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें सत्ता पक्ष का नाज है।

यदि सत्ता पक्ष का संरक्षण न होता तो 22 में से केवल 5 को गिरफ्तार करने का औचित्य क्या है, आज गांव के लोग गांव छोड़कर डर के मारे भाग रहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, आप निर्देश दें कि गांव में 22 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिये और यदि सरकार उन सभी को गिरफ्तार करने में सक्षम हो तो उनकी कुर्की कराकर मजबूर करें गिरफ्तारी के लिये। गांव के लोग बाहर न जायें, इसके लिये उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, तथा तत्काल वहां पी0 ए0 सी0 का कैंप लगाया जाये। इस बरसात के मौसम में कैसे गांव के लोग बाहर जाकर अपनी जिन्दगी खुले में बितायेंगे।

मान्यवर, आप व्यवस्था दें जिससे उन गांव वालों की सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह सोच रहा हूं । माननीय मौर्य जी ने ग्राह्यता पर अपनी बात कही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

*श्री नेतराम सिंह--

मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें और एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री बी० आर० वर्मा--

मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्यों की भी जिज्ञासा है कि इस पर चर्चा हो जाये, वह भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो इसमें आपकी तरफ से कोई एतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय घटना क्यों हुई इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं । घटना हो गई है उसके बाद जिन लोगों के साथ घटना हुई है उनकी सुरक्षा की बात कही गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं चर्चा की मांग कर रहा हूं और सत्ता पक्ष के लोग भी चर्चा करना चाहते हैं । तो आप चर्चा करा दें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी आ जाये ।

(श्री रामजग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामजग जी आप बिना मेरी अनुमति के खड़े हो गये, आपकी कोई बात लिखा नहीं जा रही है अनावश्यक बोलने से क्या फायदा ? आप मेरी अनमति के बगैर बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । कृपया बैठ जायें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, इसमें तीन बातें हैं, एक तो उस गांव में लोगों की सुरक्षा के लिए पी० ए० सी० की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो दहशत है वह दूर हो सके । दूसरे 22 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है, और पांच लोगों को गिरफ्तारी की गयी है, शेष लोगों को भी गिरफ्तार किया जाय । तीसरी बात यह है कि जो कुछ हर अपनी बात कह रहे हैं वही सत्ता पक्ष के सदस्य भी कह रहे हैं । तो मेरा आप से अनुरोध है कि आप एक टीम वहां पर भेज दें जिससे सारी स्थिति सामने आ जाये और यह पता चल जाये कि दोषी कौन है और गलत कौन है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

किसी आई० जी० रैंक के अधिकारी को भेज दें। सुरक्षा की आवश्यकता का आकलन कर लें। आज भेज दें कल तक यहां सूचना आ जायेगी। माननीय सदस्य चिन्तित हैं, उनको सुरक्षा का उनको चिन्ता है आज केवल इतनी बात है। आज अधिकारी को भेज दें और कल सूचना दे दी जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

कल सूचना देंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि कल तक सूचना आ जायेगी। इस निर्देश के साथ इस सूचना का निबटारा कर रहा हूं।

*श्री राम नक्षत्र—

मेरी तबियत नहीं ठीक है दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी तबियत ठीक नहीं है तो आप आराम करें।

(श्री राम नक्षत्र के न बैठने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दूंगा। आप आराम करें मैंने दूसरे सदस्य को बुलाया है।

श्री राम नक्षत्र—

मेरी तबियत ठीक नहीं है एक मिनट मुझे सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाएं। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुलाया है।

(व्यवधान)

आप बैठ जाएं आपकी तबियत खराब है। आप बिना अनुमति बोल रहे हैं। मैं बिना अनुमति के बोलने नहीं दूंगा न ही एक शब्द अभिलेख में आयेगा।

(व्यवधान)

श्री राम नक्षत्र के खड़े रहने पर। आप सदन त्याग दीजिए।

(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं आप सदन त्याग दीजिए।

(श्री राम नक्षत्र सदन त्याग कर चले गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय, मेरा अनुरोध है, राम नक्षत्र जी के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए अनुरोध मत करिएं । बार-बार कहने पर भी पीठ को अवहेलना कर रहे हैं फिर भी आप कह रहें आप वापस ले लीजिए । ऐसा हो माननीय प्रमोद कुमार के मामले में हुआ, एक परिपाटी बन गई है, इस प्रकार के प्रस्ताव आ जाते हैं । माननीय प्रमोद कुमार जी ने खेद भी प्रकट नहीं किया कि मुझे अपने उस आचरण पर खेद है ।

श्री लाल जी वर्मा--

इसी तरह का आचरण माननीय अमर मणि जी करते हैं, उन्हें भी सदन त्यागने के लिए कहा करें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मंत्री हैं, मंत्री स्तर के अनुरूप इनका व्यवहार रहे । यह अपेक्षा की जाती है ।

*श्री राम जग--

माननीय, सत्ता पक्ष के लोग भी राम नक्षत्र की तरह....

श्री अध्यक्ष--

आप अपने दल के नेता हैं, अब कृपया इसमें अनुरोध मत करें ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव--

माननीय, मेरा एक अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं सुभाष जी कृपया बैठ जाएं ।

श्री अकबर हुसैन--

माननीय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह सर्व विदित है कि उत्तर प्रदेश में झोला छाप डाक्टरों की भरमार, और यह भी सुनने में आया है कि लखनऊ और दूसरे शहरों में फर्जी डिग्री बांटी जाती हैं । माननीय, मैं जनपद मुरादाबाद में एक फर्जी मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी है, उसके बारे में कहना चाहता हूं । माननीय, सैकड़ों छात्रों से धन बटोरा जा रहा है और 100 रुपये माहवार के हिसाब से फीस ली जा रही है और उन्हें गुमराह करके यह कहा गया है कि सी0 पी0 एम0 एस0 की डिग्री उन्हें दी जाएगी । जहां तक मेरी जानकारी में है, यह बच्चों को बताया गया है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से यह डिग्री की मान्यता होगी ।

माननीय, चूंकि अभी यह हाल का प्रकरण है और बहुत महत्वपूर्ण मामला है । सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है इस मामले में बच्चों के भविष्य का सवाल है यदि ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होगा वह चिन्ता का विषय है माननीय, मेरी शिकायत पर और कुछ समाजसेवी संस्थाओं

की शिकायत पर सी० एम० ओ० ने जांच कराई जांच में संस्था फर्जी पाई गई मामले की रिपोर्ट लिखाने हेतु जांच अधिकारी ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस टालमटोल करती रही। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पर आक्षेप करूं वास्तविकता यह है कि सत्तापक्ष के व्यक्तियों द्वारा इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, इसके पहले मैंने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री को एक शिकायती पत्र दिया था मुरादाबाद जिला चिकित्सालय के एक अधिकारी के सम्बन्ध में मैंने लिखा था कि वहां भ्रष्टाचार फैला रहा और अनियमितताएं कर रहा है और मैंने कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय और यह शब्द अंकित कर दिया कि उक्त अधिकारी को हटाकर जांच कराई जाय लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मान्यवर, जांच कराई गई जब मैंने प्रश्न किया तो सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि जांच अपर निदेशक स्तर से कराई गई है अधिकारी दोषी पाये गये हैं। इसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां बच्चों की जिन्दगी का सवाल हो उन मामलों में सरकारी हस्तक्षेप रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो स्थिति में सुधार कैसे आयेगा आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिस संस्था का उल्लेख किया ऐसी किसी संस्था को चिकित्सा/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी गई इस मामले की जांच सी० एम० ओ० से कराई गई उस आदमी ने छात्रों से फीस ली है। इस मामले में 420/419/467 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया जा चुका है ऐसी फर्जी संस्थाएं जो हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और इस संस्था के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री बी० आर० वर्मा—

जो पैसा लोगों से लिया गया है क्या उस आदमी से वापस दिलाया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह—

जैसे शासन के संज्ञान में मामला लाया गया वैसे ही कार्यवाही की गई। इससे ज्यादा और प्रभावी कार्यवाही क्या हो सकती है जांच भी कराई गई और फौजदारी का मुकदमा भी कायम करा दिया वह व्यक्ति जेल भी जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसमें मुकदमा कायम हो गया है। श्री अकबर हुसैन और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री प्रभुनाथ सिंह यादव, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह, एवं श्री बनारसी दास चन्दना की नियम 56 की सूचनायें अग्राह्य करते हुये शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय—

माननीय, मैंने पहले कई बार अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में प्रमुख सचिव गृह, मुख्य मंत्री जी और भारत सरकार को लिख चुका हूं और आज पूरे सदन से सहयोग चाहता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। माननीय, मैंने 27 नवम्बर, 1993 को निर्दलीय के रूप में विधान सभा का चुनाव लड़ा था उस समय एक सब इन्सपेक्टर और 5 कांस्टेबिल मेरी सुरक्षा के लिए लगाये गये थे उसके बाद भी मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरा एक आदमी गोपाल शर्मा मारा गया था तथा दप्पू प्रकाश जाटव की बांह कट गयी थी। माननीय, अक्तूबर, 1994 में हापुड़ा हमला हुआ। उस समय मैं कार में था 5 गोलियां पार हो गयी, मैं गाड़ी का सीट के नीचे आ गया, जब हमारे गनर ने गोली चलायी और आसपास के लोग आ गये तब बदमाश भागे। माननीय, दोनों की एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई पहला मुकदमा संख्या 479/93, 302 व 307 में दर्ज हुआ और दूसरा मुकदमा सं0/258/93, हापुड़ थाने में दर्ज हुआ माननीय, तीसरी बार जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो भूपेन्द्र सिंह नाम के बदमाश व उसके साथी बदमाश मेरे आवास रायल होटल के आसपास घूम रहे थे, मैंने उस समय कलराज मिश्रा जी व बहन मायावती जी से बात की उसके बाद एस0 एस0 पी0 व डी0 आई0 जी0, लखनऊ को फोन किया तब जाकर उसे अरेस्ट किया गया और एन0 एस0 ए0 में बन्द करके अलीगढ़ जेल में भेजा गया। माननीय, 2 जनवरी, 1998 को फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ। उस समय मेरे आवास पर गारद थी इसके अलावा 3 गनर व एक सब इन्सपेक्टर था। मेरे आवास पर गाड़ी नम्बर डी0 एल0 6ए 3025 जिप्सी आकर रुकी उसमें 5-6 बदमाश कारबाइन लिये हुये थे उन्होंने हमला किया और जब तक सुरक्षा गारद निकलकर बाहर आयी वह अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। मैंने उसी समय पुलिस अधीक्षक, दिल्ली से उक्त जिप्सी के बारे में पता किया तो यह पता चला कि यह 28 अक्तूबर, 1997 को कृष्णानगर थाने से चुरा ली गयी।

माननीय, मेरी हत्या के लिए मेरे प्रतिद्वन्दियों ने बदमाशों को 7 लाख रुपया एडवांस दे रखा है। माननीय, एक और निवेदन करना चाहूंगा 1993 में हमला हुआ हमारा एक आदमी मारा गया, एक की बाजू कट गयी, उस समय तत्कालीन गृह सचिव ने दो गनर दिये थे। माननीय, सरकारें बदलते ही गनर को हटा लिया गया तब मैं हाईकोर्ट में गया, तो दो गनर प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट ने रूल कर दिया और दो आरक्षी एस0 एस0 पी0 के दे दिये माननीय, सुरक्षा कर्मी होने के बाद भी आक्रमण हुआ। उसके बावजूद हमला हुआ। माननीय, हमें जो सुरक्षा प्रदान की गयी थी उसे वापस ले लिया गया, हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, कन्टेम्पट नोटिस हो गयी है। मैं 6 जून को गृह सचिव से मिला था उन्होंने कहा कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की एजेन्सी पर विश्वास नहीं है तो आई0 बी0 से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। माननीय, माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी हमारे जनपद के हैं, राजनैतिक द्वेष भावना से यह सब हो रहा है। माननीय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा आप हमारे संरक्षक हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा करने का आपका नैतिक दायित्व है। जो आई0 बी0 की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमें सुरक्षा प्रदान की जाय। हमारे राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों ने 7 लाख रुपया एडवांस

मेरी हत्या के लिए दे रहा है । माननीय, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या के लिए 3 लाख रुपये दिये गये थे और उनको मरवा दिया गया और आज हमारी भाभी जी यहां बैठी हुई हैं । माननीय, यह मेरी भी हत्या करवा देना चाहते हैं । कहीं ऐसा न हो जैसा भाभी जी यहां बैठी हैं वैसे ही मेरी पत्नी यहां आकर बैठे ।

माननीय, मुझे आई0 बी0 की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

6 जून, 1998 को प्रमुख सचिव गृह उ0 प्र0 को एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आई0 बी0 भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है । इसको संसदीय कार्यमंत्री जी देख लें । श्री उपाध्याय की सुरक्षा के बारे में कोई रिपोर्ट आई0 बी0 की आई है या नहीं अगर आई है तो उस पर विचार करके रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था करवा दें ।

श्री हुकुम सिंह—

अगर आई0 बी0 से कोई रिपोर्ट आई होगी तो उस रिपोर्ट के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।

श्री वी0 आर0 वर्मा—

माननीय, अगर आई0 बी0 से रिपोर्ट न आई हो तो उसकी रिपोर्ट मंगवा ली जाए ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । नहीं आई होगी तो मंगवा लेंगे ।

*श्री चन्द्रपाल सिंह—

माननीय, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोग अगर अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो जनता के बीच काम कौन करेगा । मैं झांसी जनपद की एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । झांसी में मोठ थानान्तर्गत कुम्हड़ा के निवासी समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो जिला परिषद् के सदस्य थे वे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । कई वर्षों तक ग्राम प्रधान भी रहे थे । कुछ राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के इशारे पर 27 तारीख को उनको गोलियों से हत्या कर दी गई ।

श्री अध्यक्ष—

चन्द्रपाल जी अपनी सूचना कल किन्हीं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दे दीजिए ।

श्री चन्द्रपाल सिंह—

मैंने नियम 311 में सूचना दे दी है ।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि पूर्व सूचना नहीं है इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी के पास इसकी जानकारी नहीं होगी । कल आप नियम 56 के तहत सूचना दे दें अगर शलाका में नहीं आएगी तो कोई रास्ता निकालेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री राम अचल राजभर का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, मेरी भी सूचना है मुझे भी सुन लें। पहले मैं भी अपनी बात कह दूं। उसके बाद राम अचल राजभर जी बोल लेंगे।

हमारे संविधान में धरना देने का अधिकार सबको है।

श्री शिव प्रताप जो गोसाईगंज थाना के अन्तर्गत आते हैं इनको अपराधी तत्वों ने मारा पीटा जिसकी इन्होंने एफ0 आई0 आर0 लिखाई लेकिन किसी को गिरफ्तारी नहीं की गई। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर धरना देने का काम किया। जब धरना देने के बाद यह लोग घर चले जाते हैं, तो वहां के थानाध्यक्ष द्वारा इन सारे लोगों सर्वश्री राम अचल राजभर, धर्मराज निषाद, श्री रामशंकर एडवोकेट व बहुजन समाज पार्टी के तमाम सदस्यों के खिलाफ सात क्रिमिनल ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया। 103/98, 143, 342, 504, 506 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 22 लोगों को नामजद कर दिया। धरना देने के कारण यह मुकदमा कायम किये गये। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री राम अचल राजभर—

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। 27 मार्च, 1998 को श्री शिव प्रताप सिंह जिनकी गोसाईगंज थाना परिसर के अन्तर्गत कुछ अराजक तत्वों ने पिटाई की। इसमें नामजद एफ0 आई0 आर0 हुई। श्री धरम राज निषाद, विधायक, बहुजन समाज पार्टी एवं जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिलकर डी0 आई0 जी0 व एस0 एस0 पी0, फैजाबाद से मिलकर गिरफ्तारी की मांग की थी परन्तु आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुए। इसके बाद श्री धर्मराज निषाद जी ने एक हफ्ते का नोटिस दी और कहा कि हम एक हफ्ते बाद 15 अप्रैल को धरना देंगे। उसे नोटिस के अनुसार धर्मराज निषाद जी पूर्व जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी श्री भारतीय सिंह जी आदि धरने पर बैठ गये। डी0 एम0 व एस0 एस0 पी, फैजाबाद नहीं आये, अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया। एस0 पी0 सिटी तथा सी0 डी0 ओ0 को ममोरेन्डम देकर धरना समाप्त हुआ। परन्तु वहां के थानाध्यक्ष ने विधायक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी तथा भारती सिंह जी सहित 22 लोगों के विरुद्ध अपराध संख्या 103/98 के तहत धारा 143, 342, 504, 506 तथा 7 क्रिमनल ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया। मान्यवर, आज हम आजादी की 50वीं वर्ष गांठ मना रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अगर इस तरह से जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे तो फिर मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का हनन हो जायेगा। इसलिए मेरी मांग है कि उस पुलिस कर्मी के खिलाफ जांच की जाय और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय तथा मुकदमा वापस किया जाए। साथ ही इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

श्री राम अचल जी तथा श्री लालजी वर्मा को सुनने के बाद ससदीय कार्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान ले लिया है जो विधि के अनुसार कार्यवाही होगी उसे वह करेंगे ।

सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने तथा इसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

आज कई बार है, इसलिए मैं मद संख्या-10 को स्थगित कर रहा हूं । अब, संख्या-11 जो बाढ़ से सम्बन्धित है, इस पर आज चर्चा प्रारम्भ करा देता हूं ।

(श्री लालजी वर्मा तथा श्री बी0 आर0 वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं यह तो निर्देश नहीं दे सकता कि मुकदमा खत्म कर दिया जाय और यह भी निर्देश नहीं दे सकता कि मुकदमा आगे बढ़ाया जाय । जो चीजें आपने कहीं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनका संज्ञान ले लिया है ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

माननीय, बी0 जे0 पी0 के बिला अध्यक्ष श्री भारती सिंह जी के विरुद्ध भी मुकदमा चल हुआ है । मुकदमे तो वापस करने के लिए कह दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

जो यथोचित कार्यवाही होगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कर लेंगे ।

प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आयी बाढ़, नदियों का कटान और बन्धों के टूटने से हुई मौतों तथा जन सामान्य को हो और बन्धों रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा की गयी सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-11 पर आज चर्चा प्रारम्भ करा देता हूं । कल इस पर चर्चा जारी रखेंगे । आज कोई एक माननीय सदस्य इस पर बोल लें ।

(व्यवधान)

नियम-56 में जो सूचनाएं हैं सब नहीं आई हैं । अब मैं आगे की मद संख्या-11 ले रहा हूं । इसमें चर्चा आरम्भ करवा देते हैं । कल भी हम जारी रखेंगे ताकि आज जो अनुदान हैं वह भी हो जायं और चर्चा आपकी चलती रहे ।

*श्री जगदम्बिका पाल--

माननवर, आपने उत्तर प्रदेश के विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जो विभीषिका है, इस पर चर्चा स्वीकार की है । आज पूर्वांचल में बाढ़ की नियति बन गई है । बाढ़ की यह स्थिति है कि 14 तारीख को सदन में बाढ़ और अति वृष्टि से प्रभावित लोगों की संख्या 30 मैंने सूचना में बताई थी और आज मात्र दो दिनों के बाद जो अधिकृत सूचना है बाढ़ और अति वृष्टि से प्रभावित लोगों की वह 54 लोगों की मृत्यु हुई है । माननवर, बाढ़ और अति वृष्टि से वहां पर विनाश लीला जारी है । जन धन की क्षति हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहो हैं । अभी दो दिन पहले हमारे बाढ़ राहत मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के उनके सभी अधिकारी युद्ध स्तर पर इस स्थिति से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं, कहीं पर कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है । माध्यवर, आप सदन की कार्यवाही देख लें उन्होंने किस जिम्मेदारी के साथ कहा था कि हमारे अधिकारी वहां कार्य में लगे हैं । इस समय 4 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए) इस प्रश्न के उठने के बाद जब माननीय मंत्री जी पूर्वांचल के दौरे पर गये हैं तो उन्होंने महसूस किया होगा कि वहां जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी क्या स्थिति है । आज वह गांव टापू बन गये हैं, जलमग्न हो गये हैं । वहां पर आवागमन ठप्प है । आने जाने के लिये नाव या अन्य कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । कल गोरखपुर में उन्होंने जो निर्देश दिये हैं कि जहां पर 15 जून से बाद की स्थिति इतनी खराब है । बाढ़ की विभिषिका से लोग जीवन और मरण से संघर्ष कर रहे हैं । दो दिनों के अन्दर गोरखपुर के करीब 500 गांव, सिद्धार्थनगर के साढ़े पांच सौ गांव, बस्ती के साढ़े तीन सौ गांव, पडरौना देवरिया के जो गांव डूबे हैं वहां नाव उपलब्ध नहीं है, तुरन्त उपलब्ध कराई जाय श्रीमन्, कल उन्होंने स्वयं यह सुनिश्चित किया कि जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं वहां के लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि माध्यवर, जो मजदूर हैं दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे जब वह कहीं खेत पर काम करके आते थे तो शाम को उनके घर में चूल्हा जलता था अभी 8-10 दिन से बाढ़ से घिर जाने के कारण उनके परिवार के लिए विकट हो गयी है गरीब के घर उपवास की नौबत आ गई है । गांव के जो सम्पन्न लोग हैं वह गांव से जाकर कहीं अपना गेहूं नहीं पिसवा पा रहे हैं ।

माध्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हर साल बाढ़ से प्रभावित होने पर प्रशासन तत्काल वहां आटा, नमक दियासलाई का प्रबन्ध करता, है क्योंकि बाढ़ के कारण वे कस्बों, हाटों, बाजारों में कहां जायेंगे । माध्यवर सारी नदियों को जो विनाश लीला है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं । सिंचाई मंत्री जी, बाढ़ राहत मंत्री जी कोई यहां पर उपलब्ध नहीं है । कितनी जानकारी वे देंगे ? उत्तर प्रदेश में घाघरा, सरजू, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक से सम्बन्धित इलाके और बस्तियां आज कट गये हैं । देवरिया, बस्ती, मण्डल के सारे जिलों में बाढ़ का कहर है ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री पाल जी, यह चर्चा कल भी जारी रहेगी । यह तो आप औपचारिक रूप से अपनी बात कह दें । एक दो मिनट में समाप्त कर दें । कल जारी रहेगी इसलिए शुरू करा दी है ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माध्यवर, राज्य मंत्री गये थे, आज मुख्य मंत्री जी स्वयं गये हैं ।

वह भी लौटकर आ जाएंगे । जैसा आपके निर्देश हुए हैं यह चर्चा जारी रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

पाल जी कल चर्चा जारी रहेगी एक माननीय सदस्य बात कह दें : पाल जी दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दें कल चर्चा जारी रहेगी । हर माननीय सदस्य को अवसर दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

*श्रीमती गौरी देवी--

मेरा भी मामला है ।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा कल जारी रहेगी ।

शस्त्र लाइसेन्स जारी करने में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने व जरूरत मन्दो को लाइसेन्स आसानी से उपलब्ध करायें जाने के विषय में श्री वी0 आर0 वर्मा द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 12 स्थगित की जाती है ।

अब हम मद संख्या 13 लेते हैं ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 95 उत्तरांचल विकास विभाग ।

(डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")--

*उत्तरांचल विकास मन्त्री--

माध्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की शिफारिश यह प्रस्ताव करता हू कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,80,62,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

माध्यवर, उत्तरांचल का क्षेत्र हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से हो, या इस देश की एकता और अखंडता की दृष्टि से हो, चाहे संस्कृति की दृष्टि से हो, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, हर दृष्टि से उत्तरांचल का क्षेत्र इस देश के लिए महत्वपूर्ण रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि वह आपस में बात न करें । माननीय मन्त्री जो उत्तरांचल के विकास के बारे में कुछ कह रहे हैं इसलिए आपस में बात न करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"--

हर क्षेत्र में उत्तरांचल बहुत महत्वपूर्ण रहा है । यह क्षेत्र वह रहा है जिसने इस देश की दोहरी पंक्ति में अपने को रखा है । दोहरी पंक्ति में खड़े होकर इस देश की सेवा की है । पहली पंक्ति में एक व्यक्ति सेना की सीमा पर सीना तान कर खड़ा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपस में बात न करें ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"--

दूसरी हमारी मां-बहनें भी हर क्षेत्र में अग्रणी रही हैं । उत्तरांचल ऋषि-मुनियों की तपस्थली रहा है । इस क्षेत्र में बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, चार धाम के रूप में इनको माना जाता है । यहां दक्षिण के व्यक्ति, पूर्व के व्यक्ति और पश्चिम के व्यक्ति आते हैं । यह क्षेत्र देश की संस्कृति को जोड़ता है । हेमकुण्ड यहां की धरती पर है . . . ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण यह ठीक नहीं है । अगर बात करनी है तो आप बाहर जाकर करें यह स्थिति ठीक नहीं है । माननीय मन्त्री जी उत्तरांचल के विकास के बारे में बता रहे हैं ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"--

इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि इसका समुचित विकास नहीं हो सका । उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो सके माननीय, पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी यह दोनों आज तक काम नहीं आ सके चालीस पचास हजार नौजवान वहां से पलायन कर चुके हैं । पहाड़ों का जो पानी है, चार सौ पचास किलोमीटर नदियों वाला क्षेत्र है., लेकिन आज वह पानी के लिए तरस रहा है । यह इसलिए कि उसका समुचित नियोजन नहीं हो सका । हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि वह पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी को संचित करके उसका उपयोग करेगी और वहीं का विकास करेगी । माननीय, जो बजट आपकी कृपा से और माननीय सदस्यों के परामर्श से आज पास होने वाला है, 1998-99 में 860 करोड़ रुपया का परिव्यय स्थापित किया है । पिछली बार यह 677 करोड़ रुपया था । तो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़कर है । जो प्राथमिकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे सड़क, स्वास्थ्य, बिजली पानी चिकित्सा और शिक्षा इन तीन चार बिन्दुओं पर 391.29 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है जो उस राशि का महत्वपूर्ण अंग है ।

श्रीमन्, उस क्षेत्र के विकास की चर्चा की गयी है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं । लेकिन उसका समुचित उपयोग हो तो जो ढालू क्षेत्र हैं, हमने एक योजना बनायी है कि वहां पर खेत को व्यवस्थित करके जो उत्पादक फसलें हैं उसको लगायेंगे । बेमौसमी सब्जी जो जिनका मौसम नहीं है और कहीं नहीं मिलती है तो वह बेमौसमी सब्जियां उगायेंगे और वह उपलब्ध होयेंगी । मसूरी से लेकर चम्बा तक बेमौसमी सब्जी

उगायेंगे। माध्यवर, जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहता हूं। जो दुर्लभ जड़ी बूटियां उत्तरांचल क्षेत्र में हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक विशेष योजना बनायी गयी है। हम चाहते हैं कि यह दलालों के हाथों में न पड़े और नष्ट न हों बल्कि जो वहां के स्थानीय नौजवान हैं उनको स्थापित कर जो शोध संस्थान था, उसका विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। हमने मशरूम को खेती पर बल दिया है और अनेकों स्थानों पर हमने इसकी खेती भी शुरू कर दी है। अदरक की खेती शुरू कर दी है। वहां पर अदरक की घाटी है। हमारे मुख्यमंत्री चौहान जी के क्षेत्र में भी अदरक बहुत उपजा होता है वह इस पर अपने भाषण में कहेंगे। हम इसको और बढ़ायेंगे। फल पट्टी भावी उत्तरांचल की रीढ़ कैसे बनायी जा सकती है उसका नियोजन कैसे हो सकता है ? इसके बारे में भी विचार किया जा रहा है।

टीशू कल्चर से फूल बनाने कोशिश शुरू कर दी है। इसमें हमने 100 परिवारों को जोड़ा है। कुमाऊं मण्डल विकास निगम और स्थानीय लोगों की सहायता से हम इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें हमने वहां के नौजवानों का आह्वान किया है। हमने फूलों का उत्पादन शुरू कर दिया है। पचास हजार की योजना है। 32 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है और 18 हजार रुपया बैंक से ऋण के रूप में मिल रहा है। माध्यवर 27 लोगों ने इसे अपने हाथ में लिया है। इसमें सो परिवारों को जोड़ा गया है। हर वर्ष दो सौ तीन सौ परिवारों को हम इसमें जोड़ेंगे। कृषि के क्षेत्र में 715 लाख रुपये का प्राविधान किया है तथा औद्यानिकी में 407 लाख का प्राविधान किया है।

श्रीमन्, कृषि औद्यानिकी में जैसा मैंने कहा फल पट्टी हिमाचल प्रदेश में औद्यानिकी के रूप में विकसित की गई है।, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अपने यहां औद्यानिकी महाविद्यालय का निर्माण करेंगे, यह प्रस्ताव है। यह अभी तक कहीं नहीं है। माध्यवर ग्राम विकास की दिशा में भी हमारा सतत प्रयास है। एकीकृत ग्राम विकास में डी0 पी0 ए0 पी0 के तहत वार्षिक योजना तैयार की है और जिसमें 14.20 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। जी0 आर0 वाई0 में 32 करोड़ का प्राविधान किया गया है, 100 लाख मानव दिवसों का सृजन करेंगे, एन0 आर0 वाई0 में 13.20 करोड़ रुपये का प्राविधान है। 84 लाख मानवदिवसों का सृजन करेंगे।

माध्यवर, उत्तरांचल में 65 प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित है। इसलिए इन वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे यहां 70 से 80 प्रतिशत तक महिलायें हैं, वन के क्षेत्र में इन महिलाओं की संख्या के अनुरूप हम वहां पर कार्ययोजना बनायेंगे और वन क्षेत्र में महिला वन पंचायतों की स्थापना का कार्य करना शुरू भी कर दिया गया है। सूखते जल स्रोतों के बारे में हम अध्ययन, विचार कर रहे हैं कि कैसे उनको सुनियोजित और सुरक्षित रखा जा सकता है। माध्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में वानिकी और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से 108 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी है। इस वर्ष में श्रीमन् 25.53 करोड़ रुपये व्यय करेंगे यह हमारा लक्ष्य है। वन प्रबन्धन की जो हमारी वार्षिक योजना है उसमें हमने 35.90 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। यह विगत वर्ष से अधिक है। वन प्रबन्धन हमारी सरकार की चिन्ता है।

जलागम की दिशा में भी हमारी चिन्ता है हमने नये क्षेत्रों को चुना है पर्यावरण संरक्षण और नयी तकनीक से सभी विभागों के समन्वय के साथ उसके आधार के साथ उत्तरांचल में 26 परियोजनायें चल रही हैं।116 उप परियोजनाएं

हैं, 1120 जलागम की योजनायें हैं मान्यवर, हमने क्षेत्र चुने हैं, जिसमें भूमि संरक्षण का कार्य और औद्यानिकी का कार्य लघु सिंचाई कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के क्षेत्र में सामूहिक दृष्टि से उनका विकास कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 10 वर्ष की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिस पर 2095 करोड़ रुपये व्यय होगा। और इस वर्ष 125.58 करोड़ रुपये का परिव्यय किया है। हम एक समबद्ध तरीके से इस सारे क्षेत्र को निर्धारित विकसित करना चाहते हैं। जलागम के क्षेत्र में काम हुआ है। बहुत सारी प्रगति हुई है। मान्यवर, उद्योगों का विकास भारी और मध्यम उद्योग हमारे यहां तराई की घाटी में लगे हुए हैं। जो ऊपर का क्षेत्र है, उसमें भौगोलिक स्थिति के कारण उद्योग नहीं लग सकते हैं, यहां कच्चे माल के आधार पर छोटी-छोटी योजनायें बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। ग्रामोद्योग के माध्यम से हम यह कार्य करेंगे। वहां के वन उपज के आधार पर, वहां की सब्जी उत्पादन के आधार पर जैसे माल्टा, वहां ज्यादा होता है, तो जूस निकाल कर उत्तरांचल जूस के नाम से विख्यात करना चाहते हैं। इस तरीके के रेशम, चाय, ऊन पर आधारित छोटी-छोटी योजनायें बनाने का हमारा लक्ष्य है। मान्यवर, उत्तरांचल की उद्योग नीति अभी मंत्रि परिषद् के विचाराधीन है। हमने दिल्ली से एक निवेश संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है।

स्वत: रोजगार के लिए एक नयी योजना चलाई है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें 142.23 करोड़ का प्राविधान रखा है। लघु उद्योग और खनिज में इस वर्ष 15.61 करोड़ का प्राविधान किया है। खनिज में खड़िया है जो पूरे पिथौरागढ़ में इकट्ठा कर बंगाल, मद्रास भेजी जा रही है। हम खनिज का एक अलग से निगम बनायेंगे, खड़िया का और निकट भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। खनिज सम्पदा के साथ ही जो एक बहुत बड़ी कठिनाई है वह पेयजल की है जो क्षेत्र गंगा, यमुना को देता है, वह प्यास के लिए तरस रहा है। कुछ परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से ऐसी हैं, जैसे अति-वृष्टि, भूस्खलन और आग लगने से जल के स्रोत सूख जाते हैं और हर वर्ष नये संकट से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी उत्तरांचल पेयजल की आपूर्ति के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने विगत वर्ष में बहुत सारे गांवों को, एक हजार से अधिक डांवो को लाभान्वित किया है और इस वर्ष हमने जो बजट रखा है वह गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रखा है। 30400 बस्तियां हैं जिसमें 27126 बस्तियों में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और 3008 ऐसी बस्तियां हैं, जिसमें आंशिक हैं, आंशिक योजना की 324 बस्तियों में पेयजल का और 3008 जो आंशिक रूप से हैं इसको बृहद योजना बना रहे हैं। इसके लिए 12 करोड़ का प्राविधान रखा है जब कि यह जो योजना है।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें 612 करोड़ का प्राविधान रखा है। जो यह पेयजल से वंचित हैं, इसको पूर्ति करेंगे और नवीं पंचवर्षीय योजना में करेंगे। उत्तरांचल शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र। उत्तरांचल ने प्रतिभाओं का निर्यात किया है। आज उत्तरांचल क्षेत्र के नवयुवक पूरी दुनिया में हैं। चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तरांचल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान रहा है। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष इसमें 95 हाई स्कूल और 95 इण्टर कालेज स्थापित किये और इस वर्ष हमने 1700 पद सृजित कर दिये, वह स्कूल शुरू

ही हो गये हैं । यह पहली उपलब्धि है कि बेसिक और प्राथमिक उच्च शिक्षा में 2345 पदों का एक साथ सृजन किया गया है । 7400 माध्यमिक पदों का सृजन किया गया है । माननीय, 95 हाई स्कूल और 97 इण्टरमीडिएट कालेज हैं, उनकी स्थापना का निर्णय लिया है, और उसका दिशा में कार्यवाही चल रही है । शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हमने 123 भवनों के लिए 442 लाख रुपये का प्राविधान किया है और जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको वंचित नहीं किया गया है । 1 करोड़ 25 लाख का प्राविधान उनके लिए किया गया है । 25 लाख रुपये इस वर्ष देने का लक्ष्य है । श्रीमन्, हमने शिक्षा के क्षेत्र में आज आधारभूत प्राविधान किया है, इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कठिनाई और समस्या है वह यातायात की है ।

श्रीमन् आज भी 50 वर्षों के बाद यातायात की समुचित सुविधायें उत्तरांचल के लोगों को नहीं मिल सकी हैं । मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, यह हमारी सरकार है जिसने एक साथ लगभग एक हजार कि0मी0 की स्वीकृति दी और एक साथ 95 झूलापुलों की स्वीकृति दी, यह आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है । माननीय, उत्तरांचल में पुलों की नितान्त आवश्यकता है । यदि पूरे उत्तरांचल के आंकड़े ले लें तो पायेंगे कि कम से कम 100–200 बच्चों की मौतें नालों में बह जाने के कारण वहां होती हैं, बसें बह जाती हैं, इसलिए हमारी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । इसके अलावा 40–40 कि0मी0 सड़कों को पक्का करना प्रस्तावित है । वहां ऐसी बहुत सी सड़कें थीं, जो 50 साल से बनी थी, लेकिन आज तक वह पक्की नहीं हो सकी थी, इस काम पर 800 सौ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का खर्च आयेगा, इसे हम विश्व बैंक अथवा नाबार्ड की सहायता से पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए विस्तारपूर्वक योजना बना रहे हैं । इसके लिए हमने 108.26 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया है ।

माननीय, यह भी बताना चाहूंगा कि 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को भी जोड़ने का हमारा संकल्प है, ऐसे 57 की स्वीकृति दे दी गई है और 33 अभी शेष हैं, इसमें भी 31 करोड़ की लागत आयेगी । माननीय, हमारे यहां बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो इधर से बनी हैं और उधर से बनी हुई हैं लेकिन बीच में कुछ हिस्सा 1 आध कि0मी0 छूटा हुआ है, ऐसी मिसिंग लिंक को भी हम लोग जोड़ रहे हैं, इसके लिए हम 21 क्षेत्र बनाने जा रहे हैं । इसके अलावा हमारे यहां छोटे–छोटे अन्य सेतुओं की जरूरत है, जिसमें 51 मोटर तथा 25 पैदल, जिसमें से 40 सेतु बनाने का इस वर्ष लक्ष्य रखा है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी ।

माननीय, उत्तरांचल में आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आज भी महिलायें, बहनें सारे बोझ को सिर पर लाद कर अपने गांव तक जाती हैं, इस सरकार की कोशिश है कि वहां की महिलाओं की जो त्रासदी है, उसको जल्दी से जल्दी यातायात की सुविधा उपलब्ध कराकर दूर किया जाय इसके लिए कई पैदल मार्गों का प्राविधान भी रखा गया है :

दूसरी प्रमुख समस्या हमारे यहां स्वास्थ्य की है, आज भी वहां स्वास्थ्य की यह मूलभूत आवश्यकता, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई है । इसलिये हमारी सरकार ने पिछले बार की अपेक्षा 4 गुना अधिक बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में रखा है । इस वर्ष 98–99 में 46.60 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वास्थ्य के मद में

रखा है, इसके साथ ही वहां 144 भवनों का निर्माण भी कर रहे हैं । वहां जो स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं, वह छोटे-छोटे भवनों में, कोठड़ियों में चल रहे हैं, उनके टूटने की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिये हमने संकल्प लिया है कि हम इनको व्यवस्थित करेंगे । 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 36 उप केन्द्र और 92 ग्रामीण चिकित्सालयों को जोड़ कर 144 की संख्या होती है, ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का हम निर्माण कर रहे हैं ।

श्रीमन्, इतना ही नहीं 95 आयुर्वेदिक अस्पतालों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, अगर यह खुल जाते हैं तो ग्रामीण अंचलों के दूर-दराज के लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी । माननीय, 4 नव सृजित जिले हैं—उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, और चम्पावत वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं । श्रीमन्, पर्यटन की दृष्टि से कई बार आशंका व्यक्त की गयी है कि वहां की आर्थिकी क्या होगी । तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तरांचल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझ दुख के साथ कहना पड़ता है कि 40-50 साल के शासन में वहां पर कोई विकास नहीं किया गया है । कभी इस दिशा में देखा नहीं गया है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है । हम लगातार कहते रहे हैं कि पर्यटन का हम विकास करेंगे । हमारे उत्तरांचल के सामने स्वीट-जरलैण्ड कुछ भी नहीं है । अभी फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उत्तरांचल गये थे वहां पर उन्होंने हार्सिल को देखा, उत्तरकाशी को देखा, गंगोत्री को देखा, रानीखेत को देखा और अन्य तमाम स्थानों को देखा और जब वह लौटकर देहरादून में आये तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सच है कि स्वीटजरलैण्ड बहुत अच्छा है लेकिन उत्तरांचल के हर स्थान पर स्वीटजरलैण्ड दिखायी पड़ता है । इसलिए हमारी सरकार ने उसे फिल्म से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया है । इसी सदन में निर्णय लिया है कि जो प्रदेश में 70-75 प्रतिशत फिल्म की शूटिंग होगी उनको रियायत दी जायेगी ।

माननीय, मेरा फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है । देहरादून के पास फिल्मसिटी बनाने की योजना है । ऋषिकेश, देहरादून, पन्तनगर, दिल्ली, पिथौरा-गढ़ को जोड़ने के लिए हवाई यातायात चलाने की पूरी कार्यवाही हो गयी है यहां हवाई सेवा बहुत जल्द शुरू हो जायेगी । इस सम्बन्ध में इस सरकार ने सशक्त कदम उठाये हैं । अगर यह सेवा शुरू होती है तो उत्तरांचल में बहुतायत से पर्यटक आयेंगे । समय की कमी के कारण पर्यटक वहां नहीं जा पाते हैं । ऐसे पर्यटक हवाई सेवा शुरू होने पर जा सकेंगे । माननीय, बेरोजगारों को क्या लाभ होगा यह बात कही गयी तो मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों के लिए एक विशेष योजना बनायी गयी है । उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना बनायी गयी है इसके तहत 10 लाख रुपये की योजना है इसमें 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, उनको ऋण दिया जायेगा जिससे वह होटल बना सके, छोटे-छोटे होटल बना सके और अपनी रोजी-रोटी कमा सके । माननीय, शीत-कालीन क्रीड़ा के लिए हम चाहते हैं कि जो रज्जुमार्ग औली का है उसको गौरशों तक ले जायेंगे । यहां पर सबसे बड़ा केन्द्र स्थापित करेंगे शीतकालीन क्रीड़ा का । पर्यटन के क्षेत्र में बद्रीनाथ, हेमकुण्ड, औली, आदि तमाम स्थानों

को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है । हम चाहते हैं कि कम्प्यूटर को जो शिक्षा है हर विकास खंड तक दें । इण्टर कालेज पर इसका प्रशिक्षण करेंगे और फिर इस तकनीक को लोगों तक पहुंचायेंगे ।

हम लोगों ने इलेक्ट्रानिक ट्रेनिंग सेन्टर जगह-जगह पर खोल दिये हैं । जो पहले रोग ग्रस्त यूनिट घोषित कर दिये गये थे उनको पुर्नजीवित किया जा रहा है, हिलट्रान पर जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको आज तक कोई जानता नहीं था, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की उसको भी हम तेजी से बढ़ा रहे है और उसके लिए निगम बनाने की बात है । श्रीमन्, गढ़वाल और कुमायूं मण्डल दोनों में फूलों की खेती की अपार संभावना है, जैसा मैंने पहले कहा स्थान-स्थान पर फूलों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं । इसी तरह चाय के बागान लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड में जो चाय पैदा होती है वैसी पूरे देश में कहीं नहीं है । ऐसी स्वादिष्ट चाय आपको दार्जिलिंग में भी नहीं मिलेगी । हमने चार स्थानों पर चाय की खेती शुरू कर दी है और कौशानी में दो सौ एकड़ में 20 करोड़ की लागत से यह योजना बनाई है । चमोली, नरेंदी, और बेरीनाग में यह खेती हो रही है । और इसी तरह घोड़ाखाल में भी हम चाय पैदा करेंगे । बेरीनाग की चाय तो बहुत प्रसिद्ध है । यह हम कोई सरकारी क्षेत्र में नहीं बल्कि जनता की साझेदारी में करेंगे । जनता की सहभागीदारी में चाय उद्यानों को विकसित कर रहे हैं । पर्यटन की दिशा में हमने काफी प्रयास किया है और 24 करोड़ का परिव्यय रखा है । ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए समुचित व्यवस्था की है और इस समय 12 हजार 66 गांवों का विद्युतीकरण किया है । पिछले वर्ष तक 600 हरिजन गांव का विद्युतीकरण किया है, इस समय हमारा 297 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । इसी तरह 2500 किलोवाट ऊर्जा हम उत्पादन करेंगे यह हमारा लक्ष्य है । लघु जल विद्युत निगम की स्थापना की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में 14.08 लाख रुपये का प्राविधान निर्धारित है । इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन के अन्तर्गत 10066 लोगों को लाभान्वित किया जायेगा । इसी तरह विकलांग के लिए हमने प्रयास किया है । सैनिक कल्याण के लिए भी हमने योजना बनाई है 2,95000 से अधिक हमारे सैनिक हैं उनका भी सहयोग लेंगे । और जो हमारे मृतपूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण की हमने योजना बनाई है । सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों के लिए हास्पिटल के निर्माण की व्यवस्था की है । सैनिकों की विधवाओं के लिए विशेष मदद की व्यवस्था है ।

चाहे सैनिक विधवाओं को सहायता देने का प्रश्न हो चाहे सैनिक पुत्रों की सेना में भर्ती का प्रश्न हो इस समय हमने 4 सौ लाख रुपये का प्राविधान रखा है । महिला कल्याण और बाल विकास में महिलाओं की ओर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है । महिला उत्थान योजना में पहले 7.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । व्यवसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की नई योजना शुरू की है । मान्यवर, इसी तरह से प्रत्येक विकास खण्ड पर बाल विकास योजना स्थापित की गई है जिससे महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं लागू की जायेंगी । महिलाओं के लिए 5.90 करोड़ एवं बाल विकास के लिए 8 करोड़

रुपये का प्रावधान किया है । जिला योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की योजना है । संघ मिनी डेरी योजना सभी जनपदों में लागू की जा रही है । माननीय, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को पुरानी बसों की प्रतिस्थापना के लिए 3.5 करोड़ रुपये दिये थे इससे 100 बसें खरीदकर उत्तरांचल की यातायात की व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है । विभिन्न स्वीकृतियां स्तर पर लिया जा रहा है प्रभावी कार्यान्वयन हो सके इसके लिए समितियां बनाई गया है और समय-समय पर मूल्यांकन और पुनरीक्षण भी होता है । हम अनुश्रवण और मूल्यांकन लगातार कर रहे हैं । माननीय प्रभारी मंत्रिगण क्षेत्रीय सांसद, विधायक गण जिला पंचायत के अध्यक्ष पंचायत के अध्यक्ष इन सबका सहयोग लिया जा रहा है । नोडल अधिकारियों द्वारा मानीटरिंग की जा रही है । नोडल अधिकारियो एवं जिला स्तर अधिकारियों के भ्रमण का चार्ट बनाया जा रहा है कि किस-किस गांव कब जायेंगे । योजनाओं का लगातार अनुश्रवण हो रहा है । प्रशासनिक तंत्र के ढांचे का सुदृढ़ीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है इसलिए उत्तरांचल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री कृपया संक्षेप करें ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

सरकार प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम चला रही है और बहुत जल्दी इस दिशा में अपेक्षित रिजल्ट सामने आ जाएगा । माननीय, मंडलीय विकास निगमों को संशक्त बनाया जा रहा है । मैं श्रीमान् आपके माध्यम से, सम्मानित पूरे सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अमूल्य सुझाव दें ताकि उत्तरांचल के विकास की दिशा में अधिक से अधिक कदम उठाये जा सकें ।

श्री मुन्ना चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देशीय विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी माननीय उत्तरांचल विकास विभाग मंत्री जी ने उत्तरांचल विकास विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है उसको श्रीमान् मैंने काफी मनोयोग से सुनने की कोशिश की है । मैं उम्मीद करता था कि मंत्री जी की तरफ से सत्ताधारी भाजपा की उस अवधारणा को सही झलक मिलेगी, कि ईमानदारी से या गैर ईमानदारी से जो भी ठीक समझें कि भविष्य में उत्तराखंड राज्य की कल्पना करते हैं । चूंकि मैं उत्तराखंड राज्य का समर्थक हूं उत्तराखंड राज्य का निर्माण वहां के आदमी की बहबूदी से तरक्की से जुड़ा है ।

लिहाजा मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद कर रहा था कि जो बजट प्रस्ताव आपकी तरफ से आयेगें उसमें निश्चित रूप से कुछ आमूलचूल परिवर्तन, बुनियादी सुधार की बात आप करेगें लेकिन श्रीमन्, मुझे निराशा हुई यह जान करके कि माननीय मंत्री जी ने जो मैराथन स्पीच की यह ऐसा लगा कि वर्ष दर वर्ष जो खानापूर्ति की जाती है उसकी केवल एक पुनरावृत्ति मात्र था। जब उत्तरांचल विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षत्रों की बात करते हैं तो मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि आपके विभाग का नाम ही उत्तरांचल विकास विभाग है। आपके विभाग के जिम्मे विकास के तमाम सारे पहलू हैं। हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि जो बजट का योजनागत हिस्सा है उसके सापेक्ष योजनाओं को बनाये उसका कार्यान्वयन करने और भविष्य में इस क्षेत्र की विकास की रूपरेखा कैसे निर्धारित की जाये यह जिम्मेदारी आपके पास है। श्रीमन्, मैं तो बहुत आश्चर्य की स्थिति में हूं, यह सम्पूर्ण सदन इस बात का प्रमाण है।

माननीय मंत्री जी आज उत्तराखंड के विकास के लिए जो आपकी परिकल्पना है उसमें आप कितने ईमानदार हैं उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यदि आप नजर दौडाये तो उत्तरांचल क्षेत्र से चुने हुए 17 में से आपके अलावा कोई उपस्थित नहीं है, आपके 3 राज्य मंत्री हैं वह भी मुझे सदन के अन्दर कहीं भी बैठे हुए नहीं दिखायी दिये, इससे यह प्रमाण मिलता है कि उनका आपकी नीयत और आपके कार्य करने की क्षमता पर शक है, उनको भरोसा नहीं है कि आप उत्तराखंड को सही दिशा दे पाने में सक्षम हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण उत्तराखंड से आपके दल के 17 विधायक चुनकर आये उसमें से 3 मंत्री परिषद् के सदस्य हैं लेकिन न कोई विधायक उपस्थित है और न ही आपके मंत्री परिषद् के सहयोगी राज्य मंत्रागण मौजूद हैं, यह आपकी कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्न-चिन्ह है। तात्पर्य, मैंने अध्यात्म की न तो दीक्षा ली है और न ही उसके बारे में पढ़ा है लेकिन इतना जरूर सुना है कि मत्स्य पुराण और शिवपुराण हैं हमें तो मालूम नहीं था कि विशंक पुराण भी रचा गया है, प्रत्येक विधायक का यह दस्तावेज भेजा जा रहा है और हमें इस पुराण का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं आपको यदि इसके पृष्ठभूमि की तरफ न जाऊं तो बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है यह अपने-आप में एक गौरवशाली भूमि है। यदि आजादी के इतिहास की बात करें, जहां इस सम्मानित सदन में— खड़े होकर बात कर रहे हैं इस सम्मानित सदन के अन्दर इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं0 गोविन्द वल्लभ पन्त हुए।

वह इसी धरती से थे। उसके बाद बहुगुणा जी उसके बाद श्री नारायण दत्त तिवारी, यह सब बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सोबन सिंह जिम्मा साहब थे बड़ा सम्मान है पहाड़ के लोगों का उनके प्रति। इन लोगों ने कार्यभार संभाला आज यह हमारे बीच नहीं हैं। जिनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हैसियत होती थी। श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, इसी सदन के अन्दर श्री गुलाब सिंह जी, श्री बरफिया लाल जुआठा जी इन सबने इस विभाग को संभाला उसके बाद श्री कण्डारी जी ने संभाला। इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको बनाए रखने के लिए व क्षेत्र का विकास करने के लिए सभी लोगों को जो उत्तराखंड के प्रतिनिधि हैं कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना चाहिए। जो लक्ष्य है। उस क्षेत्र की प्रगति और लोगों की भलाई का। लेकिन आप तो उस क्षेत्र के

होने वाले मुख्यमंत्री की कल्पना कर रहे हैं। आप महत्वाकांक्षी रखते हैं लेकिन अफसोस है मुझे मलाल है इतनी छोटी सी संकीर्ण मानसिकता लेकर विकास की अपेक्षा कर रहे हैं। आप पहले उत्तरांचल विकास के मंत्री हैं जिन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी कि उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके साथ मिल बैठकर विकास के सम्बन्ध में बातचीत करें।

आप मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी राजमंत्री को ही अछूत मानते हैं। आपने उनसे जरा बराबर सलाह लेने का काम नहीं किया, जो वहां की विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं जब विवेचना करते हैं तो मानकर चलते थे कि दूसरे क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारी जो वहां जाते थे वह सही तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते थे। वह अपनी तैवासी के स्थान पर नहीं रह पाते थे तो यह माना गया कि हिल कैडर लागू होने के बाद स्थितियों में धार होगा। जिसके बारे में श्री कंडारी जी ने कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया। आज जो हिल कैडर की व्यवस्था है उसे झुनझुना बना दिया। जिसको पिक एण्ड चूज के तहत लागू किया जा रहा है। किसी को सुविधा से वंचित रखना है तो कह दिया जाता है कि आप मदानी कैडर के हैं आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आज हिल कैडर के नाम पर जितनी अव्यवस्था, का वातावरण पूरे उत्तराखंड की व्यवस्था में है, जो सरकारी कार्यालयों में व्यवस्था है वह गड़बड़ा गई है। आज उसमें कहीं भी तालमेल नजर नहीं आयगा। इस सम्बन्ध में आप मुझसे, श्री के0 सी0 सिंह बाबा और अपने 16 साथियों से बातचीत करते तो हो सकता था कोई भी रिजल्ट सामने आता। कोई बढ़िया व्यवस्था कर पाते। आप मंत्री बनने के बाद सबको भूल गए हैं। आप यह भूल गए हैं कि आप वहां के पहले विधायक हैं, उसके पहले वहां के नागरिक हैं मंत्री बाद में हैं। हेलीकाप्टर से सैर सपाटा करने से उत्तराखंड का विकास हो जायेगा। यह आप की संवेदनाशीलता का परिचय है। मुझे हैरत हुई कि इतना बड़ा हादसा कुंमायूं के डी डी घाट के समीप जमताड़ गांव धस गया। ग्रामीण टैंटों में रह रहे हैं पिथौरागढ़ में ही 7-4-98 को एक जनजाति गांव में बादल फटने से भीषण तबाही हुई। जिसमें पांच लोग की मृत्यु हो गई। इतने जनधन की हानि हुई सारे ग्रामीण क्षेत्रों के मवेशी दबकर मर गए। गांव के गांव की जमीनें धंस गई वह आज की तारीख में तम्बुओं के अन्दर ग्रामीण लोग रह रहे हैं।

इनकी संवेदनशीलता तो इसी बात से दिखाई देती है, कि गये थे प्रभावितों के प्रति संवेदनाशीलता दिखाने से लिये परन्तु हवा में ही हेलीकाप्टर से संवेदना दिखाकर चले आये। अब मैं बुनियादी पहलू की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखण्ड क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, तराई का क्षेत्र, दूसरा भाभर का क्षेत्र तथा तीसरा है पर्वतीय क्षेत्र। इस हिसाब से आपको अपने विकास कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिये थे। आप कृषि विकास की बात करते हैं और वनों के संवर्द्धन की बात करते हैं और आपने औद्योगीकरण की बात की। मुझे आश्चर्य हो रहा था जब आप औद्योगीकरण की बात कर रहे थे, तो आपने केवल उसका हेडिंग लिया और फिर आगे चले गये और दूसरी तीसरी चीजों की बात करने लगे। आपने कहा कि स्कूलों और विद्यालयों में आप कम्प्यूटर की शिक्षा देंगे। आपने दम्भ भर कर कहा था कि 1700 पदों

का सृजन कर विद्यालयों में अध्यापकों के खाली पदों को भरेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज यहां के 85 प्रतिशत विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। ट्रांसफर कर दिये गये हैं, आप उत्तरांचल विकास की बात करते हैं, आपको हवा तक नहीं है क्योंकि आप तो हेलीकाप्टर में घूम रहे हैं। आपने औद्योगीकरण की बात की। आपको क्या इस बात की जानकारी है कि पहाड़ पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं लगा सकते।

भारत सरकार ने तीन श्रेणियों में उद्योगों को बांटा है। पहला, सफेद सूची, दूसरी लाल सूची और तीसरी हरी सूची उत्तरांचल में केवल हरी सूची के ही उद्योग लगाये जा सकते हैं। मैं कल भी कह रहा था कि पूंजी निवेश होना चाहिये क्योंकि बिना पूंजी निवेश के औद्योगीकरण संभव नहीं है। क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी रहती है। केवल औद्योगीकरण की बात करने मात्र से उत्तरांचल में औद्योगीकरण नहीं हो सकता। आपने कभी यह सोचा कि वहां पर आप फ्रोन लिस्ट इण्डस्ट्री के कौन से उद्योग वहां पर लाने जा रहे हैं। आप कम्प्यूटर की शिक्षा देने जा रहे हैं, आखिर आप इससे क्या करना चाहते हैं? यदि इसके साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होता उद्योग नहीं लगते। आज हम जब डब्लू0 टी0 ओ0 की बात कर रहे हैं, भूमण्डलीयकरण की बात कर रहे हैं, पेटेंट कानून, इन्टोलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट के जमाने की बात करते हैं, ट्रिप्स की बात करते हैं तो मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि हम उत्तरांचल को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपने कहा कि हम कम्प्यूटर सिखायेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि उन टैक्नीकल हैण्डस का, जिनके हाथ काटे हैं, उनके लिये आपने कोई जवाब देने का कार्यक्रम बनाया है। इसकी बात आपने नहीं की।

मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि जैसा मन्त्री जी ने कहा कि पहाड़ों की प्रतिभाएं देश के तमाम इलाकों में जाती हैं। यह बात सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से दिन-रात हेलीकाप्टर से चक्कर लगा रहे हैं कभी विदेश भी चले जाते होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो नहीं गया केवल किताबें पढ़ता लिखता हूं। डेनमार्क और यूरोप के दूसरे कन्ट्रीज के बारे में पढ़ा है कि वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन उत्तरांचल के समान है, माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से डेनमार्क के अन्दर डेरी उद्योग हैं, एनीमल हसबेन्डरी है फ्लोरी कल्चर है। वह दुनिया के अन्दर अपना एक स्थान बनाये हुये हैं और निर्माण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का कोई कार्यक्रम लेकर आते तो मैं उसके लिये आपके लिये बधाई देता। हाल वही है ढाक के तीन पात। वही रटा रटाया घिसा पिटा भाषण, आपने उद्यानिक विकास के कार्यक्रम की बात कही। उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस उद्यानिक विकास के नाम पर माल्टे का जूस निकालने के अलावा आज की तारीख तक और कौन से काम हुये हैं। चन्द रूपयों की सब्सीडी देकर उत्तरांचल का आवाम को सरकार के रहमो करम पर जीने को मजबूर किया जाना है। मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हम उस सब्सीडी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे नौजवानों के खाली हाथों को काम देने की बात कर आपने कहा हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया एक हजार मीटर रोड के निर्माण और 40 मीटर पुलों के निर्माण की बात थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं दोष आपको नहीं देता . . . .

श्री अधिष्ठाता--

चौहान जी जरा संक्षेप में ।

श्री मुन्ना चौहान--

श्रीमन्, इस पर विपक्ष की तरफ से आप समझ लीजिये हमको अधिक से अधिक मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं ।

श्री मुन्ना चौहान--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि एक हजार किलोमीटर सड़क बनायेंगे, 40 पुलों को बनायेंगे । मैं तो कहना चाहता हूं कि न हजार किलोमीटर सड़क बनाइये न 40 पुल बनाइये अगर सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर इस बात की पैरवी कर लेते कि हमारी जो बेनाप भूमि है, केमरी हिन्द भूमि है, खत समतान की जमीन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लेकेट बैन लगा दिया था आपने अदालत से अन्दर उसकी पैरवी की होती तो मैं आपको बधाई देता । आप उस क्षेत्र के रहने वाले थे वहां की परिस्थितियों को ज्यादा समझते थे । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय रघुवीर दयाल वर्मा जी को जिन्होंने इस बार समस्या के बारे में सोचा । मान्यवर, मैं मन्त्री जी को साधु-वाद देता, धन्यवाद देता अगर उन्होंने वहां के लोगों की इस समस्या के बारे में पहल की होती । आपको तो शायद सोचने की जरूरत नहीं । आप तो जो आपका गोमती नगर में "निवास" है, पता नहीं क्यों कहा जाता है उसे "घुघुती निवास" उत्तराखण्ड के अन्दर तो वह इसी नाम से प्रचलित है । आप जाने क्या करते हैं आपको उससे ही फुर्सत नहीं है ।

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इस वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट से बाहर आने की जरूरत है । इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करिये । एक हजार किलो मीटर सड़क आप कहां बनायेंगे जब हमको वहां 1 मीटर जमीन खोदने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है । आप क्या सड़क खेत के अन्दर बनवायेंगे ? मैं पूछना चाहता हूं श्रीमन् अभी आपने जिक्र किया था सम्वर्धन का, मैं उम्मीद कर रहा था कि भूमि संरक्षण सेक्टर के काम पर और कुछ कार्य करेंगे । मान्यवर आज वहां पर सरकारी अधिकारी द्वारा जेब भरी जा रही है वह अपने आप में एक इम्तेहा है । मैं कहना चाह रहा हूं, वर्मा जी नाराज होंगे, क्यों कि उन्होंने कहा था कि लोग अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं । आपके यहां एक वरिष्ठ अधिकारी इस तरीके से बैठ गये हैं कि उनकी ईमानदारी का खौफ लोगों के अन्दर इस लिये थोड़ी लगाम लगी है वरना सही बताऊं तो उत्तरांचल में बजट के नाम पर लोमड़ी झपटी और बन्दर बांट का जो आलम अब है वह पहले नहीं देखा । मैं बहुत मन्त्रियों को कार्य करते देखा, बहुत सरकारें आई लेकिन ऐसा नहीं देखा । कह रहा था भूमि संरक्षण विभाग के बारे में । जंगलात विभाग सिंचाई विभाग जो वाटर सेट मैनेजमेन्ट का कार्य है उसको करते हैं एक आल को एक विभाग लगाता है दूसरा लगाता है, तीसरा लगाता है यह स्थिति होती है । मान्यवर मान्यवर सिंह कंडारी जी ने बैठक की थी, तो मैंने सुझाव दिया था कि जो अनुपयोगी मद हैं

उसमें जो ओवर लैपिंग है उसको बन्द करायें । एक विभाग को कार्य दे दें ताकि दायित्व का निर्धारण हो सके, विभाग की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके । मैं उम्मीद कर रहा था । आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया । बजट में जो प्राविधान किया गया है वह किसी को लालीपाप देने की तरह है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप जवाब दें उत्तर भारत में श्रीमन् एक हजार सड़कें बाद में बनाना पहले यह बतायें कि पी० डब्लू० डी० सेक्यू कास्टीव ओवर कितना कराना है । पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेन्ट ने, कितना अवशेष कार्य बाकी है उसके लिये कितना पैसा चाहिये तब हम आपको बतायेंगे क्या करना चाहिये, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके विभाग के तत्वधान से और विदेशी संस्था ई० ई० सी० के तत्वधान से जलागम की परियोजना चल रही है जहां कई नदियां हैं गंगा, जमुना, काली नदी आदि ।

मैं बताना चाहता हूं ।

देहरादून में दून वैली इन्टर ग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेण्ट के नाम से प्रोजेक्ट चल रहीं हैं भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य मुख्य रूप से करने की, आपको जानकारी, कि वह क्या बांटते हैं चारा काटने की मशीन प्रेशर कुकर यह बांटते हैं । फड़ुआ वह बांटते हैं, टब बांटते हैं तो क्या माननीय, टब पानी भरने के लिये बांटते हैं उनसे पूछा प्रेशर कुकर क्यों बांटते हैं वह इसलिये कि एनजी बची रहती है दून वैली के बारे में आप जानते होंगे । दून वैली क्योंकि भव्य हिमालय का क्षेत्र है ।

माननीय, ऐसी ढालू क्षेत्र ऐसे हैं जहां बरसात का पानी जमीन से बह जाता है । जमीन पर पड़ता है और पानी बह जाता है । सभी सम्मानित सदस्य चिल्लाते हैं कि बाढ़ आ गई, पहाड़ से बहकर पानी, मलवा आता है वह मैदानों में बाढ़ का रूप धारण कर लेता है मैं कहना चाहता था जमीन में पानी को जज्ब करने की जो क्षमता थी उसको बढ़ाना चाहिए । पहाड़ में हण्डपम्प और ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं । मैंने सदन में कहा था 25-25 हैण्डपम्प जब विधायकों को देने की बात आई थी तो अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से मैंने पूछा था कि जहां पर हैण्डपम्प नहीं लगते वहां क्या व्यवस्था है । हम तो स्रोतों और झरनों का पानी पीते हैं तो मैं कह रहा था कि जब वर्षा का पानी जमीन में जब नहीं होगा तो जमीन सूख जाएगी और जमीन से पानी निकलेगा भी नहीं ।

आपने इससे पहले कहा कि जो सूखते हुए जल स्रोत हैं उसको सूखने से बचायेंगे । जो भूमि संरक्षण की योजनाएं हैं, जो वाटर कन्जरवेशन की और स्वाइल कन्जरवेशन की योजनाएं हैं उसमें निश्चित रूप से एक खाका बताते कि यह इंतजाम हम करने जा रहे हैं ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि साल भर में आप पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा । और बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी । माननीय, आप उद्योग तो नहीं लगा पायेंगे लेकिन एक काम जरूर कर लेंगे । जो तराई और भाभर वाले क्षेत्र हैं कोटद्वार से राम गंगा तक का क्षेत्र हैं उसमें रेत, बजरी और बोल्डर के खनन चुगान का काम ही एक औद्योगिक गतिविधि है उसमें भी काश्तकारों के खेत को खोदकर रफा-दफा करने का काम किया जा रहा है । यह भारी उद्योग के नाम पर कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आधे घण्टे माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कही । आपको बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है । अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान—

माननीय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह उत्तरांचल विकास विभाग यह न तो कृषि का बजट है, न उद्योग का बजट है, न पशुपालन का बजट है, न वन विभाग का बजट है । यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने विभाग चलाये जाते हैं उन सारे विभागों को जोड़ता है । इसमें उम्मीद करना कि मैं केवल 48 विभागों के नाम पढ़ दूं तो यह नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कुछ बातें अपने उत्तर भाषण में रख दीजियेगा ।

श्री मुन्ना चौहान—

माननीय, वन विभाग के सम्बन्ध में एक बात और कह रहे थे । आपने प्लान्टेशन की बात करी । उससे चारों तरफ आप पत्थर की दीवार बन्दी कर रहे हैं । उस दीवार बन्दी के अन्दर प्लान्ट उगता है कि नहीं यह तो भगवान भी नहीं जानता लेकिन पत्थर की दीवार बन्दी से जहां से आप पत्थर उखाड़ते हैं तो वहां की मिट्टी लूज हो जाती है और बरसात में वह मिट्टी बह जाती है । तो मेरा अनुरोध है कि पत्थर की दीवारबन्दी की जगह बायोटिक घेरबाड़ वनस्पति का घेर लगायें तो वह पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा । जो कृषि की स्थिति है । आप पहाड़ों को देखिये । एक बात यह कही जाती है कि उत्तरांचल बनेगा तो आप खायेंगे क्या ? तो यह उनका दोष नहीं है । उनको वहां की ज्योग्राफी के बारे में ज्ञान नहीं है । वहां पर जो हमारे छोटे-छोटे खेत हैं उससे यदि हम चाहेंगे कि परम्परागत कृषि करके बहुत ज्यादा खाद्यान का उत्पादन बढ़ायेंगे और आमदनी बढ़ेगी तो यह संभव नहीं है ।

लिहाजा कृषि के गैर परम्परागत प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ेंगे आप सेब के उत्पादन को बढ़ा प्रोत्साहित करिये, उद्यान और दूसरे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें, आपने बेमौसम सब्जियों की बात कही, मैं आपसे सहमत हूं फ्लोरी कल्चर की बात कही गई, हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जो आज भी फूलों का आयात करता है । उत्तरांचल हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े-बड़े शहरों की फूलों मांग को पूर्ति कर सकता है । माननीय, अभी बाढ़ की चर्चा हो रही थी, उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा विभाग के बजटों पर चर्चा हो रही थी, उत्तरांचल में 15 हजार से 20 हजार मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है जबकि आज प्रदेश में कुल विद्युत का उत्पादन 3600 मेगावाट ही है । जब हम बांधों की बात करते हैं, बहुद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं, बांधों के साथ सिंचाई की बात जुड़ जाती है । हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली यमुना नदी के बटवारे के झगड़े में रोज लगे हुए हैं । उनकी पानी की पूर्ति इन बांधों से हो सकती है, वर्षा के दिनों में उसे जमा करके पीक सीजन में उसे मोट आउट करते हैं ।

माननीय, देहरादून जिला मुख्यालय में ट्यूबेल एक के बाद एक फेल होते चले गये, आज यह स्थिति होती जा रही है कि दो साल बाद यहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पायेगा, ? रावत जो चिन्तित हैं कि पौड़ी में पीने का पानी आगे कैसे मिलेगा ? मा0 कपूर साहब बैठे हैं तो सहमत होंगे । हमारी सोच थी कि लखवाड़ व्यासी परियोजना बनेगी तो उसके जलाशय से पाइप लाइन द्वारा

गतिटी से पानी पहुचायेंगे । कहा गया कि हम पहाड़ो की जल विद्युत परियोजनाओं में निर्माण के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो बजट प्राविजन है, वह सिर्फ 80 करोड़ रुपये हैं, जो आपने लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये रखे हैं, उसके जो ठेकेदार जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज हैं उनके आर्बिनेशन के क्लेम ही 67 करोड़ रुपये के हैं, 13 करोड़ में वह कौन सी परियोजना बना लगे । अगर आप 10 करोड़ कहीं, 20 करोड़ कहीं देंगे तो 50 साल में भी परियोजना पूरी नहीं हो पायेगी । अधिकांश जल विद्युत परियोजना मेरे क्षेत्र में हैं । माननीय, जल विद्युत इतना सस्ता है कि उसकी कास्ट 30 पैसे, 32 पैसे प्रति यूनिट आती है ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

माननीय मुन्ना सिंह जिस दिन मैंने बजट रखा था, उस दिन मैंने अपनी बात कही थी, कि जो परियोजना अपनी पूरी लागत का पैसा अदा कर चुकी हैं, उनकी आज प्रति यूनिट कास्ट 40 पैसा है । मैं आज कह रहा हूं कि जो नयी परियोजनायें लगेगी उनकी कीमत 30-40 पैसा नहीं आयेगी, जो उस दिन बताई थी वह आयेगी ।

श्री मुन्ना चौहान--

यह जो सेक्टर हैं, यह ऐसे सेक्टर हैं, जिससे रोजगार जुड़ा हुआ है, इससे औद्योगीकरण जुड़ा हुआ है, उत्तरांचल से जो बिजली आपको मिलती है वह तकरीबन 800-900 करोड़ की मिलती है । आप उत्तरांचल के विकास के लिए हमें कोई पैसा न दीजिए केवल जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं उतना पैसा देते रहिये, तो हम विकास कर लेंगे । इसी तरह से शिक्षा का है, हमारे इम्प्लाइमेंट का है, हमारे औद्योगीकरण का सवाल है । माननीय, आपका संरक्षण मुझे उत्तर भाषण के समय मिलेगा ताकि जो मंत्री जी के सामने मैं नहीं रख पाया हूं उन सवालों को रख सकूं । आपने जिक्र किया था रेट बजरी होल्डर का, मैं यह तथ्य रखना चाहता हूं कि भूतल एवं खनिज निदेशालय में पर्वतीय उप संवर्ग का गठन होने के उपरान्त भी उप मंत्री संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं । पर्वतीय उप संवर्ग के उप निदेशक के पद रिक्त हैं । निदेशक चाहते हैं कि हिल कैडर को कोई तैनाती न हो, और उनके हाथ में पूरे विभाग की सत्ता बनी रहे । माननीय मंत्री जी जायेंगे और हेलीकाप्टर में घूम आयेंगे । निदेशक नहीं चाहते कि उत्तरांचल के अन्दर जो भी तैनाती अधिकारी कर्मचारी की हो, वह उनकी मर्जी के बिना हो, मंत्री जी को तो किसी चपरासी की तैनाती में भी नहीं पूछा जाता ।

श्री इन्द्रदेव--

माननीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारे मुन्ना सिंह जी बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं । बड़े अच्छे सुझाव उन्होंने दिये हैं । जब वह बोलते हैं और भी ज्यादा बुद्धिजीवी लगते हैं वैसे भी चश्मा लगाने और दाढ़ी रखने के बाद आदमी बुद्धिजीवी ज्यादा लगने लगता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अधिष्ठाता---

आप मुझ पर आक्षेप तो नहीं कर रहे हैं ।

(हंसी)

श्री इन्द्रदेव---

मान्यवर, पीठ पर आक्षेप का कोई प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, श्री मुन्ना सिंह जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन यहां यह लगा कि वह व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से ज्यादा चिढ़े हुए हैं । मंत्री जी के हेलीकाप्टर पर, आवास पर और भी कुछ कामों पर मंत्री जी से उन्हें नाराजगी है ।

उत्तरांचल के विकास से, उत्तरांचल के लोगों से इनका वास्ता है, होना चाहिये लेकिन वास्तव में उत्तरांचल के लोगों के सम्मान से भी वास्ता होना चाहिये, क्योंकि उत्तरांचल के विधायक हैं, वह बात भी होती तब मैं मानता कि इनको उनके सम्मान की भी चिन्ता है । यदि उन्होंने उत्तरांचल के मंत्री या विभाग की आलोचना करने के बजाय उन लोगों की भी आलोचना की होती, जिन्होंने मुजफ्फरनगर जिले में रामपुर तिराहे पर उत्तरांचल के लोगों को गोलियों से भून दिया था और रात के अंधेरे में माताओं और बहनों को खेतों में दौड़ा कर, नंगा करके उनके सम्मान को लूटा था ।

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने पहाड़ के जल और पहाड़ के जवान, दोनों को सदुपयोग करने की बात कही है, यह वास्तव में सराहनीय है । मैं भी उत्तरांचल में रहा हूं और आज भी मेरा क्षेत्र उसी से लगा हुआ है, इसलिये वहां की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों से वाकिफ हूं । मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर मनीआर्डर इकोनमी कही जाती है, सारी अर्थव्यवस्था मनीआर्डर के द्वारा चलता है, वहां के हर परिवार से औसतन एक जवान भारतीय सेना के अन्दर है और भारतीय सेना में रहते हुये, वह अपने प्राणों की चिन्ता न करते हुये अपने देश और देश के सम्मान की रक्षा के लिये कुर्बान हो जाता है । ऐसी-ऐसी जगहों पर, जहां जीरो से 40 डिग्री नीचे यानि माइनस चालीस डिग्री तापमान में यह लोग देश की रक्षा के लिये डटे हुये हैं लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के 50 साल बाद भी देश और प्रदेश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने उन जवानों के परिवारों की चिन्ता नहीं की, जिसकी वजह से आज माननीय मुन्ना चौहान जी और माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से चिन्ता करने की जरूरत पड़ी, और इसीलिए अब उत्तरांचल राज्य के बनने की आवश्यकता हुई ।

मान्यवर, उत्तरांचल मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमायूं दो मंडलों को मिलाकर बना है । इन दोनों के बीच में कोई सीधा सड़क अथवा रेल मार्ग नहीं है । अगर सीधा सड़क या रेल मार्ग है तो वह बिजनौर जिले को मेरा अफजलगढ़ क्षेत्र से होकर है । आज कुछ क्षेत्रों के लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं बल्कि उनसे राजनीतिक दलों के लोग कहलवा रहे हैं कि हमें उत्तरांचल में शामिल न किया जाय । लेकिन मैं और मेरे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र को उत्तरांचल में शामिल कर लिया जाय, इससे उत्तरांचल का बल होगा और वहां के लिये सीधा रेल और सड़क मार्ग उपलब्ध हो सकेगा ।

अभी हमारे माननीय मुन्ना चौहान और माननीय मंत्री जो उद्योग लगाने की बात कह रहे थे, कहा गया कि वहां भारी उद्योग लगाने के लिये जगह नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र को शामिल कर लेने से वहां उद्योग लगाने के लिये मैदानी क्षेत्र भी उपलब्ध हो सकेगा और इससे उत्तरांचल का भरपूर विकास हो सकेगा, धन्यवाद । आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार---

माननीय, उत्तरांचल विधेयक के बजट पर श्री मुन्ना चौहान जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं । पहले माननीय मंत्री जी का भाषण हुआ, फिर चौहान जी का कटौती प्रस्ताव हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनायें विद्यमान हैं और हम यह विश्वास भी करते हैं, विचार भी करते हैं कि उत्तरांचल के पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद इस प्रदेश की मुख्य आय का स्रोत क्या होगा, मैं कहना चाहता हूं कि वह किसी हद तक प्रमुख रूप से पर्यटन ही होगा लेकिन आज तक उत्तरांचल के जितने भी बजट प्रस्तुत हुये हैं और आज भी जो बजट प्रस्तुत हुआ है, संभवतः पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में आज तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया । कल लाज लेखा समिति की बैठक हो रही थी, उसमें कुछ माननीय सदस्य ऐसे थे जो उत्तरांचल की यात्रा पर गये थे, वह अपने अनुभव सुना रहे थे, यह बता रहे थे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी, जो तीर्थस्थल हैं औरों की तो बात ही छोड़ दीजिये, वहां अभी मूलभूत सुविधायें ही ठीक से उपलब्ध नहीं हैं, जब सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर हम कैसे पर्यटन को विकसित कर सकते हैं ।

माननीय, कुछ पर्यटन क्षेत्रों की बात छोड़ दें, जैसे औली, जिम कार्बेट पार्क, इसके अलावा जितनों को ब्रिटिश साम्राज्य वादियों ने बसाया, जैसे मंसूरी, नैनीताल, उसके अलावा जितने नये पर्यटन स्थलों को हम बना पाये, हम कैसे पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने की बात करते हैं । जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम को हम बढ़ा सकते हैं, यदि हम पर्यटन का ठीक से विकास करें और नये पर्यटन स्थलों को खोजकर उनको विकसित करें । हम रोप वे की चर्चा करते हैं, सड़क की चर्चा करते हैं, लेकिन जैसा अभी माननीय मुन्ना चौहान ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का उद्योग है, उसको बढ़ाने का काम क्यों नहीं करते तो कोई कारण नहीं है कि पृथक उत्तरांचल राज्य व्यवहार्य होगा । माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, आप आज उन्हीं से पूछें कि आप हिल कैडर में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि वह हिल कैडर में नहीं जाना चाहते हैं । इसका कारण यह है कि अगर वह हिल कैडर में जायेंगे तो वह अपने और अपने बच्चों की तरक्की के लिये कुछ नहीं कर पायेंगे । माननीय, ठहरी डैम परियोजना केन्द्र सरकार की है और आप अगर अपने बजट में कहते कि केन्द्र सरकार से बात की है और उसको तत्काल लागू किया जायेगा, तो बहुत अच्छा होता । केन्द्र में आपकी सरकार है और यहां पर भी

आपकी सरकार है । अगर यह योजना पूरी हो जाये, तो प्रदेश को ही नहीं बल्कि सारे देश को लाभ होगा, तो आपको केन्द्र की सरकार पर दबाव डालना चाहिये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सुमना चौहान जी बोल रहे थे और अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि देशी शराब छोड़ दिया और अंग्रेजी शराब पर आ गये । मैं कहना चाहता हूं कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम को आपने ठेका दिया था, उन्होंने मना कर दिया, तब आपने कोआपरेटिव फेडरेशन को ठेका दिया । कोआपरेटिव फेडरेशन ने उसको सब-लेट कर दिया और निजी लोगों को दे दिया और यह लोग उत्तर प्रदेश के जाने माने माफिया हैं, जिनको ठेका दिया गया है । मान्यवर, प्रदेश में इसकी दरें तय हैं, लेकिन वह जितनी चाहते हैं, वह ले रहे हैं । मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जो उत्तराखण्ड के लोगों का भला चाहते हैं, तो उन शराब माफियाओं से उनको मुक्ति दिलाने का काम करें ।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं पालीथीन के बारे में इसकी चर्चा लोक लेखा समिति में भी की गई । यह जो पोलीथीन की थैलियां हैं यह नालियों और नदियों में बहुत पोल्यूशन करती हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार--

आप गंगा प्रदूषण नियंत्रण की बात करते हैं लेकिन उसमें यह पोलीथीन के बैग गंगा नदी के सोर्स गंगोत्री में प्रदूषण फैला रहे हैं तो गंगा के नीचे प्रदूषण मुक्त कैसे करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें, अभी और बजट हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार--

कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विद्यासागर गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री बद्री, केदार आदि तीर्थ स्थानों में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है । मेरा सुझाव है कि हर किलो मी0 पर कूड़े के ड्रम रखे जायं और वहां कूड़ा हटाने की भी सुनियोजित व्यवस्था की जाय ।

दूसरा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार आदि तीर्थ स्थानों पर शौचालयों की बहुत कमी है जिससे यात्रियों को बहुत ही असुविधा होती है । मैं निवेदन करूंगा कि जो वर्तमान में शौचालयों की संख्या है उसे दुगुना कर दिया जाय

पैदल यात्रियों के लिए भोज पास के पास भागीरथी पर पुल बनाया जाय अभी तक यात्रियों को ग्लेशियर से जाना पड़ता है । इस पुल को जल्दी बनाया जाय यह 15, 20 लाख में बन जायेगा । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इक्साइज पालिसी जो पहाड़ों के मामले में सरकार ने तय की है वह अपने आप में एक बड़ी अजीबो गरीब है । यहां पर सदन में और आपस में भी बात होती है । पहाड़ों में मदिरा का प्रचलन एकदम बन्द करना सम्भव नहीं है और यह व्यावहारिक भी नहीं है लेकिन वहां के लोगों की मांग है जिसके समर्थन में वहां एक पंडित नाम के नौजवान व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया सरकार की इस नीति के खिलाफ यह आपके संज्ञान में होगा । उसकी वजह यह है कि वहां के लोगों का कहना था कि गढ़वाल और कुमायूं और विकास मण्डल निगम को यह कार्य दिया जाय और वह कंट्रोल्ड तरीके से, संयमित तरीके से चुनी जगहों पर बेचें । माननीय मंत्री जी मेरे मित्र हैं मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । लेकिन निश्चितरूप से यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों निगमों ने किसी आधार पर कह दिया कि हम यह नहीं कर सकते हैं और घुमा-फिरा कर यह शुगर फेडरेशन को दे दिया गया और फिर वह व्यापारियों के पास पहुंच गया ।

शुगर फेडरेशन को दे दिया हमें एतराज नहीं है लेकिन शुगर फेडरेशन केवल कुछ जगहों पर दुकान चलाता है । शुगर फेडरेशन ने दुकानों को सबलेट कर दिया । आज हालत यह हो गई है कि सरकार को इससे दोहरा नुकसान हुआ । एक तरफ तो राजस्व का नुकसान हुआ दूसरी तरफ माफिया पनप रहे हैं । देशी शराब को बन्द कर दिया गया है ।जो अंग्रेजी शराब थी उसके ठेके हुए हैं आज हालत यह है कि ट्रकों में देशी शराब के पाउच वहां बांटे जा रहे हैं अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने पहाड़ी के विकास के लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा देंगे । मेरे पास सी0 ए0 जी0 की रिपोर्ट है । कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया की रिपोर्ट है उसको पढ़कर आपने देखा होगा । बहुत लम्बा चौड़ा जिक्र है । इसमें देखें । हिल्ट्रान के ऊपर सी0 ए0 जी0 की रिपोर्ट है । आज हिल्ट्रान लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है बल्कि सरकार उसे रोजगार दे रही है ।]

यह उत्तरांचल विकास विभाग पर बहुत बड़ा बोझ है । लाइबेल्टी है । करोड़ों रुपया सरकार का साईफन आउट हो रहा है । दलाली, बेईमानी, घूसखोरी में जा रहा है । श्रीमन् मेरे पास एक कागज है चूंकि इसको सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा हूं यह पहाड़ के सारे एम0 एल0 ए0 को सरकुलेट हुआ है । हिल्ट्रान आज अय्यासी का अड्डा बन गया है । वहां दुनिया भर के तमाम काण्ड हो रहे हैं । आप कलर टी0 वी0 की पिक्चर ट्यूब वहां पर मत बनायें वहां पर तमाम ऐनीएसेरीज इन्डस्टीज लगाने का काम करें । कंपेसिटर और कन्डक्टर छोटी-छोटी चीजें बनायें तो ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है । पहाड़ों पर छोटे उद्योग धन्धे कायम करने की व्यवस्था करें । माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहाड़ पर पर्यटन की अपकार संभावनाएं हैं । मैं आज कुमाऊं मण्डल विकास निगम पर जो रिपोर्ट है उसका एक अंश पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है कि कम्पनी ने पर्वतीय वायर फैक्ट्री के ऊपर 54 लाख 92 हजार रुपये का घाटा उठाया । आगे है कुमाऊं

मण्डल विकास निगम ने जो अपने पर्यटक आवास गृहों की सुविधा थी उसके स्थान का ठीक से उपयोग नहीं किया जिससे 96 लाख 17 हजार का घाटा उठाया ।

माध्यवर, इस तरह से काफी लम्बा सिलसिला है पढ़ना शुरू कर दूंगा तो करोड़ों रुपयों का घाटा सामने आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान---

माध्यवर, कुर्किंग गैस पर्वतीय क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास नियम वितरित करता है ताकि वहां के लोगों को असुविधा न हो ।

प्राइवेट आदमी को गैस की एजेन्सी देते हैं वह मुनाफा कमाता है, कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सरकारी गैस एजेन्सी मिलती है और इन निगमों ने करोड़ों रुपये का घाटा दिया है । एक कीर्तिमान और स्थापित हो गया जो गैस का चूल्हा 600 रुपये में बिक रहा था उसको 1100 रुपये में करा दिया । इस 1100 रुपये में 300 रुपया तो दलाल वसूल कर लेते हैं । अब जो एल0 पी0 जी0 का कनेक्शन लेगा, उसे 1100 रुपये का चूल्हा लेना पड़ेगा जिसकी कीमत बाजार में 500-600 से ज्यादा नहीं है । पेयजल के बारे में स्थिति यह है कि आज सारे गांव ऐसे हैं जहां माकूल इन्तजाम पीने के पानी की नहीं और पैसे का माकूल इन्तजाम उन क्षेत्रों के लिए नहीं किया गया । एक बात माननीय मंत्री जी को अच्छी लगी उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि जब आप इन सवालों का जवाब दें तो उसका जिक्र करें । आज जहां पर पाइप लाइन बांधते हैं वह सूख जाते हैं क्योंकि घास, हरी पत्तियां, हरियाली जो पानी रोकती है वह कम हो गई हैं जिससे स्रोत समाप्त हो गया । उसको रि चार्ज करने के लिए उसके चारों तरफ एक आध किलो मीटर को वार्ड-अप करें ।

हिमाचल प्रदेश में जब शिमला के अन्दर पानी की कमी हो गई, श्रोत सूख गये तो हिमाचल सरकार ने वह प्रयोग किया था और एक खास व्यवस्था दो सेण्टम सेन्टीसियम की इसके लिये प्रासेस का रोपण किया गया था जिससे पानी का डिस्चार्ज दुगुना-तिगुना हो गया था । माध्यवर, आज की तारीख में उद्योग के नाम पर रेत, बजरी, बोल्डर ही पहाड़ों पर हैं । मेरा क्षेत्र ऐसा है कि इधर पुल के इस पार हमारा क्षेत्र है और उस पार हिमाचल प्रदेश पड़ता है । श्रीमन्, हिमाचल सरकार ने इन रेत, बजरी और बोल्डर के रेट तय कर रखें हैं । एक ट्रक बजरी की रायल्टी 100 रुपया, एक ट्राली की 30 रुपया और एक बुग्गी की 10 रुपये रायल्टी है लेकिन हमारे यहां आक्शन कर दिया उसके बाद उसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है जितना चाहे जनता से वसूल करे । देहरादून के तमाम क्षेत्रों के अन्दर यह स्थिति हो गयी है । उत्तर प्रदेश में कोई शिड्यूल रेट्स नहीं है । माध्यवर, आपको आश्चर्य होगा अगर आप मकान बनाये तो वह दो हजार, 3 हजार रुपये ट्रक रेत/बजरी, बोल्डर की रायल्टी को देना पड़ता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी ।

श्री मुन्ना चौहान--

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, मैंने खुद बम्बई के फिल्म इण्डस्ट्रीवालों से बात की और उन्होंने 15 दिन पहले देहरादून के अन्दर, हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सर्वेक्षण किया था और यह तय किया गया था कि यहां पर फिल्म सिटी बनेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

हमारे विधान सभा को वंचित करके आपको हीरो बनाने का ठेका तो नहीं दिया था ।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, हम नहीं बनेंगे तो कोई न कोई बनेगा । मान्यवर, आज की तारीख में मैं दल के बन्धन से ऊपर उठकर मन्त्री जी को साधुवाद दे रहा होता क्यों कि जहां तक उत्तराखण्ड के विकास व खुशहाली का सवाल है यह राजनीति से ऊपर का मुद्दा है, राजनीति तो बात की बात है । अभी प्रवेश के पर्यटन मन्त्री का बयान आया कि देहरादून में जो फिल्म सिटी बन रही थी, वह अलग उत्तरांचल राज्य में जा रहा है इसलिए वहां बनाने का आईडिया छोड़ दिया है दूसरी जगह बनाने का काम करेंगे । उत्तराखण्ड के प्रति आपकी सरकार का यह नजरिया है तो आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान--

मन्त्री जी ने कहा है कि हमने स्वास्थ्य का बजट चार गुना कर दिया है । पर्वतीय क्षेत्रों में कितने ऐसे डाक्टर हैं जो एडहाक हैं । डाक्टर हैं आयुर्वेदिक के काम कर रहे हैं एलोपैथिक डाक्टर की हैसियत से डाक्टर की हाजिरी फार्मासिस्ट लगाते हैं । अगर उनसे डिस्प्रिन मांगों तो कहेंगे कि हम आयुर्वेदिक के डाक्टर हैं हमें इजाजत नहीं है । तो क्या इसी तरह उत्तराखण्ड के जनता को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा ऐसी व्यवस्था का क्या औचित्य है । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और मन्त्री जी से चाहूंगा कि हमारी बातों का बिन्दुवार जवाब दें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों श्री मुन्ना चौहान, श्री इन्द्रजीत सिंह, श्री अम्बरीष जी श्री विद्यासागर ने इस बजट पर अपने सुझाव रखे हैं मैं उनका स्वागत करती हूं । जब श्री मुन्ना चौहान खड़े होकर बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि श्री निशंक जी हमारे मित्र हैं तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी । इसलिए हो रही थी कि जब यह बोल रहे थे तो मुझे लगा नहीं कि यह मुन्ना चौहान हैं । श्री चौहान जी विद्वान हैं, प्रतिभाशाली इस बारे में मुझे कोई आशंका नहीं है । हो सकता है कि वह नाराज हों इसलिए ऐसा बोल रहे हैं इसको दूर कर लेंगे । उन्होंने सदन का इतना महत्वपूर्ण समय व्यक्तिगत बातों में गुजार दिया । हेलीकाप्टर का हजार बार जिक्र किया । जो बातें हमने

अपने बजट भाषण में कही हैं उसे ही उन्होंने दुहरा दिया । हम उत्तरांचल के लिए एक अलग से कृषि उत्पादन आयुक्त की व्यवस्था कर रहे हैं जो कृषि के क्षेत्र में समन्वय करेगा कृषि में, उद्यान में, लघु सिंचाई में समन्वय करेगा । वह इसमें व्यापक योजना ही नहीं बनाएगा बल्कि उसका क्रियान्वयन भी करेगा । उत्तरांचल के लिए प्रथम कृषि उत्पादन के साथ-साथ पर्वतीय विकास परिषद के पुर्नगठन का प्रस्ताव किया है । देहरादून और नैनीताल में सचिवालयों को सक्रिय कर रहे हैं । विभाग और निगमों को सक्रिय कर रहे हैं । अभी विधायक थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए उसको भी कह दिया कि विधायक नाराज हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के विधायक इस समय उपस्थित हैं, तीनों राज्य मन्त्री उपस्थित हैं । बैठकों के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी नवम्बर में हमने बैठक लिया था । उसमें सभी मोडल अधिकारियों को बुलाया था, सभी विधायक थे, मन्त्रागण थे 6-7-8 घंटे वह बैठक चली थी । क्या रोज-रोज बैठकें ही करते रहेंगे । रोज-रोज अधिकारियों की भाग दौड़ होती रहेगी । देहरादून में प्रथम उत्तरांचल के बारे में बैठक हुई थी । उसमें कोई सुझाव होता तो श्री चौहान जी को उसमें पेश करना चाहिए था ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपनी बात प्वाइंट वाइज रखें ।

श्री मुन्ना चौहान---

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । जो देहरादून में मन्त्री परिषद उपसमिति की जो बैठक हुई थी उसमें टर्म आफ रेफरेंस में यह था ।

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक---

माननीय, कुछ बिन्दु उठाये गये हैं, जिनका जवाब देना मैं उचित समझता हूं । यदि उस बैठक में एजेंडा नहीं भी था तो यदि नियत ठीक हो और साफ हो तो उत्तराखण्ड के विकास से सम्बन्धित बात कभी भी और कहीं पे भी की जा सकती है । अब मंशा ठीक नहीं है तो हम क्या करें । हिल संबंधी की बात कही गई । आज 6 महीने से हम इस की समीक्षा कर रहे हैं । मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हुई है, जिन विभागों ने इस का कड़ाई से पालन नहीं किया है, उनका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है । हम हिल कैडर को सख्ती से लागू कर रहे हैं । मोडल अधिकारियों को सारे अधिकार दे दिये गये हैं । जिन्होंने यह कार्य नहीं किया है, उन विभागों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । हमने यह भी कहा है कि बिना प्रतिस्थानी के किसी भी व्यक्ति को कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा, किन्हीं मामलों में विशेष परिस्थिति को छोड़कर । जिन अधिकारी/कर्मचारियों ने कार्य भार ग्रहण नहीं किया है, उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही कर रहे हैं । माननीय, उद्यान के बारे में मैं बताना चाहता हूं । मुन्ना चौहान जी प्रोन-प्रोन की रट लगाये रहे । कुमांयू मण्डल विकास निगम द्वारा जो चाय बागान लगाने का काम किया जा रहा है क्या वह प्रोन में नहीं आता है ।

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर व्यवधान)

केवल हमारी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश की है । हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है । टिश्यू कल्चर तथा फूलों का हमने विस्तार

किया है । श्री चौहान जी कह रहे थे कि कम्प्यूटर सिखा कर हम क्या करेंगे । मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखण्ड ने प्रतिभाओं का निर्यात किया है । हम कम्प्यूटर सिखा कर प्रतिभाशाली लोगों को देश और विदेश भेजेंगे और उनका लाभ लेना चाहते हैं । हम इसे लागू करेंगे । मान्यवर; दून वैली प्रोजैक्ट की बात कही गई । इसमें भूमि जल संरक्षण को बनाने की बात है । हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि वहां पर सभी उद्योग नहीं लग सकते हैं, मैंने यह भी कहा कि वहां के अनुरूप कच्चे माल पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करेंगे । मैंने कहा कि उत्तरांचल के अन्दर दुर्लभ जड़ी-बूटियां हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है, हम उनका दोहन ही नहीं बल्कि उत्पादन भी करेंगे और उसी आधार पर छोटे-छोटे यूनिट्स लगायेंगे ।

मैंने पहले कहा था सारी दुनिया के अन्दर ऐसी दुलर्भ जड़ी-बूटियां हैं । हमारे पहाड़ों में भी ऐसी जड़ी-बूटियां हैं जिन पर आधारित उद्योग कर रहे हैं हम दोनों निगमों के माध्यम से । मान्यवर, बेनाप भूमि के बारे में चर्चा हुई है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हू कि यह हमारी सरकार है जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया था कि हक हकूक खत्म कर दिये थे । संकड़ों वर्षों के इतिहास में जिस उत्तरांचल में लोगों ने वनों को अपने बच्चों की तरह पाला था उन्हें उनसे वंचित कर दिया गया था । मान्यवर, इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट में जा कर उत्तराखण्ड के लोगों के हितों की रक्षा के लिये, जो उनके अधिकार हैं उन्हें पुनर्जीवित किया । बेनामी भूमि के खनन पर रोक लगी है । इसके बारे में चार बैठकें हो चुकी हैं । लगातार उस दिशा में गतिशील प्रयास हो रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने 1927 के वन अधिनियम में इस परिभाषा में कुछ इस तरीके से कर दिया कि खनन नहीं किया जा सकता । हमने न्याय सचिव, वन सचिव और राजस्व सचिव की एक कमेटी बनाई । अभी हमारे वन मन्त्री जी उपस्थित नहीं हैं, उनके सान्निध्य में इस दिशा में निर्णय लिये जा रहे हैं ।

मान्यवर, जलागम की बात हुई, जलागम निदेशालय स्थापित होगा । उत्तरांचल से दिल्ली को आज भी फल सब्जी, फूल भेजे जा रहे हैं । दोनों विषयों के माध्यम से काउन्टर खोले जा रहे हैं । मैं जानता हूं कि वे विपणन की बात करेंगे । मान्यवर, उत्तराखण्ड में उत्पादन होगा लेकिन उसका विपणन कैसे होगा, इस डर को खत्म करने के लिये हमने पहले विपणन की व्यवस्था की है इसलिये हमने गढ़वाल और कुमाऊं विकास मण्डल दिल्ली और अनेक स्थानों पर बनाये हैं । जल विद्युत निगम की बात हुई । मान्यवर, मैंने पहले बताया कि 20 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन हमारे उत्तरांचल में हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट भारत सरकार की है । मैंने कहा कि पहाड़ों को पानी और पहाड़ों की जवानी से हम काम में लेंगे । हम लघु जल विद्युत निगम बनाकर पानी और जवानी में समन्वय स्थापित करने जा रहे हैं ।

लघु जल विद्युत निगम की योजनाएं 10180 के0 वी0 की चालू की हैं । 23 ऐसी योजनाओं को पैसा दिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि पहले की सरकारों ने इनकी क्या दशा की थी । कभी चिन्ता नहीं की । आज जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं उनकी सरकारों ने क्या दशा की है । इनकी जो उपलब्धि रही है, जो इन्होंने किया है, यदि कह दूंगा तो इनको आंखों में आंसु और सिर झुक जायेगा । हमारी सरकार प्रयास कर रही है, उनको पूरा करने जा रही है, तो

तरह-तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं । स्कूलों के लिए न केवल पदों का सृजन किया गया है बल्कि 31 तारीख से पहले ही सभी पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी जायेगी । मैं भी मानता हूं कि वहां पर अध्यापकों की कमी है इसीलिए अध्यापकों के पदों को शीघ्र ही भर दिया जायेगा । रिक्त पदों पर तेजी से कार्यवाही करके उन्हे भर दिया जायेगा । श्रीमन्, हिल टाउन की बात की गई ।

मान्यवर, पहले की सरकारों ने क्या किया । हम उन मरी हुई यूनिट्स को ठीक कर रहे हैं । गढ़वाल और कुमाऊं निगम को पहले की सरकारों ने बहुत शोषण किया । आपने बहुत ठीक कहा कि पहले की सरकारों ने इनका शोषण किया मैं आपकी बात से सहमत हूं पूर्ववर्ती सरकारों ने इन्हे मौजमस्ती का अड्डा बनाया । हम गढ़वाल और कुमाऊं निगम और हिल टाउन को पूरी शक्ति से आगे बढ़ायेंगे । शराब के ठेकों की चर्चा हुई । मुझे आश्चर्य हुआ श्रीमन्, मैं इस सम्मानित सदन के सामने विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 91-92 में जब बी0 जे0 पी0 की सरकार थी तो जो लम्बे समय से शराब माफियों के खिलाफ व्यक्तिगत हाथों में शराबों की दुकान दे दी जाय, यह चल रहा था । मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा । मुझे गौरव होता है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारा सम्मान किया । कौन लोग थे । श्रीमन् मुन्ना चौहान जी ज्यादा जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे । उन लोगो से हटाकर हमारी सरकार ने बेइमानों, गुण्डों से शुगर फैक्ट्रीज नहीं शीर्ष सहकारी समितियों को दे दिया ।

आज यह प्रश्न उठता है कि गढ़वाल विकास निगम, कुमाऊं विकास निगम, हमारी सरकार का फैसला है कि उत्तरांचल विभाग के अन्दर नहीं आता है लेकिन उन्होंने पूछा, मुझे जानकारी है मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम शीर्ष सहकारी समितियों के के माध्यम से अब यह ए0 बी0 सी0 डी0 कोई भी हो गढ़वाल मंडल विकास निगम कुमाऊं विकास निगम को, जैसा आपने आक्षेप लगाया कोई भी निगम लेता तो सरकार की व्यवस्था थी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप की बात आ गई है ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

माननीय, रेत और बजरी की बात आई 1994 में क्या हुआ श्रीमन् एक व्यक्ति को तीन वर्ष कर दिया आपने जो तीन-तीन साल किया उसको ठीक करना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी बात आपकी आ गई है । समाप्त करें ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

ठेकेदार ठेकेदार है, बेईमान, बेईमान है, चोर चोर है । फिल्म सिटी के बारे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है आज हम उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है । आपने कह

किया आदरणीय कलराज मिश्र जी, वह यहां नहीं हैं कलराज मिश्र जी ने हरिद्वार कह दिया, तो फिल्म सिटी कहीं भी बने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी। अंशकालिक डाक्टरों के बारे में कहा गया

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

हमारी सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार किया है। इन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उन अंशकालिक डाक्टरों को समायोजित किया जाएगा। मान्यवर, यहां व्यक्तिगत चरित्र को लेकर कुछ आरोप लगाने की कोशिश की गई। श्रीमन् मैं जानकारी देना चाहता हूं चुनौती देना चाहता हूं इन्होंने कहा, हो सकता है जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं वह मुन्ना सिंह चौहान जी जैसे मित्रों ने निकलवा दी होगी, लेकिन मैं आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है उत्तरांचल के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। छोटे-छोटे आरोपों-प्रत्यारोपों को जनता खूब जानती है।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

पहाड़ के लोगों को गुमराह किया जाता है उत्तरांचल बनाने में रोक लगाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है वह उत्तरांचल का निर्माण करायेगी।

और निकट भविष्य में जो उत्तरांचल होगा वह भारत वर्ष का आकर्षक प्रदेश होगा। यह कहते हुए जो अन्य सुझाव आये हैं मैं उन सबको समाहित करते हुए स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुन्ना चौहान जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सब बातें मैंने कह दी हैं और जो सुझाव आए हैं मैंने उनको समाहित कर लिया है। यह उदार है, हठधर्मी नहीं है, जिद्दी भी नहीं है वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

*श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, जब अगली बार उत्तरांचल का बजट प्रस्तुत होगा तो क्या यह प्रदेश बन जायेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल—

उत्तरांचल बनने के बाद मुन्ना चौहान जो बजट प्रस्तुत करेंगे और कटौती का प्रस्ताव डा0 रमेश पोखरियाल जो रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाल जी आप वहां के मुख्य मंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं।

उद्यान मंत्री—

चौधरी लक्ष्मी नारायण—

मुन्ना चौहान ऐसे ही बनेंगे जैसे माननीय पाल जी मुख्य मंत्री बने थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदिम्बका पाल--

जो सवाल आपने मुझसे पूछा वह सवाल नरेश अग्रवाल जी से पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय चौहान जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मुन्ना चौहान—

नहीं मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए तीन चार बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह उठता है कि अनुदान संख्या-95-उत्तरांचल विकास विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अवीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,80,62,82,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

मान्यवर, सारे मंत्रीगणों के प्रस्तावों को एक साथ रखवा दें और कटौती का प्रस्ताव भी आ जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

यह नियमों के अनुकूल नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे मिनट में अपनी बात कह दें और जो कटौती का प्रस्ताव रखने वाले हैं वह भी दस मिनट में अपनी बात कह दें । और इस पर दो बार माननीय सदस्य बोल दें जो बोल पायें ।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, कारागार विभाग, होमगार्ड विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग हर वर्ष एक साथ तीन विभाग रखे जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

इस बार मंत्रीगण अलग-अलग हैं और अनुदान संख्या और मदें भी अलग-अलग हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान एवं अनुदान संख्या 25 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,96,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, इस समय प्रदेश में कुल मिलाकर के 66 कारागार हैं और इनमें इस समय बन्दियों की संख्या 44,752 है, जिसमें 6,748 दोष सिद्ध बन्दी और 38004 विचाराधीन बन्दी हैं। मान्यवर, कुछ समय पहले की स्थिति यह थी कि अगर दो दोष सिद्ध बन्दी हुआ करता था और एक अन्डर ट्रायल बन्दी हुआ करता था लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदलीं, कुछ ऐसे राजनीतिक बल भी आये-संरक्षण देना शुरू किया परिणाम यह हुआ कि एक दोष सिद्ध बन्दी है तो 6 अंडर ट्रायल बन्दी हैं। उसकी परिणति यह हुई कि जिस प्रकार से जेलें बनी हुई थीं, कुल केपिसिटी 32,936 की है, इसके सापेक्ष 44752 बन्दी हैं अगर केन्द्रीय कारागारों को छोड़ दिया जाय, तो सभी जिला कारागारों में स्थिति यह है कि आज उनकी क्षमता से अधिक बन्दी कारागारों में रह रहे हैं, यह हम स्वीकार करते हैं। उसका कारण भी है। 1947 के बाद सिर्फ एक कारागार जो गाजियाबाद का कारागार है वह बना। अन्यथा उसके बाद जितने भी कारागार बने बी0 जे0 पी0 के कार्यकाल में 1991-92 में या फिर अब जाकर बन रहे हैं। अगर यह कारागार बन जाते हैं तो 1600-1700 की केपिसिटी और बढ़ जायेगी जिसमें इन कारागारों में जो बन रहे हैं, अपेक्षा के अनुरूप उनको सुविधा दे सकेंगे। मान्यवर, कारागार तो जरूर है उसमें बन्दी ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो समाज में कुछ न कुछ ऐसे आपराधिक वृत्ति करके जाते हैं। बी0 जे0 पी0 के शासन में माननीय कल्याण सिंह जी की की स्वयं की सोच है—या तो अपराधी उ0 प्र0 सीमा से बाहर रहे नहीं तो जेलों में रहे। जेलों में भी जो अपराधी रह रहे हैं वह जब जेल के बाहर जायें तो समाज के ऐसे नागरिक बनकर जायें तो समाज के अन्दर समाज का बनकर रहें। इस तरह की सुधारात्मक प्रवृत्ति का प्रयत्न हम कर रहे हैं।

मान्यवर, 1997-98 में हमने 29 बैरकों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी। 1998-99 में 11 बैरकों की स्वीकृति दिया है। मान्यवर बन्दियों के स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी जो चिन्ता है उसी क्रम में अस्पताल भवन चौबेपुर के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की है। इन अस्पताल भवनों में उसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। हम प्रयत्न यह कर रहे हैं कि जो वहां बीमार होते हैं समुचित ढंग से दवा का प्रबन्ध हो सके भोजन, पानी का प्रबन्ध हो सके। हर जेलों में एक्वागार्ड की सुविधा के तहत 20 जगह हमने उपलब्ध करा दिये हैं।

इसी तरह से अस्पतालों में भी यहां आई0 जी0 आफिस से एक्वागार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। इसी प्रकार से बन्दियों

को पेयजल की सुविधा दे रहे हैं हमें यह महसूस हुआ है कि जेलों में और बैरकों में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । हमने 172 इंडिया मार्क–2 हण्ड पम्प की व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष में किया है । इसके अलावा अनेक ऐसी चीजें हैं जो बन्दियों के सुधार के लिए कर रहे हैं । मान्यवर, 1947 के बाद से एक गाजियाबाद की बैरक के अतिरिक्त कोई बैरक या जेल नहीं बनी । हमने इस वर्ष 5 जेलों को बनाने के लिए व्यवस्था किया है फिरोजाबाद, बुलन्दशहर सिद्धार्थनगर, अकबरपुर, पिथौरागढ़ और चमोली । यह जेलें हमारी बनने की स्थिति में हैं । अभी जो इधर कऊ हैं, हरिद्वार और बुलन्दशहर है इन जेलों को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जायेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार—

हरिद्वार का कब करेंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

अगले माह हरिद्वार की जेल का उद्घाटन कर देंगे । मैं फीता काटूंगा और उपस्थिति इनकी रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी ईश्वर से कामना है कि आप दोनों फीते के इस तरफ रहें, उधर न रहें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, जहां कारागारों में इजाफा करेंगे वहीं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे मिले इसके लिए भी विचार करते जा रहे हैं । मान्यवर, कभी–कभी समाचार पत्र के लोगों ने हमारे ऊपर कमेन्ट कर दिया कि कहीं यह रिक्रेशन सेन्टर न हो जाय । मान्यवर, हमने उनको योग की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है और नैतिक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है । योग के द्वारा वह हृष्टपुष्ट हो और फिर जाकर समाज में योगदान अच्छी तरह से कर सके ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी इतनी अच्छी सुविधा सुनकर बाबूराम जी का जी हो रहा है !

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, हमारी सरकार ने छिपे हुए अपराधियों को जो समाज में अराजक पेशा का काम कर रहे है जिनको संरक्षण उस पक्ष के लोग दे रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहें हैं ।

श्री बाबू राम यादव—

माननीय, सारे अपराधी तो यहां बना दिये जो मंत्री हैं वे वहीं चले जायेंगे जेलों में ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

माननीय, जब हम सुविधा देने का काम करते हैं, उसके पीछे हमारी सोच यह है कि वह जब जेल से बाहर आयें तो एक अच्छे नागरिक बनकर बाहर निकलें। हमने उनके भोजन में भी सुधार किया है, अभी तक बराबर यह शिकायत की जाती थी कि जेलों में भोजन की क्वालिटी बहुत खराब है। अब हम जेलों में 3-3 प्रकार की दालें दे रहे हैं, इसके अलावा राजमा दे रहें हैं, और कभी-कभी हलवा पूड़ी भी दे रहे हैं कि। हम चाहते हैं कि जो जरायम पेशा लोग जेलों से बाहर रहकर अपना काम कर रहे हैं, वह भी जेलों के अन्दर आयें।

(इस समय 6 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इसके अलावा माननीय, जेल के इतिहास में हमने यह पहली बार किया है, जब 26 जनवरी को पहली बार, जिन लोगों को जेल से छोड़ देने की सूची बनी, उनको उसी दिन छोड़ा भी गया। इससे पहले क्या होता था कि जेल में सूची बनती थी, छोड़े जाने को लेकिन डी0 एम0 से वेरीफिकेशन के नाम पर विलम्ब होता था, उस दिन बीत जाने के बाद किसी को चिन्ता नहीं होती थी कि उनको छोड़ा भी जाना है और कभी-कभी 5-6 महीने और कभी सालों बीत जाते थे-उनको छोड़ने में लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, जब उसी दिन लोग जेल से छोड़े गये हैं। इसके लिए हमने न्याय विभाग से राय लेकर ऐसा परिवर्तन किया है। इसके लिए हमने जेल अधीक्षक को इस बात के लिए नियुक्त कर दिया है कि वह उसी दिन उनको छोड़ दिया करें। माननीय, हमने जेलों में कैन्टीन का भी प्रबन्ध किया है।

माननीय, कैन्टीन की भी व्यवस्था किया है। अब पहले की स्थिति नहीं है बल्कि बन्दियों को जो मिलने वाले व्यक्ति आयेंगे वह जेल में पैसा जमा करके कूपन ले लेंगे और बन्दी को दे देंगे। और वह अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकेगा, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकेगा। माननीय, इस प्रकार से हम कारागारों में प्रबन्ध कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कारागारों में बन्दी गर्मी से तड़पते रहते थे पहली बार हमलोगों ने यह किया है कि प्रत्येक बैरिक में पंखा लगाए जा रहे हैं और उन पंखों की शीतल हवा में वह रहेंगे। मैं तो इससे भी आगे जा रहा हूं। अभी तक स्थिति यह थी कि उनको कुछ मिला नहीं करता था कभी-कभी सुपीरियर क्लास के बन्दी जब जेल में जाते थे तो उनको कैरम मिल जाता था, लेकिन इस सरकार ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक बैरिक में एक-एक टी0वी0 सेट देने जा रहे हैं और वी0 सी0 आर0 और वी0 सी0 पी0 देंगे, जिनके द्वारा कैदियों में योग और नैतिक शिक्षा दी जाये और वह नैतिक शिक्षा प्राप्त करके जब बाहर आवें तो उनमें सुधार नजर आए; तब लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उनको अच्छे संस्कार दिये हैं। माननीय, कारागार का नाम बड़े विचित्र ढंग से लिया जाता रहा है। हमारी सरकार की यह मंशा है कि अपराध न रहे, अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा में न रहे और अगर रहें तो जेल में रहे।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा संक्षेप में रहे, ताकि उत्तर भावना के लिये भी कुछ बाकी रहे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल---

माननीय, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। प्रगति के दौर पर हम बढ़ रहे इसलिये हम कम्प्यूटर यहां लगा रहे हैं। माननीय वन मन्त्री जी नहीं हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में तमाम भूमि खाली पड़ी है। लगभग 376 एकड़ जमीन पर हम वनीकरण करने जा रहे हैं।

सितारगंज जेल में हम वनीकरण करेंगे, यह खुली जेल है बन्दी यहां पर आते हैं और काम करते हैं। लगभग 250 एकड़ का फार्म है और शेष जेलों में कहीं पर 10 एकड़ और कहीं पर 15 एकड़ पर वन लगाने जा रहे हैं। माननीय, इससे हम पर्यावरण ठीक कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रहा है।

श्री भोला शंकर मौर्य---

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय जेल विभाग हमारे लोकतन्त्र में ऐसा विभाग है जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के बहुत से नेता जेलों में गये चाहे वह महात्मा गांधी रहे हों, तिलक रहे हों या पं0 जवाहर लाल नेहरू रहे हों, उन्हें बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी हैं। अब जो जेलों की स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। माननीय, वहां क्या होता है वहां पर माफियागर्दी और षड़यंत्र होते हैं फिरौती जेल के माध्यम से ली जाती है। उन तक सेल्युलर फोन भी पहुंच गये हैं इतना सुधार जरूर कर दिया है सेल्युलर फोन तक चले जाते हैं, चिट्ठियों का आदान प्रदान तो होता ही रहता है यह चीजें रोज अखबारों में छपती रहती हैं और सभी लोगों को मालूम हैं। जहां बड़े बड़े माफिया रहते हैं चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जेलें हों और चाहे किसी अंचल की जेलें हों सभी जगह माफिया रहते हैं। अभी मा0 मन्त्री जी ने एक बड़ी बात कही खुली जेलों के बारे में। सम्पूर्णानन्द के नाम पर खुली जेल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां के बन्दी मजदूरों को आप क्या दे रहे हैं। आज जेलों में जो बन्दी हैं उनकी दशा गुलामों जैसी है। कैदियों को 5 रु0 और 10 रु0 मजदूरी दी जाती है जबकि उनसे 50 रु0 का काम लिया जाता है।

इसी तरह से जो कृषि उत्पादन होता है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है अगर वहां सुव्यवस्थित तरीके से खेती करें तो काफी अधिक मात्रा में खाद्यान्न हो सकता है वहां आलू इतना हो सकता है कि हम पूरे प्रदेश में खिला सकते हैं लेकिन कुव्यवस्था के कारण जो आंकड़े आपने दिये हैं उससे साबित होता है कि जेलों में कृषि उत्पादन हर साल गिरता जा रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिये कि इसके क्या कारण हैं। जो आपके पुराने ट्रैक्टर हैं उनको नीलाम किया जा रहा है लेकिन उनकी जगह नये ट्रैक्टर नहीं खरीदे जा रहे हैं पुराने बैलों को बेच दिया गया और उनकी जगह नये बैल नहीं खरीदे गये हैं। फसल कैसे होगी जब बुआई का सीजन होता है उस समय ठीक से बुआई नहीं हो पाती है जिसकी वजह से कृषि उत्पादन गिर रहा है। आज आप के कृषि फार्म अनइकोनामिकल हो गये हैं, अनुपयोगी हो गये हैं उन पर जो खर्च होता है वह भी वसूल नहीं हो रहा है।

जेलों में जो ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है चाहे वह किसी तरह का कैदी हो सजायाफ्ता हो या विचाराधीन हो सबको ट्रेनिंग देनी चाहिये और जब वह जेल से निकले तो ट्रेन्ड होकर निकले और बाहर आने पर अपना कार्य कर सके तब उसने सुधार आयेगा लेकिन आज उसकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

जेलों में मनोवैज्ञानिक शिक्षा के लिये कोई जिक्र आपने नहीं किया जिससे जेल में जाने के बाद उनकी मनोवृत्ति बदल सके इसकी कोई व्यवस्था आपने नहीं की है । इसी तरह वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और नहीं नैतिक शिक्षा की कोई व्यवस्था है । बच्चों के लिये किशोर सदन आपके पास हैं उनमें जो स्कूल हैं वह ठप हैं । आठवीं कक्षा तक की शिक्षा की पढ़ाई वहां होनी चाहिये, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

लखनऊ में जो आपका आदर्श कारागार है उसकी भी हालत अच्छी नहीं है । आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि क्या स्थिति कारागार की है । आपके कारागारों की बिल्डिंग बहुत खराब स्थिति में है । अगर मन्त्री जी स्वयं वहां जायें और देखें तो मालूम होगा कि मरम्मत के नाम पर खाली पुताई कर दी जाती है । दीवालें टूटने को हैं और दरवाजों में दीमक लग रहे हैं । और माननीय, कहीं इनकी दिवालें टूटी हुई हैं उनको व्यवस्था के लिये माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया ।

माननीय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1996-97 में नई जेलों के लिये बजट में प्राविधान किया गया था ।वह क्यों लैप्स हो गया । उसके लिये आप विचार करें । अभी 31 नई जेलें बननी हैं अगर यह जेलें नहीं बनेंगी तो उनके जो कैदी हैं वह उनको दूसरे जेलों में ट्रान्सफर करना पड़ेगा जिस पर काफी खर्च आता है । यह सब भार आप पर पड़ेगा । इसलिये सरकार को मितव्ययिता के बारे में सोचना और विचार करना चाहिये । नई जेलों के निर्माण के लिये प्राथमिकता के आधार पर सोचना पड़ेगा । हमारी बहन मायावती ने जेलों के लिये जो प्रस्ताव लागू किया था उस पर विचार करना चाहिये और लागू करना चाहिये । नई जेलों के लिये टोकेन के रूप में प्राविधान किया गया था । यह जो बजट है इसमें इसके बारे में कोई स्थान नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि आपने चाहे राजनीति से प्रेरित होकर यह किया हो चाहे किसी कारण से किया हो, लेकिन यह किया गया है और यह क्यों किया गया है इसलिये आप विचार करिये और नई जेलों के लिये फरियाद करिये । इसी तरह से जो नई तहसीलें बनी हैं उनमें जो उपकारागार बने हैं उनके लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये वहां जिसकी आर0 सी0 कटती है उनको खुले में रखा जाता है । उनको आप देखिये और उपकारागारों की व्यवस्था कीजिये । आपने जेलों के सुधार की बात कही । सन् 1894 का जेल मैनुअल है आपने कहा है कि इसका परीक्षण हो रहा है । यह कब से परीक्षण हो रहा है हमेशा से यही भाषा चली आ रही है कि इसका परीक्षण हो रहा है । जेल मैनुअल 100 साल पुराना हो गया है ।

जेल कानूनों में अब तब्दीली की जरूरत है लेकिन पुराने जेल मैनुअल से काम चलाया जा रहा है । जेल मैनुअल के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो मुल्ला कमेटी और कपूर कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार उस पर तत्काल कार्यवाही कराई जाये । माननीय, मैं पैरोल के बारे में कहना चाहता हूं कि 6 साल के बाद पैरोल मिलता है लेकिन कभी-कभी विशेष परिस्थिति आने पर ऐसे अवसर आते हैं जब किसी के घर में किसी के निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो

जाती है पर-तु उसे पैरोल नहीं मिलता है । इसलिए नियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को विशेष परिस्थिति में पैरोल दिया जाय । मान्यवर, जो पैरोल बोर्ड है उसकी मीटिंग नियमित नहीं होती है और वर्षों हो जाते हैं उसकी बैठक नहीं होती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चहता हू यह जो बोर्ड है इसके बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए । मान्यवर, कैदियों के सुधार के बारे में बहुत सी बातें कहीं हैं । कैदियों का सुधार हो साथ-साथ यह भी जरूरी है कि कैदी अपने को आजाद न समझें थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव होना चाहिए कि वह जेलों में प्रायश्चित करने गये हैं न कि तफरीह करने गये हैं । चाहे विचाराधीन कैदी हो चाहे सजायाफ्ता कैदी हों उन पर मानसिक दबाव होना चाहिये कि वह जेलों में हैं । जेलों में खाली नहीं बैठाना चाहिये क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक कैदी को कुछ ट्रेनिंग देने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वह अपने को आजाद न समझें । आजकल जेलों में एक सिलसिला चल गया है, लोग घात लगाये बैठे रहते हैं और कैदी जैसे ही बाहर आता है उसे सूट कर दिया जाता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जेल से कैदी जिस रूप में जाता है उसे उसी रूप में वापस आना चाहिए, यह जेल की जिम्मेदारी है । जेलों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जेलों के अन्दर न जा सके जिससे कैदियों की रक्षा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री पूर्णमासी पंकज--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कारागार विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हू । मैं कविता के माध्यम से दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा :

सुविधाओं का है भण्डार कारागार का बजट
करेगा कैदियों का उपकार कारागार का बजट
शिक्षा, मनोरंजन और प्रशिक्षण योग कला का
है दे रहा अधिकार, कारागार का बजट ।।
व्यवस्था सुधारी जा रही है कारागार की
क्षमता बढ़ाई जा रही है कारागार की,
चाकी-टाकी उपलब्ध हर जेलों को कराकर,
उपयोगिता बढ़ायी जा रही है कारागार की ।।
पंखे होंगे बैरेक के अन्दर अब कारागार में
टेलीविजन से होगा मनोरंजन अब कारागार में,
घटिया किस्म के भोजन का अब गया जमाना,
कैदी को भोजन कैन्टीन से अब कारागार में ।।
कारागार बन्दियों का समुचित अब तो देखभाल है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजीवन कैदियों के ऊपर भी काफी खयाल है,
पहले तो सत्तर साल में थे कैदी छूटते,
यह उम्र घटा कर किया अब पैंसठ साल है ॥
पांच कारागारों का होगा निर्माण इसी साल में
एल0यो0जी0 का भी है प्राविधान इसी साल में
पीतल के बर्तनों में अब न कैदी खायेंगे,
स्टील के बर्तनों का है विधान इसी साल में ॥
पुराने जेलों का फिर से जीर्णोद्धार करेंगे,
शुक्ला जी दूर सारा भ्रष्टाचार करेंगे
अपने लोगों से मिलने में न अड़चन पड़ेगी
मुलाकातियों से सब अच्छा व्यवहार करेंगे ॥

माननीय, अपने विपक्ष के साथियों से एक बात कहना चाहता हूं--

आपने प्रदेश को कंगाल बना डाला था
आपने कारागारों का बुरा हाल बना डाला था
आई जब से सरकार मेरी सुधार में लगी,
आपने तो जेलों को जी का जंजाल बना डाला था ॥
जेलों को सुधारने का काम तेज कीजिए
भोजन में वेज और नानवेज दीजिए
सुविधा की बात सुनके विपक्षी ललच रहे
शुक्ला जी एक बार इन्हें जेल भेज दीजिए ॥

इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राम औतार शास्त्री--

माननीय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं । भोला शंकर मौर्य द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के पचासवीं वर्ष गांठ पर इस प्रदेश में देश के बहुत क्रान्तिकारी लोग कारागार में निरुद्ध रहे जिनके त्याग और तपस्या के कारण हमारा देश आजाद हुआ । पं0 जवाहर लाल नेहरु, पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चन्द्र शेखर आजाद, अश्फाक उल्ला आदि महापुरुष व देश के दीवाने, परवाने निरुद्ध रहे उनकी स्मृति में कुछ ऐसा जरूर किया जाये जिससे वहां के कैदी में देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत हो, उनमें देश प्रेम की भावना पैदा हो । पहले तो यह जेल था अब सुधार गृह हो गया है, यह सही है कि मानवाधिकार आयोग बने और जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आया तो बेरहमी से प्रताड़ित करने की स्थिति खत्म हो गयी । अब कैदियों को जेलों में सुधार करने की दृष्टि से रखा जाता है इसलिए सख्त बन्दोबस्त रहना बहुत जरूरी है । आपने प्रायः देखा होगा कि जेल से कैदी फरार हो जाते हैं, अगर कारागारों में इतना सख्त पहरा नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी तो बड़े-बड़े अपराधी जेलों से फरार हो जायेंगे ।

---

*अक्षता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और समाज के लिए एक अत्यन्त भयावह परिवेश पैदा करते हैं। इसलिए मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक सर्वे करा कर यह पता लगाये कि कितने कैदी जेल से फरार हो गये हैं, कितने कैदी पकड़े गये, कितने कैदियों ने इस प्रदेश में पुनः आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। जैसे-जैसे समाज बढ़ता है आतंकवाद बढ़ता है। हिंसा बढ़ती है। जितने हार्ड कोर क्रिमिनल जेल में हैं उनसे खतरा बना रहता है। मैनपुरी में पिछले दिनों एक घटना हुई एक क्रिमिनल जिसके विरुद्ध 63 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल्याण सिंह के दस्तखत से उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को इसी सदन में रखा गया है। एक प्रश्न के जवाब में। मैं किसी का नाम लेकर किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहता। उसने और उसके गैंग के लोगों ने जिला कारागार से घुसकर वहां के जेलर तिवारी जी को मारा उनको बेइज्जत किया इसी तरह का व्यवहार डिप्टी जेलर के साथ किया। इसके विरुद्ध अपराध संख्या 549/98, 323, 853, 307 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ। आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जेलर हार्ड कोर क्रिमिनल के बीच रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह का सर्वेक्षण कराकर जिनको सुरक्षा को खतरा है उन जेलों में जेलरों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये। जो डाइट जेलों में दी जाती है जेल मैनुअल के हिसाब से उसकी क्वालिटी बहुत खराब है खासतौर से सुपीरियर क्लास को सुविधाएं ठीक नहीं मिलती हैं। हम राजनीतिक लोगों को कभी कभी राजनीतिक मामलों में जेल जाना पड़ता है चाहे किसी पक्ष के सदस्य हों इसमें सुधार होना चाहिए: जो कुटीर उद्योग हैं उनको जेलों में प्रोत्साहन दिया जाय जैसे माचिस, साबुन, अगरबत्ती आदि कुटीर उद्योग हैं। इससे कैदियों को काम भी मिलेगा और आप की आय में बढ़ोत्तरी। और वह सुधार की तरफ जाएगा। इन शब्दों के साथ में श्री मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राजधारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जेल बजट पर बोलने का अवसर दिया। जेल का सम्बन्ध मानव सभ्यता और विकास के साथ है। जेल मानव को नियंत्रित करने के लिए उसको दण्ड का अहसास कराने के लिये सबसे अच्छा साधन है। हमें प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जेल के कैदियों को एक सामान्य मानव की श्रेणी में रखते हुए उन्हें तमाम सुविधायें देने की घोषणा की। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। हमारा जेल मैनुअल जो है वह 1860 का बना हुआ है। उस समय हमारी सामाजिक परिस्थिति थी वह आज की सामाजिक परिस्थिति से भिन्न थी। इस पर हम सबको विचार करना चाहिये। जेल मैनुअल में नये विचारों का समावेश किया जाये। मंत्री जी ने जेल के कैदियों की क्षमता के बारे में जिक्र किया निश्चित रूप से हमारे जेल के कैदियों की संख्या बढ़ा है। जेलों का निर्माण उस अनुपात में कम हुआ है। मैं चाहूंगा कि नई जेलें बननी चाहिए। जेल में सबसे बदमाश और खूंखार अपराधी, बदमाश लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा में सिपाही और जेलर लोग लगे रहते हैं। सिपाहियों को और जेलर की सुरक्षा के लिये असलहे का इन्तजाम नहीं है जबकि यह कैदियों को नियंत्रित करते हैं उनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है। उनकी सुरक्षा के लिये उनको असलहों का प्रावधान किया जाये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे कि वह आत्मविश्वास के साथ कैदियों पर नियंत्रण कर सकें। भोजन के सुधार के बारे में कहा गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। इधर हमें जेल में जाने का मौका नहीं मिला, कांग्रेस के जमाने में हम जेल में जाते थे तो जो जेल में दाल मिलती थी, ऐसा लगता था कि दाल में पानी है या पानी में दाल है। जैसे एक कविता है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। इसलिये मंत्री जी इस दाल की व्यवस्था को ठीक करायें। टी0 वी0 आदि की बात मंत्री जी ने की बहुत अच्छी बात है परन्तु भोजन का इंतजाम के लिये जेल प्रशासन और मंत्री जी आप स्वयं कोशिश करिये।

माध्यवर, मैं पैरोल के बारे में कहना चाहता हूं। जिनको लम्बी कैद होती है जब उनके घर पर कोई सामाजिक उत्सव होता है तो पैरोल की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि वह बेचारे आ नहीं पाते हैं। जिन लोगों को कोई राजनैतिक संरक्षण नहीं होता या जिसका कोई पैरोकार नहीं होता है उसे पैरोल नहीं मिल पाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पैरोल की नियमावली में आप शिथिलीकरण कीजिये ताकि वह अपने घर होने वाले सामाजिक कार्यों में शामिल हो सके।

माध्यवर, आज जेलों को सुधार गृह के रूप में लेते हैं। जेलों में कैदियों को कुछ ऐसे हुनर सिखाये जाते हैं, उसे कुछ ऐसी रोजगार परक शिक्षा दी जाती है, जिससे उसका मन भी लगा रहे और उसमें परिवर्तन भी होता रहे। बहुत पहले से इस सम्बन्ध में योजनायें चलाई जा रही थी परन्तु उनमें गिरावट आई है और उनकी रुचि में भी कमी आई है, इसलिये इस ओर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आप एक नौजवान मंत्री हैं और विद्यार्थी जीवन से हमारे साथ हैं। हमारे बलिया जनपद में एक छोटी सी जेल है, बरसात के महीने में इसके कैम्पस में पानी भरा रहता है जिससे कैदियों तथा वहां के कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है तथा मुलाकातियों को भी। इसलिये मेरा निवेदन है कि बलिया जनपद की इस जेल के कैम्पस में भरे पानी की निकासी हेतु आप कोई योजना अवश्य बनायेंगे। आपने जो तमाम सुविधायें देने की घोषणा की है, उनका स्वागत करते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम ललित चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री मौर्या जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं। सरकार की मंशा का जिक्र करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। कारागार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य न केवल कारागारों में अपराधी तथा असामाजिक तत्वों को समाज से अलग कर सुरक्षित रखना है बल्कि सजा पाये हुए बंदियों के व्यक्तित्व का परिमार्जन तथा उनके आचरण एवं व्यवहार में अपेक्षित सुधार कर अपनी सोच एवं व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन कर तथा उन्हें अनेकों धन्धों के लिये प्रशिक्षित कर इस लायक बनाना है, इस योग्य बनाना है कि वे सजा के बाद समाज में अपने पैरों पर खड़े हो सकें, समाज की मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक धारा से जुड़ सकें तथा आर्थिक और आर्थिक जीवन जी सके और फिर से अपराध की दुनिया से दूर हो सकें। आज माध्यवर चाहे वह सजा याफ्ता कैदी हो या बंदी कैदी हो, आज तमाम जेलों में जो एग्रीकल्चरल लैण्ड है, उसको गुड़ाई करते-करते और उसको जोताई

करते-करते उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है । इन जेलों को जो बाउण्ड्री है व काफी चौड़ी है, उसमें झाड़ू लगाते-लगाते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है । आज जो आपके एग्रीकल्चर लैण्ड है उसकी पैदावार क्यों कम हो रही है, जबकि आप बीज, खाद और पानी सब डाल रहे हैं । तो उसकी जो पैदावार होती है उसको वहां के कर्मचारी अधिकारी बेचकर जेल में रखने का काम करते हैं । इसी प्रकार से कैदियों का सुधार होने का कोई प्रश्न नहीं होता । जेलों में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कैदियों से मिलने जो लोग जाते हैं उनसे बिना पैसे लिये जेल के अधिकारी कर्मचारी मिलने नहीं देते हैं । इसका उदाहरण आप यहां पर किसी भी समय जाकर ले सकते हैं । माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों इस बात से सहमत होंगे कि वहां पर बिना पैसे लिये कोई काम नहीं होता है । जेल के अन्दर बन्द कैदियों से पैसा लेकर उनका सामान अन्दर बाहर पहुंचाया जाता है । कोई कैदी अगर शराब मंगवाता है तो उसके लिये उससे पैसे देने पड़ते हैं । भोजन, बिछौना, खेलकूद और मनोरंजन के नाम पर जो व्यवस्था की गई है वह चाहे कैदी हो या सजायाफ्ता उन्हें नहीं मिलती है । उसकी लूट हो रही है । इसके नाम पर अधिकारी/कर्मचारी अपनी जेब भर रहे हैं । ऐसा क्यों होता है क्योंकि स्थानान्तरण में लूट होती है । बिना पैसों के स्थानान्तरण नहीं होता है । एक-दो सुझाव मैं देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कैदियों का बड़ा सुधार किया जा रहा है इसलिये जेल का नाम बदल कर सुधार भवन कर दिया । कैदियों की बड़ी चिन्ता है तो उनके लिये कैन्टीन खुलवा दें ।

जो सरकार की मंसा है कि कैदियों की सोच विचार में परिवर्तन लाया जाय तो उन्हें उसके लिये उद्योग धन्धों के लिये प्रशिक्षित किया जाय ताकि जेल से निकलने के बाद वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें । आत्म निर्भर हो सकें । इन सब इरादों को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे कुदाल चलवा रही है, झाड़ू लगवा रही है, अधिकारी उनसे पैर दबवा रहे हैं और उनसे लकड़ी चिरवा रहे हैं । यह करके उनसे कुदाल चलवाकर, झाड़ू लगवाकर, पैर दबवाकर लकड़ी चिरवाकर उन्हें फिर से अपराध की दुनिया में ढकेलने का काम कर रही है । इन्हें सुधार नहीं रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक---

माननीय, कारागार विभाग के बजट का समर्थन करते हुए निवेदन करना है कि देश में कारागार व्यवस्था, पुलिस व न्याय पालिका तीनों आपराधिक न्याय प्रणाली के अभिन्न व समन्वित अंग हैं । समाज में संतुलन, शान्ति व्यवस्था एवं समुचित अनुशासन की स्थापना में कारागार प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है । वर्तमान में कारागार प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य न केवल कारागारों के अपराधी तथा असामाजिक तत्वों को समाज से अलग कर सुरक्षित रखना है अपितु सजा पाये कैदियों को सुधारना है । माननीय कारागार मंत्री जी ने जेल व्यवस्था में काफी सुधार किया है परन्तु फिर भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जो जेल मैनुअल है काफी पहले लिखा गया था वही आज चल रहा है उसमें गुलामी की बू आती है इसलिये मैं चाहता हूं कि उसमें संशोधन किया जाय । देखने

में आता है कि जो बैरक बनी हुई हैं उसमें एक बैरक में रहने की व्यवस्था 50–100 लोगों की होती है लेकिन उसमें 100 से–150 बन्दी रखे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि नई बैरक बनाई जायं। जो पुरानी बैरकें हैं वह बहुत गन्दी हैं उनमें सुविधाएं नहीं हैं, उनमें सुधार किया जाय। जहां तक भोजन की व्यवस्था का प्रश्न है जिस समय आपात काल था मैं 19 महीने जेल में रहा। उस समय वास्तव में भोजन की दुर्व्यवस्था थी। आज उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। भोजन अच्छा मिल रहा है लेकिन इसके बाद भी उसमें अपेक्षित सुधार होना चाहिये।

मैं अधिक न बोलते हुए एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे राजनीतिक नेता और हमारे देश के महापुरुष बन्दी बनाए गए थे आज जितनी भी जेलें हैं वह कोई अपना नाम नहीं रखती हैं मैं चाहूंगा जिन-जिन कारागारों में ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष, राजनेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके नाम से कारागारों का नाम रखा जाए।

श्री बाबू राम यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत थोड़ा समय है बड़ी लम्बी आलोचना नहीं हो सकती है। माननीय, हिन्दुस्तान की मल्लिका स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में लम्बे समय तक जेल में रहने का अवसर मिला। जेल की दुर्दशा और जेल की नियमावली देखकर, जेल मैनुअल पढ़कर यह लगता है यह जेल मानव के लिए नहीं बनाए गए हैं। ब्रिटिस द्वारा बनाई गई जेलों के लिए इ: सरकार ने कहा था कि जेल मैनुअल को बदलेंगे। 31 मार्च तक इसको बदलने की बात कही गई लेकिन इसको बदला नहीं गया। जेलों की मेनुअल में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। अपराधियों को बहुत ज्यादा सुविधायें दी जाएं मैं इससे सहमत नहीं हूं अगर उनको सुविधा देंगे तो उनकी मानसिकता बदलने वाली नहीं है। माननीय, बड़े अपराधी जो होते हैं, बहुत मौज में रहते हैं उनको सारी सुविधायें मुहैया हैं जेल में काम करना पड़ता है हम लोगों ने जेल के बारे में जानकारी की अलग रहने को सेन्ट्रल जेल में व्यवस्था थी फिर भी हम लोगों ने पता किया, जो काम करने वाले लोग हैं जिनके घरवाले जेल वालों को पैसा नहीं देते हैं वह हैं, खूंखार अपराधियों से काम नहीं लिया जाता है। छोटे–छोटे कैदी उनके पैर दबाते हैं इस पर रोक लगानी पड़ेगी। हर जेल में एक हजार से तीन हजार तक मुलाकात का पैसा आता है यह कहां जाता है शुक्ला जी को इसकी जानकारी होगी या न बताया होगा तो जानकारी नहीं होगी। जो भ्रष्टाचार जेलों में इससे हमारे अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है। अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए जेल भेजा जाता है मनोबल बढ़ाने के लिए जेल में नहीं भेजा जाता है। जो बड़े अपराधी होते हैं वह जेल के सिपाही को ऐसे बुलाते हैं जैसे चपरासी को बुलाते हैं।

आपने यह कहा था कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दिनचर्या में सुधार लायेंगे। आप उनसे जितने भी कैदी हैं, प्रति दिन काम करायें। कृषि जमीन हर जेलों के पास है अगर ठीक से उत्पादन उनसे करायें तो खाने का खर्चा निकल सकता है। लेकिन आज हो क्या रहा है कुछ मुट्ठी भर लोग ही जेलों में काम करते हैं। जो लोग पैसा देते हैं उनको जेलों में काम नहीं करना पड़ता है। माननीय, इस समय जो मौजूदा जेल हैं बहुत पहले की बात है 23 साल।

गये हैं जेल में रहे, इमरजेंसी के जमाने में गये थे, तो उस समय जो दुर्व्यवस्था थी वैसी उससे बहुत दुख हुआ और उसमें परिवर्तन लाने के लिए यह जरूरी है कि जो लोग जेलों के प्रशासन को सरकारी कानूनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर आप अंकुश लगायें । इच्छा शक्ति की आवश्यकता है ।

माननीय मंत्री में नहीं है वैसे बातें तो बहुत करते हैं । आपकी मुलाकात का पैसा बन्द नहीं हुआ है । जो बड़े अपराधी पैसा देकर मौज मस्ती कर रहे हैं उनका पैसा बन्द नहीं हुआ तो अगर इन दो रिश्वतों पर आप अंकुश लगायें तो जेलों में रहने वालों की मानसिकता बदलेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा । आपने आंकड़े दिये । जो प्रोडक्शन होता था वह बहुत कम हुआ है । 95–96 में प्रोडक्शन 18.32 लाख रुपया हुआ था और इस वर्ष 11.36 लाख रुपये का हुआ । तो यह बहुत कम हो गया । मेरे कहने में अत्यता हो गयी कि बन्दी काम नहीं करना चाहते हैं, पैसे के बल पर रहना चाहते हैं । तो इस तरह से अनुशासन जेल में पैदा किया जाय । सारे लोग काम करें और प्रोडक्शन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है बशर्ते सब लोगों को आप समझायें, नैतिकता की बात बताई जाय, अपराधियों को समझाया जाय कि वह अपराध छोड़कर काम करें । रुचि के अनुसार करायें । जिसकी जिसमें रुचि हो । चाहे बर्तन मांजने में, सिलाई में, खेती में तो उनकी मानसिकता बदल सकती है । लेकिन इसके लिए हमारे प्रशासन की इच्छाशक्ति होनी चाहिए । मान्यवर, आज हर व्यक्ति जेल में जाना नहीं चाहता है । सब लोग दूर–दूर भागते हैं । जो भले लोग हैं वह जेल विभाग में जाना नहीं चाहते । आप अधिकारियों, कर्मचारियों को वह सुविधाएं प्रदान करें जो दूसरे विभागों में मिल रही हैं । जो जेलों की हालत है वह आज भी उतनी ही खराब है जितनी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में थी । यह सुधार की बात बहुत बेमानी है, इसका कोई आधार नहीं है । इससे तो अच्छी जो काला पानी पोर्ट ब्लेयर में है उसकी है । उसमें ज्यादा सुविधाएं हैं । हालांकि उसे राष्ट्रीय स्मारक बना दिया है । उसमें बड़ा फर्क है । सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि जो नये जिले बना दिये गये हैं उनमें जेल के न होने से बहुत बड़ी दिक्कत है । फर्रुखाबाद में नया जिला बना दिया गया है वहां कचहरी खत्म होने के बाद बन्दी आगरा ले जाये जाते हैं । कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है, कितना सुरक्षा में खर्च है । चाहे आप जिला मुख्यालय बनायें न लेकिन जेलों का निर्माण होना चाहिए । अगर नहीं बनाते हैं तो यही होगा कि भाग गये । तो इन सब बातों से भी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है । जेलों के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा की जाय, उन्हें वेतन ठीक से दिया जाय । आज जेल का सिपाही पुलिस के सिपाही से कम वेतन पाता है । जबकि ड्यूटी उसकी रात भर की रहती है । पहले उसको बराबर वेतन मिलता था जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मान–जनक तरीके से कहने के लिए प्रेरित करें । माननीय मंत्री जी इच्छा शक्ति रखें बड़े–बड़े अपराधियों को सुधारने का काम करें तो निश्चित रूप से मन बना सकते

इसी के साथ मैं माया जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री काजी मोहीउद्दीन--

माननीय, बड़े अदब के साथ में यह अर्ज करूं कि माननीय कारागार मंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कारागार मंत्री जी विधान सभा में बजट पेश कर रहे हैं बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी जलसे में बी० जे० पी० के अध्यक्ष के नाते पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बी० जे० पी० की सरकार ने पहली बार यह किया। माननीय, यह कोलीशिन गवर्नमेंट है यह बिगड़े कांग्रेसी, बिगड़े बहुजन। इनकी बात मंत्री जी कहते तो ज्यादा अच्छा होता अब तक जो बजट पेश किया है उसमें सरकार का नाम लिया जाता था। पंखे लगाने की बात कही गयी मायावती जी के मंत्रिमण्डल में भी इस विभाग के मंत्रिमंडल में भी इस विभाग में रहा, माननीय राम नरेश जी के जमाने में आप भी रहे माननीय। इस वक्त मैंने सिलसिला शुरू किया था, हम जानते हैं कि सरकार के सीमित संसाधन हैं,। माननीय, तिहाड़ जेल का बजट इतना है जितना कि पूरे प्रदेश की जेलों का बजट है हमारा। हमने चाहा कि बगैर पैसे के सुधार हो लायन्स क्लब और अन्य सामाजिक संस्थाओं को मैंने इन्वाइट किया था कि आप इसमें कुछ कार्य करें वह तैयार हुए थे और उन्होंने लगवाये भी कुछ गाजियाबाद में लगवाये गये। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी 1952 का डा० सम्पूर्णानन्द जी का जेल का बजट भाषण पढ़ लें। दूसरे, तिहाड़ जेल का आप अधिकारी लेकर मुआयना कर लें।

डा० सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था, ठीक कहा था, पं० नेहरू से लेकर अटल बिहारी बाजपेयी तक गोविन्द वल्लभ पन्त जी से लेकर श्री कल्याण जी तक सभी पोलिटिकल लोग जेलों में रह रहे हैं मुझे भी अवसर मिला, जब हम लोग जेल में जाते हैं तो चिन्तन दूसरा होता है और जब बाहर आते हैं तो चिन्तन दूसरा होता है। भ्रष्टाचार की बात सब करते हैं। 1952 में सम्पूर्णानन्द जी ने यह कहा था कि मैं आदेश देता हूं कि जेल में एक दिन की मिलाई के बजाय 6 दिन मिलाई की जाय मैंने भी व्याकुल रहा था कि भ्रष्टचार खत्म हो या कम हो मैंने भी आदेश दिये कि 6 दिन मिलाई कर दी जाय। 4-5 लोगों की मुलाकात हो पाती है अगर कई लोग आ गये तो कहा जाता है कि आप इतवार को आ जाइयेगा। सन्डे के अलावा और कोई दिन चला जाय तो उनसे मनमाना पैसा लेते हैं। लेकिन जेल अधिकारियों ने डा० सम्पूर्णानन्द का आदेश नहीं माना, मेरा भी आदेश नहीं माना। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक दिन के मिलने का कर दें इसमें कोई पैसा सरकार का खर्च नहीं हो रहा है लेकिन अधिकारी इनकी बात मान जायं और वे अधिकारियों को मनवा लें तो आधा भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा।

माननीय, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस वक्त भी ऐसी ही थीं डा० सम्पूर्णानन्द के जमाने में और आज भी ऐसी ही हैं। माननीय, मैंने लखनऊ जेल का मुआयना किया। डा० सम्पूर्णानन्द ने सबसे बड़ी शिकायत की थी शौचालयों की मैंने भी देखा, बड़ी खूबसूरत रंगाई पुताई कर दी। मैंने जब लेट्रिन बाथरूम देखा तो बड़ी संड़ान्ध आ रही थी तो जब मैं जेल का मुआयना करता था तो इसको जरूर देखता था उसके लिए तुरन्त पैसा दिया गया और सुधार कराया गया तो सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, श्री ओम प्रकाश जो गन्ना के मंत्री हैं, 77 में जेल इनके पास था, मैं उस वक्त राज्य मंत्री था बाद में कैबिनेट हो गया था उस वक्त हम लोगों ने आटा गूंथने की मशीन जेल विभाग को दी थी। माननीय, आटे में बड़ी गन्दगी रहती है, पैर से गूंथते हैं, पसीना टपकता रहता है, नाक पोछते रहते हैं तो जो सियासी कैदी हैं उनको वही रोटी खानी पड़ती है। मायावती की सरकार में मैंने पता किया कि वह मशीने कहा गयीं हैं। कई महीने जाँच कराते रहे तो मैंने कहा कि जांच में ही सारा समय निकल जायेगा। फिर 30-32 आटा गूंथने की मशीन दी थी और हमारा ख्याल यह था कि हम उनको एक दो साल में पूरा कर देंगे। उस तरफ ध्यान दें और सब जेलों में आटा गूंथने की मशीन हो। इससे सफाई रहेगी। तिहाड़ जेल में ऐसा हो रहा है। मैंने चाहा था कि टोकेन सिस्टम कर दें हमारे मैनुअल में यह है कि 30-32 रुपये से अधिक न हो। माननीय अगर मैं अपने किसी रिस्तेदार को 100 रुपये दे दूं तो 50 रु0 उसमें से जेल का सिपाही ले लेता है। हमने कहा कि जेल के अन्दर टोकेन सिस्टम कर दिया जाय, जैसे आपने कैंटीन की बात कही है कोई जाय तो टोकिन खरीदकर उस बन्दी को दे दें कि वह उससे खाने की चीजें, बिस्किट, किताब, तौलिया खरीद सकेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा।

माननीय, इसके अलावा इस देश में ओपेन जेल का डा0 सम्पूर्णानन्द कनसेप्शन दिया था। यूरोप के लोग इन जेलों को देखने के लिए आते थे। आंध्र प्रदेश बगैरा की जेले हैं उसमें इतनी इंडस्ट्री है।

हमारे पास जमीन भी काफी है, उद्योग बढ़ सकता है, कुछ इस ओर आप ध्यान दें ताकि यह सेल्फ सफीशिएन्ट हो सके। दरियां वगैरह बहुत अच्छी बन सकती है। मैंने अपने समय में महिला जेल का मुआयना किया, देखा महिलायें काम कर रही थीं और उनके बच्चे रो रहे थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं था और आपके पास भी नहीं है कि उनको देखने के लिए मुलाजिम रख सकें। मैंने आंगनवाड़ी वालों से कान्ट्रेक्ट किया। मैंने उनसे कहा कि यह आंगनवाड़ी वाली महिलायें वहां तो कुछ करती नहीं हैं, इनको जेल में भेज दो, कम से कम बच्चों को देख लेंगी, समाज कल्याण मंत्री इस पर तैयार हो गये थे तो मैं यह कह रहा हूं कि आप भी इस पर प्रयास कर लीजिये, यदि यह वहां चली जायें तो उनके बच्चों की अच्छी देख-रेख हो सकेगी। क्योंकि उन छोटे-छोटे दो-तीन साल के बच्चों ने कोई कसूर नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार व्यक्त करते हुये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

मेजर जगत पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे कारागार विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय बाबूराम जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जेल में हमारे कैदियों का मनोबल बढ़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह भी देख लिया जाय कि किनके ज्यादा हैं और किनका मनोबल बढ़ा है, हमारे शब्द का प्रयोग किया है। इससे ऐसा महसूस होता है कि अधिकतर कैदी इनके हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बजट रखा और बजट के माध्यम से जेल में रहने वाले कैदियों को सुविधायें

उपलब्ध कराने की बात कही । जेलों में बैरिकों में इण्डिया मार्क– II हैण्डपम्प लगने के बाद ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हुआ है, इससे पहले वहां घड़े रख दिये जाते थे, अब कैदी हर समय शुद्ध पेयजल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जेल के अन्दर कैण्टीन, टी0वी0, पंखे आदि की व्यवस्था की जा रही है । माननीय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सी जेलें बहुत पुरानी हैं और उनके अन्दर जगह बहुत कम है जिस प्रकार हमारे मुरादाबाद की जेल है, उसकी कैपेसिटी मात्र 421 कैदियों की है और उसमें इस समय 1700 कैदी मौजूद हैं । इस वजह से माननीय मंत्री जी जो सुविधायें उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं, वह इतने कैदियों को वजह से नहीं हो पायेंगी । योग की शिक्षा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, यह अच्छी बात है । आजीवन कैदियों की आयु 70 से घट कर 65 वर्ष कर दी गयी है ।

माननीय, जनपद मुरादाबाद की जेल मात्र 18 एकड़ में बनी है और यह जेल नगर के मध्य में स्थित है, जेल के समीप ही कन्याओं का विद्यालय है, सिविल लाइन्स है, कालोनी निर्मित हो गई है जिसमें 3–3 मंजिल के मकान लोगों ने बना लिये हैं, जहां से जेल के अन्दर क्या हो रहा है, सब दिखाई देता है । कभी–कभी ऐसा भी हो सकता है कि जेल के कैदियों को निकालने में यह लोग सहायक हो सकते हैं । इसके अलावा वहां कैदियों से मिलने वालों की तादाद 1 हजार से डेढ़ हजार हो जाती है, इससे कालोनी वालों को काफी कठनाई हो रही है, मेरी प्रार्थना है कि मुरादाबाद जेल को वहां से हटाकर अन्यत्र स्थापित किया जाय । यह 18 एकड़ का जेल है, यह यदि बेची जाय तो लोग इनसे 80 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं, बी0 सी0, एम0डी0 ए0 ने भी कहा है कि यदि यह बिक जाय तो हम दूसरी जेल के बाहर बनाने के लिए तैयार हैं ।

इसके अलावा माननीय, एक बात और कहना चाहता हूं, जो अन्दर अस्पताल है, वहां वही कैदी सुख–सुविधा उठाते हैं, जो पैसे के बल पर, ताकत के बल पर आते हैं, जो कैदी वास्तव में बीमार होते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है ।

ऐसी चीजों को वहां रोकने का प्रयास किया जाये । बन्दियों से मिलने वाले आते हैं तो उनको टोकने दिया जाता है, यह पुराने समय से दिये जाते हैं । इसमें अधिकारियों की बड़ी सांठ–गांठ होती है और जो मिलने के लिए आते हैं उनसे पैसा वसूल किया जाता है मुरादाबाद की जेल में बहुत केस हुए हैं । एक बार जिलाधिकारी ने सुपरिन्टेंडेंट के यहां छापा मारा तो उनकी मेज की दराज से 15000 हजार रुपये पाये गये तो यह जानकारी हुई कि मिलायी करने वालों से लेकर पैसा दिया गया है । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री उदयराज यादव––

माननीय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे भोला शंकर मौर्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय, प्रदेश की जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है । मैं कई छात्र आन्दोलनों में जेल गया हूं आज उनकी बड़ी बुरी दुर्दशा है । कैदियों के खाने की जो व्यवस्था है वह बहुत ही खराब है, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि कैदियों को दो तरह की दाल ही

जाती है और सब्जी दी जाती है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। माननीय मंत्री जी वहां पर जाकर देखें कि किस तरह खाना वहां पर दिया जाता है। कैदियों को इस तरह का खाना दिया जाता है कि उसमें न तो मसाला होता है, न तेल होता और न कोई स्वाद होता है। बाहर जो खाना मांगकर खाते हैं, उस तरह का खाना वह भी नहीं खाते होंगे।

मान्यवर, मैं वहां के अस्पतालों के बारे में कहना चाहता हूं अस्पतालों की बड़ी खराब स्थिति है इससे माननीय मंत्री भी अवगत होंगे। जो बड़े-बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं सब अस्पताल में रहते हैं। जब कोई सामान्य कैदी बीमार होता है तो उसको अस्पताल में जगह नहीं मिलती है और कोई दवा नहीं मिलती है। लेकिन माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि जब कोई अपराधी जेल से बाहर आयेगा तो उसमें सुधार दिखायी पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जेलों में जाता है तो वहां जाकर शरीफ बनकर नहीं निकलता है। जेलों में बहुत सुविधाएं मिलती हैं, बाहर उनको पुलिस का डर रहता है। जेलों में उनको किसी तरह का डर नहीं रहता है बाहर से ज्यादा सुविधाएं जेलों में माफियों को मिलती हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं और जो दो-चार-दस दिन के लिए जेल जाते हैं, जेल मैनुअल में है कि उनसे काम नहीं लिया जायेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनसे बहुत काम लिया जाता है। मान्यवर, इसी तरह की बहुत सी कुरीतियां हैं, उनको रोकने का काम करें। मिलने वाले लोग जब जाते हैं तो उनसे पैसा वसूल किया जाता है, नातेदारों से पैसा लिया जाता है, 40 रुपये, 50 रुपये प्रति व्यक्ति पैसा लिया जाता है। जो बन्दी होते हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप दोहरा रहे हैं, समाप्त करें।

श्री उदयराज यादव--

मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं आज उत्तर प्रदेश की जेलों में तमाम ऐसे कैदित बंदी हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गयी है। मेरा सुझाव है कि 70 साल से अधिक जिन कैदियों की उम्र हो गयी है उनको छोड़ने का विचार करें। तो वह निश्चित रूप से बाहर आकर कोई अपराध नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० कौशल किशोर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या-25, कारागार के सम्बन्ध में माननीय भोला शंकर मौर्य द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जेलों में बड़े-बड़ नेता रहे हैं और जो नेता जेल में रहा वहीं बड़ा नेता बना भगवान श्री कृष्ण भी जेल में जन्मे।

जब कोई आदमी अपराधी होता है तो उसे पकड़ कर जेल भेजा जाता है ताकि वह व्यक्ति कोई गलत काम न करें, जेल में ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे वहां से निकलने के बाद वह अच्छा इन्सान बनें, माननीय, जेल में रहने वाले लोग महात्मा गांधी जी के तीन सिद्धान्तों-अहिंसा, अछूतोद्धार और सत्य वचन तीनों का अक्षरशः पालन करते है। जब कोई हिंसा या डकैती या चोरी करता है तो वह जेल जाने के बाद बिल्कुल अहिंसक हो जाता है जब वह बाहर आता है तो फिर वही कार्य करता है, ऐसे ही जेल में सभी अपराधी बिल्कुल सच बोलता है और जेल से निकलने के बाद फिर वहीं असत्य बोलने लगता है। डाका डालता है कत्ल करता है। इसी तरह जो गांधी जी का तीसरा सिद्धांत सर्व धर्म समान का है, कोई छुआ-छूत नहीं मानता है। तो वहां जेल में जाने के बाद कौन रोटी पका रहा है, कौन किस धर्म का है, इसका कोई भेदभाव नहीं करता सब खाते हैं। लेकिन वहां से आने के बाद कुत्ते की पूछ टेढ़ी वाली कहावत है वैसे ही वह भी बाहर आने के बाद फिर वही बात करने लगता है। छुआ छूत मानने लगता है।

श्री अध्यक्ष--

तो क्या आप चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जेल में ही रहें।

डा0 कौशल किशोर--

माननीय, मुझे भी राजनैतिक कैदी के रूप में वहां रहने का मौका मिला है भोजन की यहां पर बात आयी तो कौन अनाज साफ करता है। वैसे ही दाल पक जाती है, ऐसे ही चावल में कूड़ा कौन बीने, वैसे ही पका दिया जाता है। हिन्दुस्तान में 80 फीसदी लोग किसान हैं और लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, जेलों में अच्छे भोजन की और उसमें सुधार की आवश्यकता है। जेलों में प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पंखों की व्यवस्था नहीं है। मच्छर और खटमल तो बेशुमार हैं। चाहें कोई कैदी हों। सजाएयाफ्ता हो या विचाराधीन, सब को मच्छर काटते हैं, सजायाफ्ता को काटे तो कोई बात नहीं। लेकिन विचाराधीन कैदियों का तो अवश्य ध्यान रखा जाये।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

डा0 कौशल किशोर--

जेलों में रहने वालों की मैन पावर को बरबाद न किया जाएं कड़ाई से काम लिया जाए, और सजा पूरी होने पर जब निकले तो लोग अच्छी आदत सीख कर निकले और फिर अपराधी न बनें। इसकी व्यवस्था जेलों में होनी चाहिए।

हमारे लखीमपुर जेल के परिसर में काफी खेती होती थी। और वहां शहर का गंदा नाला जाता है उस नाले की कभी सफाई नहीं होती है जिसके कारण जेल के पूरे खेत जलमग्न हो गये हैं जिससे पैदावार नहीं होती है। यह जेल कभी शहर के बाहर होती थी लेकिन अब शहर इतना बढ़ गया है कि वह अब बीचों-बीच में हो गयी है। इसलिए मेरी मांग है कि उसे शहर से बाहर किया जाएं ताकि कैदियों को खुला वातावरण मिल सकें।

माननीय, सदस्य पकज साहब हर बार यहां कविता बद्ध बजट पर बोलते हैं। इसी तरह से एक कैदी था जो जेल से अपनी पत्नी को चिट्ठी कविता बद्ध लिखता था और वह कविता में जो लिखता, उसकी दो एक लाइन में बताना चाहता हूं। पूरी कविता बोलने का समय नहीं।

बात कहता हूं सच्ची सच्ची।
रोटियां हैं कच्ची कच्ची ॥
तुम वहां अकेली।
हम यहां जोड़े जोड़े ॥

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जेल मैनुअल में प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जेलों में असलहा लेकर नही जायेगा, यह उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है।

लेकिन में आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उनका उत्तर भाषण जब हो तब में जानना चाहूंगा कि जब यह प्राविधान है कि जेलों में असलहा नही ले जाया जा सकता तो फिर कैसे गोरखपुर और गाजीपुर की जिला जेल के अन्दर एस0 एस0 पी0/सैकड़ों लोगों के साथ अन्दर घुसे और छापा मारा और कैदियों की तलासी ली वह किसी प्राविधान के अन्दर असलहा लेकर दाखिल हुये अगर इस पर रोक नहीं लगायी जायेगी तो जेलों के अन्दर असलहे लेकर पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारियों का घुसना हानिकारक होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि बेंकटरमणि के अध्यक्षता में एक कमेटी 1995 में बनी थी जिसकी रिपोर्ट 1996 में जेल मैनुअल में परिवर्तन करने के लिए पेश हुई है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि उस रिपोर्ट को सरकार लागू करने के लिए अगर भूल गयी है तो मैं याद दिला रहा हूं उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो उचित सुझाव हैं उसको लागू करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जेल मैनुअल उस वक्त का है जब ब्रिटिश पीरियड था उसका स्वरूप दण्डात्मक था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं

कि उस जेल मैनुअल में कहीं पर भी जनप्रतिनिधि शब्द का उल्लेख नहीं है। कम से कम उसमें परिवर्तन किया जाय तो जनप्रतिनिधि किसी कारण से सरकार की गलती से या बदले की भावना से या किसी तरह से बन्दी बन जाते हैं और मैजिस्ट्रेट उनको उच्च श्रेणी में, ए0-बी0 क्लास दो-क्लास जेल में नहीं देता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम हर जेल में न सही तो मण्डल में ऐसी जेल बना दें जहां इस तरह के कैदी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अन्य कैदियों से अलग रखा जाय : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है मैं सुझाव दे रहा हूं कि जो कैदी हैं वहां उनके लिए घड़ी का प्राविधान होना चाहिए। इसमें सरकार का खर्च नहीं है। वह अपनी घड़ी रख सकते हैं।

एक आदमी समय देख करके पूजा करना चाहता है, पांच वक्त की नमाज पढ़ना चाहता है तो घड़ी से कौन सी जेल उड़ जायेगी। आप जेलों में अच्छा कम्बल नहीं दे सकते, जेलों में फटे हुए कम्बल हैं अगर कोई अपने घर से मंगाकर ओढ़ना चाहता है आप उसे मंगाने नहीं देते। दूसरी बात मान्यवर, जब कैदी बन्द होते हैं तो कैदी को सजा दी जाती है उसके घर वालों को नहीं दी जाती है, अगर पत्नी पति से और बहिन भाई से मिलना चाहती है तो उसकी स्वतन्त्रता को क्यों रोक रहे हैं, उनके मुलाकात पर प्रतिबन्ध क्यों लगाना चाहते हैं, आपने यह कह रखा है कि हफ्ते में एक दिन ही मुलाकात कर सकते हैं, आप रोज मुलाकात करने की व्यवस्था करें। मान्यवर, यह सरकार सुनना नहीं चाहती है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपने अपने चैम्बर में बैठ करके मुख्य मंत्री जी के साथ बातचीत में यह निर्देश दिया था कि जो जनप्रतिनिधि जेलों में बन्द हैं उन्हें सुरक्षा के साथ लाया ले जाया जाये इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। पहले 10 आदमी साथ जाते। अब 4 को घटा दिया है, अब 6 हो जाते हैं। यह सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है बल्कि उसे अनदेखी कर रही है। मान्यवर, आपके पीठ ने जो आदेश हों, कम से कम उनका तो पालन यह सरकार करे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री भोला शंकर मौर्या जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति प्रदान की। समय का अभाव है इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। माननीय मंत्री जी ने बजट रखते हुये यह कहा था कि विरोध पक्ष से इसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। मान्यवर, मुझे तारीफ में कुछ बातें कहनी हैं। जेलों में सारी व्यवस्थायें हो गयी हैं, सुरक्षा इतनी पक्की है, इतना बढ़िया है कि जो कम्बल दिया है उसके नीचे और ऊपर दोनों जगह खटमल और मच्छर रहते हैं, कैदी अगर कम्बल को न ( ) दबाये रहे तो खटमल और मच्छर उस कैदी को गड्ढे में गिरा दे। अपर सैलेक्स बहुत बढ़िया किया है, उन कैदियों को यथास्थान रखने की। मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 धर्मेश मिश्र--

मान्यवर, अध्यक्ष जी, आपने मौर्या जी द्वारा रखे गये कारागार विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय

कारागार मंत्री जो ने जो बजट पेश किया है, बहुत सहूलियतें बन्दियों के लिए रखी हैं, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिला हरदोई में लगभग 1100 कैदी बन्द हैं जबकि उस जेल में मात्र 400 कैदियों की क्षमता के लिए बैरिक बनी हुई हैं । यह 9 महीने की सरकार हो गयी अगर एकम बैरिक बढ़ा दिया होता तो हम इनको बधाई देते । आज जहां 400 कैदियों की क्षमता है उसमें 1100 कैदी रखे गये हैं ।

आदमी रात-रात भर बैठकर जेल में काटता है जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । कम्बल की व्यवस्था नहीं है । दरी की व्यवस्था नहीं है । सोलता वासी टट्टियां हैं जो बह रही हैं । पूर्णतः पूरी तरह गन्दगी फैली है । पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है । जेलों में केवल दोषी नहीं जाते हैं कभी निर्दोष आदमी भी बन्द हो जाते हैं । हरदोई जेल में पंखों की व्यवस्था नहीं है, बजट में इसका प्राविधान किया जाय । फ्लस लेटरीन वहां पर बनवाई जाएं । पानी की समुचित व्यवस्था की जाए । आपने कहा कि जेलों में दरियां भेज दी गई किस जेल में भेजी गई यह बता दें । हरदोई में 400 आदमियों की क्षमता है लेकिन 1100 कैदी वहां हैं । उनके जीवन मरण का प्रश्न है इन शब्दों के साथ में श्री मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव पर बल समर्थन देता हूं ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री—

श्री अरविन्द कुमार जैन—

भाई साहब ने जल का वर्णन किया मुलायम सिंह के जमाने में डेढ़ लाख आदमियों को बन्द कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

केवल बजट तक अपनी बात रखें ।

श्री अरविन्द कुमार जैन—

हम जब जेल में बन्द थे तो दो मोटी रोटी मिलती थी उसमें भी आधे कंकड़ मिले रहते थे । लेटरीन का इन्तजाम सही नहीं था । उस समय कैदियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया था । कैदियों द्वारा ही हम लोगों को पिटवाया गया था । सब्जी और दाल में पानी रहता था । उस समय हम लोग एक नारा लगाते थे । पतली सब्जी आलू की ऐसी तैसी लालू की ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, अभी पिछले हफ्ते लड़की जिला हरिद्वार में एक कत्ल हुआ है । उस कत्ल को छिपाने के लिए उसको आत्महत्या में बदला जा रहा है । मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाएगी और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को बण्ड दिया जाए इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने कैदी जेल से भागे हैं, व उनमें कैदियों को पकड़ा गया । अब तक जेल मैनुअल के अनुसार कितने कैदियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई । आपके कार्य-काल में कितने बार जेलों में फायरिंग हुई । उसमें कितने लोगों को चोटें आई । महिला वार्डों के लिए क्या-क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया । कितने शौचालय

खोले हैं जेलों में फ्लस का सिस्टम कहीं-कहीं है लेकिन वह काम नहीं कर रहा है । इससे प्रदूषण फैलता है वृक्षारोपण की बात की है अगर प्रदूषण बन्द कर दें तो वृक्षारोपण की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो जेलें उत्तर प्रदेश की शहरों के अन्दर आ गई हैं, जो पुरानी हैं और जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, उनकी आप नीलामी कर दें, जिससे आपको पैसा भी मिल जायेगा और शहर के बाहर आपको नई जेलें भी बन जायेंगी । इनसे यातायात में भी असुविधा हो रही है और जिन लोगों को मकानात बनाने हैं उनको काफी परेशानी हो रही है । बिजली और पंखे की बात कही गई । बिजली आती ही नहीं तो पंखे कहां से चलेंगे, इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से आप प्रत्येक जेल में एक जनरेटर दे दीजिये, इससे आपका टी० वी० भी चलेगा और पंखे भी । उद्योग-धन्धे की बात कही गई । मैं चाहता हूं कि ट्राइबल योजना आप जेलों में क्यों नहीं लागू करते । आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा । जैसे हमारे पश्चिम में मूढ़ा बनाने का काम होता है तो यही काम आप जेलों में करा दें जिससे जो आपके विचाराधीन कैदी हैं, वह इसे सीखकर अपना रोजगार पा सकते हैं । पहले मान्यवर, बाण का काम काफी प्रचलित था, पता नहीं उसे इधर क्यों बन्द कर दिया गया, कहा गया कि मूंज को कटाई में काफी मेहनत पड़ती है, इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इस योजना को फिर से पुनर्जीवित करें । छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, उनको फिर से आप जेलों में लागू करें । पहले दरियां बनती थी और वह काफी प्रचलित थीं, आप इतना ही कर दें कि हर विभाग में दरियों की जो खरीद होती है वह जेलों से हो, इससे आपको पैसा भी मिलेगा और यह योजना भी चालू रहेगी, साथ ही अन्य विभाग जो दरियों के लिये कमीशन खोरी करते हैं, उस पर भी अंकुश लग जायगा । मान्यवर, बैरिकों की नीलामी होती है । फलां बैरिक का इतना पैसा पहुंच जायेगा फलां का इतना । मान्यवर, आप बिना बताये किसी बैरिक का दौरा कर लें और समीक्षा कर लें तो आपको वहीं सब कुछ मिल जायेगा, शराब, मुर्गा, मछली और गैस सिलेण्डर आदि सब कुछ आपको वहां मिल जायेगा । क्योंकि जो सुविधा भोगी लोग आज जो वहां जा रहे हैं, उन्हें आप इतना तो अहसास कराइये कि आप यहां कैदी हैं न कि सुविधा भोगी माननीय मन्त्री जी हर मंडल की समीक्षा बैठक कर लें और देख लें कि इतनी हत्याओं और अपहरणों की साजिशें वहां पर बनाई जाती हैं और कितने अपराधी पनप रहे हैं । अपराधी जेलों से पैदा होते हैं । ऐसे अपराधियों को आप चिन्हित करने का काम करें । बदायूं जनपद में एक महिला वार्डन है । वह विचाराधीन कैदियों के घर-घर जाकर उनकी पैरोकारी करती है, उनकी अप्लीकेशन लगाती है बल के लिये । ऐसे अनुशासन हीन कैदियों के विरुद्ध आप कार्यवाही करें । जेल सुपरिन्टेन्डन्ट ने भी आपको उसके बारे में लिखकर भेजा है, अधिकारियों की नोटिस में भी वह है, यदि ऐसे अनुशासन हीन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी तो कैसे अनुशासन रहेगा । माननीय मंत्री जी ने जोर-शोर से कहा । मैं कहता हूं कि आप पहले अपने जेल स्टाफ को ही पूरा कर लीजिये ।

आपका करीब 30 परसेन्ट स्टाफ कम है चाहे वह सुपरिन्टेन्डेन्ट हों या जेलर हों । आप इसके प्रशिक्षण के लिये केन्द्र की बात कर रहे हैं कि आगरा में केरल में प्रशिक्षण करवालेंगे । मान्यवर, पहले जो यहां पर कमी है पहले उसको तो पूरा कीजिये । मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जब वे जवाब

देंगे इन सब बातों के बारे में अवश्य कहें । इन्हीं शब्दों के साथ में क्योंकि इनके बजट में पहले ही कटौती हो चुकी है कोई भी नई योजनाओं के लिये पैसा नहीं दिया गया है, कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

श्री काजी मोहम्मद मोहीउद्दीन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह शिकायत होती है कि नशीली दवाइयों का सेवन बहुत होता है । मान्यवर, हमने आदेश दिये थे कि जो एडिक्ट हैं उनका डाक्टरी मुआयना करा लिया जाय ताकि और कैदी उनकी तरह ड्रग एडिक्ट न हो जायें । हमने इसे गाजियाबाद से शुरू किया था और आदेश दिये थे कि पूरे प्रदेश की जेलों में एडिक्ट्स को अलग कर दिया जाये । इस तरह से उनको अलग करके और कैदी नशा नहीं करेंगे और नशे के आदी नहीं होंगे । क्या उस आदेश को आपने वापस ले लिया है ? और अगर नहीं लिया है तो कितने जेलों में कितने एडिक्ट हैं, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे जेल दे दी जाती है । जेल मन्त्री शुक्ला जी ने कौन सा अपराध किया जो इन्हें जेल दी गई है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि माननीय भोला शंकर मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और बहुत अच्छी राय हमको मिली है । मैं प्रयास यहीं करूंगा कि जो राय दी गई है बंदियों के हित के लिये, जेल के हित के लिये मैं उनको स्वयं अपनाऊं और उनको लागू करूं । काजी साहब का जो विचार आया । मैंने शुरू में भी ड्रग एडिक्ट के सम्बन्ध में बात कही है । मैं गाजियाबाद जिले में गया था । आपने जो आदेश दिये थे वह आज तक यथावत् हैं, उसको वापस लेने का कोई सवाल भी नहीं है । दो बार गाजियाबाद में मैंने भी ड्रग एडिक्ट देखे थे, वो अलग थे । आपके आदेश को हटाना नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह लागू होगा । मैंने स्वयं भी इस अच्छे उद्देश्य को कहीं भी हटाने का प्रयास नहीं किया है । दो तीन बातें मौर्य जी ने कहा है । जेल मैनुअल का परीक्षण हो रहा है । अभी तक उसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं था । बिना जेल प्रतिनिधि के किसी भी प्रकार से अगर जेल मैनुअल बनाकर तैयार होता तो जो बातें सदन में आई हैं कि वहां क्या कष्ट हैं, क्या सुख है यह नहीं पता चलपाता और उसके बिना परीक्षण के हम अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उसको लागू करना उचित नहीं होता । दूसरी बात एक पेरोल की आई । मैं यहां दावे जरूर माननीय अध्यक्ष जी कर रहा हूं ।

पिछले 15 सालों में जितना पैरोल नहीं दिया गया उतना इस कार्य-काल में हमने देने का प्रयास किया है । एक महीने आकर अपने परिवार के साथ रहलेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है । जेल में आचरण अच्छा है तो पेरोल पर जाने की व्यवस्था है । जब से पेरोल दिया है ऐसा कोई केस नहीं आया है कोई भाग गया हो । मान्यवर, दस साल के बाद जेल दिवस उत्तर प्रदेश की जेलों में मनाया गया । तीन जेलों से लखनऊ में बन्दी आए खुले आसमान के

नीचे रहे हमने कड़ाई से कहा था कि जेल दिवस मनाया जायेगा। वह खुले आसमान के नीचे रहे खेल हुए पुरस्कार भी पाये बनारस सेन्ट्रल जेल के कैदियों ने सबसे ज्यादा पुरस्कार पाये। माननीय, दो तीन बातें और आई हैं नैतिक शिक्षा के लिये ट्रेनर की बात आई। टी0 वी0, वी0 सी0 आर0 देने की बात कर रहे हैं अधिक धन नहीं दे पाएंगे तो मानवाधिकार आयोग द्वारा कर रहे हैं कैसेट द्वारा नैतिक शिक्षा और योग सिखाने का प्रयत्न करेंगे। विभाग नहीं मानेगा तो इसको दूसरी तरह से पूरा किया जायेगा। पाठक जी बदायूं के हैं उन्होंने प्रयत्न किया पूरे बैरिकों में बदायूं में पंखा लगाने का प्रयत्न किया। समुचित साधन हो यह आवश्यक नहीं है सब कुछ कर पाये इसके लिये सामाजिक संगठनों सहयोग लेकर करने में हम हिचकेंगे नहीं।

माननीय, उद्योग की बात आई उद्योगों में कमी आई है। मुनाफे में कमी आई है। बन्दियों से काम कराया जाता है कहीं बन्दियों से काम नहीं कराया जाता है यह कहा जाता है। अण्डर ट्रायलबन्दियों से काम नहीं लिया जाता है वह अदालतों की सम्पत्ति है यह कहा गया कि बन्दियों को सीमित पैसा दिया जाता है पैसे में बढ़ोत्तरी हो इसमें विचार किया जा रहा है। कृषि की पैदावार के बारे में कहा गया। गेहूं की पैदावार काफी बढ़ी है। सितारगंज में हमारी पैदावार सात सौ आठ सौ कुंटल बढ़ी है।

इस हेतु बढ़ाने का प्रयत्न किया है। एक बात आयी की 1998 में जेलों के अन्दर फायरिंग की घटना हुई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। अगर कहीं इस प्रकार की बात होगी तो निश्चित रूप से हमें दीजियेगा।

काजी मोहीउद्दीन—

खड़की में हुई है :

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से हम देख लेंगे। राय बरेली में 97 में वह घटना हुई थी जिसकी आयुक्त से जांच कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

माननीय, आदरणीय काजी साहब ने जो आदेश दिये थे उसका अनुपालन हीं हो पाया था लेकिन अब यह सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी जेल में जाकर शनिवार के अतिरिक्त आप मुलाकात कर सकते हैं। अब इस प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, आटा मशीन के बारे में आदेश दिया था। अरमवा महाराष्ट्र से और मंगवाने का आदेश दे दिया है। प्रत्येक जेल में संसाधन के अनुसार दिलवाने का कष्ट करेंगे। इसी प्रकार जो सभी लोगों के सुझाव आये हैं मैं उसका समाधान करते हुये प्रयत्न करूंगा, माननीय, कटौती में वहीं मानता हूं। विभागीय आलोचना से जो समालोचना होगी उसका मैं आदर करूंगा और सुधार करके जो बन्दी बाहर आये उनका हित हो सके वह मैं प्रयत्न करूंगा। मैं आदरणीय मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि जब मैंने उनकी समालोचना को स्वीकार कर लिया है तो वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

*(पर्यटन राज्य मन्त्री) श्री बलवीर सिंह --

माध्यवर, जो जेल में पिछली सरकारों में मरी हुई थी क्या माननीय मन्त्री जी उसकी जांच करायेंगे ? यह संभव है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

माध्यवर, मैं आपसे माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जेल में जख्मी कैदी आते हैं उनके एक्स-रे का कोई प्राविधान जेल के अस्पताल में है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपको पहले पूछना चाहिए था ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

माध्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं । प्रत्येक जेल में हम फारमेसिस्टों की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि उन्हें एक्सरे की सुविधा मिल सके । जहां तक जांच की बात है उसके लिए प्रयत्न किया है ताकि दो एक अधिकारियों को दण्डित किया जा सके ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

माध्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,96,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) एवं अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मन्त्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,43,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,58,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष--

कुछ संक्षेप में कहना चाहेंगे ।

(कई सदस्यों ने आग्रह किया कि उत्तर भाषण में बोल लेंगे)

श्री लाल मणि प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, जो नागरिक सुरक्षा संगठन है, राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम भावना से प्रेरित होकर इस संगठन का निर्माण किया गया यह स्वयंसेवी संगठन है इसका पर्यवेक्षण और निदेशन भारत सरकार और प्रदेश शासन की नीतियों और संकल्पों पर आधारित है । माननीय, अभी मन्त्री जी ने जो बजट रखा कोई ठोस सुझाव नहीं दिये । प्रदेश के केवल 17 महानगरों में यह संगठन कार्यरत है लेकिन आज जो वर्तमान जन संख्या को देखते हुए आज इसकी आवश्यकता प्रदेश के सभी जनपदों में यहां तक कि समस्त वार्डों, टाउन एरिया, नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत स्तर पर महसूस की जा रही है, वहां इस संगठन को बनाने की

जरूरत है क्योंकि आज जो आये दिन जनमानस में सामाजिक तनाव हो रहा है, माहौल बिगड़ रहा है ऐसी स्थिति में इसकी बहुत आवश्यकता है। अनुरोध है कि सभी जिलों के हर क्षेत्र में इस संगठन को बनाया जाय। माननीय, मैंने देखा है कि नागरिक सुरक्षा विभाग में जितने कर्मचारी हैं उस तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

माननीय, समूह "क" में जो स्वीकृत पद हैं इसमें भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। समूह "ख" में कुल पद 7 हैं जिसमें से केवल 4 पद भरे हैं, आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है उसी तरह से समूह "ग" में स्वीकृत पद 16 हैं जिसमें 7 कार्यरत हैं, 9 की कमी है कोटा पूर्ण नहीं है, समूह "घ" में 196 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 106 पद भरे हैं 90 की कमी है इसी तरह से समूह "क" में 20 की कमी है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ड्यूटी लगती है उनका जो भत्ता मिलता है उसमें वृद्धि की जाय। रोस्टर प्रणाली के अनुसार होमगार्ड को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है जो ड्यूटी पर लग जाता है वही लगा रहता है और जिनकी ड्यूटी लगायी जाती है उन से महीने में 2-300 रुपये तनखाह से काट लिये जाते हैं विभागीय अधिकारियों के द्वारा तो यह शोषण हो रहा है। इसलिए वहां पर रोस्टर प्रणाली लागू की जाय ताकि यह भ्रष्टाचार खतम हो सके। सभी होमगार्डों को ड्यूटी मिल सके।

माननीय, आज भी होमगार्ड पर पुलिस का नियंत्रण है यह समाप्त होना चाहिए और इसकी पूरी पावर डिस्ट्रिक्ट कमान्डेन्ट को मिलना चाहिए और उसे ही डियूटी लगाने की पावर भी मिलनी चाहिए तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। माननीय, हम यह जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं बेरोजगार हैं, नौजवान हैं इनको यदि यातायात का नियंत्रण दे दिया जाय या फैक्ट्रियों में सुरक्षा के लिए लगा दिया जाय, मेलों में, अस्पतालों में लगाया जाय तो इनको ड्यूटी मिल सकती है और इनका उपयोग किया जा सकता है इसके अतिरिक्त पुलिस की भर्ती में इनका 5 से 10 प्रतिशत तक कोटा दिया जाय। माननीय, विभागीय डी0 आई0 जी0 की प्रोन्नति का मामला था उसकी भरपाई नहीं हो पाई है उसे भरा जाय जो अधिकारी हैं वह 10-12 साल से एक ही जगह पर लगातार रह रहे हैं तो एक नियम बनाकर उनका स्थानान्तरण निश्चित अवधि में किया जाय। आज होमगार्ड विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का कोटा पूर्ण नहीं है वह पूर्ण किया जाय। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाय साथ ही साथ समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में कोटा पूरा नहीं है, इसको आप पूरा करायें। एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो पद रिक्त हैं, उनको भी आप भरने का प्रयास करें और साथ ही साथ जो होमगार्ड्स की वर्दी का मामला है, जो 4 वर्ष में एक बार है उनको एक वर्ष में कम से कम एक बार वर्दी मिले, ऐसा अवश्य करने का प्रयास करें। मैं इन सब सुझावों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह—

माननीय, जैसा कि अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने तीन-चार बिन्दुओं की तरफ इंगित किया है, उनके सम्बन्ध में पहले ही विचार किया जा चुका है। जहां तक इनकी ड्यूटी का सवाल है, वह ड्यूटी लग रही है और सही लग रही

हैं, इसमें और सुधार के लिये हमने कम्प्यूटर की व्यवस्था की है, जो मुख्यालय पर इस काम के लिये प्रयोग किया जायेगा। जहां तक आपने आरक्षण की बात कही है, आरक्षण के लिये पहले से प्राविधान है और उसके अनुसार किया जायेगा।

जहां तक होमगार्ड्स को नियमित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात है, उसके लिये शासन के विभिन्न विभागों में समूह "ब" "स" "द" के पदों पर उनके लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार आबकारी में 33 प्रतिशत, वन में 20 प्रतिशत, कारागार में 10 प्रतिशत और पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 में 05 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार मानकों को जो होमगार्ड पूरा कर लेंगे, उनका आरक्षण हो जायेगा और उन्हें वहां रोजगार मिल जायेगा। जहां तक होमगार्ड विभाग की उपलब्धियों का सवाल है, उसका भी ब्योरा देना चाहूंगा क्योंकि हमारे सम्मानित सदस्य बहुत चिन्तित हैं। ड्यूटी पर कार्यरत हमारे होमगार्ड हैं, उनके लिये जीवन बीमा योजना है, उसकी धनराशि 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्दी की बात कही गयी, अभी तक 4 वर्षों में एक वर्दी देने का प्राविधान था, अब सरकार ने 4 वर्ष में दो बार वर्दी देने का प्राविधान कर दिया है। इसी के साथ 1 अप्रैल, 1998 से जिले के अन्दर जो होमगार्ड तैनात किये जायेंगे, उनका दैनिक भत्ता 45 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है और जो जिले के बाहर तैनात किये जायेंगे, उनके लिए 55 रुपया कर दिया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं और भी बातें बता दूं। अन्य प्रदेशों की तुलना के हिसाब से बता दूं। होमगार्ड के अधिकारियों को दी जाने वाली धनराशि अब वहीं के सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी, अब उन्हें इसके लिये कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। होमगार्ड, स्वयं सेवकों, चाहे वह वैतनिक हों, चाहे अवैतनिक हों, उनके लिए एक करोड़ रुपए का फण्ड तैयार किया गया है, जिसके ब्याज से उनके परिवार के भरण-पोषण की आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी।

इसी प्रकार मान्यवर, जिन होमगार्डों ने उत्कर्ष कार्य किया है, उनके बारे में जानकारी दे दूं। यह जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वह बता दूं। द्विवेदी जी की हत्या हुई उनके कातिलों को पकड़ा और उनकी वजह से वह जेल के अन्दर हैं और उसको विशेष पारितोषिक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

आप अनुरोध करें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह---

माननीय सदस्य और कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो यह अच्छा होगा क्योंकि यह एक स्वयंसेवी संस्था है।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री लालमणि प्रसाद---

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस चीज का स्पष्टीकरण नहीं किया कि जो होमगार्ड को आधी संख्या में ड्यूटी दी जाती है, उनके लिए क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आधे ट्रेनिंग करते रहें और आधे ड्यूटी पर रहें। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं, बल्कि ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन-राशि अतिरिक्त 51,43,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,58,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 22—खेल विभाग

*खेल कूद एवं युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,46,29,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय, वर्तमान युग में राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल एक प्रोफेशनल दौर में प्रवेश कर गया है और इस समय हमारे सीमित संसाधन हैं उसको देखते हुए अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध कराना इस सरकार का लक्ष्य है, और हमारी कोशिश है कि उस प्रतिभा को प्रज्वलित करें, 1974 में इस विभाग की संरचना हुयी थी, उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में 41 करोड़ का प्राविधान किया गया था, श्रीमन् हमारी सरकार ने उसके विपरीत 69.11 करोड़ रुपया खर्च किया है और नवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 71.5 करोड का प्राविधान प्राधिकृत

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है । इस विभाग में सेवा और समर्पित भाव को लेकर अच्छे से अच्छे खिलाड़ी पैदा करने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है तो निश्चित रूप से इसकी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह विभाग एक आन्दोलन के रूप में है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेलों को आजादी के पचास वर्ष बाद भी कोई नीति आज तक की सरकारों ने नहीं बनायी थी ।

(इस समय 8 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरीशंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

यह हमारी सरकार है जो पहली बार खेल नीति बनाने जा रही है, जो हमारे यहां से खेल प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है इससे हम उसमें सफल होंगे मैं निश्चित रूप से यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे नयी प्रतिभायें उजागर करने में हम सफल होंगे अभी तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नौकरियों में खिलाड़ियों को रखने का प्राविधान तो था लेकिन उसका पालन नहीं किया गया यह पहली सरकार है जिसने 5 प्रतिशत तक खिलाड़ियों को चयनित करने के लिए रखे हैं आज हमने खेलों के सम्बन्ध में जो एक कमेटी बनी थी उसमें संस्तुतियों को मानने का प्रयास किया है और उसके लिए हम तैयार हैं खेलों के माध्यम से स्कूलों और कालेजों में इण्टर कालेज प्रतियोगितायें आयोजित करने का कार्य शुरू किया है उससे अच्छे खिलाड़ी निकल पायेंगे । इसी श्रृंखला में यह भी कहना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने खेलों को सम्भवतों सूची में लाने के लिए पूरी वकालत की है मैं यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम खेलों को प्रोत्साहित करेंगे और पहली बार सरकार ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए रात्रि खेलों के लिए फ्लड लाइट की व्यवस्था की है और मा0 मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने स्वयं अपने मुखारविन्द से कानपुर स्टेडियम से फ्लड लाइट की व्यवस्था की घोषणा की है ।

माध्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि क्रीड़ांगनों का विकास करना सरकार का लक्ष्य है । हम यह बताना चाहेंगे कि इस समय 56 क्रीड़ांगन निर्मित हो चुके हैं और 13 निर्माणाधीन हैं । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक जनपद में क्रीड़ांगन बनाने के लिए कटिबद्ध है । माध्यवर, इसी तरीके से प्रदेश के अन्दर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल 40 हैं और 5 निर्माणाधीन हैं । हमारा विश्वास है कि आगे भी हम बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल बनायेंगे । माध्यवर, इसी तरह से 21 तरणताल हमारे प्रदेश में 21 और 5 निर्माणाधीन हैं । इस समय सोनभद्र, महाराजगंज में बनाने का हमने प्राविधान किया है । जैसा कि माई समर पाल ने कहा, सरकार के पास संसाधन सीमित हैं और लक्ष्य असीमित है फिर भी हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं । इसके माध्यम से कुछ अच्छे उपकरण उपलब्ध कराना चाहते हैं और उनको पुरस्कृत करके उनका मनोबल बढ़ाने का हमारा संकल्प रहा है इसलिए हमने 1998-99 में 10 लाख रुपया दिया है जिससे हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे । बार-बार यह आवाज उठती रही है कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कम हैं ऐसे खिलाड़ी हम क्यों नहीं उजागर कर पा रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि 1996-97 में इस प्रदेश ने 22 ऐसे खिलाड़ी दिये हैं और इस वर्ष 20 खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया है ।

माध्यवर, पिछले 1996-97 में 287 मंडल प्रदेश के खिलाड़ियों को प्राप्त हुये थे और हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं 1997-98 में 378 मंडल्स प्रदेश के खिलाड़ियों को प्राप्त हुए हैं । माध्यवर, पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश को

क्रिकेट टीम रणजी ट्राफी फाइनल में नहीं पहुंची थी मान्यवर, हमें खुशी है कि हमारी टीम दूसरे स्थान पर रही टेक्निकल ढंग से अगर देखा जाय तो हमारी टीम पहले स्थान पर थी। यह माननीय, खुशी की बात है कि बहुत लम्बे-चौड़े अन्तराल के बाद हमारी टीम ने सफलता हासिल की मान्यवर, इसी तरह से गर्व की बात है इण्डिया-ए टीम में सुरेन्द्र पाण्डे और ज्योति यादव प्रथम बार चयनित हुए हैं। बहुत लम्बे अरसे के बाद यह सफलता प्रदेश को प्राप्त हुयी है। हम अपने सीमित संसाधनों को देखते हुये खेल उपकरणों की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिये वर्ष 1998-99 में हमने 85 लाख रुपये की व्यवस्था की है इसमें जूडो के गद्दे, जिमनास्टिक के उपकरण आदि की व्यवस्था की गयी है।

मैंने बताया था कि निश्चित रूप से स्पोर्टस पालिसी डिक्लेयर होने के बाद मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में भारत सरकार की मदद से और खेलों को समवर्ती सूची में शामिल होने के बाद इस प्रदेश में स्पोर्ट स कालेजों की संख्या बढ़ेगी। यह मैं विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं। जहां तक छात्रावास तथा स्पोर्टस कालेज की बात है तो अच्छे खिलाड़ियों का जनरेट करना इस सरकार का कर्तव्य है। इसलिए हमने पहली बार 16 वर्ष से आयु घटाकर 12 वर्ष और 14 वर्ष किया है इसलिए किया है ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा समय मिल सके, खेलने के लिए व अपने विकास के लिए और वह देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इसलिए आयु को घटाया है। हमारे छात्रावासों से जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। एक छात्र के ऊपर हम निश्चित रूप से 20 हजार रुपया प्रति वर्ष खर्च करते हैं और उस 20 हजार रु० के माध्यम से किट, शिक्षा व उपकरण प्रदान करते हैं। जहां तक प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रश्न है हमने खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, उनकी शैली सुधारने के लिए एक लाख बीस हजार बालक बालिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और उस पर एक करोड़, तीस लाख, पैंतीस हजार रुपये खर्च करने की व्यवस्था की है। जहां तक प्रतियोगिताओं के आयोजन की बात है हम प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पूरा समर्थन देते हैं, अच्छे संघो या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर अगर मांग करते हैं तो हम वहां भी प्रतियोगितायें कराते हैं। इसके लिए एक करोड़, छप्पन लाख, तिरसठ हजार रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है।

माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हम निर्माण की श्रंखला को जन्म दे रहे हैं। इस वर्ष मेरठ में तरणताल की व्यवस्था यह सरकार करायेगी। खासतौर से बाजपेयी जी बार-बार यह बात उठाते हैं। प्रेम पार्क जैसा संकुल, भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम रामपुर में, मेरठ में बैडमिन्टन हाल तथा मवोहो में स्टेडियम की स्थापना इस वर्ष पूरा करने का प्रयास करेगी। गोरखपुर, रामपुर और बनारस में एस्ट्रोटर्फ का काम पूरा करके हम खिलाड़ियों को सौंप देंगे। इसलिए इस कार्य में आप सबका सहयोग चाहता हूं। सभी लोग इसमें आहूति दें और इस बजट का समर्थन करें।

श्री वसीम अहमद---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय, हम कितने संवेदनशील हैं, हमारे मंत्री जी खेल के प्रति कितने संवेदन शील हैं व हमारे सामने बैठे हुये लोग कितने संवेदनशील हैं कि सारी–की सारी मांगों को अनुज्ञा पेश करने व उसके पारित हो जाने के बाद खेल विभाग का नम्बर आता है ।

यह हमारी सोच है । मंत्री जी आज पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने खेल विभाग स्थापित कर दिया । जिस वक्त खेल विभाग नहीं था । हम जैसे लोग उस समय के हैं जब खेल विभाग नहीं था फिर भी उत्तर प्रदेश के खेल के क्षितिज में ले जाने का काम करते थे । खेल विभाग पीठ थपथपाने का काम करता है कि हमने दो खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कम किया । मैं आप के सामने लिस्ट दिखलाना चाहता हूं । जब खेल विभाग नहीं था । उस वक्त के कई खिलाड़ी पैदा हुए जै0 डी0 सिंह बाबू जी, ध्यान चन्द्र जी, रूप सिंह जो इसी तरह से वालीबाल में एशिया स्तर पर हिन्दुस्तान की टीम का नेतृत्व करने का श्री रणबीर सिंह ने काम किया । इलियास अहमद, गाजीपुर के, जेनुल अबेदीन गाजीपुर के चन्द्रेश्वरराम अक्षय कुमार जैसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने हिन्दुस्तान और विदेश में अपना नाम रोशन किया । क्या हास्टल तथा कालेजों ऐसे एक भी खेलाड़ी पैदा किये ? पुरस्कार देने की बात कही जाती है कि हम खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं । आज खेलों के स्पोर्ट कालेज होते हैं । आपके जो हास्टल हैं उन हास्टलों में आप खेल कम कराते हैं कागज पर खेल कराते हैं । कागज का पेट भर दिया जाता है । जिनको पुरस्कार मिलता चाहिए उनको पुरस्कार नहीं मिलता है । अर्जुन पुरस्कार, होल्डर, लक्ष्मण पुरस्कार होल्डर रणबीर सिंह, इलियास अहमद को कोई पुरस्कार देने का काम यह सरकार नहीं करती है । आज खेल का पलायन होता जा रहा है । आज आपके विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती नहीं होती है । कुछ लोग पुलिस विभाग और अन्य विभाग में भर्ती के लिए तैयार हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है । वहां पर मेरिट देखी जाती है जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनकी मेरिट देखी जाती है । खिलाड़ी पढ़ने में कमजोर हो सकता है लेकिन अगर अच्छा खिलाड़ी रहा है तो उसकी मेरिट नहीं देखनी चाहिए । जो शिक्षा विभाग में खेल होते हैं । जहां कोचेज नहीं हुआ करते हैं । 80 साल पुरानी फीस आज भी वहां ली जाती है । जैसे 6–8 में विद्यार्थियों से पैसे 9–10–25 पैसे और 11–12 तक के विद्यार्थियों से 37 पैसा 9 से 10 क्लास में 25 पैसे लिया जाता है और 11 से 12 क्लास में 37 पैसे लिया जाता है । आज खेल उपकरणों के दाम 800 गुना तक बढ़ गये हैं । उसके बारे में आपने कभी सोचा । आज खिलाड़ियों का पलायन होता जा रहा है, जब तक आप खेलों को गांवों की तरफ नहीं लेजाएंगे और खेल के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो सकता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य––

माननीय, सदन के अव्यवस्थित चलने से सदन का काफी समय लगता है। इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह शान्ति बनाये रखें जिससे जल्दी हो जायेगी।

*वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)––

माननीय श्री मौर्य जो भी व्यवस्था का प्रश्न करने लगे हैं।

श्री वसीम अहमद––

आज क्रीड़ा विभाग के जो प्राउन्ड हैं, देहात के जो बच्चे शहरों में खेलने आते हैं उनसे 40 रुपए लिये जाता है। इस पर भी मंत्री जी कहते हैं कि हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। आज सी0 पी0 टी0, डी0 पी0 टी0 तथा एल0 पी0 टी0 किये हुए बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। 1982 में एम0 पी0 टी0 व डी0 पी0 टी0 किये हुए बच्चे आज तक भर्ती नहीं हो सके हैं। वह घूम रहें हैं। इसलिए एक ऐसी सुनिश्चित नीति बनाई जानी चाहिए कि हमारे जो खिलाड़ी निकलेंगे उन्हे हम किसी न किसी विभाग में भर्ती अवश्य करेंगे। इससे पहले होता था। 1974–75 में बिजली विभाग में रोडवेज विभागों में इसी तरह अन्य विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती होती थी, परन्तु अब वह सब बन्द कर दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों का दूसरे प्रदेशों व देश में पलायन हो रहा है। नम्बर की बात नहीं होनी चाहिए। पी0 ए0 सी0 दिवस के अवसर पर 13 दिसम्बर, 1997 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में भर्ती करेंगे, परन्तु आज तक वह घोषणा दबी पड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे राज्य खेल संगठन हैं, उन पर सरकार का क्या नियंत्रण है। अनुदान आप देते हैं और फर्जी खिलाड़ियों का चयन होता है।

6 से 8 क्लास में 18 पैसा और उनका चयन करके कहीं टीम बाहर नहीं होती है। उस पैसे को ले लिया जाता है इसको भी देखने का काम करें। राजकीय खेल आयोग का गठन होना चाहिए। राज्य निगरानी समिति होनी चाहिए जिसका अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी हों, उसमें माननीय सांसदगण हों, विधायकगण हों, खेल विभाग के सचिव हों, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों खेल पत्रकार, शासन के अधिकारी, खेल निदेशक आदि लोगों को उसमें होना चाहिए। तब ही इन पर नियंत्रण हो सकेगा, तब ही जो खेल नीति बनेगी वह सही सही होगी क्योंकि आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो खिलाड़ी नहीं होते हैं वे एक नीति बनाकर दे देते हैं और उससे हमारे खिलाड़ियों को कोई भला होने वाला नहीं है इसलिए माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन पर विचार करें। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। अपने सदस्य भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि जितने अन्तर्राष्ट्रीय खेल में आप जाते हैं वह राष्ट्रीय का होता है उसमें अभी हमारे भाई बोल रहे थ। मुझे बड़ा दुःख है कि हम 16 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि बैठे हैं। खेल को खेल की तरह खिलवाड़ नहीं मानना चाहिए इससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है और गिरता है। क्रीकेट, हाकी, फुटबाल, बैडमिन्टन, टेनिस, बोटिंग, रोइंग, हाई जंपिंग किसी में आपने कोई कदम उठाया ? आपने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की कोई खेल नीति नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्टेडियम का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में तरण ताल का निर्माण किस तरह हुआ ? उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ : उत्तर प्रदेश, पहला प्रदेश था जिसमें स्पोर्ट्स हास्टल की कल्पना प्रारम्भ की। आज भारत सरकार ने उसको ले रखा है। एक जमाना था अधिष्ठाता महोदय कि भारत की हाकी टीम में 11 बच्चे उत्तर प्रदेश के थे। आज क्या स्थिति है ? हम कहीं फुटबाल में, न टेनिस में, न बैडमिन्टन, न हाकी में न बालीबाल में न एथ्लेटिक में है। किसी खेल में नहीं हैं। कई प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं कोई ए बी नहीं है। 16 करोड़ की आबादी हैं इतनी सहूलियत दी गई उसके बाद कहां हैं। जूडो में नहीं हैं, ताइक्वाइडो में नहीं हैं कुश्ती में भी नहीं हैं और बजरंग बली का नाम लेते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके विभाग का कहानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1987 में अखिल भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट से शुरू हुआ क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी का नाम था इसलिए आपको एलर्जी हो गयी। जानकारी नहीं है कि इंदिरा गांधी स्वयं एक एथलीट थीं। 1984 में वाराणसी आई थीं। बनारस में 1984 में दूर दर्शन केन्द्र का उद्घाटन करने। वह भी चाहती थीं कि भारतवर्ष में हर प्रकार के राष्ट्रीय खेल होते हैं। हाकी हमारे देश में राष्ट्रीय खेल है और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो काशी में प्रोग्राम हुआ।

हमारे तत्कालीन महामहिम ने इस सम्मानित सदन में 1987 में 2 मार्च को बयान दिया था। हमारी सरकार खेल के स्तर में सुधार और प्रगति के लिए विशेष प्रयत्नशील है। दिल्ली में इस प्रदेश का एक मुख्य खेल आयोजित किया गया। महामहिम गवनर बोल रहे हैं जिसके अन्तर्गत इंदिरा गांधी मेमोरियल एनयूल स्वर्ण हाकी कप के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें विदेशी टीमों ने भी भाग लिया। यह 1987 का है।

माननीय, ध्यानचन्द्र स्टेडियम स्पोर्टस के लिए है। एस्ट्रोटर्फ, मन्त्री जी मुझे क्षमा करेंगे पिछले दो वर्षों में ध्यानचन्द्र स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ खराब है। मैंने आपके विभाग को पत्र लिखा, मंत्री जी को पत्र लिखा, 25 मार्च 1998 को इनका उत्तर आज तक मंत्री जी ने नहीं दिया वह बन्द है। रामपुर बनारस, गोरखपुर में लग रहा है। माननीय हालैन्ड एक छोटा सा देश है हमारे उत्तर प्रदेश का 1/4 भाग है। वहां 55 एस्ट्रोटर्फ हैं भारत की टीम वहां खेलने गई, 16 करोड़ की हमारे उत्तर प्रदेश की है ध्यानचन्द्र जी झांसी के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और के0 डी0 बाबू सिंह जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश का पहले भारतीय के0 डी0 सिंह बाबू 1936 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ओलम्पिक में गए। इनको एवार्ड से नवाजा गया था। ध्यानचन्द्र जी ओलम्पिक में गए तो जर्मन राष्ट्रनायक हिटलर वहां बैठा हुआ था उसने दो बार इनकी हाकी स्टिक बदलवाई उसको यह शक था कि हाकी स्टिक में चुम्बक लगा हुआ है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वयं उसमें आप रुचि लें । आपके ऊपर जिम्मेदारी है । माननीय, आज आप हाकी में 20 लड़कियां ले रहे हैं । उत्तर प्रदेश आठ से 14 वर्ष तक कितनी लड़कियां होंगी इसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी । मैं आपको बता देता हूं । इनकी संख्या एक लाख उन्यासी हजार सात सौ छियत्तर है और आप ट्रेनिंग दोगे 20 को । माननीय, 1987 में अन्तर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हाकी गोल्ड कप टूर्नामेंट हुआ था और उसकी ट्राफी प्रदेश सरकार ने दी थी । लखनऊ के स्टेट बैंक के स्ट्रांग रूम में यह रखी हुई है । माननीय, ध्यानचन्द स्टेडियम हाकी का मैदान जो कि एस्ट्रोटर्फ का है । यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है । इसका ऐस्ट्रोटर्फ खराब हो रहा है । आपने कहा कि आप इसे बदलवा रहे हैं, तो बड़ी कृपा होगी ।

माननीय, एक अनुरोध करूंगा । सचिवालय में खेल विभाग है । इसमें आप बास्केटबाल को परमोशन दे दें । वालीबाल को यहां की एक जमाने में भारत की सब से बढ़िया टीम मानी जाती थी आज पता नहीं उसकी क्या स्थिति है । जो स्पोर्टस हास्टल हैं उसमें ट्रेनिंग आप दिलवाये कुश्ती की, तैराकी की जो तरुण ताल बन रहे हैं वह ओलम्पिक स्टेन्डर्ड के होने चाहिए हमारे देश में बंगाल की एक लड़की थी छोटी थी । सियोल में तैराकी का टेस्ट हो रहा था । वह पचास मीटर तक तो नम्बर-1 पर रहती थी लेकिन जहां से पलटना होता था, तो वह पिछड़ जाती थी । इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि जो तरुण ताल बन रहे हैं उसका साइज ओलम्पिक साइज का होना चाहिए । इसी के साथ एक मिनी तरुण ताल बनाया जाय जिसमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके । जो बजट रखा है उत्तर प्रदेश की विशालता को देखते हुए बहुत कम है । फिर भी समन्वय करें । बच्चों को आगे लायें और अभ्यास करायें । ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे भारत पर छायें । यह कमजोरी जो बीच में आ गयी थी कृपा कर इसे दूर भगायें यह जिम्मेदारी आपकी है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्री समरपाल सिंह--

माननीय, मैं श्री वसीम अहमद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है खेल की स्थिति में सुधार का । आप खेल नीति बनाने जा रहे हैं । माननीय 50 साल बीत गये अभी तक यहां पर कोई खेल नीति नहीं है । माननीय, जब यहां प्रश्न आते हैं, सेलेक्शन, खेल के विकास, अनियमितता की बात आती है तो जवाब आता है कि हम खेल नीति बनाने जा रहे हैं उसके बाद कोई अनियमितता नहीं रहेगी । आप यह जरूर बता देंगे कि उसकी कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं । माननीय, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी है । कमी खेल विभाग की है जो प्रतिभाओं का सेलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं । आपने कहा कि हम सर्वेक्षण करेंगे, खिलाड़ियों का छटनी करेंगे । खिलाड़ियों का पलायन रोकेंगे । माननीय, खिलाड़ी तपस्या भाव से अपना सम्पूर्ण जीवन खेल के लिये समर्पित कर देता है उसके बदले में उसे क्या मिलेगा भविष्य उसका अंधकारमय है । कोई अभिभावक अपने बच्चे को खेल में आना नहीं देना चाहता है वह चाहता है कि वह आई0ए0 एस0, सी0 ए0 या अन्य दूसरी नौकरी या व्यवसाय में जायें । नवोदित खिलाड़ी उ0 प्र0 में हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जो भटक रहे हैं । उनके पास एक प्लाट नहीं है, सरकार उनको छत नहीं दे पा रही है । जब तक उनके कैरियर को जिम्मेदारी नहीं होगी, वह कैसे प्रोत्साहित होंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने कहा कि 5 प्रतिशत नौकरी में कोटा करेंगे। किस स्तर का आप रखेंगे चपरासी या सिपाही रखेंगे । जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है सरकार की जिम्मेदारी है उसका और उसके परिवार का खर्चा उठाये । आपने कहा कि वहां कि क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी जो ए0 क्लास की टीम बनी है, उसमें है । ऐसा नहीं है पिछले बार है जब से आपके स्पोर्ट कालेज, स्पोर्ट्स हास्टल बने हैं तब से खेल का स्तर गिरा है । कितने खिलाड़ी वहां से आये हैं और कितने अलग से आये हैं, यह बतायें । क्रिकेट टीम में यहां से मनोज प्रभाकर, चेतन चौहान रहे, ध्यान चन्द्रजी रहे, बलेन्द्रो पास रहो हैं । उ0 प्र0 को इनका गौरव प्राप्त है । एक समय थी हाकी टीम उ0 प्र0 के 11 खिलाड़ी रहे। अशोक कुमार, शाहिद अली, अफर इकबाल यहीं के थे । आज स्पोर्ट्स कालेज अपने उद्देश्य से भटक गये हैं यह प्रतिभायें नहीं बना पा रहे हैं ।

माध्यवर, यूनिवर्सिटी के अन्दर एक नजर डाले आपके समय में कितने क्रियाकलाप खेलकूद के होते रहे होंगे । अगर आप सरकार की नाक के नीचे इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में देखें तो पिछले 5-7 सालों से एनुअल मेम का आयोजन नहीं किया गया । किसी डिग्री कालेज में कुछ नहीं हुआ है, खेल का सामान नहीं है, किट नहीं है । अगर इन्टर यूनिवर्सिटी में टीम भेजनी है तो सोसोए कमेटी के चेयरमैन है। डीपीआई के हैं बैठकर अपने चहेते लड़कों की टीम बनाकर भेज देते हैं अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने बताया कि आज जो 25 पैसा फीस खेल के नाम पर ली जा रही है । आपने इंजीनियरिंग की फीस बढ़ा दी मेडिकल की फीस बढ़ा दी और खेल के नाम पर 25 पैसे फीस ली जा रही है । जब हमारी टीम कहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है तो वहां से हम गर्दन झुकाकर चले आते हैं । हाकी में हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं था और आज हम ओलम्पिक में जा नहीं सकते । दूसरे विभागों में तो हम यह कहते हैं कि जो अपेक्षित विकास था वह नहीं हुआ लेकिन यहां तो गिरावट आई है ।

तो माध्यवर, जब तक खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, कंटेगरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही होगा । दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी कपिल देव को सम्मानित कर दिया और जो यहां पैदा हुए हैं जिनका मूल स्थान है उनको कुछ नहीं । माध्यवर, जो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है उसको एच0 आई0 जी0 का मकान दिला दिया और जो खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार लिए बैठा है, लक्ष्मण एवार्ड लिए बैठा है जो 7 साल तक वालीबाल का कैप्टन रहा उसके पास आज अपना सर छुपाने के लिए छत नहीं है, मकान नहीं मिल पा रहा है । पत्नी का जेवर खेल में लगा दिया, घर से पैसा लेकर लगा दिया, 5 लाख रुपये लगा दिया वह सरकार दे नहीं पा रही है । इसके बाद अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । माध्यवर, आपने 85 लाख रुपया उपकरण को खरीदने के लिए रखा है मुझे नहीं लगता है कि यह उपकरण खरीदे जायेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गोलमाल है । कुश्ती की किट खरीदी गई थी उसके बाद कुछ जांच हुई थी, सस्पेन्ड थे । कहीं ऐसा न हो कि इस बार का पैसा भी उन्हीं के हाथ में चला जाय जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था ।

माननीय, मेरठ के अन्दर मंडलीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठा रखा है जो खेल विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार का प्रतीक है। वह व्यक्ति आजमगढ़ के अन्दर था तो उसके खिलाफ कार्यवाही हुई, गोरखपुर में तो उसके खिलाड़ी कार्यवाई हुई, पीड़ो में उसके खिलाफ कार्यवाई हुई, सस्पेन्ड हुआ था तमाम तरह की जांचें चल रही हैं और आज उसको मंडलीय अधिकारी बनाकर भेज दिया। तीन मंडल का चार्ज दे रखा है तो कहां से खेल का विकास होगा? इसी के साथ मैं विश्वास करूंगा कि यह जो 17 करोड़ का बजट रखा है। इतने बड़े प्रदेश को देखते हुये बजट इतना अल्प है कि उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मंत्रिमंडल का खर्चा है 25 करोड़ और खेल का बजट है मात्र 12 करोड़। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रूप चौधरी—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने खेलों के उत्थान के लिए प्रयास किये हैं। माननीय, रामपुर, वाराणसी और लखनऊ में सिन्थेटिक टर्फ मैदान के लिये 551.76 लाख रुपये का प्राविधान किया है उसके लिये बधाई देता हूं। साथ में यह भी मांग करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इस मामले में अनदेखा न किया जाय, वहां भी इस तरह के मैदान बनाये जायें। प्रत्येक जनपद में खेलों के उत्थान हेतु 130.35 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। खिलाड़ियों के प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के लिये 1 लाख 20 हजार रुपये का प्राविधान भी किया गया है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में नये खिलाड़ियों को अवसर मिल सके।

माननीय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय, प्रत्येक ग्राम में एल0 ए0 सी0 की जमीन होती है, जिस पर ग्राम प्रधान या कुछ असरदार लोग कब्जा कर लेते हैं, इसके सम्बन्ध में ऐसा कोई प्राविधान किया जाय, जिससे भूमि को खेल के मैदान के रूप में प्रयोग किया जाय। यह एक चिन्ता का विषय है कि गांव से खेल समाप्त होते जा रहे हैं, कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी, इन खेलों को बचाने के लिये अलग से धन का प्राविधान किया जाय। माननीय जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कई खेलों में नाम था, लेकिन अब प्रदेश के खिलाड़ियों का नाम धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है, मैं अनुरोध करूंगा कि इस ओर भी समुचित प्रयास किया जाय।

माननीय, देहात में एक कहावत है, जो आज की व्यवस्था को चरितार्थ करती है, उसको अवश्य सुनाना चाहूंगा। माननीय, एक पहलवान जी थे, उनके लिए सरकार ने फैसला किया कि उनको अच्छी खुराक दी जाय, इसके लिये 5 किलो दूध रोज की उनके लिये व्यवस्था कर दी गई, लेकिन वह पहलवान जी कभी नींव की दवा ले लेते थे, कभी कभी दूध पहले पी लेते थे, कभी बाद में, फिर देखा गया कि वह कमजोर होते जा रहे हैं, इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लिये एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया गया जो उनको दूध देने का काम करेगा वह कर्मचारी रोज एक किलो दूध अपना निकाल लेता था और 4 किलो पहलवान जी को पिला देता था, फिर देखा गया, पहलवान जी कमजोर होते जा रहे हैं। तब एक सुपरवाइजर को नियुक्त कर दी गई, सुपरवाइजर ने उस कर्मचारी से कहा कि एक किलो अपना और एक किलो दूध रोज हमारा निकाल लो, इस तरह पहलवान जी को तीन किलो दूध रोज मिलने लगा, नतीजन फिर वही, पहलवान जी कमजोर उसके बाद सोचा गया जरूर कोई गड़बड़ है। एक गजटेड अफसर रख दिया गया।

उसने भी एक किलो दूध लेना शुरू कर दिया और अब पहलवान जी को दो किलो दूध मिलने लगा। अबभी पहलवान कमजोर ही होते गये, तो एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने एक पी० सी० एस० अधिकारी रख दिया, उस अधिकारी ने भी एक किलो दूध लेना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से अब पहलवान जी एक किलो ही दूध मिल पाने लगा और वह कमजोर होते गये, तब आई० ए० एस० अधिकारी को रख दिया गया, उस अधिकारी ने भी उस एक किलो दूध को लेने लगा और कहा कि जो खरचन है, उसको पहलवान की मूंछों पर लगा दी जाया करे। तो माननीय, यही हालत इस विभाग की है और खिलाड़ियों की है। खिलाड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो लाभ सीधे खिलाड़ियों तक पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच पा रहा है। अगर उनको सीधे लाभ पहुंचे, तो वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्थान पाया है, उनकी सहायता की राशि को बढ़ाया जाये। उनको जो राशि दी जाती है वह काफी कम है। दूसरे प्रदेश इस प्रकार के खिलाड़ियों को मकान देते हैं और अन्य तमाम प्रकार की सुविधायें देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाये। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खेल के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मन्त्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरठ के लिये एक तरन ताल देने की घोषणा की है। जैसा माननीय लोकपति त्रिपाठी ने कहा, हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। माननीय मेरठ में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आभा झिल्लन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, कमल सेन 1997–98 में दिल्ली में हुई जूनियर चैम्पियनशिप में पिस्टल शूटिंग में नाम पैदा किया और उसे एक गोल्ड, दो सिलवर और एक कांस्य पदक मिला। इसी प्रकार के साधिया ने गत्वं जूनियर चैम्पियनशिप में पदक जीता। अगर उन पर ध्यान दिया जाये, तो मेरठ से ऐसी प्रतिभायें जन्म ले सकती हैं। माननीय, कमल सेन को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आफर आया है। महाराष्ट्र सरकार उसको इन्जीनियरिंग में प्रवेश के लिये अपने खर्चे पर बुला रही है। लेकिन उसने यह शर्त रखी है कि वह महाराष्ट्र सरकार की ओर से खेलेगा। हमारी सरकार की चाहिये कि इस प्रकार की जो प्रतिभायें हैं, उनको पलायन होने से रोके। दूसरे प्रदेश हमारी प्रतिभायें को बाहर ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने आफर दिया है, उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी उनकी ओर ध्यान देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं की आपने मुझे भाई वसीम द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय खेल मन्त्री जी से संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं आपके पास संसाधनों की बहुत कमी है आपने बजट में जो प्राविधान किये हैं, उससे खेलों के उन्नयन में कदाचित उतना काम नहीं कर पायेंगे क्यों कि उसके हिसाब से बजट नहीं रखा है । मेरा निवेदन है आप हॉकी, क्रिकेट या टेनिस आदि के जो अन्तर्राष्ट्रीय खेल हैं उसकी एक लम्बी सूची है जिनपर आप खर्च कर रहे हैं लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ अपनी स्थितियां हैं उनके अनुसार कुछ देशी खेल हैं जिनको आसानी से कम खर्च पर सिखाया जा सकता है उनके लिये ज्यादा मंहगे उपकरणों की जरूरत नहीं है, तो उनके लिये बढ़ावा दिया जाये । खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वांचल इलाके में जहां मिट्टी से जुड़े नौजवान बच्चे खेलते हैं उनको प्रोत्साहित करें तो अच्छा होगा । उसमें ज्यादा संसाधन भी नहीं लगाने पड़ते हैं और प्रदेश को एक नयी दिशा आप नहीं दे पायेंगे । आपने रात्रि-कालीन खेलों का जिक्र किया, उसके लिये बजट में प्राविधान किया है, लेकिन यहां रात्रि में बड़े-बड़े मन्त्री लोग खेल रहे हैं रात्रि कालीन खेल को दिन में भी खेल रहे हैं, तो जो रात्रि कालीन खेल हैं उनको रात्रिकालीन ही रहने दीजिये ।

(व्यवधान)

कारागार मन्त्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

चौधरी जी बलिया के रहने वाले हैं, वहीं यह खेल खेलते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी—

बलिया में जो खेल खेलते हैं वह उपलब्ध है । कुछ और भी मन्त्री हैं मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिये अच्छा हो कि जो खेल मन्त्रियों द्वारा रात्रि में खेले जा रहे हैं उसमें मन्त्री जी का हिस्सा न आये ।

आप देशी खेलों पर ज्यादा ध्यान दें इसमें हमें भले ही इन्टरनेशनल स्तर पर मेडल न मिलें लेकिन हम अपने प्रदेश में एक मजबूत नौजवान पौध जरूर दे सकते हैं । इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री मोहर सिंह अंबाड़ी—

माननीय, अधिष्ठाता जो आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं मैं खेल विभाग के बजट पर श्री वसीम अहमद जो के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय, खेल व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक जुड़ा होता है । जब बच्चा पैदा होता है और खेल रहा होता है, तो मां कहती है कि हमारा बच्चा खेल रहा है । उस समय वह पूर्ण रूप से चिन्तामुक्त व मगन होता है । स्वस्थ्य रहता है । आज यह सरकार खेल को मात्र मात्र खेल समझ रही है । खेल व्यक्ति की अभि व्यक्ति,

स्वास्थ्य, सम्मान, विकास नेतृत्व क्षमता व्यापकता व प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, माननीय सदस्य जो यहां सदन में बैठे हैं यह उनके खेल का ही एक हिस्सा है कि यह आज यहां तक पहुंचे हैं। आज जब राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजित होते हैं तो टी0 वी0 ट्रांजिस्टर पर लोग आखें लगाकर बैठे रहते हैं और जिस नम्बर पर वह अपने प्रदेश व देश को आते हुये देखना चाहते हैं अगर वह नहीं आ पाता है तो उनके दिल को ठेस लगती है, मनोबल टूटता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे गांव के नौजवान हैं उनमें खेल के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता व रुझान बढ़ी है लेकिन उनके पास खेल के मैदान नहीं हैं, खेल के साधन व सामान नहीं हैं नहीं है। मेरा सुझाव है कि प्रदेश भर में हर गांव स्तर पर खेल समितियां बनायी जायें, खेल के मैदान और खेल के सामान उपलब्ध कराये जायें और प्राइमरी शिक्षा से लेकर आगे तक की, शिक्षा में खेलों को बढ़ावा व प्रोत्साहन दिया जाये। क्योंकि मैं स्वयं प्रा0 पा0 में सभा का पात्र होने के कारण एम0 एल0 ए0 हूं।

माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि खेलों के लिये जो चयन खिलाड़ियों का होता है उसमें प्रतिभा के स्थान पर प्रभाव के बल पर खिलाड़ियों का चयन होता है। जब तक ऐसा होता रहेगा अच्छे खिलाड़ियों का चयन नहीं हो सकेगा और हमारे खेल उच्च स्तर तक विकसित नहीं होंगे। माननीय, मेरा निवेदन है कि अजोतमल में एक खेल स्टेडियम बनाया जाय और औरैया में भी जो अब जनपद भी बन गया है खेल स्टेडियम बनाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद

श्री वसीम अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि ब्लाक लेविल से ऐसी व्यवस्था करें जिससे गांव के खिलाड़ी भी आप के खेलों आपके हास्टल या कालेजों में आ सके और वहां से उनके चयन की प्रक्रिया शुरू हो। खेल संघों को खिलाड़ियों के हवाले किया जाये, आज प्राइवेट कम्पनियां बनाकर रखा जा रहा है। उनसे उनको लिया जाना चाहिये। अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा कि हमारे यहां प्रतिभायें पूर्वांचल में हैं, आजमगढ़, बलिया, बनारस आदि स्पोर्टस कालेजों में बहुत से बच्चे हैं वह वहीं से तैयार होते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह किया था कि हमारे जो उस्ताद अखाड़े चलाते थे उनको 200 रु0 उपलब्ध कराने का व एक टीन शेड की व्यवस्था की थी। क्या उनको चलाने का काम करेंगे ? आपने पुरस्कारों की बात कही है जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार या लक्ष्मण पुरस्कार मिला है क्या उनको सम्मानित या पुरस्कृत करेंगे ? बाहरी खिलाड़ियों को एच0 आई0 जी0 के तहत आवास देने का काम किया गया लेकिन हमारे यहां के खिलाड़ियों को नहीं दिया गया, क्या इनको देने का काम करेंगे ? इसी तरह जो प्रशिक्षक हैं जो अपना धन लगा कर बच्चों को तैयार करते हैं, खिलाते पढ़ाते उन्हें किट उपलब्ध कराते हैं, आप यह जरूर सोचिये कि बहुत लगन से किस प्रकार से खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करते हैं, मैं एक शहर का नाम

आपको बता रहा हूं श्री एस0 दो0 सिंह साहब वह स्टेडियम में कोच हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़े लगन से बच्चों को तैयार किया है। क्या ऐसे प्रशिक्षकों को भी पुरस्कृत करने का काम करेंगे। एक खिलाड़ी पुलिस विभाग में हैं, श्री रणबीर सिंह जी, वह भी इसी तरह से काम कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिये यह सरकार काम करेगी ? एच0 आई0 जी0 से पुरस्कृत करने के साथ-साथ पदोन्नति करेगी। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे भाई वसीम जी सम्मानित लोकपति जी, समरपाल सिंह जी, रूप चौधरी जी, डा0 बाजपेयी जी, अम्बिका चौधरी जी एवं मुहर सह अम्बाड़ी जी ने विचार रखे हैं उन सारे विचारों का संकलन करके उनका समायोजन करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरी बात है, मैं बड़ा खिलाड़ी नहीं था लेकिन जिन्दगी में एक खेल खेला था, राजनीति का और उसमें कभी आऊट नहीं हुआ।

श्री लालमणि प्रसाद—

माध्यवर, अगर माननीय मंत्री जी बल-बबल का खेल न खेले होते तो आज खेल विभाग का बजट न पेश कर रहे होते।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

आदरणीय लोकपति त्रिपाठी जी ने जो बात कही है कि अधिकारियों ने गुमराह किया होगा। मैं बताना चाहूंगा कि गुमराह यह सरकार नहीं होती है हमारी भी इच्छा शक्ति है। आपने हमें पत्र नहीं लिखा था, पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था और मुख्य मंत्री जी ने निर्देश भी दिये थे। उन निर्देशों के तहत हमने भारत सरकार से वार्ता भी की। ध्यानचन्द्र स्टेडियम का स्टोटर्फ हम इसी वर्ष बदलवा कर दे देंगे। 20 तरण ताल इस वर्ष स्वीकृत होने जा रहे हैं। अगर श्री लोकपति जी धृष्टता के लिये क्षमा कर दें तो वह इतने वर्ष तक इस विभाग को संजोते रहे उन्होंने कितने तरण ताल बनवाये। कितने स्टोटर्फ लगवाये। भ्रष्टाचार मिटाने के लिये मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। अनेकों जगह जाकर जहां-जहां हमने पकड़ा है, उनको सजा दी है। मेरठ में एक भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा था। उसकी गर्दन नापी। इसी तरह से अनेक अधिकारियों की गर्दन नापी। अभी मेरठ में कोई तैनात नहीं है वहां एडीशनल चार्ज है। श्री समर पाल जी ने जो जानकारी दी है मैं निश्चित रूप से उसको जांच करवाऊंगा और कार्यवाही करूंगा। जहां तक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात है। हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को किट की व्यवस्था के में सम्बन्ध में सबको समायोजित करेंगे। कपिल देव का सम्मान किसने किया। उनका सम्मान इस सरकार ने किया।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो राष्ट्रपति और अन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनकी सर्विस में दो प्रमोशन की व्यवस्था भी कर दीजिये।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

श्री लोकपति जी ने जो सुझाव दिये हैं मैं निश्चित रूप से पता देना चाहता हू कि हम पालिसी बना रहे हैं। उस पालिसी में निश्चित रूप से आपको सारी चीजें मिलेंगी। जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। संघो के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की बात की गई। एक संघ के तो श्री लोकपति जी बराबर अध्यक्ष बन बैठे हैं जो यह बात कही गई कि मनोज प्रभाकर और चेतन चौहान यहां के थे। मनोज प्रभाकर जब यहां के खिलाड़ी थे, तो उनको सेलेक्शन नहीं हुआ था इसी तरह से जब चेतन चौहान यहां के खिलाड़ी थे, तो उनका सेलेक्शन नहीं हुआ था। जब वह दोनों दिल्ली से खेले तब चयन हुआ था। मैंने यह बात उठाई इसीलिये आज दो खिलाड़ी हिन्दुस्तान की टीम को सुशोभित कर रहे हैं।

श्री वसीम जी ने कहा कि अखाड़ों को विकसित किया जाना चाहिये। इसके लिए युवा कल्याण विभाग में प्राविधान रखा गया है। खिलाड़ियों का चयन ब्लाक स्तर से ही होता है, जब युवा कल्याण विभाग का बजट आयेगा तो तब आप इस पर अपनी बात कहियेगा। यह स्पोर्टस विभाग में नहीं आता है, युवा कल्याण में यह आता है। आप लोगों के जो विचार आये हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। अच्छे खिलाड़ियों को मनाने के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री वसीम अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी ध्यान चन्द जी के नाम पर लक्ष्मण पुरस्कार की तरह कोई पुरस्कार देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,45,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान

संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विभिन्न अभिलेखन निदेशालय तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-82 सांख्यिकी विभाग :

वित्त मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,47,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,47,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,99,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,99,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,19,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,19,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पुर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,41,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,41,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 69,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 69,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,53,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,53,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,07,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,07,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 16 जुलाई, 1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुयी । जिसमें पहली सूचना श्री मुन्ना चौहान जी की है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव जी की है इनकी सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई है । तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना श्री अम्बरीष कुमार जी की है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत

किया गया है । छठी सूचना श्री अजय कुमार पोद्दार जी की है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । सातवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । आठवीं सूचना श्री बिन्दु लाल की है इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

नवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । दसवी सूचना श्री उदयराज यादव की है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । ग्यारहवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर भारतीय की है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । बारहवीं सूचना श्री मुरलीधर की है इसको ध्यानाकर्षक हेतु स्वीकृत किया गया है । तेरहवीं सूचना डा० बकार अहमद शाह की है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है चौदहवीं सूचना डा० धर्मेश मिश्र जी की है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । पन्द्रहवीं सूचना श्री कमलेश कुमार सिंह जी की है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । शेष सूचनायें जो निरस्त की गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं । श्री राम औतार शाक्य, श्री विजय पाल सिंह श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री राम ललित चौधरी, श्री कैलाश श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री दीपक कुमार, श्री प्रभुनाथ सिंह यादव, श्री भोम प्रसाद सोनकर श्री जगदीश नारायण राय, श्री दद्दू प्रसाद, श्रीमती विजमा यादव, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री हरदेव सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री बाबूलाल, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री अफजाल अहमद, श्री नवाब सिंह नागर ।

प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट बोर्ड की वर्ष 1998 की परीक्षा के परिणाम 37 कालेजों सहित मेरठ के डी० एन० इण्टर कालेज तथा राजकीय इण्टर कालेज का सम्पूर्ण परीक्षाफल रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा० शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

*माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)—

माननीय, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट.....

एक मा० सदस्य—

माननीय, वक्तव्य पढ़ा मान लिया जाय.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा मान लिया गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचना—

बोर्ड की वर्ष 1998 की परीक्षा में राजकीय इण्टर कालेज तथा देवनागरी इण्टर कालेज की हाईस्कूल परीक्षा का पूरा परिणाम रोक लिया गया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में अन्य कालेजों का परीक्षाफल रोका गया है। हजारों छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

दौरान परीक्षा न नकल की शिकायत न कोई पकड़ा गया, तब पूरे केन्द्र का परीक्षाफल रोकना क्या न्यायसंगत है? नकल कमरे में हो सकती है, पूरे केन्द्र पर नहीं, यदि केन्द्र पर हुई तो अध्यापक निलम्बित क्यों नहीं?

उल्लेखनीय है कि राजकीय इण्टर कालेज मेरठ के कैम्पस में डी0 डी0 आर0 से लेकर नीचे तक शिक्षा विभाग के कार्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कार्यालय स्थित है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर हमारे छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्यवाही तथा परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग करता हूं।

वक्तव्य—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिषद् द्वारा आयोजित वर्ष 1998 की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में शिक्षा माफिया द्वारा मूल्यांकन केन्द्रों पर जाकर क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ परिक्षेत्र के कतिपय परीक्षा केन्द्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों में फेर बदल कराये जाने की कार्यवाही की गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्रों पर आवंटित विषयों/प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं के मार्जन कराये जाने की कार्यवाही की गयी उत्तर पुस्तिकाओं के मार्जन के समय प्रथम शिकायत की पुष्टि हुई तथा ऐसे प्रकरण भी प्रकाश में आये, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मुख पृष्ठ पर परीक्षक द्वारा जो अंक लिखे गये हैं, वे उत्तर पुस्तिकाओं के अन्दर प्रश्नवार दिये गये अंकों एवं एबार्ड ब्लैंक में अंकित अंकों से कहीं अधिक हैं। अधिकांश उत्तर पुस्तिकाओं के भीतर और आवरण पृष्ठ के ऊपर अंकित अंकों में 10 से 15 तक अंकों का अन्तर है। ऐसी स्थिति में शिकायत की पुष्टि होने पर 16 परीक्षा केन्द्रों का परीक्षाफल डब्लू0 ई0 श्रेणी में रोक कर गहन जांच कार्यवाही पूर्ण की जा रही है ताकि ऐसे अवांछनीय तत्वों की गलत मंशा फलीभूत न हो पाये तथा मेधावी परीक्षार्थियों के साथ न कोई अन्याय न होने पाये।

2—जहां तक देवनागरी इण्टर कालेज मेरठ तथा राजकीय इण्टर कालेज मेरठ के छात्रों का परीक्षाफल घोषित किये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देवनागरी इण्टर कालेज मेरठ के केवल हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ही परीक्षाफल रोके गये हैं। इस केन्द्र

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के इण्टर के परीक्षाफल नहीं रोके गये हैं। इसी प्रकार राजकीय इण्टर कालेज मेरठ के हाईस्कूल परीक्षा के केवल विज्ञान वर्ग को छोड़कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मात्र 231 परीक्षार्थियों के ही परीक्षाफल रोके गये हैं। शेष परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है जांच कार्यवाही पूर्ण होते ही सम्बन्धित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे।

3—उक्त के अतिरिक्त इलाहाबाद परिक्षेत्र के परीक्षा केन्द्र मुलायम सिंह यादव इण्टर कालेज, मदेई सैफई, इटावा परीक्षा केन्द्र पर इण्टर भूगोल विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा तथा हाईस्कूल विज्ञान-1, विज्ञान-2 तथा जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा में अनियमितता बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। प्रकरणगत केन्द्र के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल भी डबलू 30 सूची में रोककर गहन जांच करायी जा रही है। जांच शीघ्र पूर्ण कराकर परीक्षाफल घोषित कर दिए जायेंगे।

4—हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में किसी प्रकार की अनियमिततायें न हों। शासन परिषद् परीक्षाओं की गरिमा, गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु दृढ़संकल्प है। शासन ऐसे प्रकरणों को गम्भीर दृष्टि से देखता है। प्रकरण में जांच कार्यवाही शुद्ध स्तर पर पूर्ण कराकर परीक्षाफल घोषित किये जाने का कार्यवाही की जायेगी। जांच में जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो सके।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने विद्यालयों का परीक्षाफल रोका गया है उनकी जांच कब तक पूरा हो जाएगी। इसमें परिणाम कब तक आ जायेंगे। इसके बड़े घोटाले के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नजीर बन जाए ऐसी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्र किशोर—

शीघ्र ही परीक्षाफल घोषित कर दिए जाएंगे और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में बढ़ती हुयी बैंक डकैतियों की घटनाओं तथा सरकार द्वारा समुचित कदम न उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर वित्त राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)—

प्रदेश में बैंक डकैतियों की बढ़ती घटनाओं तथा सरकार द्वारा समुचित कदम न उठाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचनाओं में यह व्यक्त किया गया है कि मार्च, 1998 से लेकर अब तक हुयी बैंक डकैती और

नोट —[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

बाद में उत्पन्न स्थिति ने सरकार की कानून व्यवस्था की कलई खोल दी है। मा0 सदस्य द्वारा मार्च, 1998 से जुलाई, 1998 के दौरान हुई विभिन्न जनपदों में बैंक डकैतियों का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में शांति व्यवस्था को गम्भीर चुनौती अपराधिक प्रवृत्ति के लोग दे रहे हैं। इससे सरकार की कार्य-प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। अतः सरकार को नीतिगत आधार पर निर्णय लेकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2—प्रश्नगत सूचनाओं में रेखांकित की गयी घटनाय इस प्रकार हैं :—

(क) दिनांक 8-3-98 को श्री ओम नारायण त्रिवेदी, अधिकारी अवध ग्रामीण बैंक, हरदोई से 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 1 लाख रुपया हरदोई रोड से 6-7 कि0 मी0 दूरी पर छीन लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-87/98 धारा-394 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ है तथा विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट दिनांक 22-6-98 को दाखिल कर दी गयी है।

(ख) जनपद वाराणसी में दिनांक 19-3-98 को कोई बैंक डकैती या लूट की घटना घटित नहीं हुयी, अपितु दिनांक 19-3-98 को भारतीय जीवन बीमा निगम, श्री राम कारपोरेशन, मलदहिया, वाराणसी के सब स्टाफ श्री माता प्रसाद एवं अधिकारी श्री संजय गुप्ता व जी0 पी0 सिंह के साथ नगद रु0 3,67,483 10/-एवं रु0 8,26,862 35/- का चेक एक बैग में लेकर पंजाब नेशनल बैंक जमा करने जा रहे थे कि सीढ़ियों से उतरते समय पूर्वान्ह 11.25 बजे 3 व्यक्ति श्री माता प्रसाद को गोली मारकर रुपये से भरा बैग लेकर भाग गये। इस घटना में कुल 7 व्यक्ति प्रकाश में आये हैं, जिसमें अभियुक्त रवि कुमार अग्रवाल के पास से, दिनांक 28-4-98 को 20 हजार रुपये नगद बरामद किया गया। अभियुक्त विशाल सिंह व दिलीप तिवारी ने क्रमशः 28-5-98 व 15-4-98 को न्यायालय, में आत्मसमर्पण कर दिया है। अभियुक्त प्रेम सिंह व अर्जुन सिंह की कुर्की दिनांक 19-6-98 को की गयी है। अभियुक्त शंकर डे व गोपाल सिंह ने गिरफ्तारी के विरुद्ध हाईकोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। उक्त मुकदमें में आरोप पत्र संख्या-44 दिनांक 20-6-98 को प्रेषित किया गया है।

(ग) दिनांक 17 मार्च, 1998 को श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, लिपिक भागीरथ ग्रामीण बैंक, बिलौली, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर अपने एक साथी के साथ स्कूटर से महमूदाबाद भागीरथ ग्रामीण बैंक से डेढ़ लाख रुपये निकाल कर अपने बैंक बिलौली जा रहे कि कस्बा महमूदाबाद से करीब 6 कि0मी0 की दूरी पर बहद ग्राम सन्ता रमबारी थाना महमूदाबाद में 3 अज्ञात बदमाशों ने मारपीटकर

रुपया छीन लिया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 76/98 धारा 394/397 भा0द0वि0 दिनांक 17 मार्च, 1998 को 3 बदमाश नाम पता अज्ञात, सुरत शिनाख्त के आधार पर पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना से घटना में संतोष कुमार उर्फ ओमजी पुत्र राम प्रसाद मिश्रा निवासी मिर्जापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, गुड्डू उर्फ राजकुमार वर्मा पुत्र छैल बिहारी निवासी थाना सदरपुर जनपद सीतापुर तथा संकेत कुमार वर्मा पुत्र बदलू उर्फ राजेश वर्मा निवासी बाबीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी प्रकाश में आये हैं। इनमें से अभियुक्त संतोष कुमार को थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 29 मार्च, 1998 को बन्दी बनाया गया है, इसके कब्जे से रु0 3700 बरामद हुआ है। अभियुक्त गुड्डू दिनांक 22 मई, 1998 को अदालत में हाजिर हो गया जिसको थाना महमूदाबाद द्वारा 3 अगस्त, 1998 को पुलिस कस्टडी में लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर रु 2000 बरामद किया गया। इस घटना के अन्य अभियुक्त संकेत वर्मा को थाना फतेहपुर बाराबंकी बन्दी बनाकर जेल भेज दिया गया था। जिसको थाना महमूदाबाद द्वारा पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। वर्तमान में अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

(घ) दिनांक 5 मई, 1998 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रामपुर सकरवारी के प्रबन्धक व सदेशवाहक श्री राजनारायण उपाध्याय, अकबरपुर बैंक से 40 हजार रुपया लेकर स्कूटर से रामपुर सकंवारी जा रहे थे। लहुरीनगर चौराहे के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने सदेशवाहक की गर्दन पर अग्नेयास्त्र रखकर 40 हजार रुपये से भरी अटैची छीन ली। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली अकबरपुर में मु0 अ0स0 126 1998 धारा 392/397/411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) दिनांक 8 मई, 1998 को गोरखपुर में बैंक की डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुयी है।

(च) दिनांक 12 जून, 1998 को जनपद सुल्तानपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा में 40 लाख, पचास हजार रुपये की बैंक डकैती हुयी थी इस घटना के अनावरण के प्रकास जारी है :

(छ) दिनांक 22 जून, 1998 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दुर्गापुर जनपद प्रतापगढ़ में 3 लाख 13 हजार रुपये की बैंक डकैती की घटना हुयी थी। इस घटना के अनावरण का प्रयास व विवेचना जारी है।

(ज) दिनांक 29 जून, 1998 को लखनऊ के महानगर थानान्तर्गत कालिवन तालुकेदार स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखा से रु0 8,669 की लूट हुई तथा लूट के दौरान सहायक प्रबन्धक श्री आर0 के0 सुधीर की मृत्यु हो गयी थी। घटना से सम्बन्धित मु0अ0

सं0 224/98 धारा 394/909 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया है । उक्त घटना के सम्बन्ध में सम्मिलित अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र शिव नारायण जोशी निवासी हसनगंज लखनऊ से रु0 2000 तथा एक अदद कट्टा 12 बोर व 8 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ।

(झ) दिनांक 1 जुलाई, 1998 को पंजाब नेशनल बैंक की महानगर शाखा लखनऊ से 41,10,490 रु0 की बैंक डकैती हुयी । उक्त घटना की सूचना मिलने पर बदमाशों की गिरफ्तारी व रुपयों की बरामदगी हेतु सघन चेकिंग अभियान प्रारम्भ कर दी गई थी । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली महानगर मु0अ0सं0 226/98 धारा 392 पंजीकृत किया गया है । जांच से यह पाया गया है कि घटना के समय बैंक का सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं था अपितु बैंक में चतुर्थ श्रेणी का काम कर रहा था । सुरक्षा गार्ड की बन्दूक को वाल्ट आर्डर में नहीं थी । विवेचना प्रचलित है ।

(ञ) दिनांक 7 जुलाई 1998 को अवध ग्रामीण बैंक शाखा अदेचा में एक लाख रुपये की लूट की घटना हुयी थी । जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 87/98 थाना कोतवाली, हरदोई में पंजीकृत हुआ है । घटना में सम्मिलित अभियुक्त पवन कुमार त्रिवेदी पुत्र रामप्रकाश त्रिवेदी निवासी राधानगर, हरदोई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटे गये एक लाख रुपये में से 50 हजार रुपया बरामद किया । घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है ।

बैंकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम--

बैंक डकैती एवं लूट की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बैंक की सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्थाओं के सम्बन्ध मे लखनऊ के समस्त बैंकों के साथ शासन स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी । बैंकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में शासन, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा विभिन्न बैंकों से आये हुये अधिकारीगणों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये । विचारोपरान्त बैंकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्न-लिखित निर्णय लिये गये--

1--सभी बैंक अपनी समस्त शाखाओं की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उसे उच्चीकृत करने अथवा प्रकाश में आयी खामी को दूर करने के विषय में कार्यवाही सुनिश्चित करें । समस्त बैंक अपने सुरक्षाकर्मियों की उपयोगिता एवं कुशलता की समीक्षा करें तथा बहुत अधिक उम्र वाले तथा अकुशल सुरक्षाकर्मियों को बदलने के विषय में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । शाखाओं में लगे सुरक्षाकर्मी से बैंक का अन्य कार्य न लिया जाये । बैंक अपने सुरक्षाकर्मियों को शस्त्र संचालन का अभ्यास वर्ष में दो बार कराया जाना सुनिश्चित करें । सुरक्षा प्रशिक्षण एवं शस्त्र संचालन के अभ्यास हेतु जनपदीय पुलिस अधीक्षक बैंकों के अनुरोध पर दो दिवस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे । ऐसी शाखायें जहां पर ज्यादा धनराशि का लेन-देन होता है वहां प्रवेश तथा निकास को व्यवस्था नियंत्रित करने, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा और फोटोग्राफी के छुपे उपकरण लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें ।

2--करेन्सी चेस्टों पर शत-प्रतिशत व्यय के आधार पर पुलिस गार्ड प्रदान करने की पूर्व में ही व्यवस्था है । करेन्सी चेस्ट वाली प्रत्येक शाखा पर बैंक द्वारा गार्ड की व्यवस्था मांग ली जाय और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी जाय । ऐसी शाखायें जिनका दैनिक लेन-देन 25 लाख से अधिक है अथवा जिनकी स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पुलिस गार्ड हेतु अनुरोध कर सकेंगे और जिला प्रशासन द्वारा बैंक के निजी व्यय भार के आधार पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

3--बैंकों और पुलिस के मध्य दूरी कम करने और मेल-जोल बढ़ाने हेतु पुलिस अधीक्षक अपने थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वो कार्य दिवस और कार्य घंटों में बैंकों की शाखाओं में जाकर यदाकदा सम्पर्क करते रहें ।

4--बैंक अपनी सुरक्षा हेतु हाट-लाइन लगाने, आटो-डायलर डाकरण लगाने, हूटर एवं अलार्म सिस्टम की व्यवस्था करने तथा टाइम-लॉक उपकरण लगाने के विषय में परीक्षण कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था आधुनिकीकृत करने की कार्यवाही करेंगें । ऐसे सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण जो बैंक में प्रयोग में लाये जा सकते हैं, की प्रदर्शनी इसी माह में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को निर्देशित कर दिया गया है । जिसमें बैंकों के अधिकारियों को भाग लेने हेतु निमंत्रित किया जायेगा । इस विषय में पुलिस महानिदेशक सी० आई० एस० एफ० का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

5--पुलिस द्वारा बैंक शाखाओं में एवं बैंक के आसपास सादे कपड़ों में ड्यूटियां लगायी जाने की व्यवस्था की जायेगी, जिनसे बैंकों के समीप संदिग्ध गतिविधि को रोकने में सहायता मिल सके ।

6--पुलिस ऐसे प्रमुख अपराधियों की सूची, चित्र, अपराध की कार्यप्रणाली (मोडस-आपरेन्डो) एवं अन्य विवरण आर० बी० आई० को उपलब्ध करायेंगे जो हाल की बैंक की डकैती घटनाओं में गिरफ्तार हुये हों अथवा प्रकाश में आये हों ।

7--पुलिस बैंक के कार्य के घंटों में सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था करेगी । यह व्यवस्था ऐसे की जायेगी कि बैंक बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस वाहनों एवं पुलिस बल की उपस्थिति दिखाई देती रहे ।

8--करेन्सी चेस्ट में लगी हाट-लाइनों के काम न करने की बात बैंकों द्वारा उठायी गयी । इस विषय में निर्णय लिया गया कि टेलीफोन विभाग को समस्त हाट-लाइनें, जो बैंक और थानों के मध्य कार्यरत हैं, एक सप्ताह के भीतर ठीक करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऐसी शाखाओं की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जहां हाट-लाइनें लगी हो और कार्य न कर रही हो । सूची में बैंक का नाम, स्थान, दूरभाष नं० आदि आवश्यक सूचनायें उपलब्ध करायी जायेंगी ।

9--जिलाधिकारियों को यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं बैंकों की शाखाओं के समस्त लम्बित शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण एवं शस्त्र लाइसेन्सों को पदनाम से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 को निर्गत किया गया है ।]

जनपद बलिया में बलिया-बैरिया मार्ग पर मझौवा में गंगा से तथा ग्राम डूहा में घाघरा नदी से हुए कटान के सम्बन्ध में श्री राजधारी आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)--

[बलिया-बैरिया बांध के कि0 मी0 23.800 से कि0 मी0 25.600 के बीच गंगा नदी से कटान हो रहा था। साथ ही साथ बलिया-बैरिया बांध से कटान की न्यूनतम दूरी 115 मीटर रह गयी थी, जिसके रक्षार्थ दो परियोजनायें बनायी गयी थीं, किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा कार्य-स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थायी समाधान के लिए सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा माडल स्टडी कराये जाने की संस्तुति तथा अस्थायी रूप से तात्कालिक व्यवस्था के लिए 6 अदद स्पैड के निर्माण का भी सुझाव दिया गया। तद्नुसार रु0 33.65 लाख की एक परियोजना का प्राक्कलन तैयार किया गया, जो टी0 ए0 सी0 की 108वीं बैठक दिनांक 8 जून, 1998 में स्वीकृत हुई तथा कार्य प्रगति पर है। वर्तमान समय में नदी द्वारा कोई कटान नहीं किया जा रहा है।

ग्राम डूहा में घाघरा नदी के कटान से बचाव कार्य कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, बलिया द्वारा कार्य-स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उन्होंने तीन अदद बोल्डर स्पर बनाये जाने की आवश्यकता बतायी, किन्तु एक स्पर का तत्काल निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक था, जिसके लिए रु0 4.50 लाख का प्राक्कलन तैयार कर डी0 आर0 डी0 ए0 से धन की मांग की गयी है। वर्षाकाल के पश्चात् धन प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। शेष दो अदद बोल्डर स्पर की परियोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। स्थिति पर सतत् निगाह रखी जा रही है।]

नोट--[×××] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड-49 के अन्तर्गत करोड़ों की लागत से खरीदी गयी खुदाई मशीनों से ड्रेनों की सफाई न किये जाने विषयक श्री तेजभान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार शारदा सहायक खण्ड-49, सुल्तानपुर के अन्तर्गत खुदाई की तीन मशीनें हैं, जो वर्तमान में कार्यशील नहीं हैं। इनमें से एक मशीन अब बनना बन्द हो गयी है। शेष दोनों मशीनों के खराब पुर्जों को बदल कर चालू कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस प्रकार तीनों मशीनें विभाग के पास सुरक्षित हैं तथा उनके पुर्जे बेंच दिये जाने की बात सही नहीं पायी गयी है। इन मशीनों को चलाने के लिये 4 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतन इत्यादि पर लगभग 12,000 रुपये प्रतिमाह व्यय हो रहा है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ड्रेनों की सफाई मशीनों से कराया जाना वित्तीय रूप से साध्य नहीं है।

शारदा सहायक खण्ड-49, सुल्तानपुर द्वारा 1,400 कि0 मी0 लम्बाई में ड्रेनों के रख-रखाव के लिये मानक के अनुसार रु0 75.00 लाख की आवश्यकता है, किन्तु इस मद में प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण मानक के अनुरूप धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः 3 से 5 वर्ष के अन्तराल में सफाई का कार्य सम्भव हो पा रहा है। फर्जी भुगतान की बात भी सही नहीं पायी गयी है।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद सुल्तानपुर की मुख्य ड्रेनों पीपरपुर, गुलालपुर एवं मछियावताल की सफाई के कार्यों को भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। जिन ड्रेनों में कंकड़ होने के कारण अभी तक खुदाई नहीं हो पायी है, उनकी खुदाई का कार्य मशीनों की मरम्मत हो जाने पर कराया जायेगा।]

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 17 जुलाई, 1998 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

16 जुलाई, 1998।

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

399—नत्थी 'क'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या—4 का उत्तर पीछे पृष्ठ .....पर

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्रों में राज्य मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1994 से अब तक सम्पर्क मार्गों /हैण्ड पम्पों की स्वीकृति, निरस्तीकरण तथा लागत का विवरण :

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सम्पर्क मार्ग/हैण्ड पम्प की सं०	1994–95 स्वी० लागत (लाख रु०)	1995–96 स्वी० लागत (लाख रु०)	1996–97 स्वी० लागत (लाख रु०)	1997–98 स्वी० लागत (लाख रु०)	1998–99 स्वी०–लागत (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पट्टी	सम्पर्क मार्ग	..	..	.	.. ..	.. ..
2	,,	हैण्ड पम्प	09 1.26	55 7.70	55 7.70	.. ..	.. ..
3	रामपुर खास	सम्पर्क मार्ग	05 33.57	12 102.06	45 263 67	02 46.60	.. ..
4	,,	हैण्ड पम्प	24 3.36	220 30.80	24 3.48	.. ..	.. ..
5	सदर	सम्पर्क मार्ग	.. .	01 11.00	.. ..	.. ..	.. ..
6	,,	हैण्ड पम्प	.. ..	130 18 20	37 5.36	.. ..	.. ..
7	गड़वारा	हैण्ड पम्प	15 2.10	31 4.36	52 7.54	.. ..	.. ..
8	,,	सम्पर्क मार्ग	.. ..	01 8 25	02 9 75	.. ..	.. ..
9	बिहार	सम्पर्क मार्ग	.. ..	01 1.38	07 33.75	.. .	.. ..
10	,,	हैण्ड पम्प	.. .	29 4.06	.. ..	.. ..	.. ..
11	कुण्डा	सम्पर्क मार्ग	.. ..	02 15 50	04 19.50	.. 9.32	.. ..
12	,,	हैण्ड पम्प	.. ..	.. .	29 4.21	.. ..	.. ..
13	बीरापुर	सम्पर्क मार्ग	.. ..	01 8.25	.. ..	.. ..	.. ..
14	,,	हैण्ड पम्प	.. ..	.. ..	29 4 21	.. ..	.. ..

नोट—(1) विधान सभा क्षेत्र कुण्डा में 1 नग मार्ग लागत रु० 2 75 लाख निरस्त किया जा चुका है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास क्षेत्रान्तर्गत 10 नग मार्ग लाख रु० 107.40 लाख के निरस्त किया जा चुका है ।

(3) विधान सभा बिहार क्षेत्रान्तर्गत 3 नये मार्ग लागत रु० 14 50 लाख के निरस्त किये जा चुके हैं ।

दिवाकर विक्रम सिंह,
कृषि मंत्री ।

नत्थी 'ख'

देखिये अता0 प्र0 सं0 128 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर

भारतीय खेल मजदूर यूनियन की प्रमुख मांगे

1--ग्राम भभौरी के निवासी मुख्तार पुत्र इब्राहीम के साथ बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी, जौनपुर द्वारा दुर्व्यवहार करने, सार्वजनिक तौर पर गाली देने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय व उन्हें दण्डित किया जाये।

2--ग्राम दुदौली, रोठी, बभौरी, [illegible]सावां, कलवारी, टिकरी कलां, डनरुआ, मोमिनपुर कलां, चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य एवं हरिजन आबादी चकरोड, नाली, खलिहान, विद्यालय हेतु सुरक्षित करने के पक्षपात पूर्ण ढंग से प्रविष्टीकरण किया गया है। गरीब निबल लोगों की उपेक्षा की गई है।

3--चकबन्दी विभाग में जौनपुर में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। कदम-कदम पर अवैध वसूली की जाती है। निर्धन काश्तकारी एवं हरिजनों को न्याय नहीं दिया जाता है। उपरोक्त गांवों से सैकड़ों मुकदमा अवैध धन न देने की वजह से नहीं हो पा रहा है। तहसील कर्मियों एवं बड़े काश्तकारों की मिलीभगत से हरिजनों को आवंटित भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। गलत तौर पर फर्मी पैमाइश के आधार पर उन्हें पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाये जाने से इनकार किया जा रहा है।

4--बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जौनपुर अत्यधिक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। आम गरीब जनता के दुख दर्द को नहीं सुनना चाहते हैं बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

5--अतएव इस सम्बन्ध में चकबंदी एवं तहसील कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से पैमाइश कराकर हरिजन आबादियों को कब्जा दिलाया जाय।

6--ग्राम देउपुर, भभौरी, [illegible], फिरोजपुर, [illegible]सावां के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाय।

7--उपरोक्त सभी गांवों के निर्धनों के यहां पेयजल का संकट व्याप्त है। सभी गांव के हरिजन एवं गरीब बस्तियों में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाया जाय।

8--ग्राम देउपुर में मातृ शिशु कल्याण खोला जाय। महिलाओं को काफी दूर जाना पड़ता है।

9--ग्राम देउपुर कलवारी के बीचो-बीच में गन्दा नाला पड़ता है। पुल के निर्माण का आदेश हुआ था। लेकिन आज तक नहीं बन सका। इसकी जांच कराई जाय। पुल बनवाया जाए जिससे यात्रियों को आने-जाने की कठिनाई दूर हो सके।

10--ग्राम देउपुर पटेल बस्ती में विधवा पेंशन दिया जाय। इस सम्बन्ध में कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया है।

11--ग्राम कलवरी में [illegible] साहब पटेल की हैण्ड पाइप खराब है। इसकी रिपेरिंग कराई जाय।

12--ग्राम कलवारी में कुआं की मरम्मत कराई जाय। दो हजार रुपया गांव सभा ने दिया है। उस रुपये से क्या कार्यवाही की गई? नहीं, तो क्यों नहीं, इसकी जांच कराई जाय।

पी0 ए0 यू0 पी0--13 विधान सभा 8-12-98--850 प्रतियां।